भारत देश के अतीत के वैभव की पुनर्स्थापना

भारत वर्ष को विश्व में शीर्ष पर पहुंचाने हेतु भारत के 110 करोड़ मूल निवासियों(ओबीसी/एस. सी./एस. टी.) को भारतीय संविधान की धारा–15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद–भाव किये बिना उत्तम चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क समान शिक्षा, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने हेतु, झूठ फरेब से मुक्त विज्ञान आधारित एवं मानव मूल्य आधारित संबैधानिक वातावरण विकसित करने हेतु, आपका तन, मन, धन से देश निर्माण में योगदान अपेक्षित हैं।

संविधान को जानों– अपनी ताकत को पहचानों
कर्म ही पूजा है ये देश हमारा है
हमें ही इसका पुनर्निर्माण करना है।
सभी मूलनिवासियों को साथ–साथ आना है।
भारत भूमि को मूलनिवासियों का स्वर्ग बनाना है।

हमारे मन्दिर – संसद, विधान सभायें, न्यायलय तथा विश्वविद्यालय, शोधसंस्थान
हमारा धर्म ग्रन्थ – भारत का संविधान
हमारा धर्म – जीवन मूल्य, मानवता
हमारे देव – सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी तथा माता–पिता

हमारे आदर्श पुरुष

– तथागत गौतम बुद्ध	– बाबू जगदेव प्रसाद
– महात्मा ज्योतिबा फुले	– ई. वी. स्वामी पेरियार
राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले	– सरदार बल्लभ भाई पटेल
– वीर एकलव्य	– विजय सिंह पथिक गुर्जर
– वीरांगना अबन्तीबाई	– बी. पी. मण्डल
– छत्रपति शाहू जी महाराज	– वी. पी. सिंह
– डा. बी. आर. अम्बेडकर	– विरसा मुण्डा
– वैज्ञानिक संत स्वामी ब्रह्मानंद महाराज	– कर्पूरी ठाकुर

जो भारतीय नागरिक उपर्युक्त विचार धारा से देश को आगे बढ़ानें में विश्वास रखते हैं और अपना योगदान देना चाहते है जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए एवं जानकारी हेतु संपर्क करें। एवं सदस्य बने और अपना पिछड़े वर्ग के प्रति कर्तव्य पूरा करे –

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया(भारतीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा)
पता–674, शकरपुर दिल्ली 110092

Email -obcufi@gmail.com,web-obcufi.org

राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव,

9711539237,9891496594,,9891306064

कमांक	विषय सूची	पेज सं0
	संम्पादकीय	
	A देश में पिछड़े वर्ग के दयनीय हालात को देखें	
01	भारतीय संविधान में पिछड़ेवर्ग के आयोगों की आवश्यकता	7
02	भारत में आरक्षण का इतिहास	9
03	देश में उच्च नौकरियों में विभाजन	12
04	क्या आप पिछड़ेवर्ग के हैं ? आप की हैसियत क्या हैं	13
05	तमिलनाडू में पिछड़ेवर्ग का रिजर्वेशन 50 प्रतिशत	15
06	मंडल कमीशन दिवस प्रधानमंत्री को पिछड़ेवर्ग के साथ न्याय करने के लिए ज्ञापन	17
07	महंगा इलाज, महगी शिक्षा, महंगा मकान, सब को मिलेगा आसान	22
08	पिछड़ेवर्गो के उत्थान के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम	23
09	ओबीसी की समस्याओं का समाधान	24
10	क्या पिछड़ेवर्ग के हिन्दू हैं ?	25
11	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ओबीसी की भर्ती न के बराबर	29
12	केन्द्र सरकार द्वारा यू. जी. सी. में ओबीसी की भर्ती नहीं	30
	B पिछड़ेवर्ग की दुर्दशा के कारण	
01	भारत माता के दुष्ट पुत्रों को पहचानिये	31
02	देश में जातीय अनुसार विभाजन	32
03	सरकार को गरीब नागरिकों की नहीं पूँजीपतियों की चिंता है।	33
04	लोकतंत्र एवं मानवाधिकार संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका	35
05	भारतीय बड़े उद्यमियों को पुराना कर्ज बकाया रहनें पर नया न मिलें	37
06	जनता के पैसों पर मौज कर रहे पूँजीपति	38
07	बट्टे खाते में गया सरकार का धन	39
08	बड़े उद्योगपतियों के घोटाले	40
09	सरकारी बैंको के 50 सबसे बड़े बकायादार	41
10	बैंक बार अरबों के घाटे पूँजीपतियों के लाभ के लिए	42
11	देश को लूटकर विदेश भाग रहें ब्राह्मणवादी लुटेर	43
C	**दुदर्शा के कारणों का निवारण और दुदर्शा से बचने के लिए**	44
	ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया(भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा) का राष्ट्रव्यापी गठन	

D ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया(भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा) के द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षिण शिविर

क0	स्थान	दिनांक	पेज न0
02	कार्यशाला काकीनाडा कोलकाता प. बंगाल	26 फरवरी 2013	51
03	कार्यशाला दरोगाशाय भवन पटना बिहार	28 फरवरी 2013	52
04	महाराष्ट्र औद्योगिकता प्रशिक्षण भवन नागपुर कार्यशाला	2,3 मार्च 2013	54
05	वैभव एकेडमी इन्द्रा नगर लखनऊ	28 अप्रेल 2013	53
06	विधायक विश्राम गृह भोपाल मध्य प्रदेश	11,12 मई 2013	54
07	रलेवें स्टाफ इस्टीट्यूट पटियाला पजांब	02 जून 2013	55
08	मंडी परिषद भवन दमाहे मध्य प्रदेश	01सितम्बर 2013	57
09	शिवाजी पार्क उत्सव भवन दुर्ग छत्तीसगढ़	20 अक्टूबर 2013	58
10	दिल्ली राष्ट्रीय कार्यशाला रेलवे सामुदायिक केंद्र तुगलकावाद दिल्ली	27 अक्टूबर 2013	59
11	शीतला गार्डन न्यू सुरेश नगर ग्वालियर म. प्र.	1 दिसम्बर 2013	61
12	विधायक विश्राम गृह भोपाल मध्य प्रदेश	22 दिसम्बर 2013	63
13	पटेल सवो सघं भवन पटना बिहार	9 दिसम्बर 2013	65
14	प्रजापति भवन रातानाडा जोधपुर राजस्थान	14 दिसम्बर 2013	67
15	रलेवें आडोटोरियम बड़ोदा गुजरात	18,19 जनवरी 2014	68
16	मिथिला धर्मशाला गुना मध्य प्रदेश	26 जनवरी 2014	71
17	किसान भवन दमोह मध्य प्रदेश	16 फरवरी 2014	74
18	शिवाजी पार्क उत्सव भवन दुर्ग छत्तीसगढ़	9 मार्च 2014	76
19	फुले भवन बालाघाट मध्य पद्रेश	11 मार्च 2014	81
20	बाडा डेडा फार्म हाउस भरूच गुजरात प्रशिक्षण शिविर गुजरात	30,31 मई1जून 2014	82
21	विकास भवन सभागार मानसा पंजाब में प्रशिक्षण	25 मई 2014	91
22	केन्द्रीय कार्यालय सभागार दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बठैक	15 जून 2014	94
23	नगर पालिका भवन अशोक नगर मध्य प्रदेश शिबिर	13 जुलाई 2014	101
24	रविन्द्र भारती पब्लिक स्कूल वैशाली जयपुर राजस्थान	27 जुलाई 2014	103
25	कश्यप धर्मशाला रूड़की उत्तराखण्ड	2 अगस्त 2014	105
26	लखनऊ अम्बेडकर विद्यालय कानपुर रोड लखनऊ	28 अगस्त 2014	108
27	दिल्ली कार्यालय सभागार दिल्ली प्रदेश कार्यशाला	7 सितम्बर 2014	110
28	फुल भवन अरैरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश	13,14 सितम्बर 2014	117
29	भोला कुर्मी छात्रावास आजाद चौक रायपुर छत्तीसगढ़	29 सितम्बर 2014	120
30	किसान भवन दमोह (म. प्र.)	16 फरवरी 2014	124
31	केन्दीय कार्यालय दिल्ली में कार्यकारिणी मीटिंग	29 मार्च 2015	124
32	संत एस राम इंण्टर कॉलेज लखनऊ प्रशिक्षिण शिविर	4,5 अप्रैल 2015	125
32	रविन्द्र भवन सागर मध्य प्रदेश कार्याशाला	27 मई 2015	126
32	सनराइज पब्लिक स्कूल लगावली धोलपुर राजस्थान	26 जून 2015	127
33	गाँधी भवन सभागार भोपाल मध्य प्रदेश	19 जुलाई 2015	127
34	सैनी धर्मशाला हरियाणा की झलकियॉ	28 जून 2015	128
35	जंतर मंतर प्रधानमंत्री को ज्ञापन एवं धरना प्रर्दन	7 अगस्त 2015	129
36	कुमार उत्सव भवन लाल डिग्गी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश	26,27 मार्च 2016	130
37	कुशवाह धमशाला रमटापुरा ग्यालियर मध्य प्रदेश	11 दिसम्बर 2015	131
38	प्रजापति महासभा द्वारा ओबीसी सम्मान	18 दिसम्बर 2015	131

कमांक	विशय	पेज सं0

E प्रशिक्षण शिविरों में सभी विशयों में दी जाने बाली जानकारियों

01	ओबीसी के आरक्षण को इतिहास से	136
02	ओबीसी के साथिओं आप चाहते क्या हों	138
03	भारतीय मूलनिवासी राष्ट्र वनाम हिन्दू राष्ट्र	143
04	हम लोग है ऐसे दीवाने कविता	146
05	पिछड़ो के बडे लाभ के लिए संविधान की धारा 340	147
06	पिछडे व आदिवासियों की रामायण है मानव विज्ञान	148
07	हिन्दू आन्दोलन महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणबादियों द्वारा क्यों ?	150
08	पिछड़ी जातियों के उज्जवल भविश्य के लिए	156
09	अपनी छुपी शक्ति को पहचानों	158
10	गरीबी (आर्थिक एवं सामाजिक) का निवारण शिक्षा	160
11	महेश मानव राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छात्र जीवन से अब तक पिछड़ों के उत्थान के लिए किये गये कार्यो का विवरण	162

F हमारे पूर्वजों(महापुरूशों) द्वारा हमारे सम्मान स्वाभिमान खुशहाली एवं विकास के लिए किये गये कार्यो का विवरण

01	तथागत गौतम बुद्ध	167
02	राष्ट्रपिता ज्योतिवा फुले	170
03	राजर्षि छत्रपति भाहू जी महाराज	175
04	ई.वी.पेरियार स्वामी	178
05	पासी और राजभर जातियों के महान राजा	180
06	भारतरत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर	182
07	भाहीद वीरांगना रानी अबन्तीबाई लोधी	188
08	महान क्रान्तिकारी विजय सिंह पथिक	192
09	वीर एकलव्य	195
10	शोषितो के मसीहा बावू जगदेव प्रसाद कुशवाहा	198
11	महान वैज्ञानिक एवं संत स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज	201
12	सरदार बल्लभभाई पटेल	202
13	बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (बी. पी. मण्डल,) मण्डल आयोग अध्यक्ष	204
14	अर्जक महान क्रांतिकारी रामस्वरूप वर्मा	206
15	जननायक कर्पूरी ठाकुर	207
16	पिछड़ों एवं दलितों के मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी. पी. सिंह)	208
17	विदेशों मे बैठे भारतीयों को बेचे जाते है बच्चे, देवदासी प्रथा महिला कलकं ,999 गरीब वनाम एक	210
18	भ्रष्टाचार जस का तस	212
19	सबको 15–15 लाख रूपये देने के भाजपा के बादे का क्या हुआ, भाजपा के केन्द्रीमंत्री पर पैसे लेने का आरोप	213
20	विदेशों से ज्यादा देश में है काला धन	214
21	तंजानिया देश को मोदी ने 9.2 करोड़ डालर ऋण बाटा, 50 कराडे. डालर पर विचार,	215
22	माल्या ने यूएसएल में की 1,225 करोंड़ की हेरा फेरी	216
23	सपा– बसपा भाजपा के साथ, गरीब नागरिक शिक्षा से बाहर	217
24	अपने जाल में उलझती भाजपा केन्द्र सरकार	219
25	अरबपतियों की दौलत से 2 बार मिट सकती है देश की गरीबी	220
26	जेटली को पत्र – आप देश को ले जा रहे सुसाइट की तरफ	221
27	गुजरात पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज	222
28	मोदी सरकार ने किया 45000 करोड का घोटाला, भारत में कम नहीं हुआ भ्रष्टाचार	223
29	काले धन पर अपनों से घिरी मोदी सरकार	224

सम्पादक की कलम से.....

पिछड़ो के उत्थान बिना राष्ट्र और धर्म का उत्थान संभव नहीं ?

प्रिय साथियों,

प्राय: हम सभी राष्ट्र और धर्म के उत्थान की बात करते है, कि हमारे राष्ट्र और धर्म दोनों का उत्थान होना चाहिए। वास्तविक्ता है कि राष्ट्र और धर्म का उत्थान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों का अभी पतन है। तभी उत्थान चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र और धर्म का पतन कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। जहां तक राष्ट्र के पतन की बात है, हम हजारों साल पहले से गुलाम हैं। थोड़े से लुटेरे व्यक्ति आते थे, और हमारे देश को लूट ले जाते थे, ऐसा बार-बार होता रहा और आज भी हो रहा है। इससे और अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? कि हमारा देश विभाजन से पूर्व दुनिया के सभी देशों से बड़ी आबादी वाला देश था।

अब विभाजन के बाद चीन के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जिसे मात्र मुट्ठी भर लोग लूटते रहे और आज भी लूट रहे है, इस सम्बन्ध में बहु संख्यक लोगों को जो अपने को शिक्षित समझदार मानते हैं उनको सोचना ही पड़ेगा। कुछ शासन करने वालों ने तो हमारे देश के लोगों को इतना गिरा हुआ समझा कि हम पर शासन करने योग्य भी नहीं समझा, और अपने साथ लाये हुए गुलामों को हमारे देश में शासन करने को छोड़ गए खुद अपने देश वापस चले गए, लम्बे समय तक हमारे देश पर गुलाम वंश ने शासन किया।

हमारे हजारों पूर्वजों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपने ऊपर अनेकों अत्याचार सहे, तथा परिवार मित्रों, संबंधियों के मोह को छोड़ अपने प्राणों की परवाह न कर शहीद हो गए। तब हमें कहीं स्वतंत्रता मिली, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसलिए किया था कि हमारे देश वासी आपस में मिल जुल कर रहेगे खुशहाल होंगे। किन्तु व्यवस्था नहीं सुधरी। आज भी ओबीसी के 95% लोगों को स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इनके जीवन में मानवता, परिश्रमशीलता, सहनशीलता, परोपकार, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, दया, कूट-कूट कर भरी हैं, इसी का लाभ चालाक लोग चालाकी से इनका भोले भाले होने के कारण लाभ उठा रहे हैं। और निर्लज्जता पूर्वक इनको गुमराह करके इनका शोषण कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के शुभ चिंतकों ने संविध ान बनाया जिसमें ओबीसी के लोगों को विकास में बराबर लाने के लिए संविधान में प्राविधान किया और अधिकार दिया कि इनको शैक्षणि क प्रशासनिक, सरकारी सेवाओं, राजनैतिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाये। इसके लिए 29 जनवरी 1953 को संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ''काका कालेलकर आयोग'' का गठन किया गया इसमें पिछड़े वर्ग के लिए उपरोक्त सिफारिसें की गई थी। साथ ही इनकी आबादी के आधार पर इनके विकास के लिए बजट रखा जाये। ''काका कालेलकर आयोग'' की सिफारिसों को रद्दी की टोकरी में डाल कर संविधान का मजाक उड़ाया गया, यह गंभीर राष्ट्रद्रोह तथा अधर्म का कार्य था। क्योंकि फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के विकास के लिए द्वितीय आयोग, संविधान के अनुसार ही ''मंडल कमीशन'' का गठन किया गया। उस ''मंडल कमीशन'' में यह उपरोक्त सिफरिशें की गई थी। जिसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आई। इस समय फिर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार आ गई। मंडल कमीशन की रिर्पोट दो वर्ष तक संसद में नहीं रखी गई। बड़ी संख्या में पिछड़े तथा अनुसूचित वर्ग के सांसदों ने जब पार्लियामेंट नहीं चलने दी। तब 1982 में पार्लियामेंट में रखी गई। पर लम्बी बहस के बाद भी लागू नहीं की गई। उसके बाद जब दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल की वी.पी. सिंह की सरकार आई, तब 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशें लागू की।

सम्पादक की कलम से.....

इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने वी.पी. सिंह की जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया और जनता दल की सरकार गिरा दी। साथ ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करा दिया। किन्तु संवैधानिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण सही था । इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है। हमारे देश की सत्ता पर बैठे लोग लुटेरों की गुलामी, मुगलों तथा अंग्रेजों की तो गुलामी बड़े शौक से स्वीकार कर अपने को भाग्यशाली मानते हैं जो इनके धर्म, देवी देवताओं, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, राष्ट्र को नहीं मानते। और अपने राष्ट्र के सच्चे भक्तों, अपने धर्म संस्कृति, भाषा, देवी देवताओं को मानने वालों पिछड़े वर्ग को उनका हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। यह आज भी हो रहा है, क्योंकि देश का बड़ी मात्रा मे धन जो चोरी और भ्रष्टाचार, भोली भाली जनता का हक मार कर एकत्रित कर विदेशों में जमा कर रहे हैं, उस पर बड़ी मात्रा में ब्याज अदा कर रहे हैं, जिससे दूसरे देशों का विकास हो रहा है और हमारे अपने पिछड़े वर्ग के लोग घुट-घुट कर जीते हुए मर रहे हैं। बड़ी मात्रा में आत्म हत्याएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ धर्म की बात करने वाले क्या जानते हैं कि ''नर सेवा नारायण सेवा'' भगवन को दीनबंधु कहा गया है। और ये उलटे कार्य कर दीन, गरीब का शोषण रहे हैं। ग्लोबल वैल्थ इंटेलीजेन्स एण्ड प्रोस्पेक्टिंग कम्पनी वैलथ एक्स की वर्ल्ड अल्ट्रा वैल्थ रिर्पोट 2012-13 के अनुसार भारत में 7730 अल्टा हाई नेटवर्थ लोग हैं। जिनके पास 50 लाख करोड़ का धन है। जब हमारे धर्म ग्रन्थों में तथा महापुरूषों ने कहा है कि - राष्ट्र और ध र्म की परिभाषा करते हुए कहा कि अयं निजा परोवेति गणना, लघु चेतसाम, उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्, लोग सांई बाबा को भगवान मानते हैं। शंकर को भगवान मानते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं, कबीर, रहीम, रविदास, गुरूनानक, ईसामसीह, पैगम्बर मुहम्मद साहब को संसार में श्रेष्टतम मानते हैं। क्योंकि से ईमानदार, चरित्रवान, जन कल्यानकारी थे इन्होंने गरीबों से काम लेकर उनके हिस्से का धन नहीं छीना था, क्योंकि धार्मिक ईमानदार, परिश्रमी, चरित्रवान, न्यायकारी व्यक्ति धार्मिक होता है। और सभी मिलबांट कर खाता है। अत: गरीब रहेगा, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना चाहिये, यदि देश में 25 करोड़ आबादी लगभग 5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जिसको यदि आधी ही सम्पति विकास में लगा दी जाए तो प्रति परिवार 50 लाख रूपये की मदद से देश विकसित, खुशहाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और उन 7730 परिवारों पर जो उसी औसत 70 अरब की प्रति व्यक्ति पर सम्पति है उन पर 35 अरब रूपये प्रति व्यक्ति फिर भी सम्पति बनी रहेगी। यदि धनी लोग इसपर कोई कार्य योजना बना कर विकास कराते हैं। तो ही वह धार्मिक है और इनका भी जीवन सार्थक है तभी राष्ट्र का उत्थान संभव है। और गरीब और गरीब नहीं होगा पैसे वाले और पैसे वाला होने से बचकर ही राष्ट्र में स्वर्ग उतारा जा सकता है। गायत्री परिवार के श्री संस्थापक आदरणीय श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी अपनी पुस्तक ''राष्ट्र सशक्त एवं समर्थ कैसे बने'' में भी इसी तरह का विचार दिया है कि एक तरफ उँची पहाड़ियां दूसरी तरफ नीची गहरी खाइयों में हरियाली, खुशहाली की फसल नहीं उगाई जा सकती। हरियाली एवं खुशहाली की फसल समतल भुमि में ही उगाई जा सकती है। अर्थात एक तरफ उँची गगन चुम्बी अट्टालिकायें दूसरी और झुग्गी झोंपडि हों मानवता, धर्म, शान्ति, समृद्धि खुशहाली, युक्त राष्ट्र की कल्पाना नहीं की जा सकती। जोआनन्द त्याग में है वह शोषण में नहीं।

लोगों की कथनी करनी को समझकर जागरूक तथा संगठित जब पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक लोग होंगे और अपने संवैधानिक हिस्सा अधिकार, लेकर शक्तिशाली शासक बनेगे। तब राष्ट्र और धर्म की रक्षा की कल्पना की जा सकती है।

महेश मानव

सम्पादक

भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोगों के गठन की आवश्यकता

पुरातन काल से देश में व्याप्त वर्ण–व्यवस्था तथा जातिवाद ने एक वर्ग को समस्त अधिकार तथा ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध कराये वहीं धर्म–शास्त्रों तथा स्मृतियों को आधार बनाकर बहुसंख्यक समुदाय को शिक्षा, संस्कार, आर्थिक संपन्नता तथा राजनैतिक अधिकारों से वंचित किया। परिणामस्वरूप हजारों सालों के शोषण, दमन और उत्पीड़न के शिकार बहुसंख्यक वर्ग की जीवन्तता ही समाप्त हो गई। इस तरह रोम–रोम से शास्त्रों से बंधे हुए समाज को इस भेदभाव तथा पुनर्जन्म, भाग्यवाद तथा भगवान के भरोसे रखकर संतोष परम् सुखम् का पाठ जीवन की घुट्टी के साथ पिलाया जाता रहा। इस प्रकार के निर्जीव बनाये रखे गये बहुसंख्यक वर्ग से राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्र रक्षा की क्या अपेक्षा की जा सकती थी? बहुसंख्यक वर्ग की निर्जीवता से देश कमजोर हुआ तथा देश को पराधीनता व गुलामी के दुर्दिन देखने पड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इस सत्य को परखा तथा आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों को साथ लिया। राष्ट्रीय पुनर्जागरण के काल में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी। फलतः 15 अगस्त 1947 को देश लम्बी गुलामी के बाद स्वाधीन हो सका। बड़ी कठिनता से प्राप्त आजादी की रक्षा हेतु हमारे राष्ट्र नायकों ने अपना संविधान बनाया जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र की सुदृढ़ता राष्ट्रीय एकता तथा बंधुत्व के लिए, समतामय समाज बनाने के लिए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, समस्त देशवाशियों को दिलाने का संकल्प किया। जहाँ सदियों से चली आ रही भेदभावपूर्ण समाज व्यवस्था, ऊँच–नीच तथा छुआछूत को समाप्त किया, वहीं न्याय, समता तथा बंधुता के महान आदर्शों का उदघोष किया। न्याय समता तथा बन्धुता के महान आदर्शों को प्रभावशील ढंग से लागू करने एवं भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों को जो सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारणों से उपेक्षित रहे, निर्योग्यताओं के शिकार होने से प्रगति की दौड़ में पिछड़ गये, उनके उत्थान हेतु विशेष उपायों की व्यवस्था की। संविधान के अनुसार कमजोर वर्ग में शामिल हैं (1) अनुसूचित जातियां (हरिजन) (2) अनुसूचित जनजातियां (आदिवासी) तथा (3) अन्य पिछड़े वर्ग।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध करके उनके उत्थान हेतु बंधनकारी व्यवस्था लागू की गई। पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के तहत राष्ट्रपति को आयोग गठित करने तथा इस आयोग की अनुशंसा के अनुसार पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु प्रयास करने की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 (3) द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षणों का समुचित रूप से पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी को अनुच्छेद 340 (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने हेतु भी वैसी ही व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के तहत 21 जनवरी, 1983 को अग्रणी समाज सेवक स्वर्गीय काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम 11 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया।

पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने में एक लम्बा विवाद रहा है। काका कालेलकर कमीशन ने पूरे देश की करीब 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने हेतु एक सूची तैयार की थी तथा उसकी अनुशंसा की थी। इस संबंध में देश के बहुत से प्रान्तों की सरकारों ने भी अपने–अपने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोगों का गठन किया तथा आयोग की रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार पिछड़ा वर्ग की जातियों को मान्यता दी है तथा शिक्षा में सुविधायें व नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है। इन आयोगों की सिफारिशों तथा इन पर राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के हित में उठाये गये कदमों को विभिन्न उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है तथा पिछड़े वर्ग के प्रश्न पर न्यायिक विवाद का एक लम्बा सिलसिला रहा है। केन्द्रीय सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् (तमिलनाडु राज्य बनाम चम्पकम) ए.आई. आर. 195 पृष्ठ एस.सी. 266 पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने तथा उन्हें शिक्षा में सुविधायें तथा आरक्षण देकर उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 में सब क्लाज (4) जोड़कर प्रथम संशोधन किया है। इस प्रकार केन्द्र सरकार भी यह महसूस करती है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि के लिए आवश्यक है जिसके लिए उसने संविधान में प्रथम संशोधन कर उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है।

केन्द्र सरकार ने सन् 1959 में शिक्षा विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग की एक सूची जारी की जारी की जिसके अनुसार सन् 1964 तक मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती रही, किन्तु सन् 1964 के पश्चात् उक्त सूची के अनुसार मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देना बन्द कर दी गई है।

केन्द्र सरकार ने सन् 1977 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया।

इस प्रदेश में शासन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काफी काम किया गया है। इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था के कारणों से पीड़ित व शोषित वर्ग हैं, जिनके लिए संवैधानिक व्यवस्था

होते हुए भी इस प्रदेश में उनको पिछड़े वर्ग की श्रेणी में मान्यता प्रदान नहीं की गई। उनके शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहयोग उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे मेडीकल व इन्जीनियरिंग कालेज आदि में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण व शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इन वर्गों के पारम्परिक व्यवसाय व धंधों को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक उपाय भी नहीं किये गये हैं। यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण के शिकार रहे हैं तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन से ग्रस्त हैं।

इस प्रकार प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले तथा उनका उत्थान होकर वे भी राष्ट्र की मुख्यधारा में समाहित हो सकें, जिससे राष्ट्र सर्वांग रूप से सबल व भाक्तिशाली बन सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के पिछड़े वर्गों की पहचान हो तथा उनके उत्थान की विशेष व्यवस्था हो। इसीलिए इस आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है। मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता की आकांक्षा की पूर्ति हेतु माननीय श्री अर्जुनसिंह जी मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर संवैधानिक तथा मानवीय कर्त्तव्य का पालन किया है।

◆◆◆

क्या आप जानते हैं?

1. हमारें देश में शिक्षा एक समान हो, जो सी.बी.एस.ई. कोर्स मंत्रियों/नेताओं, उच्चाधिकारियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, उक्त कोर्स गरीब, मजदूर, अन्नदाता किसानों के बच्चों को भी उपलब्ध कराई जाये। भारत का भावी भविष्य उज्जवल बने।

2. शासकीय अस्पतालों को अत्याधुनिक मशीनों की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाये, जिस तरह प्रायवेट अस्पतालों में होती हैं जिससे गरीबों, अन्नदाता किसानों, मजदूर के बच्चों/परिजनों का सर्वसुविधा युक्त इलाज हो सकें।

3. धरती पर भगवान अन्नदाता किसान के रूप में हैं देश के किसान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, अन्नदाता किसान को किसी भी कीमत में आत्महत्या करने की मजबूरी न हो, एक किसान और जवान की मृत्यु राष्ट्र की अपूर्ण क्षति हैं जिस प्रकार शासकीय सेवा से निवृत्त होने पर पेशन सुविधा मिलती है। उसी प्रकार किसान को मृत्यु उपरांत 5 लाख राहत राशि एवं उसके परिवार का आजीवन पेंशन कम से कम 20 हजार मिलनी चाहिए, क्योंकि पांच साल नेतागिरी करने वाला विधायक/सांसद/मंत्री/इत्यादियों को 50 से 60 हजार रूपये पेंशन मिलती हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को भी पेंशन मिलती हैं, तो किसान अन्नदाता को क्यों नहीं मिलती है।

4. आपकी जमीनों को अधिग्रहण एवं खरीदकर बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन कर उद्योगपति बन गये, उसमें आपको हिस्सा मिलना चाहिए? क्या किसान के साथ अन्याय नहीं हैं अधिग्रहित भूमि पर किसानों को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि भू शाटक के रूप में मिलनी चाहिए तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसान को पेंशन की राशि 2000 रूपये प्रतिमाह दी जानी चाहिए।

5. हमारा देश नशामुक्त हो, तो गांजा, भांग, शराब, अफीम, चरस, गुटखा, तम्बाकू के सेवन से हमारी युवा पीढ़ी भारत का भविष्य अंधकार की चपेट में आ गये हैं। एक तरफ चेतावनी, दूसरी तरफ टैक्स से कमायी ये दोहरी राजनीति क्यों ? नशा पूर्णतः प्रतिबन्धित होना चाहिए। प्रदेश के गाँव गाँव व शहर के गली मोहल्ले में दारू, गांजा, सट्टा जो महामारी रोग की तरह फैल रहा है। वह हमारे समाज को खोखला कर रहा हैं इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ाई में हम सबको भागीदार बनना होगा।

6. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जैसे–पंच, सरपंचों, जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में आरक्षण है इसी प्रकार विधायक, सांसद, उच्च पदों एवं व्यापारी जगत में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को भी वर्गीय आधार पर आरक्षण लागू किया जाये।

7. किसान अपनी फसल का मूल्य खुद लगाये तथा देशभर में किसानों के खेत में पावर कम्पनी गड़ाये गये हाई पावर बिजली के टावरों का 5000 रूपया प्रतिमाह किराया किसान को दिया जावे। क्योंकि उक्त टावर लाईन से बिजली वितरण कर बिजली कम्पनियाँ हाजारों करोड़ रूपये लाभ अर्जित करती हैं।

8. अल्प लाइन व हम सब आरक्षित वर्ग मिलकर अपनी संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करें। अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक भागीदारी/हिस्सेदारी/बांटा/अवसर, आरक्षण के तहत भारतीय प्रजातंत्र में सुनिश्चित करें।

◆◆◆

भारत में आरक्षण का इतिहास

(विगत २२०० वर्शो से आगामी २०० वर्षो तक भारतीय समाज को प्रभावित करने वाला मुद्दा-"आरक्षण")

भारत विश्व के 205 देशों में से एक है, लेकिन अनेक विशेषताएँ इसे अन्य देशों से भिन्न बनाती है। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, जिसमें 205 देश एक तिहाई थल में स्थित है। पृथ्वी का दो तिहाई जल है। ब्रह्मामाण्ड (cosmos) में अनेकों तारे हैं, इनमें से सूर्य भी एक तारा है। सौर मंडल का निर्माण बड़े विस्फोट (big bang) के साथ करोड़ों वर्षों पहले हुआ।

भौगोलिक रूप से भारत दो ओर समुद्र से एक ओर पर्वत श्रेणी हिमालय से घिरे होने के कारण उप महाद्वीप कहलाता है वैज्ञानिक मत के अनुसार पृथ्वी के सभी महाद्वीप शुरू में एक–दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। कालांतर में भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर एशिया महाद्वीप से आ टकराया। वैज्ञानिक मत का मानना है, कि हिमालय पर्वत श्रृंखला इसी टकराहट का परिणाम है। भारत की दूसरी विशेषता है, यहां की आध्यात्मिक विचारधारा। विश्व के एक ओर एकमात्र धर्म (धम्म) वैज्ञानिक महामानव गौतम बुद्ध जिन्होंने विश्व को बताया कि धर्म संपूर्ण विज्ञान है, इसमें मिथ की कोई जगह नहीं है। आज भी विश्व में उनके बताये रास्ते पर चलने वाले करोड़ों लोग हैं। तीसरी विशेषता भारत के मूल निवासियों की सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में प्राचीनतम् सभ्यतायें जैसे मिश्र, मेसोपोटामिया, चीन आदि के समकालीन हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। वैज्ञानिक आधार पर पाषाण युग दस हजार वर्ष पूर्व माना जाता है तथा मानव सभ्यता का इतिहास 6000 वर्ष पुराना है। भारत के मूल निवासियों द्वारा विकसित सिंधु घाटी की सभ्यता हर दृष्टि से उन्नत थी, यह बात सन् 1921 के बाद की खुदाई से प्रमाणित हुई। भारत तब सोने की चिड़िया थी, कहते है इस काल में भारत मे दूध की नदियां बहती थीं।

विदेशी आक्रमणकारियों ने इस वैभवशाली सभ्यता को नष्ट कर दिया। भारत मे प्रारंभिक आक्रमण थल मार्ग से हुए. खैबर दर्रा (हिन्दुकुश पर्वत में काबुल नदी से) बोलान दर्रा भारत के प्रवेश द्वार थे जहां से सर्वप्रथम आर्यो का आक्रमण 4500–3000 वर्षो पूर्व हुआ। आर्य ग्रंथों चार वेदों, अठारह पुराणों तथा अनेक स्मृतियों से पता चलता है कि यह युद्ध आर्य विदेशी एवं अनार्यो के बीच 1500 वर्षों तक चला। आर्य अपने आपको सुर, देव कहते थे क्योंकि सोम रस एवं सुरा का पान इनके ग्रंथों में लिखित है। मूल निवासियों को अनार्य, असुर, दैत्य, राक्षस आदि संबोधन से आर्यो ने पुकारा गया।

आर्यो ने अपनी साम–दाम–दण्ड–भेद नीति से भारत के मूल निवासी राजाओं बली, सदाशिव शंकर एवं अंतिम अनार्य राजा रावण को परास्त कर भारत में अपना राज्य स्थापित किया। दंड नीति से अपने कानून–विधान को परास्त लोगों के ऊपर थोपा जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत आज भी इस कानून के अमानवीय, अधार्मिक परिणामों से कराह रहा है। यही भारत की सभी समस्याओं की जड़ एवं जन्मदाता है। वर्ण व्यवस्था ही भारत में आरक्षण का जन्मदाता है। इसके तहत आर्यो ने स्वयं को ऊपर के तीन वर्णो में श्रेष्ठता के आधार पर रख कर मूलनिवासियों को चौथे वर्ण में रखा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम असमानता, ऊँच–नीच, भेद–भाव एवं अन्याय है। आज भी अघोषित रूप से भारत में मनु का कानून लागू है।

इस विकराल समस्या को लेकर महामानव बुद्ध ने "बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय" अपना धम्म चक्र परिवर्तन आन्दोलन चलाया। 300 BC (ईशा पूर्व) सम्राट अशोक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। मौर्य कालीन सम्राट अशोक महान के वंशज सम्राट बृहद्रथ की हत्या 186 BC (ईशा पूर्व) में "पुष्य मित्र" शुंग नामक एक ब्राह्मण ने की और मगध का सम्राट बन बैठा। उसने आदेश जारी किया कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर लायेगा उसे 100 सोने की मुहरें इनाम में दी जायेगी।

"मनु स्मृति" एक ग्रंथ है, जिसे विश्व का सबसे पुराना सामाजिक कानून कहा जाता है, भारत के मूलनिवासियों के गुलामी का प्रथम दस्तावेज है। धर्म के नाम पर इसे देश में लागू कर मूलनिवासियों से शिक्षा–धन धरती–राज पाठ एवं व्यापार छीना गया। मूलनिवासी जिन्हे शूद्र कहा गया इस आरक्षण के वर्ण में दरिद्र (गरीब) लाचार हो गये। शिक्षा, राजपाठ, धनधरती एवं व्यापार से वंचित कर दिये गये।

"मनु स्मृति" का आरक्षण 186 BC (ईशा पूर्व) अर्थात् आज से लगभग 2200 वर्ष पहले भारत में लागू हुआ। जो सवर्णो (ब्राम्हण, क्षत्रिय एवं बनियों) के हित में हैं तथा अवर्णो (शूद्र) अर्थात् वर्तमान संविधान की भाषा में पिछड़ी जातियों (ओ. बी.सी., एस.सी., एस.टी. तथा अल्पसंख्यकों) के रूप में जाना जाता है, के लिए गुलामी का दस्तावेज है। आज यही मूलनिवासी समाज 6500 से ज्यादा जातियों में बांटा हुआ है। क्या यह "बांटो और राज करो" नीति (Divide and Rule Policy) नहीं है? मनु स्मृति के इस आरक्षण के बाद भारत का इतिहास गुलामी का है। यही काल है जब आर्य (ब्राह्मण–बनिया) विदेशियों ने अन्य विदेशियों को भारत में आक्रमण करने तथा मूलनिवासियों के ऊपर अन्याय

अत्याचार आमंत्रित किया। जिसमें थल मार्ग से शक–हुण–कुषाणों ने भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। 700 ईस्वी के बाद शिया–सुन्नी–मुगल–पठानों ने भारत पर आक्रमण कर भारतीय समाज को रौंदा। इन विदेशियों ने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाई और वापस अपने वतन नहीं गए।

यूरोपियों का थल मार्ग से भारत पहुँचना मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में उन्हे अन्य देशों से होकर गुजरना पड़ता था। यूरोपियों ने जल मार्ग से भारत में 1496 ईस्वी में वास्कोडिगामा (एक पुर्तगालि) के माध्यम से प्रवेश किया। पुर्तगालियों के बाद में स्पेन, फ्रांस और इंग्लैण्ड (ब्रिटिश) ने भारत में प्रवेश किया तथा सन् 1947 तक भारत में राज्य किया।

भारत के इतिहास में अंग्रेजों के कार्य काल में जब यहां पर "ईस्ट इंडिया कंपनी" का साम्राज्य था। तब चार्टर्ड एक्ट, 1813 के तहत शिक्षा के लिए भारत में एक लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान किया। लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की गई तथा शिक्षा का द्वार सभी भारतीय नागरिकों (शूद्रों के लिए भी) के लिए खोला गया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत छुआछूत को कानून अपराध घोषित किया गया। इन दोनों के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में शूद्र–अतिशूद्र बालिकाओं के लिए पूना, महाराष्ट्र में स्कूल खोले, जिसमें सावित्री बाई फुले प्राध्यापिका थीं। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम शिक्षित महिला एवं शिक्षिका हैं।

अंग्रजों की इसी नीति से नाराज होकर भारत के राजाओं ने 1857 की लड़ाई लड़ी। मेरे विचार से इस लड़ाई का मुख्य कारण अंग्रजों का विदेशी होना नहीं था, बल्कि हजारों वर्षो से "मनु" के आरक्षण से अशिक्षित, गरीब, लाचार, राजपाठ–धन–धरती–व्यापार से वंचित मूल निवासियों को शिक्षित करना था। ये बात मनुवादियों को नहीं भाया। अंग्रेजों का विदेशी होना या अत्याचार 1857 की लड़ाई का कारण होता तो इसे समझने में 257 वर्ष (अंग्रेजों का आगमन 1600 से 1857 तक) नहीं लगते भारतीय शासकों को।

अंग्रेजों की इस नीति से लाभान्वित होकर कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज ने शिक्षा पाई तथा भारत के मूलनिवासियों / शूद्रों की स्थिति देखकर अपने जन्म दिन 27 जुलाई 1902 में सर्वप्रथम अपने मंत्री मंडल में 50 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया और 50 प्रतिशत नौकरी पिछड़ों को मिलने तक सवर्णों की भरती में रोक लगाया। यह "मनु" के आरक्षण के उलटा आरक्षण था मूलनिवासियों के हित में था। बालगंगाधर तिलक जो "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस" के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि यह मनु की वर्ण व्यवस्था के विपरीत था। कालांतर में बाबासाहब ने भारतीय संविधान की रचना में छत्रपति शाहू जी महाराज से प्रेरणा ली।

1916 में बाबासाहब भीमराव अंबेडकर ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ। कम्यूनल अवार्ड के तहत दलितों को (double voting rights) दो मत का अधिकार मिला। जिसके विरोध में मोहन दास करमचंद गाँधी ने अपने जीवन का सबसे लंबा आमरण अनशन (21 दिनों का) किया उस समय वो पूना के येरवदा जेल में बंदी थे। इसके फलस्वरूप गाँधी और अंबेडकर में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत दलितों को 1932 में double voting rights को समाप्त कर आरक्षण मिला। पिछड़ी जातियों में विभाजन हो गया दलित (आज का एस. सी.) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। सन् 1942 ईस्वी में आदिवासियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। यूरोपियों ने भारत को अपना मुल्क नहीं बनाया। अंग्रेजों के 1947 के वापसी के बाद फ्रेंच (पुडुचेरी से) तथा पुर्तगाली (गोवा से) चले गये। मूल निवासियों के सौभाग्य से भारतीय संविधान को लिखने का कार्य बाबासाहब को सौंपा गया, उन्हें प्रारुप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए इनके जनसंख्या के आधार पर राजनीति, नौकरी, शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया। भारतीय संविधान की धारा 15 (4), 16 (4) एवं धारा 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आयोग गठन का प्रावधान किया है।

डॉ. बाबासाहब ने सरदार पटेल के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण दिलाने का संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन "काका कालेलकर" की अध्यक्षता में 1953 में किया गया। 1955 में कालेलकर आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्रियान्वयन का जिम्मा तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर था, ने लागू नहीं किया। रिपोर्ट पर कोई बहस ना करवाते हुए उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। 1936 से 1977 तक के कांग्रेस के 41 वर्षो के राज में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सवर्णों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अनारक्षित वर्ग में रखकर उनकी हिस्सेदारी (बांटा) (राजनीति, प्रशासन, नौकरी एवं शिक्षा में) पर सवर्णो ने अन्याय पूर्ण कब्जा किया।

1977 में इमरजेन्सी के पश्चात् चुनाव हुए, कांग्रेस राज का अंत हुआ। जनता पार्टी का शासन आया। जनता पार्टी ने कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात अपने चुनायी घोषणा पत्र में लिखी थी। रिपोर्ट में विसंगति बताकर अहमदाबादी ब्राह्मण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नये आयोग के गठन की घोषणा कर OBC आरक्षण को पीछे धकेल दिया "बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल" की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी, 1979 में किया गया। जिसकी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को आते–आते जनता पार्टी का शासन खत्म हो गया था। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तब तक इंदिरा गाँधी पुनः प्रधानमंत्री बन चुकी थी। मंडल

आयोग की रिपोर्ट का वही हाल हुआ, जो कालेलकर आयोग की रिपोर्ट का जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

समय चक्र के साथ एक बार फिर, परिवर्तन आया सन् 1988 में राजीव गाँधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, वी.पी.सिंह जनमोर्चा बनाकर, प्रधानमंत्री बने। अल्पमत की सरकार को भाजपा ने समर्थन दिया। वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग लागू करने की घोषणा 1989 में की तथा इसके विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय 1993 में मिला। 1993 में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर सहमति हुई OBC का यह आरक्षण अधूरा है मंडल आयोग लागू की सभी सिफारिशों को अभी नहीं माना गया है, इसे अंशतः लागू करते हुए केवल शिक्षा एवं नौकरी में लागू किया गया है। वर्तमान में संवैधानिक आरक्षण कुछ इस तरह है।

आरक्षित हिन्दुओं से यही आशा करुंगा की राजतंत्र में "मनु" का आरक्षण लागू करना आसान था, इसे दंड नीति के लागू किया गया। मनु के आरक्षण में सवर्णों का हित सधा अवर्णों (शूद्रों) का बहुत बड़ा अहित हुआ। संवैधानिक आरक्षण भी लागू हुए 60 वर्षो से ज्यादा हो गया, लेकिन शासन प्रशासन में सवर्ण काबिज है। पिछड़ों को उनका अधिकार अभी भी नहीं मिला है। आज भी आरक्षित हिन्दू (85 प्रतिशत) मांगने वाला बना हुआ है। मांग रहा है, दे दो भाई हमारा अधिकार दे दो। 15 प्रतिशत सवर्ण देने वाला बना है। राज सत्ता में कब्जा कर आरक्षित वर्ग को मांगने वाला से देने वाला बनना होगा, तभी जाकर बात बन सकती है। मूल निवासी भारत में अपना अधिकार पा सकता है। समस्याओं का हल निकाल सकता है, मांगने वाला से देने वाला बन कर।

आओ हम सब आरक्षित वर्ग / हिन्दु मिल कर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करें। अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भागीदारी / हिस्सेदारी / बांटा / अवसर, आरक्षण के तहत भारतीय प्रजातंत्र में सुनिश्चित करें।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस आन्दोलन को अपना बुद्धि, समय, पैसा लगाकर सफल बनायेंगे।

मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतिम प्रतिवेदन (भाग एक) "अध्यक्ष– रामजी महाजन भोंपाल–दिसंबर 1993"

अध्याय–4 वर्ण व्यवस्था तथा उसका पिछड़े वर्गों पर प्रभाव

शूद्रों के संबंध में पातंजलि ने अपने अष्टध्यायी भाष्य में भी निम्न प्रकार वर्णन किया :–

शूद्रों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात् दो प्रकार के शूद्र होते हैं. एक अबहिष्कृत और दूसरा बहिष्कृत। अर्थात् सछूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र। सछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन छू सकता है, अछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन नहीं छू सकता।"

पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही अंग है। अनूसूचित जातियों को अछूत वर्ग में ही शामिल किया गया है। जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीना तथा अस्पृश्य आदि के नाम से जाना जाता रहा। लेकिन आयोग को तो केवल उनका ही अध्ययन करना हैं। जिनका प्रभाव पिछड़ा वर्ग से संबधित है। जिन्हें सछूत शूद्र माना गया हैं, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण मे मानते रहे हों। इस विषय में स्मृतियों तथा पुराणों में काफी प्रमाण मिलते हैं यथा :–

वाद्धिका, नापितो, गोपः अशापा,
कुम्भकारकः, वाणिक, किरात, कायस्थ,
मालाकार, कुटुम्बिनः।

वरटो मेद चाण्डालस्य, दास भवपंच
कोलकः, ऐते अन्त्यज, समारव्यातः ये
धन्ये च ग्वासनः।।

अर्थात् : बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किराथ, कायस्थ, माली, कुर्मी, बॉसफोड, स्थावर, चाण्डाल, बारी, वपंच, कोरी तेली तथा बराबरी वाले सभी अन्त्यज शूद्र है। *(व्यास स्मृति 1–10–12)*

इसी प्रकार :–

"लोधश्य, गड़श्च, कश्यप च, काछी।
अधमा व शूद्रः ये आदिनिवासी"
(ब्राह्मण गुप्त संहिता)

अर्थात् : लोधी, गड़रिया, कहार, तथा काछी ये अधम (नीच) शुद्र, आदि निवासी है।

इस प्रकार अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण में परिभाषित करके उनके कर्तव्य संस्कार, निषेध व निर्योग्यतायें और दंड व्यवस्था लागू करने हेतु नियम (विधान) प्रतिपादित किये जो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सदियों से प्रभावित करते रहे है एवं इस व्यवस्था से उनके दैनिक जीवन, क्रिया–कलापों अर्थात् उठने–बैठने, लिखने–पढ़ने, खाने–पीने रहन–सहन इत्यादि से लेकर विवाह संस्कार, आचार–व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

"ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण द्विजाति (जनेऊ वाले) है इनसे जो नीचे हैं शूद्र हैं, उनके लिए श्रुति–स्मृति व पुराण वाला धर्म नहीं हैं ।" *(व्यास स्मृति 1–10)*

इसी प्रकार का कथन मनु स्मृति में किया गया है।

"ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण द्विजाती (द्विजन्मा) और चौथा वर्ण शूद्र हैं। पांचवा वर्ण कोई नहीं है।" इन वर्णो की क्रमशः श्रेष्ठता के बारे में भी कहा गया है–

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार वर्ण हैं इन चारों में क्रमशः हर एक, जन्म से अपने बाद के वर्ण से श्रेष्ठ हैं। शूद्र को छोड़कर सब वर्णों के लिए उप नयन (जनेऊ संस्कार) वेद पाठ तथा यज्ञ विहित है। *आपस्तम्ब धर्म सूत्र (प्र 1 खा सूत्र 4–5)*

◆◆◆

ओ बी सी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया

बिना किये कार्य होते तो कार्यालय नहीं होते, पूजा दवाओं से मर्ज ठीक होते तो औषधालय नहीं होते।

भगवान से न्याय मिलने वाला होता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती की पूजा करने से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होते।

भारत का संविधान जानते तो हमारे पिछड़े वर्ग की ये दुर्दशा न होती।

पिछड़े समाजों की दुर्दशा

क्रमांक	विभाग	कुल पद	ब्राह्मण और उच्च वर्गीय 11%		अ.जा./अ.ज. 22.5 %		अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 52%		धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, ईसाई, बुद्धिष्ठ 10.6%	
		पद	चाहिए	है	चाहिए	है	चाहिए	है	चाहिए	है
01	राष्ट्रपति सचिवालय	49	07	45	11	04	26	–	05	–
02	उपराष्ट्रपति सचिवालय	07	01	07	02	–	04	–	01	–
03	कैबिनेट मंत्री कार्यालय	20	03	19	04	01	11	–	02	–
04	प्रधान मंत्री कार्यालय	35	05	33	08	02	16	–	04	–
05	कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय	284	41	259	72	15	142	10	29	–
06	सुरक्षा मंत्रालय	1390	207	1331	319	48	719	11	145	–
07	समाज कल्याण और हैल्थ	217	31	192	47	19	109	06	30	–
08	वित्त मंत्रालय	1008	151	942	227	66	424	–	106	–
09	गृह मंत्रालय	426	76	394	92	19	213	13	43	–
10	श्रम मंत्रालय	74	11	70	17	04	38	–	58	–
11	पेट्रोलियम मंत्रालय	121	19	112	27	09	63	–	13	–
12	राज्यपाल व उपराज्यपाल	27	04	25	06	02	14	–	03	–
13	विदेशी दूतावास	140	21	140	31	–	73	–	15	–
14	यूनीवर्सिटी चान्सलर	108	16	108	24	–	58	–	12	–
15	मुख्य सचिव कार्यालय	26	04	25	07	–	13	–	02	–
16	हाईकोर्ट न्यायाधीश	365	54	345	82	11	185	08	44	01
17	सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश	23	03	23	07	00	11	00	02	00
18	आई.ए.एस.अधिकारी	4500	375	3450	1013	612	2390	112	412	01
	योग–	8820	1229	7521	1989	812	4559	160	893	02
	प्रतिशत–	–	15%	86%	23%	10%	52%	3.99%	10.5%	0.01%

क्या आप पिछड़े वर्ग के हैं?

क्या आप शिक्षित और समझदार है?

क्या आप परिवार, जाति एवं पिछड़े वर्ग के संगठन के बिना स्वाभिमान सम्मान पूर्वक जी सकते हैं?

जानिये – आप क्या है? और किस हैसियत में हैं?

1. आजादी के 68 वर्षो के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तो बहुत दूर कोई भी जूनियर जज नहीं बना।

2. भारत के संघ लोक सेवा आयोग में चेयर मेंन तो दूर की बात है कोई सदस्य भी नहीं बना।

3. सीबीआई डायरेक्टर, सी.वी.सी. आयुक्त आज तक कोई नहीं बना।

4. भारत सरकार में 65 साल में कोई सचिव नहीं बना।

5. थल सेना, वायु सेना, जल सेना का कोई भी अध्यक्ष / प्रमुख नहीं बना।

6. आप का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में 1993 से पूर्व मात्र प्रतिशत 1 था 1993 के बाद 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद मात्र अब 5 प्रतिशत है

7. अम्बानी, जे.पी., टाटा, बिडला, मोदी, अड़ानी, डालमिया आदि सैकडों पूँजीपतियों में से आज तक आपका कोई व्यक्ति नहीं बना।

8. देश का पूरा मीडिया–अखबार एवं टेलीविजन सवर्ण पूँजीपतियों के है। जो 90 प्रतिशत ओबीसी, एस.सी., एस.टी. के लोगों को गुमराह करते हैं।

9. 1947 से आजादी के बाद 1977 तक 30 वर्षों में देश में कोई भी मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का नहीं बना।

10. अब जो भी मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बनते है वह सी.बी.आई. के डर से केन्द्र सरकार के ही इशारे पर चलते है क्योंकि कभी भी सी.बी.आई. उनको लालू प्रसाद यादव जी की तरह जेल की यात्रा एवं संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर सकती है।

11. भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस.एस. प्रमुख के यहाँ मार्गदर्शन के लिये जाते हैं। आर.एस.एस. प्रमुख कभी भी भाजपा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ नहीं जाते।

12. देश में पिछडे वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का कोई भी संगठन पिछड़ा वर्ग का नहीं था। इसलिए केन्द्र में पिछड़े वर्ग की स्थायी सरकार नहीं बन सकी थी।

13. आर.एस.एस. के सभी प्रमुख ब्राह्मण ही होते हैं और वह कांग्रेस और भाजपा को केन्द्र मे सत्ता में बनाये रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिये पूरे देश को मालूम है कि 1984 में जब इंदिरा गाँधी जी की हत्या हुई थी तब आर.एस.एस. के द्वारा कहा गया कि देश खतरे में है और राजीव गाँधी को भारी बहुमत से जिताये और राजीव को इतना बहुमत मिला कि कभी भी जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गाँधी को नहीं मिला।

14. कांग्रेस और भाजपा दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियाँ हैं कांग्रेस ने 1955 में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिस काका कालेलकर आयोग ने की फिर 1990 में मण्डल कमीशन ने की कांग्रेस के नेहरू, इन्दिरा गाँधी तथा राजीव गाँधी आदि किसी भी प्रधानमंत्री ने लागू नही की थीं। 1991 में वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के लिए नौकरियों में आरक्षण दिलाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने वी.पी. सिंह की सरकार गिरा दी।

15. कांग्रेस भाजपा के अलावा जो भी एक दो मुख्यमंत्री उ.प्र. और बिहार में बनते है वे केंन्द्र सरकार की सी.बी. आई. के डर से जेल और सदस्यता जाने के कारण के कारण अपनी सरकारों में ब्राह्मणवादी मंत्रियों को ही प्रमुख महत्व देने को मजबूर हैं, पिछड़े वर्ग की जातियों को नही।

16. उ.प्र. और बिहार के मुख्यमन्त्री पिछडे वर्ग के होते है वे पिछड़े वर्ग के किसी अच्छे संगठनकर्ता की बात नहीं मानते बल्कि ब्राह्मणवादी लोगों की बात मानते हैं वे अहंकार के कारण पिछड़े वर्ग के सुप्रीम बना रहना चाहते है जबकि ब्राह्मणवादियो के डर से राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग का कोई संगठन नही बना सकते।

17. मोदी की जाति मोड घाची (उच्च कोटि के वैश्य, बनिया) पिछड़ी जाति मे कभी नही थी, काका कालेलकर, मंण्डल कमीशन तथा गुजरात प्रदेश के वक्सीपंच कमीशन

ने कभी भी मोदी की जाति को पिछड़े वर्ग में नही रखा। सबूत के लिये देखें www.shaktisinghgohil.com

ब्राह्मणवाद के इशारे पर मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री 2001 में बनाया गया और 2002 में मोदी जी अपनी उच्चकोटि की वैश्य बनिया (मोड घाची) जाति को स्वंय अपने फायदे के लिए तथा देश को गुमराह कर के पिछड़े वर्ग की देश की सबसे अधिक 65 प्रतिशत आबादी का वोट लेकर सत्ता हासिल करने का हथकंडा अपनाया फिर भी पिछड़े वर्ग के लिये संघ लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय न्यायक आयोग, केन्द्रीय प्रशासनिक भर्ती आयोग, में कोई पिछड़े वर्ग का दो वर्षो में कोई सदस्य नहीं बनाया। सी.बी.आई., सी.वी.सी., सुप्रीम कोर्ट, केन्द्रीय सरकार के एक सैकड़ा से अधिक निगम हैं कोई अध्यक्ष नहीं बनाया। पिछडे वर्ग के लिए विशेश भर्ती अभियान भी नहीं चलाया, जबकि पिछड़े वर्ग की 65 प्रतिशत आबादी के उच्च सेवाओं के लिए योग्य बेरोजगारों की भरमार होते हुए भी मात्र 5 प्रतिशत ही अधिकारी है। मोदी जी की सरकार में लगभग सैकड़ो सचिव है। उनमें पिछड़े वर्ग का एक ही सचिव श्री राजीव यादव हैं। पूरा मीडिया, अखबार एवं टेलीवीजन सवर्णो एवं पूजीपतियों के है। सी.बी.आई., सी.वी.सी., सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार में एक सैकड़ों से अधिक निगम हैं ओबीसी का कोई अध्यक्ष नहीं बनाया। नहीं पिछड़े वर्ग की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान चलाया, पिछड़े वर्ग की 65 प्रतिशत आबादी हैं। और अधिकारी मात्र 5 प्रतिशत हैं। वे डरते है।

अतः अब समय के साथ पिछड़े वर्ग को पूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने के लिये शक्तिशाली संगठन ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इण्डिया (भारतीय पिछडा वर्ग मोर्चा) का राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया है जो सभी प्रदेशों, जिलों, विधानसभाओं एवं ग्राम–मोहल्लों तक इकाइयाँ गठित कर website-obcufi.news/info पर अपलोड़ किया जा रहा है। देश भर में जन जागरण अभियान, जनतन्त्र में संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के द्वारा घर–घर तक पहुँचायी जा रही है।

देश के 99 प्रतिशत लोगो के लाखों के महगें इलाज, लाखों की महंगी पब्लिक स्कूलों की शिक्षा, लाखों के महंगे मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ही देश में सम्पत्ति को लूट कर देश तथा विदेशों मे जमा कर रहे है। इससे छुटकारा पा कर सभी को महगें से महगा इलाज समान शिक्षा, पर्याप्त आवास दिलाना सरकारों की जिम्मेदारी है। यह संगठन देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों को उनके ही जिले में 5 प्रतिशत लोगों, जिनकी संख्या 1 लाख होती हैं, के द्वारा 3 महीने बाद व्यवस्था ठीक करने को मजबूर करेगी। यदि ऐसा नही करता है तो अपने ही 90 प्रतिशत लोगों की ही सरकार बनेगी और यदि अपनी सरकार भी लापरबाही करती है। तो उस सरकार को भी अपने 10 प्रतिशत लोग जागरूक होकर अपनी ही सरकार को न्याय दिलाकर सभी की खुशहाली के लिए मजबूर करेगा।

सच्चे समाजसेवी एवं स्वयं तथा अपनी संतानों के भविष्य के लिए मन से संगठन से जुडें।

शुभकामनाओं के साथ

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया

◆◆◆

'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया '(भारतीय पिछड़ावर्ग संयुक्त मोर्चा) – राष्ट्रीय कार्यकारणी –

महेश मानव (राष्ट्रीय अध्यक्ष), नरेश यादव (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), डॉ. महेन्द्र धावड़े (राष्ट्रीय महासचिव), हरी प्रसाद बड़ीवाल (राष्ट्रीय संगठन सचिव), बहादुर सिंह लोधी (राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख), डा. आर. के. पाल कर्मचारी अधिकारी प्रकोश्ट,राकेश सोनी एडवोकेट (राष्ट्रीय प्रमुख सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), प्रवीन कुमार लोधी (समंन्वयक)।

प्रदेश अध्यक्ष – महेन्द्रसिंह (मध्यप्रदेश), भरतसुधार (गुजरात) प्रवीन लोधी कन्होले (महाराष्ट्र), बारूराम सोलेकी (हरियाणा), अमरसिंह गहलोत (उत्तराखण्ड), दिलीप लोधी (उत्तर प्रदेश), वी.एन. सिंह (बिहार), यदुवीर सिंह (राजस्थान), एच.आर.वर्मा (कर्नाटक), डा.यू.के. चौधरी (दिल्ली प्रदेश), सी.एच. प्रकाशम (आन्ध्र एवं तेलंगाना)।

674, भाकरपुर, दिल्ली–110092

संम्पर्क करें– 09711539237, 09891496594, 9891306064

E-mail - obcufi@gmail.com Web - www.obcufi.news, www.obcufi.info

Tamil Nadu Reservations

1980 से केवल पिछड़े वर्ग का तमिलनाडु में 50 प्रतिशत आरक्षण हैं एस.सी, एस. टी. सहित 69 प्रतिशत है .

1871
The Madras Census Report of 1871 had documented the fact that non brahminical Hindu and Muslim communities were eliminated from political prospects

1881
Need to take special interest in socially backward Entities was suggested

1882
Recommendation made to use "Education' as the criteria of backwardness.

1883
The Report of the Indian Education Commission states that practically no attention is paid to the problems of education of general people

1885
Financial support was provided in Madras to spread education

1893
Madras government have provided special educational attention for 49 different castes

26 July 1902
Chatrapati sahu Maharaja had given 50% reservation in his states for non Brahmins

Present Reservation Scheme Details

Main Category as per govt. of Tamil nadu	Sub Category as per Govt. of tamil Nadu	Reservation Percentage for each Sub Category as per Government of Tamil Nadu	Reservation Percentage for each Main Category as per Government of Tamil Nadu	Category as per Govt. of India
Backward Class (BC)	Backward Class (BC) - General	26.5%	30%	Other Backward Class 50%
	Backward Class (BC) - Muslims	3.5%		
Most Backward Class (MBC) Denotified Community (DCN)			20%	
Scheduled Castes	Only Scheduled Castes	15%	18%	Scheduled Castes and scheduled tribes 18%
	Only for Arunthathiyar)	3%		
Scheduled Tribes			1	1%
Total Reservation Percentage			69%	69%

The above details are provided as per Gazette of Government of Tamil Nadu Web link http://www.tn.gov.in/actsrules/law/act_10to12_131_07jun06.pdf

1918

Upon receiving commission report for backward classes, mhaisur Government had announced reservations in education and jobs

1920

Sahu Maharaja had increased the reservation percentage from 50% to 90% in his states

1927

Caste was kept as primary factor in the recruitment process for Government jobs in Madras state. The allocation was made as follows: 2 out of 12 were allocated for Brahmins, 5 for non brahminical Hindus, 2 for Muslims, 2 for Anglo Indian's and 1 for SC.

1928

The following classifications were made in the commission established by the Mumbai state Government:

Depressed Classes

- Original and Hill Tribe
- Other Backward Class

1931

Separate election Camps were declared for backward classes. Gandhi's till death hunger strike (Poona, Sept. 24, 1932). Finally the agreement between Leaders of Caste-Hindus and of Dalits was agreed upon and is well known as Poona Pact.

1943

According to a memorandum submitted to the viceroy by Dr. Babasaheb Ambedkar, the First Law Minister, 8.33% of reservation in services in favor of the Scheduled Castes became effective.

1944

Education Department have announced scholarship for Scheduled Castes

1946

Reservation for Scheduled castes was increased from 8.33% to 12.33%

1946-48

Reservation for Schedule Castes was expanded to 16.66%

November 26, 1949

India accepts the Constitution, which includes the principle of reservations for SC & ST and has Article 340 directing State to constitute Backward Classes Commission to recommend similar measures.

1950

First amendment Act of the Indian Constitution)Article 340 of the Indian Constitution, 1950, granted reservation rights to OBC's

November 27, 1951

Dr. Babsaheb Ambedkar resigns from the Central Cabinet of PM Nehru, citing deliberate delay in acting on Article 340 as one of the reasons.

1951

16% Reservation for SC/ST and 25% Reservation for OBCs introduced. Total Reservation Stood at 41%

1971

Sattanathan Commission recommended Introduction of "Creamy Layer" and altering Reservation percentage for Backward Classes to 16% and separate reservation of 17% to Most Backward Classes (MBCs).

DMK Government increased OBC reservation to 31% and Reservation for SC/ST has been increased to 18%. Total Reservation stood at 49%

1980

ADMK government excludes "Creamy Layer" from OBC reservation benefits. Income Limit for availing Reservation benefit has been fixed at Rs 9000 Per Annum. DMK and other Opposition parties protested the decision.

Creamy Layer scheme withdrawn and Reservation % for OBC has been increased to 50%. Total Reservation Stood at 68%

1989

Statewide Road Blockade Agitations were launched by Vanniar Sangam (Parent Body of Pattali Makkal Katchi) demanding 20% reservations in State Government and 2% Reservations in Central Government exclusively for Vanniyar Caste.

DMK Government Split OBC reservations as 2 Parts with 30% for OBC and 20% for MBC. Separate Reservation of 1% introduced for Scheduled Tribes. Total Reservation percentage stood at 69%.

7 अगस्त मण्डल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन

15 प्रदेशों से आये ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा 7 अगस्त 2015 को मण्डल दिवस पर दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जन्तर मन्तर पर पिछड़े वर्ग के प्रति वर्तमान नरेन्द्र मोदी जी के पिछड़े वर्ग के प्रति किये जा रहे घोर अन्याय को रोकने के लिए तथा पिछड़ा वर्ग मण्डल आयोग ने इनके संवैधानिक अधिकारों को दिलानें की सिफारिशें की थी उनको पिछली काग्रेस सरकारों ने लागू नहीं किया उन्हें वर्तमान मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू कराने के लिए निम्नलिखित ज्ञापन दिया।

उपरोक्त ज्ञापन के पश्चात ब्राह्मणवादियो तथा आरक्षण विरोधियों द्वारा देशभर में पिछड़ो के उनके अधिकारों, हकों तथा हिस्सेदारी न मिले इसलिए देश के कुछ प्रदेशों जैसे–

1. गुजरात में हार्दिक पटेल को उकसाकर पटेलों का ही दमन किया गया आरक्षण केवल पटेल जाति के मांग कर रहें थे। गुजरात की भाजपा सरकार ने सभी सवर्णों को दे दिया।
2. इसी तरह हरियाणा में केवल जाट आरक्षण मांग रहे थे भाजपा की सरकार ने 5 सवर्ण जातियों को दे दिया।
3. राजस्थान की भाजपा सरकार ने 10 प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण दे दिया।
4. मध्य प्रदेश में कई जगह सवर्णों द्वारा आरक्षण विरोधी रैलियाँ निकाली गयी ।
5. गुजरात हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग में मेरिट के आधार पर आने वाले ओबीसी, एस सी, एस टी, के लोगों की भर्ती न्याय के आधार होती थी उस पर रोक लगा दी।
6. मोदी की सरकार ने यू.जी.सी. (यूनीवर्सिटी ग्रॉन्ट कमीशन) द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों एवं एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी के लिये आरक्षण का संवैधानिक अधिकार था उस आरक्षण को समाप्त कर दिया।
7. उसके बाद आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत का पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए ऐसा बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मोहन भागवत को चेतावनी दी गयी कि ये मनु का समय नहीं हैं यह देश भारतीय संविधान से चलेगा। देश की आजादी में लाखों लोग शहीद हो गये जिसमें हिन्दू, मुस्लिम सभी सम्प्रदाय के लोगों ने आजादी की लड़ाई में प्राणों को बलिदान किया तब आर.एस.एस. के लोग अंग्रेजों के विरूद्व लड़ने में कोई कार्य नहीं कर रहे, नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संघर्ष किया बल्कि अंग्रेजो के इशारों पर हिन्दू मुस्लिम में मतभेद करने का काम कर रहे थे। ताकि अंग्रेजो के खिलाफ आजादी की लड़ी जा रही लड़ाई कमजोर हो जाये ओर भारत आजाद न हो। ऐसे आजादी के संग्राम में संघर्ष कर के आजादी हासिल करने वाले लोगों ने समता समानता भाई चारा सब को सम्मान सब को खुशहाली सब को सत्ता शासन में हिस्सेदारी, सभी वर्गों प्रतिनिधित्व देने के लिए लम्बी बहसों के पश्चात् भारतीय संविधान तैयार किया गया। जिसमें देश के उच्च कोटि के विद्वान, शिक्षाविद, साहित्यकार, समाजसेवी, शासक थे जिन्होंने संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और सम्मान दिलाने की व्यवस्था की जिनको ब्राह्मणवाद के ऊँच नीच के षड़यंत्रों के कारण शिक्षा शासन उद्योग व्यापार, सम्पति हासिल करने से रोक रखा था। आजादी के 68 वर्षों बाद भी अब तक पिछड़े वर्ग की 65 प्रतिशत आवादी को मात्र 4 प्रतिशत ही प्रशासनिक उच्च सेवाओं में हिस्सेदारी मिल सकी हैं। जो नये भर्ती होते है वो पुराने सीनियर उच्च जातीय अधिकारियों के अधीन काम करतें उनके दबाव में वह भी अपने पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं दे पाते हैं।
8. इसके पश्चात् बिहार में विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग में आई जाग्रति का ही परिणाम हैं कि वहाँ सामन्त शाही ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पूजीवादी ताकतों की हार हुई। इसी तरह पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों में उनके छीने गये अधिकार, हिस्सेदारी, स्वाभिमान, संपत्ति, सम्मान, खुशहाली को हासिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान चलाने की विशेष आवश्यकता है।

जिसके लिए ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया (भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा) राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों के सभी जिलों में, सभी जिलों के सभी महानगरों, नगरों, वार्डों तथा सभी विकासखण्डों एवं सभी गॉव में ओबीसी के छीने गये अधिकारो, हिस्सेदारी, सम्मान, संपत्ती, को हासिल करने के लिए उनको ज्ञान शिक्षा संस्कारों, भाई चारे से परिपूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहें जिससे घर घर तक ओबीसी के लोगों में जागरूकता ला कर देश की सबसे बड़ी ताकत स्थाई रूप से स्थापित की जा रही हैं।

◆◆◆

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया
OBC UNITED FRONT OF INDIA

महेश गौतम (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
9711539237, 9891496594

Regd. No. 33/4-2015-2016

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date 07/08/15

Ref. No. :

Date : 07.08.2015

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :- 7 अगस्त, 2015 को मण्डल दिवस पर अन्य पिछडा वर्ग यूनाइटेड फ्रन्ट आफ इण्डिया का मांग-पत्र।

महोदय,

विदित है कि 7 अगस्त 1993 को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी0पी0 सिंह जी के द्वारा मण्डल कमीशन की शिफारिसों को लागू करने की विधिवत घोषणा की गयी थी। अन्य पिछडा वर्ग यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया एक आम जनता का गैर राजनैतिक संगठन है। जिसका उद्देश्य पिछडी जातियों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत करना, संवैधानिक अधिकारों की मांग करना व रक्षा करना तथा वैज्ञानिक व स्वाभिलम्बी सोच व विचार जागृत करना है।

आज 7 अगस्त 2015 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर संगठन के लगभग 24 प्रदेशों के लगभग 2500 प्रतिनिधियों द्वारा पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु मण्डल कमीशन की शेष शिफारिसों को लागू करने व वर्तमान रिजेर्वेशन की पॉलिसी को सही तरह से लागू करने के संदर्भ में निम्न मांगों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है :-

केन्द्रीय कार्यालय :
D-15/674, गली न. 5, गणेश नगर,
शक्करपुर, दिल्ली - 110092

प्रचार कार्यालय :
A/291, वेस्ट गुरु अंगद नगर,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

Cell 9711539237, 9891496594
Email Id: obcufi@gmail.com
Web site : www.obcufi.org | www.obcufi.in

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया
OBC UNITED FRONT OF INDIA

महेश मानव (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
9711539237, 9891496594

Regd. No. 33/4-2015-2016

Ref. No. : _____ Date : ____/____/_____

1. 2011 की जाति वार जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की जाएं। जिस पर 3500 करोड तथा पिछडों की गिनती के लिए एक हजार करोड अलग से खर्च किया जा चुका है।
2. पिछडें वर्गो के विकास व योजनओं को लागू करने के लिए अलग पिछडा वर्ग विकास मंत्रालय बनाया जाए तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा व्यापार में 65 प्रतिशत बजट का पिछडों के लिए प्रावधान सुनिश्चित किया जाये।
3. जिन राज्यों में अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत कम है वहां 27 प्रतिशत आरक्षण यथाशीघ्र लागू किया जाए।
4. भारत सरकार व राज्य सरकार के विभागों में समूह-ग व समूह-घ में भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए तथा ठेकेदारों के द्वारा भर्ती व संविधा भर्ती का बंद कर विभागों द्वारा सीधी भर्ती यथाशीघ्र प्रारम्भ की जाये।
5. सन् 1993 से खाली हुई रिक्तियों में पिछडें वर्गो के पुरानी रिक्तियों (बैक लोग) को तुरंत भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
6. प्राईवेट यूनिवसिटीज तथा कम्पनियों में आरक्षण लागू किया जाए।
7. किसानों को बिजली तथा खाद की सब्सिडी जारी रखी जाए।
8. राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग व राज्यों के पिछडा वर्ग आयोगों को संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

केन्द्रीय कार्यालय :
D-15/674, गली न 5, गणेश नगर,
शक्करपुर, दिल्ली - 110092

राष्ट्रीय कार्यालय :
A/291, वेस्ट गुरु अंगद नगर,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

दिल्ली : 9711539237, 9891496594
Email Id: obcufi@gmail.com
Web site : www.obcufi.org | www.obcufi.in

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया
OBC UNITED FRONT OF INDIA

महेश मानव (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
9711539237, 9891496594

Regd. No. 33/4-2015-2016

Ref. No. : ____________________ Date : ___/___/______

9. सभी पिछडे वर्गो के छात्रों को तकनीकी व उच्च शिक्षा निःशुल्क की जाए।
10. असंवैधानिक क्रीमी लेयर को हटाया जाए।
11. सेना एवं न्यायिक सेवाओं में आरक्षण लागू किया जाए।
12. सभी सेवाओं में सभी वर्गो को प्रमोशन के बराबर अवसर सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर के आधार पर सीनियरीटी दी जाए।
13. सरकारी ठेकों तथा उद्योगों के लिए ऋण व अनुदान में पिछडे वर्गो की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
14. खाली पडी सरकारी भूमि को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन पिछडे वर्ग को आवंटित करने की समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भारतीय समाज आदिकाल से विभिन्न जातियों में बटा है शैक्षणिक व राजनैतिक रुप से अगडी जातियों के लोंगों द्वारा शासन व प्रशासन पर कब्जा रहा है तथा अन्य जातियों को शिक्षा व शासन-प्रशासन से वंचित रहे और पिछडी जातियां खेती तथा खेती से संबंधित अन्य छोटे-छोटे रोजगार कर अपना जीवन यापन करते रहे है। लेकिन स्वाभीमान के लिए अंग्रेजों से लडते रहे जिस कारण अंग्रजों द्वारा भी विकास व प्राकृतिक सम्पदा के उपयोग से वंचित रह गये। समाज की बुराई को अध्ययन के लिए जातियों के आंकडों का विकास के क्रम में उपलब्ध होना अति आवश्यक है। जैसा कि किसी बिमारी के उपचार से पहले टैस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय कार्यालय :
D-15/674, गली न 5, गणेश नगर, शक्करपुर, दिल्ली - 110092

पत्राचार कार्यालय :
A/291, वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092

मोबाइल : 9711539237, 9891496594
Email Id: obcufi@gmail.com
Web site : www.obcufi.org | www.obcufi.in

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया
OBC UNITED FRONT OF INDIA

महेश मानव (राष्ट्रीय अध्यक्ष)
9711539237, 9891496594

Regd. No. 33/4-2015-2016

Ref. No. : obcufi/2015/07/19

Date : 07/08/2015

क्योंकि आपने भी समाजिक दुराभाव को अपने जीवन में महसूस किया है। आपकी अपील पर पिछडी जातियों ने आपको 65 प्रतिशत वोट दिये है। जिससे आप पूर्ण बहुमत से सरकार में है।

आपके नेतृत्व में पिछडों ने आस्था दिखाई है इसलिए अन्य पिछडा वर्ग यूनाईटेड फ्रन्ट आफ इंडिया आशा करता है कि आप उपरोक्त मांगों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

धन्यवाद सहित।

अन्य पिछडा वर्ग यूनाईटेड फ्रन्ट आफ इंडिया

महेश मानव राष्ट्रीय अध्यक्ष	हरि प्रसाद वाडीवाल राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी	महेन्द्र सिंह अध्यक्ष मध्य प्रदेश
नरेश यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	बहादुर सिंह राष्ट्रीय वैधिक सलाहकार	बारुराम सोलंकी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य
डा. महेन्द्र धावड़े राष्ट्रीय महासचिव	चेतू भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा	यू. के. चौधरी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश
महेन्द्र सिंह राजपूत संरक्षक व सलाहकार	गिरधर मडोरिया अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य व राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार संघ	अमर सिंह गहलोत अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य

केन्द्रीय कार्यालय : D-15/674, गली न. 5, गणेश नगर, शकरपुर, दिल्ली-110092
पत्राचार कार्यालय : A/291, वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
दिल्ली : 9711539237, 9891496594
Email Id: obcufi@gmail.com
Web site : www.obcufi.org | www.obcufi.in

महंगा इलाज, महंगी तकनीकी शिक्षा, महंगा मकान-सभी का हल आसान।

प्रायः 99 प्रतिशत मनुष्यों को लाखों का महंगा इलाज, महंगी तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि की दसों लाख की तकनीकी शिक्षा, दसों लाख के महंगे मकान लोगों को उपलब्ध नहीं हैं। जो कि मनुष्य का मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इन्हीं जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग संघर्षरत हैं। रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह इन मौलिक जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जबकि देश मे न तो अस्पतालों की कमी है न ही शिक्षण संस्थानों की कमी है और न ही मकान बनाने के लिए भूमि या सीमेंट, लोहा आदि सामग्री की कमी है। कमी तो बस अधिकांश लोगों पर पैसा नहीं है। पैसा कुछ ही लोगों के पास पूंजीवादी, भ्रष्टाचारी व्यवस्था के कारण, एकत्रित हो रहा है। जिसके कारण पैसे से पैसा कमाया जा रहा है। धनी और धनी हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है। इस पूंजीवादी व्यवस्था से 99 प्रतिशत जनता त्राहि-त्राहि कर रही है किन्तु सबसे बड़ी समस्या इनका समाधान निकालने के लिए बड़े परेशान लोग दो-चार दिन तो दूर 2-4 घण्टे भी समय नहीं देना चाहते हैं और जिन लोगों ने वर्षों देश भर में भ्रमण करके दसों वर्षों से इन समस्याओं के समाधान निकाले हैं, उस समाधान के बारे में देश के 90 प्रतिशत लोग पढ़ना और सुनना नहीं चाहते हैं और यह सोच बैठे है कि समाधान नहीं हो सकता इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती ऐसी बातें प्रायः आलसी तथा नाकारा लोग ही करते हैं। जो मनुष्य रुप में जानवर हैं। जागरुक लोग समाज में प्रायः 5 प्रतिशत ही होते हैं और वही संसार तथा समाज में हो रहे अन्यायों के प्रति सजग और संगठित होकर समाधान इतिहास में निकालते रहे हैं और हमेशा निकालते रहेंगे। इसी उद्देश्य से 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' एवं 'पिछड़ावर्ग युग पत्रिका' के समर्पित लोग अथक प्रयासों से देश के कोने-कोने में लगे हुए हैं।

समस्याओं का समाधान यह है कि जनता शक्तिशाली है सरकार नहीं। यह बात इस तरह भी है जैसे भगवान भक्त के वश में है। बशर्ते लोग अपनी ताकत को जानें। व्यक्तियों की 1 प्रतिशत ताकत ने ही भारत तथा विश्व से राजतंत्र समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की, सारे संसार में अंग्रेजों का भासन था। अब कहीं भी नहीं है। शूद्रों को समान अधिकार नहीं था, अब समान अधिकार है। परिवर्तन के इस क्रम में मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'विश्व मानवाधिकार' भारतीय संविधान में मानवाधिकार के अंतर्गत उसे सभी क्षेत्रों में समता का अधिकार है। इन अधिकारों का उपयोग वह तभी कर सकेगा जब वह संगठन में रहकर जियेगा। जिस तरह मनुष्य की श्वांस कुछ सेकण्डों के अंतराल में आती और जाती है अर्थात् मनुष्य प्रतिपल शरीर तथा श्वांस एवं मन के अंतर्गत विचारों के द्वारा सक्रियता, जागरूकता बनाए हुए है, मनुष्य सोते हुए भी सपनों के द्वारा सक्रिय रहता है। समाज तथा शासन में अव्यवस्था फैलाने वाले प्रतिपल अपने स्वार्थ में संगठित और सक्रिय रहते हैं और शोषण करते हैं। जबकि शोषण कराने वाले हमेशा नींद तथा आलस में जीवन जीते हैं। हीन भावना से ग्रसित हैं, आरामतलब हैं, उदासीन हैं, इसीलिए शोषण संभव हो रहा है।

अब समय आ गया है कि नरक भरे इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए अपना दैनिक व्यवसाय, नौकरी धंधा करते हुए प्रतिदिन कम से कम आधा घण्टा या जब भी खाली समय हो अपने मुहल्ले ग्राम में ही संगठन बनाते रहें तथा प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यालय में से किसी को भी सूचित करें। वह दिन दूर नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक भाक्तिशाली संगठन 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक खुशहाली आकर रहेगी। क्योंकि अब पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार तथा काले धन से मनुष्यों के जीवन में तवाही मचाकर अति की स्थिति पैदा पर दी है, मिलेट्री में सिपाहियों के परिवार, खानदान, रिश्तेदार नरक का जीवन जी रहे हैं। वह भी हमेशा की तरह जनता का साथ देंगे।

ओबीसी
website :- www.obcufi.news, obcufi.info,obcufi.net
Email- obcufi@gmail.com Mo. 9711539237,9891496594, 9891306064,
यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया(भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा) से अतिशीघ्र जुड़ने के लिए संम्पर्क करें : -

पिछड़ेवर्ग के साथ न्याय के लिए २० सूत्रीय कार्यक्रम सरकारों को लागू करना होगा

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को सभी क्षेत्रो में न्याय एवं हिस्सेदारी जो ओबीसी का हक है, पूरा दिया जाये, जन–तन्त्र में जनता ही सर्वोच्च है इसे धोखा देना बंद करो।

(प्रदेश सरकारों और केन्द्र सरकारों को निम्न अनुसार 20 बिन्दुओं का पूरी तरह पालन करना होगा)

1. जातिगति जनगणना कराने में 3000 करोड़ रूपये खर्व किये, जाति बार, जिला बार डाटा प्रकाशित करें।
2. ओबीसी की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर सभी पदों पर 65 प्रतिशत आरक्षण देना होगा।
3. जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार के लिए 65 प्रतिशत बजट आबंटित करना होगा।
4. मंडल कमीशन की सिफारिशों को शत–प्रतिशत लागू करना होगा।
5. क्रीमीलेयर असंवैधानिक है इसे तुरन्त हटाना होगा। संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक प्रतिनिधित्व है आर्थिक नहीं।
6. सभी न्यायलयों सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, न्यायधिकरण एवं अन्य सभी प्रकार के न्यायालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण 65 प्रतिशत करना होगा।
7. महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करना होगा।
8. केन्द्र एवं प्रदेशों शासकीय एवं अर्ध–शासकीय, सहकारी क्षेत्रों एवं सभी निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 65 प्रतिशत आरक्षण देना होगा।
9. केन्द्र एवं प्रदेशों द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के लिए सभी प्रकार की चयन प्रतिनिधियों की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग के 65 प्रतिशत प्रतिनिधियों को नियुक्त करना होगा।
10. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सभी प्राकृतिक/कुदरती एवं शासकीय संसाधनों में अन्य पिछड़ा वर्ग की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी।
11. अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के परंपरागत व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास एवं विस्तार हेतु बिना ब्याज ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाये।
12. केन्द्र एवं राज्य सरकार की शासकीय/अर्धशासकीय सेवाओं में वरीयता को रोस्टर के आधार पर पदोन्नति के समान अवसर दिये जायें।
13. देश और विदेश में संचालित पाठ्यक्रमों, व्यवसाय तकनीकी शिक्षा अध्ययन हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों का व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किया जाये।
14. शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में अधिकारियों के चयन तथा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो केम्पस सिलेक्शन कराये जा रहे हैं वहां भी 65 प्रतिशत ओबीसी द्वारा भरी जाये।
15. आरक्षण का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं/अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कानून बनाया जाये।
16. समान एवं निःशुल्क शिक्षा नवोदय विद्यालय प्रणाली पर आधारित हो और इसे नर्सरी से उच्चतम शिक्षा तक सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाये।
17. महंगे से महंगे इलाज की निःशुल्क कराने की जिम्मेदारी सरकार की है यह जनता का संवैधानिक अधिकार हैं। इसे तुरन्त लागू किया जाये।
18. दिल्ली प्रदेश में भारत वर्ष के सभी प्रदेशों से आये अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का जाति–प्रमाण पत्र सरलता से जारी किया जाये।
19. कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाये तथा कृषि योग्य जमीन पर बड़ी कंपनियों द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य पर रोक लगाई जाये तथा कृशि योग्य जमीन की 10 एकड़ की सीमा को लागू किया जाये।
20. देश के सभी मन्दिरों के महंत पुजारियों मंदिरों की संपत्तियों का 65 प्रतिशत धन ओबीसी के गरीब बच्चों की उत्तम शिक्षा एवं ओबीसी के इलाज के लिए लगाया जाये।

नोट – यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ओबीसी की कम से कम 5 प्रतिशत जनता लगभग एक–एक लाख लोग पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय पर 3–3 माह बाद एकत्रित होकर बार–बार देश और विदेशों में जमा चोरी भ्रष्टाचार के धन का हिसाब जनप्रतिनिधियों एम.पी. और एम.एल.ए. से मांगेगे। यह संगठन देश का सबसे बड़ा राष्ट्र–व्यापी संगठन हैं। जो घर–घर तक वोट और जनता की ताकत बता रहा है।

◆◆◆

OBC वर्ग की राष्ट्रिय समस्याएं एवम भारतीय संविधान के अनुसार उनका समाधान सरकारों का कर्तव्य!

संस्थापक - "OBC सवैंधानिक अधिकार जान सभा"
वेरसी भाई गढ़वी

1. सामाजिक एवम शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग संबंधित संवैधानिक आर्टिकल 340 को संवैधानिक सुरक्षा कवच देना चाहिए।
2. OBC की जनगणना होनी चाहिए और उनकी जनसँख्या के अनुपात में आरक्षण एवम बजट होना चाहिए।
3. मंडल कमिशन की सभी सिफारिशों का स्वीकार एवम अमल होना चाहिए।
4. न्यायपलिका (सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट समेत तमाम न्यायालय) में आरक्षण (प्रतिनिधित्व) व्यवस्था लागु होनी चाहिए।
5. आंतरराज्य स्थानांतरित (Inter State Migrants) OBC लोगों को, OBC के नाम देश भर व्यवस्था लागु होनी चाहिए।
6. क्रीमीलेयर गैरसंवैधानिक है, इसलिए क्रीमिलेयर को संपूर्णरूप से रद करना चहिए।
7. NT/DNT के लिए रैंक कमिशन की सब सिफारिशों का अमल करना चाहिए।
8. महिला आरक्षण में OBC महिलाओं का जनसंख्या के अनुपात में सब-कोटा होना चाहिए।
9. सहकारी क्षेत्र में पदाधिकारी पद एवम नौकरी के लिए आरक्षण व्यवस्था लागु होनी चाहिए।
10. UPSC एवम केन्द्रक और राज्य सरकार के तमाम स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में OBC प्रतिनिधिओं की नियुक्ति होनी चाहिए।
11. राष्ट्र के तमाम कुदरती संसाधनों और सरकारी संसाधनों में OBC को हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागु करनी चाहिए।
12. संविधान निर्दिष्ट राज्यनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा, रोजगार, आरोग्य, वरिष्ठ आयु पेन्शन एवम उच्चतम जीवन कक्षा के लिए नीतियाँ बननी चाहिए और इन नीतियों को सुचारू रूप से लागु करने के लिए कठोर कानून - व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए।
13. शिक्षा एवम नौकरीओं में आरक्षण चुस्त एवम सुचारू रूप से लागु करने के लिए चुस्त कानूनी प्रावधान करना चाहिए और यहाँ आरक्षण नीति को लागु करने का भंग करने वाले जिम्मेवारों के सामने कानूनी रूप से कार्यवाई करनी चाहिए - 7 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान करना चाहिए।
14. OBC वर्ग में जातिगत एवम् परंपरगत व्यवसाय जैसे कि कृषि, पशुपालन, मच्छिमारी, हस्तकलाकारी, कला एवम् अन्य व्यवसायीक क्षेत्र में उनका विकास हसे इस हेतु से ऋण (लोन) एवम् अन्य सहायता मिलनी चाहिए।
15. OBC वर्ग की आरक्षण व्यवस्था जिन राज्यों में लागु न की गई हो - वहाँ उसका अमल होना चाहिए।

वेरसी भाई गढ़वी
संपादक - "कहानी साप्ताहिक" (गुजरात)
Ph. : 9427210383

क्या पिछड़ा वर्ग हिन्दू है?

क्या पिछड़ा वर्ग हिन्दू है? लेकिन आज की तारीख में ब्राह्मणों का धर्म उन शूद्रों (ओबीसी) का धर्म भी हिन्दू हो गया। गुलाम का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। इसका समाधान करना होगा। हिन्दू शब्द ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण उपनिषद इनमें कहीं पर भी हिन्दू शब्द नहीं है। हिन्दू शब्द आक्रमण ाकारी मुसलमानों का दिया हुआ है। ब्राह्मण लोग बाबर, हुमायूं को गाली देकर मस्जिद गिराते हैं। इसलिए उन लोगों का दिया हुआ नाम पवित्र कैसे हो सकता है। अगर बाबरी मस्जिद कलंक है तो मुसलमानों का दिया हुआ हिन्दू नाम भी कलंक है। उसे क्यों स्वीकार किया जाता है? गीता में भी हिन्दू शब्द नहीं है। गीता में कहा गया है–यदा-कदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतिभारत, इसमें भारत शब्द को पूजने के बजाय आक्रमणकारी मुसलमानों के दिए हुए शब्द को क्यों पूजते हैं? (भारत में आज 99 प्रतिशत मुसलमान आक्रमण ाकारी मुसलमान नहीं हैं, वे एससी, एसटी, ओबीसी और धर्मान्तिरित अल्पसंख्यक एक ही खून के भाई-भाई हैं।)

ब्राह्मण कहता है कि हिन्दू शब्द सिन्धू से बना है इसका समर्थन करने के लिए कहते हैं कि पार्शियन भाषा में 'स' का उच्चारण 'ह' होता है इसलिए सिन्धू को हिन्दू उच्चारण हुआ। अगर बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों ने यह शब्द दिया था तो ब्राह्मण ाें ने उस वक्त हिन्दू शब्द को क्यों नहीं स्वीकार किया? मुसलमान शासकों ने जब जजिया कर लगाया था तब ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं था, तो सिद्ध हो जाता है कि उस समय के ब्राह्मण हिन्दू शब्द को नहीं मानते थे। जो पहले अपने आपको हिन्दू नहीं मानेत थे वे आज अपने आपको हिन्दू क्यों मानते हैं। ब्राह्मण उस समय हिन्दू शब्द को अस्वीकार इसलिए करते थे क्योंकि आक्रमण ाकारी मुसलमानों ने यह नाम दिया हुआ था और अरबी भाषा में इसका अर्थ है पराजित गुलाम, चार, काला, लुटेरा। इसलिए अपने आपको हिन्दू मानने से इनकार कर दिया। परन्तु वह अब अपने आप को हिन्दू क्यों मानते हैं? यह अहम् सवाल है।

आप लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि गुजरात के ब्राह्मण दयानन्द सरस्वती ने 1875 में मुम्बई में जाकर आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मण 1875 तक अपने को आर्य मानते थे। बाल गंगाधर तिलक ने लिखकर यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण आर्य हैं और आर्यो ने यहां की प्रजा को पराजित किया यह बात गर्व से सिद्ध की। अगर ब्राह्मण आज भी अपने आप को आर्य कहते तो हमारा कार्य और आसान होता। हमारे लोग ब्राह्मणों के झांसे में न फंसते। जो ब्राह्मण अपने आप को आर्य कहते थे, उन्हीं ब्राह्मणों ने 1922 में हिन्दू महासभा की स्थापना की और 1925 में आरएस. एस. की स्थापना की। 1922 तक जो ब्राह्मण अपने आप को आर्य कहते थे, उन्होंने अपने आपको हिन्दू कहना शुरू कर दिया। सभी हिन्दू धर्म ग्रंथ 1875 के पहले लिखे गये हैं इसी कारण उनमें हिंदू शब्द नहीं आया है।

1875 से 1922 तक ऐसा क्या हुआ। ऐसा कौन सा कारण हुआ कि ब्राह्मणों ने अपने आपको आर्य कहना बन्द करके हिन्दू कहना शुरू किया? 1875 से 1925 के 50 सालों में कोई बहुत गम्भीर बदलाव हुआ होगा। जिस वजह से आरएसएस ने आर्य समाज बनाने के बजाय हिंदू समाज का नारा लगाया। इसका यह मतलब हुआ कि 1875 और 1922-25 के बीच में कोई ऐजिहासिक बदलाव हुआ होगा जिस वजह से ब्राह्मणों को अपने आप को आर्य कहना छोड़ देना पड़ा ऐसा क्यों हुआ?

इसी बीच इंग्लैण्ड में एडल्ट फाचाईस ॥प्रौढ़ मताधिकार॥ का आंदोलन शुरू हुआ। इसके पहले इंग्लैंड में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। वहां जब आन्दोलन शुरू हुआ तो भारत के ब्राह्मणों को यह लगा कि यदि इग्लैण्ड में पौढ़ मताधिकार का अधिकार मान्य हो जायेता तो चूंकि इण्डिया-ब्रिटिश इण्डिया है, इसलिए ब्रिटेन का हर कानून आज नहीं तो कल भारत में लागू होगा ही। इस तरह से प्रौढ़ मताधिकार भी भारत में लागू होगा और भारत में लागू हुआ तो भारत के प्रत्सेक 21 साल के व्यक्ति को मताधिकार मिलेगी। भारत में शूद्र और अतिशूद्रों की संख्या 85 प्रतिशत है। बहुसंख्यकों को वोट का अधिकार मिलेगा और लोकतंत्र में जिनकी बहुसंख्या होगी राज भी उसी का होगा। ब्राह्मण अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको कुछ नहीं मिलेगा और उनका वर्चस्व खत्म हो जायेगा। प्रौढ़ मताधिकार का आन्दोलन इग्लैण्ड में चला और उसकी घंटी भारत में ब्राह्मणों के घर बजने लगी कि मामला बहुत खतरनाक है।

ब्राह्मण अपने आप को आर्य मानतें थे और आर्य की प्रचार थ्योरी यह थी कि आर्य लोग भगवान द्वारा चुने हुए लोग हैं

लोगों द्वारा उनको दुबारा चुनने की जरूरत नहीं है। जब ब्राह्मणों ने देखा कि शूद्र अतिशूद्र को वोट का अधिकार मिल जायेगा तो देश का प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति बनने का समय अयेगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका वर्चस्व समाप्त हो जायेगा। चुनाव लड़कर भी जीत नहीं सकते तो अपना वर्चस्व कैसे बनाये रखेंगे? 3 प्रतिशत ब्राह्मण चुनाव कैसे जीत पायेंगे? भारत के 545 चुनाव क्षेत्रों में कोई भी चुनाव क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो।

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का मतलब है जनेऊं धारण करना, यह ब्राह्मण धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है लेकिन क्या शूद्रों का उपनयन संस्कार होता है? किसी अहीर कुर्मी या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उपनयन संस्कार हुआ है। किसी पिछड़े का उपनयन संस्कार नहीं होता है। इस वर्ग के लोगों को विवाह के समय किसी-किसी के गले में जनेऊं डाल दिया जाता है। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि शूद्र ब्राह्मण धर्म से बाहर के लोग हैं। ब्राह्मण धर्म को ही आज हिन्दू धर्म कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि शूद्र हिन्दू नहीं हैं।

साथियों, जब मण्डल कमीशन का मामला खड़ा हुआ और 54 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण देने की बात सामने आई तो भारत के सारे ब्राह्मण ओबीसी के विरोध में खड़े हो गये। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ओबीसी को ब्राह्मण हिन्दू मानते हैं और ब्राह्मण भी हिन्दू हैं तो ब्राह्मण लोग बोबीसी को आरक्षण का अधिकार क्यों नहीं देते? आरक्षण देने की बात तो दूर की है, ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं।

आधुनिक भारत में शूद्रों को शिक्षा, सम्पत्ति तथा सत्ता में भागीदारी मिलने लगी। वह सम्पन्न हो गया, शिक्षित हो गया, अतः पिछड़ी जातियां जो मूलतः ब्राह्मण धर्म के शूद्र वर्ण में आती हैं, आज स्वयं को शूद्र मानने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी पहचान या तो क्षत्रिय वैश्य से करना चाहते हैं अथवा हिन्दू के रूप में। वर्तमान में पिछड़े वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने को शूद्र न मानकर अपने को हिन्दू मानता है।

पिछड़ा वर्ग आज ब्राह्मणों का हथियार बन गया है। जिसे ब्राह्मण मुसलमानों के विरूद्ध प्रयोग करता है तथा अपने को सत्ता में स्थापित किए हुए है। पिछड़ी जाति को यदि अपने वर्ण की पहचान करना है तो वह निम्न बिन्दुओं के आधार पर अपने वर्ण का निर्धारण कर सकता है कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अथवा वैश्य है, या शूद्र है–

1-उपनयन संस्कार के आधार पर 2-ब्राह्मण धर्म ग्रन्थों के आधार पर 3-शिक्षा के अधिकार के आधार पर 4-अर्न्तजातीय विवाह पर प्रतिबन्ध के आधार पर 5-विधवा विवाह के आधार पर।

ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र की जातियों को उपनयन संस्कार से वंचित रा गया। उपनयन संस्कार की व्यवस्था आर्यों तथा अन्यों के मध्य विभाजन के लिए बनायी गयी है। उपनयन संस्कार से आर्यों के दूर से ही देखकर समझा जा सकता था कि कौन आर्य हैं। यह व्यवस्था आर्य ब्राह्मणों ने ठीक उसी प्रकार निर्माण की है जैसे कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा होने से यह जाना जा सकता है कि वह पट्टाधारी कुत्ता पालतू है तथा जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है वह आवारा कुत्ता है पट्टा ही आवारा तथा पालतू की पहचान होती है।

आज जो पिछड़ी जातियां अपने को क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्णों में होने का दावा करती हैं अपने 3-4 पीढ़ी पूर्व के इतिहास का अवलोकन करना चाहिए कि वास्तव में उनकी 3-4 पीढ़ी पहले पूर्वजों को यह उपनयन संस्कार ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था, उन्हें उत्तर नकारात्मक अर्थात् नहीं में मिलेगा। आज ब्राह्मण, शूद्रों की प्रतिक्रिया को, उनके आन्दोलन को समाप्त करने के लिए आर्य समाज एवं गायत्री शक्ति पीठ केवल शूद्रों को ही जनेऊं पहनाते हैं बल्कि स्त्रियों तथा अतिशूद्रों का भी उपनयन संस्कार कराया जा रहा है।

यदि किसी भी पिछड़ी जाति को इस पर जरा भी सन्देह है कि हम शूद्र हैं तो उन्हें आज से 100 वर्ष के पहले की व्यवस्था के इतिहास को जान लेना चाहिए। ब्राह्मणों ने शूद्रों को शूद्र कहना बन्द कर दिया किन्तु मानना बन्द नहीं किया। इन्हें शूद्र के स्थान पर हिन्दू का पाठ बड़ी तेजी से पढ़ाया जा रहा है। इस कार्य को ब्राह्मणों ने मुस्लिम समुदाय का हौवा खड़ा करके हिन्दुत्व के नाम पर पिछड़ों को अपने कब्जे में कर लिया है। एक बार कुछ लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते के किनारे दो खूंटों में जंजीर से अलग-अलग एक जवान हाथी और एक छोटा बच्चा हाथी के बंधे थे। तो हाथी का छोटा बच्चा बार-बार अपना बंधा हुआ पैर झटक रहा था, ताकि शायद जंजीर टूट जाय या खूंटा ही उखड़ जाय। लेकिन न तो जंजीर टूटा और न ही खूंटा उखड़ा। परन्तु जवान और बड़ा हाथी चुपचाप देख रहा था। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि छोटा बार-बार जो प्रयास कर रहा है तो उससे जंजीर या खूंटा उखड़ने वाला नहीं है। अगर बड़ा हाथी प्रयास करे तो जंजीर और खूंटा टूट सकता है। परन्तु बड़ा हाथी प्रयास क्यों नहीं कर रह है? तो दूसरे अदामी ने बताया कि जब बड़ा हाथी छोटा था तब उसने भी इसी तरह प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ तो उसके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि अब भी कुछ नहीं हो सकता जबकि वह काफी शक्तिशाली हो गया है किन्तु उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है इसको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। किन्तु जिस दिन ओबीसी को यह बात

समझ में आ जायेगी कि ब्राह्मण मेरी ही शक्ति से शक्तिशाली बना हुआ है तो उसी दिन ओबीसी आजाद हो जायेगा।

वेद, शास्त्र, गीता, महाभारत तथा रामायण ब्राह्मणों ने लिखा जिसे ओबीसी एवं एस.सी. के लोग पढ़ते हैं और उन्हीं के बनाये देवी-देवताओं और भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों इन तमाम ग्रन्थों को अपने हितों के लिए लिखे हैं और हमें नीच बताया है। यदि हम लोग उसी का अनुपालन करते हैं तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है।

आप लोग लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा करके मन्दिर बनाते हैं उसमें घंटी बजाने के लिए ब्राह्मण को बैठा देते हैं और फिर उसी में चढ़ावा चढ़ाते हैं, पत्थर के भगवान पर माथा पटकते हैं कि हे भगवान! मेरा कल्याण करो और उधर आपके पैसे (चढ़ावा) से ब्राह्मण का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस बनके विदेशी डिग्री भी हासिल करता है शासन-प्रशासन चलाता है और आप लोगों पर शासन करता है और आप लोग पत्थर की मूर्ति में उद्धार कर्ता भगवान को खोजते रहते हो, जब ये हमारा समाज चढ़ावा चढ़ाने के बजाय उस पैसे को राष्ट्रव्यापी जन आन्दोलन में लगावे तभी समाज का भला हो सकेगा, अन्यथा पत्थर पर सिर पटकने से तो सिर टूटेगा ही।

आज सभी पिछड़े व अनुसूचित की हिन्दू रैपर से संतरे की तरह ढ़क लिया है और अन्दर-अन्दर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और ओबीसी के जनबल, बाहुबल, धनबल, बुद्धिबल और मनोबल को तोड़कर रख दिया। दुनिया में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 85 प्रतिशत आबादी वाले लोग 15 प्रतिशत लोगों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगे। लेकिन भारत में ऐसा ही हो रहा है। ओबीसी के ऊपर हिन्दुत्व की चमक जितनी गहरी होगी ब्राह्मणवाद उतना ही सुरक्षित होगा।

ओबीसी की अलग से जनगणना करवाकर वे अपने को अल्पसंख्यक क्यों करेंगे। 15 प्रतिशत ब्राह्मणवादी 54 प्रतिशत ओबीसी को अपने साथ जोड़कर बहुसंख्यक बना हुआ है इसलिए ब्राह्मण ओबीसी की जनगणना अलग कराकर ओबीसी को उसकी ताकत का एहसास कभी नहीं होने देंगे। यदि ओबीसी की जनगणना अलग से कराई गई तो ओबीसी को यह मालूम हो जायेगी कि भारत में ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ढ़ांकने के लिए हिन्दू का लेबल लगाया गया है। यदि ओबीसी को अपनी संख्या के आधार पर अधिकार लेना है तो हिन्दुत्व से आजाद होना होगा। हिन्दुत्व ही हर बेड़ी को तोड़ना होगा और अपना आन्दोलन चलाना होगा। यही एकमात्र समाधान है। हमारा बिखराव ही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत है दक्षिण भारत में एस.सी., एस.टी., ओबीसी और मॉयनोरिटी साथ है लेकिन उत्तर भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनको विभाजित करके रखा हुआ है और खेती करने वाली जातियों को अपने साथ जोड़कर दिखाया कि ये उच्च जाति के हैं। ब्राह्मणवादी षड़यंत्र करके एस.सी., एस.टी. ओबीसी और मॉयनोरिटी को आपस में लड़ाते रहते है ताकि इनका शक्तिशाली संगठन न बन पाये।

अंग्रेजी राज्य से पहले पिछड़ी जातियों के लोग द्विजों का चिन्ह जनेऊं नहीं पहनने पाते थे। द्विजों की धर्म पुस्तक वेद और शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। पिछड़ी जातियां सोंचती हैं कि जनेऊं धारण करके और क्षत्रिय (कुर्मी, क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय, पाल क्षत्रिय, लोधी राजपूत, आदि) कहलाकर वे अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची कर लेंगी। इनकी इस सोच को नादानी ही कहा जायेगा क्योंकि कमजोरों (दलितों, अछूतों, आदिवासियों) से तो वे अपने को पहले से ही ऊंचा मानती है और उच्च वर्ग से अपनी निकटता प्रमाणित करने की सनक में इन पर प्रायः हमलावार रहती है। वास्तव में यह उच्च वर्ग के प्रति इनकी गुलामी की मानसिकता का प्रमाण है। सामाजिक रूप से स्वयं सर्वोच्च बनने की इनकी कोई तमन्ना नहीं है क्योंकि पुरोहितों के आधीन व्यवस्था के अन्दर ही अपनी श्रेष्ठता स्वीकार किए जाने के लिए ये परेशान हैं न कि स्वतंत्रता और समानता के लिए।

पिछड़े समाज की प्रायः सभी जातियां मौखिक तौर पर पुरोहितों के खिलाफ आग उगलती देखी सुनी जाती हैं लेकिन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में मनसा ओर कर्मणा से पुराहिती व्यवस्था का ही अनुगमन करती देखी जाती हैं। अर्जक संघ के प्रणेता और संस्थापक रामस्वरूप वर्मा शूद्र समाज को सछूत शूद्र और अछूत जातियों को अछूत शूद्र कहते थे। पिछड़े वर्ग की जातियों को वे उच्च वर्ग का मानसिक गुलाम और अछूत जातियों को शारीरिक गुलाम के रूप में क्रमशः तीतर गुलाम और तोता गुलाम की संज्ञा देते थे। तीतर पिंजड़े में ही दाना पानी पाकर प्रसन्न रहता है। पिंजड़े की कील निकालकर व खिड़की खुली पाकर भी वह कभी भागने की कोशिश नहीं करता। जब कभी उसका मालिक हवा पानी के लिए पिंजड़े से बाहर भी निकाल लेता है लेकिन तीतर चाहे कितना भी दूर क्यों न चला जाय मालिक की टिटकार सुनकर स्वतः ही पिंजड़े में आ बैठता है तीतर जैसी स्थिति पिछड़े वर्ग की है।

तोता की प्रवृत्ति पिंजड़े में बन्द रहकर संतुष्ट रहने की नहीं है। तोता पिंजड़े की कील निकालकर फुर्र हो जाने की ही फिराक में रहता है। एक बार किसी भी प्रकार से यदि निकल पाया, तो मालिक द्वारा लाख कोशिश करने पर भी फिर कभी वापस नहीं आता। क्योंकि वह शारीरिक गुलामी में जकड़ा परन्तु मानसिक रूप से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत सेनानी होता है। दलित समाज की जातियों की मानसिक उथल-पुथल तोता गुलाम की तरह है। सामाजिक स्वतंत्रता के लिए दलित समाज की जातियों

के इस नेतृत्वकारी गुण के लिए उनका नेतृत्व स्वीकार करके सम्मान किया जाना चाहिए। परंतु पिछड़े समाज की जातियां अपने बाहु और संख्या बल की अकड़ में इनका नेतृत्व अपमानकारी ही मानेंगी जबकि द्विजों की आधीनता में रहने से इन्हें कोई गुरेज नहीं है।

वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक स्तर पर त्रिवर्णीय थी। क्षत्रियों द्वारा पुरोहितों की सर्वश्रेष्ठता को चुनौती दिये जाने से इसके चतुर्वर्णीय होने की स्थिति पैदा हुई। अपनी सर्वश्रेष्ठता को नकारे जाने से तिलमिलाए पुरोहितों ने विद्रोही क्षत्रियों को आर्य समाज से बहिष्कृत करने के लिए उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था। जनेऊ से ही आर्य और अनार्यों की शारीरिक पहचान होती थी। आर्य मान्यता में गुण-दोष के अनुसार शुद्र का मतलब नीच है।

अपनी भारी जनसंख्या के बावजूद भी दलित पिछड़े मिलकर अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। सत्ता के शीर्षस्थ पद पर किसी दलित/पिछड़े के आसीन हो जाने का मतलब यह कतई नहीं समझना चहिए कि ये सरकार उन्हीं की है। ऐसा शीर्षस्थ व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपनों के नाम से संचालित सरकार अपनों को ही शोषण कर दूसरों को लाभ की स्थिति में रखती है। सरकार में जिन लोगों का बहुमत अथवा प्रभाव होता है सरकार उन्हें और उनके लोगों को ही फायदा पहुंचाती है।

पिछड़े वर्ग की जातियों का संघर्ष, सामाजिक चेतना नहीं बल्कि क्षत्रिय बनने तथा जनेऊ धारण करने तक ही सीमित है ये क्रान्ति के नहीं बल्कि यथास्थिति कायम रखने के समर्थक हैं। अपनी सामाजिक स्थिति न्यून न हो जाये इसलिए एतिहातन ये दलितों से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी कुशलता समझते हैं। गांव गली स्कूल-कॉलेज या अन्य किसी भी स्थान पर सवर्णों एवं अछूतों के बीच जब कोई संघर्ष छिड़ता है, तो पिछड़े समाज की जातियां अपने स्वाभाविक मित्रों से दूर जाकर द्विजों के ही पक्ष में खड़ी होकर स्वाभाविक मित्रों के सामने मुश्किल खड़ी करती हैं।

पिछड़े वर्ग को मालूम नहीं है कि जनगणना क्यों होती है। पारसी की गणना होती है, मुस्लिम की गणना होती है। एस.सी., एस.टी. की गणना होती है। लेकिन 54 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की गणना होती ही नहीं है। पूरे देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5 प्रतिशत है परन्तु 54 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को हिन्दू बनाकर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बना हुआ है और हमारे ऊपर राज करता है।

सन् 1951 में नेहरू ने साजिश करके जाति के बजाय पिछड़े वर्ग की गणना हिन्दू के रूप में करवाया। उस समय पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस के पीछे लगे हुए थे। परन्तु इस साजिश को नहीं समझ पाये। नेहरू ने सोंचा कि यदि जातिगत गणना करा दिया जायेगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चल जायेगा कि उनकी संख्या पूरी आबादी में आधे से अधिक है तो देश की सत्ता हासिल करने के लिए पिछड़े वर्ग के नेता संख्या बल को जागृत करने लगेंगे। इससे ऊंची जातियों की सत्ता चली जायेगी। इसलिए पिछड़े वर्ग की गणना हिन्दू के नाम पर करवाकर इनको सूर्य बनाया जा रहा है और अधिकारों से सचित किया जा रहा है। आज आवश्यकता है पिछड़े वर्ग के प्रबुद्ध बन्धुओं को उपरोक्त तथ्यों पर चिन्ता-मनन करने की।

यह कैसा धर्म

सैंकड़ों वर्षों से देश में ब्राह्मणों द्वारा समाज पर शासन किया जा रहा है। ब्राह्मण यह कतई बर्दाश्त नहीं करते कि कोई दूसरा उनकी बराबरी करने की कोशिश करे। बराबरी की कोशिश करने वाले को ब्राह्मणों द्वारा तत्काल विरोध या मजा चखाने की कोशिश की जाती है। ब्राह्मणों के आतंक और दबाव के बोझ तले शूद्र समाज निरंतर दुख उठाते हुए चुपचाप यातना और उत्पीड़न झेल रहे हैं। ब्राह्मणों के अत्याचार एवं अन्याय से मुक्ति का प्रयास करने वाले के क्रूरता पूर्वक दंडित या अपमानित किए जाने की घटना कोई नहीं नहीं है। देश के लोगों पर अपनी प्रभाव और वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्राह्मण जनों द्वारा अक्सर हिंदू संस्कृति पर खतरा के बहाने विरोधी पर हमला किया जाता है। ब्राह्मणों ने राजनैतिक दांव पेंच द्वारा देश के मूल निवासियों पर प्रभुत्व स्थापित किया और मूल निवासियों को हेय दृष्टि से देखते हुए उन पर सदा सर्वदा राज्य करने के लिए बहुत से बनावटी ग्रंथ रचकर उन्हें समाज के सबसे निम्न कोटि में रख दिया। यह अत्यंत लज्जा की बात है कि भारतीय समाज शिक्षित होने के बावजूद मनुवादी विचारों का गुलाम है।

Social Groups Representation in JNU Faculty

जे.एन.यू. शिक्षकों में सामाजिक समुदायों का प्रतिनिधित्व

आरटीआई डी. नं. 2272 दिनांक 03.06.2011

वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत, स्कूल वाईज सवर्ण समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के शिक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

Schools स्कूल	Upper Castes सवर्ण समुदाय	SC अनुसूचित जाति	ST अनुसूचित जनजाति	OBCs अन्य पिछड़ा वर्ग	Total कुल
School of Biotechnology स्कूल ऑफ बायो टैक्नोलॉजी	11	00	00	00	11
USIC स्कूल ऑफ बायो टैक्नोलॉजी	01	00	00	00	01
School of Biotechnology स्कूल ऑफ बायो टैक्नोलॉजी	02	00	00	00	02
Computer and System Science कंप्यूटर एण्ड सिस्टम साइंसेज	12	02	01	00	15
Environmental Sciences स्कूल ऑफ बायो टैक्नोलॉजी	21	02	00	00	23
Life Sciences लाइफ साइंसेज	28	01	00	01	30
Physical Sciences फिजिकल साइंसेज	20	00	00	00	20
Life Sciences आर्ट्स एण्ड ऐस्थेटिक्स	08	01	00	00	09
Computational and Integrative Sciences कंप्यूटेशनल एंड इंटेग्रेटिव साइंसेज	07	00	00	00	07
Sanskrit संस्कृत	07	00	00	00	07
Study of Law and Governance स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस	05	00	00	00	05
International Studies इंटरनेशनल स्टडीज	82	05	05	01	93
Social Sciences सोशल साइंसेज	121	09	04	00	134
Language Literature and Culture Studies लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज	95	08	04	00	107
Centre for Molecular Medicine सेंटर फॉर मोलेक्यूलर मेडीसिन	06	00	00	00	06
Total योग	426	28	14	2	470

16 नवम्बर, 2011 को जेएनयू की सर्वोच्च निर्णायक एजुक्यूटिव कौंसिल (इसी) ने सैद्धान्तिक तौरपर यह स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक पदों पर आरक्षण की व्यवस्थ की जाएगी। इससे पहले तक जेएनयू में शैक्षणिक पदों पर सिर्फ इंट्री लेबर (लेक्चरर पद) पर ही आरक्षण था।

केन्द्र सरकार की UGC का OBC, S/C और S/T की 27,488 आरक्षित जगहें खाली रखने का पराक्रम!

शिक्षण क्षेत्र में S/C, ST, OBC की 27,488 सरकारी स्थान (सीटें) खाली है। Asian Centre for Human Right द्वारा करने में आई हुई RTI के सन्दर्भ में UGC (University Grant Commission) द्वारा दी हुई ये चौंकाने वाली माहिती द्वारा SC, ST, OBC के साथ होने वाली ये पक्षपाती नीति का पर्दाफाश हुआ है। 8th May 2013 तक SC, ST, OBC की नहीं भरी हुई UGC द्वारा शिक्षण क्षेत्र की आरक्षित स्थानों के आंकड़े नीचे दर्शाये हैं।

केटेगरी	स्थान (सीटें)
SC	12,195
ST	8,332
OBC	6,961
Total	27,488

Asian Centre for Human Right के रिपोर्ट अनुसार ''भारत को मुख्य विकास की मुख्य धारा में लाने का अधूरा एजन्डा'' आदिवासी को सरकारी सेवा और पद पर अनामत नहीं इन्कार नीति पर एक सर्वेक्षण में कहां हुआ है की ये कहेलवाती यूनिवर्सिटी, ये जातियों के प्रति भेदभाव रखती है। 2006 में आदिवासियों की 1187 सीटें प्रोफेसर के लिए थी उनमें से सिर्फ 46 स्थान (प्रोफेसरों की) भरी हुई थीं। 2010-11 में Central University में कुल स्थान पर 1667 के सामने सिर्फ 4 जगाए ही भरी हुई थीं। अब केन्द्र सरकार ने भरती पर प्रतिबंध रख दिया है।

2010-11 में कुल स्थान 3155 के सामने सिर्फ 10 आदिवासी रीडर की जगाए भारी हुई थी। जबकि 2006-07 में कुल महेकम 1744 के सामने सिर्फ 18 Reader थे। Asian Centre for Human Right के नियामक सुहास चकमा का कहने का ये है कि ये आंकड़ों के आधार से ये फलित होता है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं जातिवाद से ग्रस्त हैं। शिक्षण क्षेत्र में आज भी परशुराम, द्रोणाचार्य वारिसों की हकुमत है और उसको शेठश्री, भट्टश्री की राजकीय पार्टियों का भरपूर मात्रा में समर्थन मिलता है। नहीं भरी हुई सीटों पर उम्मेदवार मिलते नहीं हैं। ऐसी जूठी बातें वो फेलायेंगे लेकिन रोजगार केन्द्र में रजिस्ट्रेशन किये हुए नाम और पदधारकों के आंकड़े उपलब्ध (मौजूद) हैं। सिर्फ केन्द्र सरकार के कांग्रेसी सताधिशों ही उनके लिए जिम्मेवार हैं। इसके अलावा सरकार ने ''एम्स'' में भी हमारे समुदाय की अनामत (भागीदारी) रेड कर दी है। ये सिर्फ UGC का ही पराक्रम है। इस प्रकार केन्द्र सरकार के अन्य विभाग में भी हमारे समुदाय को कितनी सीटें भरी हुई नहीं हैं उसके आंकड़े भी निकलने की कोशिश जारी है। जिससे OBC, SC, ST समुदाय को केन्द्र सरकार की कांग्रेस सरकार द्वारा कितना गंभीर नुकसान हुआ है उसका पता चले।

शेठश्री भट्टजी शासकों ने खानगीकारन के माध्यम से आरक्षण नीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा मयार्दा बढ़ानी, और सरकारी कामकाज खानकी कंपनी को दे देना इस प्रकार के बहुत सारे दावपेच शेठजी भट्टजी शासकों ने अजमाये हैं। इसके अलावा भी बाकी बची हुई सुरक्षित स्थानों खाली रखने की नीति रीति अखत्यार होती है।

इसी तरह के रवैये के कारण देश और राज्य के वहिवती तंत्र में OBC,SC, ST की परिस्थिति कितनी कंगाल है, ये आपको दिए हुए चार्ट से पता चल सकता हे। यही ये शेठजी भट्टजी शासकों की असली नीति रीति का सबूत है।

राज्यसभा में हुए सवाल और जवाब

Category	Backlogvacancies	Filled-Up
SCs	24779	16693
STs	30010	15813
OBCs	22886	12950

भारत माता के दुष्ट पुत्र

असली और नकली राष्ट्र भक्तों तथा भारत माता के सपूतों को पहचानें

1. राष्ट्र रूपी परिवार के सदस्य एवं अपनी भारत माँ के प्रिय 50 प्रतिशत भाई जिनकी मासिक आमदनी लगभग 4000 रूपये मात्र है मे मुस्किल से कठोर मेंहनत करके जुटा पाते हैं जिससे परिवार का पेट ही भर पाता है उनको बीमारियों में इलाज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए तथा काम चलाऊ मकान के लिए कोई पैसा नहीं हैं।

2. शेष 100 मे से 49 प्रतिशत भाई दस हजार से बीस हजार रूपये तक अर्थात् 99 प्रतिशत लोग बीस हजार रूपये मासिक आय में किसी तरह संघर्ष करके जी रहे हैं। ये 99 प्रतिशत भाई अच्छी शिक्षा, महंगे इलाज तथा महंगे मकान के बिना हीनभावना, कुपोषण, हतासा, निराशा के शिकार हैं जिसका कारण देश के 50 बड़े नेता जी भाई, 50 बड़े व्यापारी जी भाई तथा 50 बड़े अधिकारी जी भाई हैं जो देश की व्यवस्था को जिधर चाहते उधर मोड़ देते हैं।

3. अपने राष्ट्र परिवार एवं अपनी प्रिय भारत माता के प्रिय भाई हैं जो अपने ही राष्ट्र परिवार की और अपनी ही पूजनीय भारत माता की संपत्ति और धन तथा साधनों को जो कठोर परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी तथा धूप एवं भीषण सर्दी में रात दिन कठोर परिश्रम करते हैं उनके हिस्से की संपत्ति एवं साधनों को न देकर षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार और शोषण के द्वारा 99 प्रतिशत प्रिय भारत माता के सपूत भाईयों को नरक का जीवन जीने को मजबूर किये हुए हैं।

4. इन 150 प्रिय भ्रष्ट भाईयों के द्वारा राष्ट्र परिवार में पूजनीय भारत माता इन नरक का जीवन व्यतीत करने वाले अपने प्रिय पुत्रों के लिए कितनी दुःखी हो सकती है इसकी कल्पना करना भी कठिन है क्योंकि मां सदा कमजोर, दुःखी, गरीब, बेबस, लाचार पुत्रों के दुःखों के कारण ही दुःखी होती है।

5. तब और अधिक दुःखी होती है जब उसी के कुछ दुष्ट बेटे अपने ही भाईयों के साथ षड्यंत्र धोखाधड़ी, अन्याय करके उनके हिस्से की संपत्ति साधन धर्म के नाम पर अधर्म करके भाग्य के नाम पर छल करके दुष्ट भाई अपने कब्जे मे करके गरीब भाईयों को गरीब और मजबूर बनाकर उनकी गरीबी और मजबूरी की खिल्ली उड़ाते हैं।

6. जबकि भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों में कहा गया है –

   ओम् ईशावास्यम् इदं सर्वं, यद किन्च जगत्याम् जगत।

   तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा करिमस्विद ।।

   अर्थात् इस संसार में जो कुछ भी है उस सभी में ईश्वर का वास है, इसलिए त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपभोग करो, लालच में आकर दूसरे प्रिय भाई का हिस्सा हड़प कर उसे वंचित न करें ये घोर अधर्म और पाप है।

7. इसी कारण राष्ट्र परिवार एवं भारत माता के पुत्रों में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है जिससे राष्ट्र परिवार में रोज छीने गये हिस्से वाले गरीब किसान मजदूर भाई, गरीब छात्र, गरीब बीमार भाई हताशा और कर्ज एवं निराशा में कुछ आत्महत्यायें कर रहे हैं, कुछ हत्यायें कर रहे हैं कुछ हत्यायें करा रहे हैं जिससे कुछ जेल जा रहे हैं।

8. कुछ लूट रहे हैं, कुछ लुट रहे हैं, जो लूट रहा हैं वो भी सुरक्षित और शांति से जीवन नहीं जी पा रहा है। चारों तरफ घोर अशांति, असुरक्षा, भय और भूख से भारत मां के भाई नरक का जीवन जी रहे हैं।

9. देश में धन की कोई कमी नहीं है इसकी पक्के सबूतों सहित विस्तृत जानकारी के लिए 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' (भारतीय पिछड़ावर्ग संयुक्त मोर्चा) के आर्थिक खोज विभाग जिसमे काला धन, भ्रष्टाचार बैंकिंग प्रणालियों में उपलब्ध है जो इस स्मारिका में भी उपलब्ध है।

10. देश के सभी भाईयों को महंगी से महंगी चिकित्सा सरकार के द्वारा सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती है। देश में सभी के लिए एक पाठ्यक्रम होना चाहिए तथा जवाहर नवोदय विद्यालय पद्धिति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक सभी प्रकार की शिक्षा आवासीय आधार पर छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए। सभी के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था सरकार का दायित्व है, देश में सभी प्रकार के नशों से मुक्ति के लिए प्रभावशाली कदम उठाने होंगे।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्र परिवार एवं भारत माता के सच्चे सपूत न्यायप्रिय, धर्मप्रिय शांतिप्रिय सज्जन समाज सेवी जो देश मे लगभग 20 प्रतिशत हैं ये देश के 99 प्रतिशत लोगों को जागरूक करके सद्मार्ग पर ले जाने

का राष्ट्रव्यापी अभियान चला कर संगठित करके दुष्ट भाईयों को दुरूस्त करके राष्ट्र परिवार एवं भारत माता के प्रिय सभी पुत्रों के जीवन को आनंदमय, खुशहाल एवं शांतिमय निश्चित रूप से बनायेगें।

इसी उद्देश्य से 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' (भारतीय पिछड़ावर्ग संयुक्त मोर्चा) राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के सभी प्रदेशों के सभी जिलों सभी जिलों के सभी महानगरों एवं नगरों एवं विकासखण्डों वार्डों सभी ग्रामों तथा मुहल्लों से लेकर घर–घर तक राष्ट्रीय परिवार एवं भारत माता के 99 प्रतिशत शोषित पीड़ित पुत्रों को उनके ऊपर प्रयोग किये जा रहे शोषण के तरीकों की जानकारी देकर उनमे भाईचारा स्थापित कर संगठित करने के लिए देश भर मे प्रशिक्षण शिविर चला रहा है जिसमें उनके सामाजिक राजनैजिक संवैधानिक कर्तव्यों एवं अधिकारों की विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण किया जा रहा है जिससे देश की व्यवस्था कांन बिगाड़ रहा है? कैसे बिगाड़ रहा है? क्यों बिगाड़ रहा है? कब तक बिगाड़ेगा और देश की व्यवस्था कौन ठीक करेगा? कैसे ठीक करेगा? क्यों ठीक करेगा? कब तक ठीक करेगा? इन सभी की जानकारी प्राप्त कर 99 प्रतिशत शोषित पीड़ित भाई संगठित होकर व्यवस्था आसानी से स्थायी रूप मे ठीक हो सकेगी।

यदि आप वास्तव मे जीवन को सार्थक और आनन्दमयी बनाना चाहते हैं तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन हमारे संगठन को निम्नलिखित ईमेल पर अवश्य प्रेषित करेंगे।

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इण्डिया"
लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092

सम्पर्क करें –
09711539237, 09891496594,
9911749911, 9891306064
E-mail : obcufi@gmail.com
Web : www.obcufi.news,
www.obcufi.info

देश में जातिय/वर्ग अनुसार विभाजन

ब्राह्मण हिन्दू	2.50
ब्राह्मण मुस्लिम	
सेख सैयद	1.5
क्षत्रिय हिन्दू	2.50
क्षत्रिय मराठा	1.50
पटेल गुजरात	1.00
जाट	2.00
जैन	0.50
वैश्य	2.00
भूमिहा, त्यागी	1.00
कायस्थ	0.50
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग	
हिन्दू पिछड़ा वर्ग	45.50
मुस्लिम पिछड़ा वर्ग	12.00
ईसाई पिछड़ा	1.00
सिख पिछड़ा	1.50
बौद्ध	2.00
पारसी	0.50
एस.सी.	15.0
एस.टी.	7.50

◆◆◆

9

सरकार को नागरिकों की नहीं कंपनियों की ही चिंता है।

डॉ. अनिता प्रकाश
(लेखिका आर्थिक मामलों की जानकार हैं)

सरकार जनता का कम, तो कंपनियों का ज्यादा ध्यान रखती है। इसमें एक बात और जोड़ी जा सकती है। वह यह कि सरकार सिर्फ जनता का ही नहीं, बल्कि अपना यानी अपने खजाने का भी कम ध्यान रखती है जबकि कंपनियों का ज्यादा। वैसे, तो इन बातों के पक्ष में तमाम उदाहरण दिए जा सकते है, देश में जगह-जगह इसके उदाहरण मौजूद हैं, मगर इन्हें दो ताजा उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पूंजीवाद के दोषों का पता चले।

पहला उदाहरण हम वहां से उठा सकते हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने रिलायंस और देश के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बेशक, देश की किसी भी राज्य सरकार को किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए थी। यह भारत के संघीय ढ़ांचे का उल्लंघन है। मगर, हमें इस बात को भूलकर आगे बढ़ना होग, तब समझ में आएगा कि सरकार कंपनियों के प्रति किस हद तक समर्पित है, वह कैसे उन्हें लाभ देती है।

रियायंस इंडस्ट्रीज को वर्ष-2000 में केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस निकालने का ठेका दिया गया था। गोदावरी नदी जहां समुद्र में मिलती है, उसको ही केजी बेसिन कहा जाता है, जो कई उपक्षेत्रों यानी ब्लॉकों में बंटा हुआ है। इसी के डी-ब्लॉक, जो कि 7645 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, से गैर निकालने का ठेका रिलायंस और उसी की सहयोगी कंपनी निको रिसोर्सेज को दिया गया था। रियायंस ने वर्ष-2004 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ गैस आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह अनुबंध 17 वर्ष के लिए था। इसके तहत एनटीपीसी को 2.34 डालर प्रति यूनिट के भाव पर रिलायंस से गैस मिलनी थी। यह बात फिर दोहरा दें कि यह अनुबंध 17 वर्ष के लिए था। चूंकि यह 2004 में हुआ था। इसलिए इसे 2021 तक चलना था।

मगर, रिलायंस ने 2007 में दबाव बनाया कि उसे गैस निकालने में घाटा हो रहा है। इसलिए वह 2.34 डालर प्रति यूनिट के भाव पर एनटीपीसी को कोई गैस मुहैया नहीं करा सकती। ऐसा कहकर रिलायंस ने उन शर्तों को तोड़ा था, जो अनुबंध में लगाई गई थीं। अतः सरकार को उस पर दबाव बनाना था, ताकि वह इस अनुबंध से मुकरती नहीं। यदि कंपनी सरकार के दबाव में नहीं आ रही थी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी जानी चाहिए थी। यह काम इसलिए खास तौर पर होना चाहिए था कि देशी-विदेशी जानकार कह रहे थे कि रिलायंस घाटे में बिल्कुल नहीं है।

इन जानकारों का कहना था कि गैस निकालने पर ज्यादा से ज्यादा 1.43 डालर का खर्चा आ रहा है, जबकि एनटीपीसी गैस खरीद रहा है, 2.34 डालर के भाव पर। यानी, रिलायंस को गैर पर जो मुनाफा हो रहा है, वह 0.91 डालर प्रति यूनिट है, जो कम नहीं है। मगर, सरकार ने न जानकारों की दलीलें सुनीं, न रिलायंस पर दबाव बनाया, न वह अदालत भी गई। उसने फौरन मामला मंत्रियों के एक समूह को सौंपा और उसने गैस के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी। जो गैस एनटीपीसी को पहले 2.34 डालर प्रति यूनिट के भाव पर मिलती थी, वह 4.2 डालर प्रति यूनिट मिलने लगी।

सरकार को नागरिकों की नहीं कंपनियों की ही चिंता है।

यह कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि 2013 में यह कंपनी फिर मचली और कहने लगी कि घाटा हो रहा है। यह सुनकर सरकार फिर दबाव में आ गई और अब उसने गैस के दाम 8.4 डालर प्रति यूनिट कर दिए हैं। यह बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल 2014 से लागू भी हो ही जाएंगी, जबकि गैस निकालने का खर्चा अब भी करीब पोने दो डालर प्रति यूनिट ही आता है और यह हम नहीं, इस विषय के जानकार कह रहे हैं।

यानि, सरकार ने इसकी परवाह नहीं की कि कंपनी गैस पर जो भारी मुनाफा कमाएगी, उसके कारण सभी तरह के गैसों के दाम बढ़ेंगे, बिजली और उर्वरक के भी दाम बढ़ेंगे, जिससे देश को दोहरा नुकसान होगा। पहला तो यही कि करदाताओं का भारी पैसा कंपनी के पास मुनाफे के रूप में जाएगा और दूसरा यह भी कि जनता को महंगी बिजली, किसानों को महंगे उर्वरक खरीदने पड़ेंगे। सरकार ने केवल कंपनी की चिंता की। यदि उसे घाटा हो रहा होता, तो भी बात समझ में आती, पर यहां तो उसे ज्यादा लाभ देने का खेल हुआ।

कंपनियों को मुनाफा देने का दूसरा उदाहरण तो और भी दर्द भरा है। क्या आपको पता है कि जल्द ही कई जीवनरक्षक दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे है। यह इसी सप्ताह की ही बात है, जब दवाइयों के दाम निर्धारित करने वाले राष्ट्रीय प्राधि करण (एनपीपीए) ने इंडियन फार्मास्युटिकल ऑर्गनाइजेशन के उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, जिसके तहत बहुत सी दवाइयों के दाम बढ़ाए जाने हैं। अब प्रस्ताव चूंकि मंजूर हो गया है, इसीलिए कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह व अन्य बहुत-सी दवाइयों के दामों में आठ से दस फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। अभी हाल में केंद्र सरकार ने बहुत सी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया था, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। हां, यह बात और है कि दवा निर्माता कंपनियों को उसका यह निर्णय रास नहीं आया था। इसलिए वे घाटे का रोना भी रोने लगी थीं। अब उनकी सुन ली गई है।

जैसा गैस वाला मामला है, ठीक वैसा ही दवाओं का भी मामला है। जानकारों का मानना है कि पेटेंट वाली दवाइयां पर तो कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। कैंसर की कुछ दवाओं पर तो यह मुनाफा हजार प्रतिशत के ऊपर भी निकल जाता है। यानि, बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां एक रुपया लगाती हैं और फिर एक हजार रुपए कमाती हैं। बाकी अन्य दवाओं पर भी भारी लाभ कमाया जाता है। यह सही है कि कंपनियों का एकमात्र धर्म जितना संभव हो सके, उतना मुनाफा कमाना ही होता है। वे गरीब मरीजों की परवाह क्यों करें?

मगर, सरकार का धर्म क्या है? उसका पहला धर्म यही है कि वह देश के सभी नागरिकों को सस्ता इलाज मुहैया कराए। कुछ राज्यों के स्तर पर यह पहल हुई है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बात तभी बनेगी, जब दवा कंपनियों को नियंत्रित किया जाएगा, उनके भारी-भरकम मुनाफे पर रोक लगाई जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। सरकार को जनता की नहीं, बल्कि कंपनियों की चिंता है। यह सही है कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक दुर्गुण है, मगर जरूरत अब इसको दूर करने की है।

आजका लोकतंत्र,
जयपूर से प्रकाशित
से साभार

"Amierca (USA) में Education & Teachers Libility Act है।"

जिससे शिक्षा की गुणवत्ता उत्तम है भारत में भी यह एक्ट आवश्यक है, तभी भारत की दयनीय शिक्षा की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।

अमृत्य सेन (नोबेल पुरस्कार विजेता)

अमृत्य सेन को नोबेल प्राइज मिलने पर बंगाल सरकार ने सम्मान किया था। उस में उन्होंने 8% शिक्षा पर, 7% Health पर, दुनिया में Democratic देशों में बजट रखा जाता हैं। जिससे वहां की शिक्षा और Health के क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आ रही है। भारत में भी सरकारों द्वारा यह बजट का प्रतिशत होना चाहिए। तभी भारत की शिक्षा और स्वास्थय की समस्या का समाधान हो सकता है।

लोकतंत्र एवं मानवाधिकार संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका

लोकतंत्र और मानवाधिकार में आन्योनाश्रित संबंध है। एक सच्चा लोकतंत्र ही मानवाधिकार की रक्षा कर सकता है या दूसरे शब्दों में कहा जाय तो जिस समाज में मानवाधिकार सुरक्षित नहीं हैं वह एक लोकतान्त्रिक समाज कदापि नहीं हो सकता है ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना गया है। यदि स्वतंत्र भारत का धर्म लोकतंत्र है, तो संविधान उसका सर्वश्रेष्ठ धर्मग्रन्थ है। इस संविधान का स्रोत 'हम भारत के लोग' में निहित है। इस अर्थ में भारतीय लोकतंत्र का मूल 'हम भारत के लोग' में निहित है।

यह एक विचित्र विडम्बना है कि यह 'हम भारत के लोग' यानी कि सामान्यजन लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया और क्रिया–व्यापार से करीब–करीब विस्थापित है। यह लोकतंत्र उसका विमर्श नहीं बन पाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो भारत की संविधान सभा ने 'हम भारत के लोग' की ओर से 26 जनवरी सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया तथा 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया

हमारा संविधान हमारे लिए लोकतंत्र एवं मानवाधिकार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। परन्तु संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया एवं तत्पश्चात लोकतंत्र को लागू करने की पूरी प्रक्रिया से सामान्य जन करीब–करीब बाहर ही रहा। भारत का लोकतंत्र सामान्य जन के लिए प्रदत्त लोकतंत्र ही है। इसी प्रदत्त लोकतंत्र को अर्जित लोकतंत्र में बदलने की आवश्यकता है।

प्रदत्त लोकतंत्र को अर्जित लोकतंत्र में बदलने एवं मानवाधिकार को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की अनिवार्य भूमिका है, परन्तु ऐसे अनेक कारण हैं जो न्यायपालिका की भूमिका को अत्यन्त सीमित कर देते है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका न्यायसंगत समाज की स्थापना के अपने नैतिक लक्ष्य से भटक कर सिर्फ विधिसंगतता की कसौटी पर ही न्याय को कसने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में वह सिर्फ राजसत्ता का एक उपकरण मात्र होकर रह जाती है।

विधि का शासन तो भारत की औपनिवेशिक सत्ता ने ही सुनिश्चित कर दिया था, परन्तु इस स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतान्त्रिक देश में हम एक न्याय के शासन (न्यायसंगत समाज) की अपेक्षा करते हैं।

भारत में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही है जो स्वतंत्र भारत का परिणाम है, परन्तु इसके गठन का स्रोत उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों में निहित है। अधिकतर उच्च न्यायालयों के बार और बेंच दोनों में ही सशक्त सामंती पृष्ठभूमि वाले लोगों का वर्चस्व है। जातिगत प्रतिनिधित्व की ऐसी स्थिति है कि उच्च एवं सर्वोच्च न्यायपालिका में दलित एवं पिछड़ी जातियों की उपस्थिति न के बराबर है। उसमे भी ज्यादातर इस देश के कुछ ही परिवारों का उच्च एवं सर्वोच्च न्यायपालिका में वर्चश्व है।

ऐसे में भारत का न्याय बहुधा वह है जो और जैसा भारत के द्विज और समृद्धिशाली वर्ग द्वारा आत्मसात और व्याख्यायित किया जाता है। यह अनायास नहीं है कि इलाहाबाद में कुम्भ मेले के दौरान दिनाँक 06–02–2013, इलाहाबाद उच्च न्यायलय में अधिवक्ताओं के एक समूह के आमंत्रण पर आये एक महामंडलेश्वर ने बार लाइब्रेरी के सेंट्रल टेबल पर अपना आसन लगा कर दो घोषणाएं कीं –

1. ऐसी संहिता या शास्त्र जिसमे कि बार–बार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती हो, उससे समाज संचालन नहीं किया जा सकता। चूँकि भारत के संविधान में अब तक सौ से अधिक संशोधन हुए हैं, अतः वह कूड़ा है, व्यर्थ है।
2. मनु स्मृति अपने रचना काल से अब तक अपरिवर्तनीय रही है, अतः यही वह सर्वश्रेष्ठ संहिता या शास्त्र है जिससे कि भारतीय समाज का संचालन किया जाना चाहिए।

महामंडलेश्वर के उपरोक्त उदबोधन के उपरांत उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, मंत्री सहित बार के कई वरिष्ठतम सदस्यों सहित कई अधिवक्ताओं ने उनके चरणों में अपना सर रखकर उनके "ईश्वरीय" वचनों के प्रति अपना समर्थन और सम्मान प्रकट किया वस्तुतः भारतीय न्यायपालिका में बहुलांश की यही समझ और संवेदना है।

हर व्यक्ति अपनी समझ और संवेदना से ही प्रस्थान कर पाता है, चाहे वह न्यायमूर्ति ही क्यों न हो। यह अनायास नहीं है कि अयोध्या मामले की सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन न्यायमूर्तियो के खंडपीठ में अनिवार्यतः एक 'मुस्लिम' समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले न्यायमूर्ति को रखा गया है। न्यायमूर्ति कब से हिन्दू या मुसलमान होने लगे ? यदि ऐसा है तो द्विज और शूद्र या दलित क्यों नहीं?

उपरोक्त कारणों से न्यायपालिका के लिए लोकतंत्र और मानवाधिकार संरक्षण का मामला एक तकनीकी जिम्मेदारी जैसा हो जाता है, जबकि यह किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए संस्कृति और मूल्य का मामला है जिसमें वह ओतप्रोत हो। लोकतंत्र और मानवाधिकार मूलतः संस्कृति और मूल्य का मामला है और उसे तकनीकी ढंग से हल नहीं किया जा सकता।

पिछले वर्षो में सूचना का अधिकार लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपादान बना है लेकिन सूचना के अधिकार के प्रति न्यायपालिका का रवैया अत्यंत निराशाजनक है। न्यायपालिका का एक बडा हिस्सा अपनी समस्त शक्ति इस बात में लगा दे रहा है कि कैसे सूचना के अधिकार कानून को निष्प्रभावी बनाया जाय।

ऐसे में समाज में लोकतंत्र और मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र के तीनो स्तम्भों सहित जनसामान्य के सांस्कृतिकरण का कार्य हाथ में लिया जाय तथा अपने समाज के मूल धर्म के रूप में लोकतंत्र को स्थापित किया जाय।

राकेश कुमार गुप्त,
D-2, Nature Villa Colony,
Near Indian Oil, Trivenipuram,
Jhunsi, Allahabad.
E-mail : grakesh80@gmail.com
Mobile : 09839448782,
09455769303

जरूरी है राजनैतिक इच्छाशक्ति

– सुनील पचीसिया
इन्वेस्टमेंट कंपनी में वाइस प्रेसीडेंट

1. केन्द्र में जो भी सरकार रही है वो काले धन के प्रति गंभीर तो रही है, पर इस पैसे का वापस आना कोई एक तरफा मामला नहीं है। यह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है.

2. पहले तो हमारे देश के पूरे राजनीतिक वर्ग में इच्छाभाक्ति होनी चाहिए। सिर्फ सरकार की इच्छाशक्ति से काम नहीं चलेगा। वह, इसलिए कि सभी राजनेता आपस में जुड़े हुए हैं और हर किसी के पीछे कोई न कोई उद्योगपति या औद्योगिक घराना खड़ा हुआ है।

3. आखिर इतना महंगा चुनाव अभियान हमेशा ही में संपन्न होता है, उसको किसी ने तो फाइनेंस किया होता। दूसरें, हमारी इकॉनामी कठोर कदमों को सपोर्ट नहीं करती। अर्थात हम एकतरफा टैक्स हैवन्स देशों पर दबाव नहीं बना सकते, जैसा कि अमरीका बना सकता है। वह, इसलिए क्योंकि ये कालाधन घूम–फिरकर हमारे यहां निवेश भी होता रहता है।

4. सबको पता है कि पैसा मारीशस के रास्ते आता है। इसीलिए जैसे ही सरकार की तरफ से मारीशस का उल्लेख भी होता है तो सेंसेक्स धड़ाम हो जाता है (जैसे पिछले दिनों पार्टीसिपेटरी नोट का मामला आया था)। फिर अगले ही दिन सरकार का बयान आ जाता है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहें हैं। तो कोई नेता या सरकार इसके लिऐ बुरा नहीं बनना चाहती।

5. तीसरे, हमारे यहां कानून बड़े ढीले काम करता है। कानून तो यहां बेहतरीन हैं, पर उन पर कार्रवाई नहीं होती। एक बार मामला कोर्ट में गया तो समझो दस साल आराम से निकल जाएंगे।

कालाधन भारत में भी है। आप मान लीजिए कि भारत में इकॉनामी में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कालाधन का ही है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 70 प्रतिशत पैसा सर्कुलेशन में रहता है। पर देश के बाहर जो कालाधन जाता है वो उतना वापस नहीं आता।

विदेशों में बढ़ रहा है जोखिम

फिर भी मुझे लगता है, 2008 के आर्थिक संकट के बाद अब विदेशों में कालाधन रखना जोखिम भरा हो गया है। पता ही नहीं होता कि कब कौन सा बैंक धराशायी हो जाएगा। टैक्स हैवन्स देश साइप्रस का उदाहरण सामने है। अभी कल ही एक पुर्तगाली बैंक दिवालिया हो गया। तो अब कालाधन बाहर ले जाने की लागत और जोखिम दोनों ही बढ़ती जा रही है।

विकसित देशों का स्वार्थ

फिर अगर हम ध्यान से देखें तो अधिकांश टैक्स हैवन्स देशों के पीछे विकसित देशों का संरक्षण है। इस लूटे गये पैसे पर इनकी इकॉनामी भी काफी कुछ निर्भर करती है। इसलिए जरूरी यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय दबाव इन टैक्स हैवन्स देशों पर बने। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि हम विदेशों के साथ जो संधियां करते हैं, उनमें लूपहोल्स न हों। उनको भी पता होना चाहिए कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। अमरीका जैसे देशों के साथ यह है। तो फिर जो भी निवेशक आएंगे वो वैसे ही निवेशक आएंगे। तो इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास करना होगा।

भारतीय उद्यमियों के पास ऐसा दैवीय अधिकार नहीं है कि वे कर्ज चुकाने में विफल रहने पर भी उन्हें नया कर्ज मिलता रहे।

रघुराम राजन,
गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

रघुराम राजन इस क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ पिछली सरकार में भी मुखर थे और अब भी हैं।

कर्ज चुकाएं या बाहर जाएं

1. रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने एक गंभीर बहस छेड़ते हुए कहा है कि देश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ पूंजीपति 'जोखिम रहित पूंजीवाद' चला रहे हैं।

2. जोखिम रहित पूंजीवाद' से उनका आशय यह है कि जब देश की आर्थिक विकास दर ऊंची थी, तो उसका इन व्यवसायियों ने खूब फायदा उठाया, पर जैसे ही आर्थिक विकास की गति सुस्त पड़ी और मुनाफा कम होने लगा, तो उन्होंने बैंको को कर्ज की राशि चुकाना बंद कर दिया।

3. चूंकि इन बड़े पूंजीपतियों में से कई राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, इसलिए सरकारी बैंको को इन कंपनियों द्वारा लिए गये 'कर्जों को पुनर्गठित करने' का निर्देश दिया गया।

4. कर्ज पुनर्गठन का मतलब कर्ज की अदायगी बंद करना और कई मामलों में मौजूदा ब्याज में छूट होता है। कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों को बैंकों द्वारा अक्सर अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया जाता है, ताकि कंपनी बंद न हो जाए और बैंक का पिछला कर्ज डूब न जाए।

5. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पश्ट तौर पर कहा, 'देश में बहुत से बड़े कर्जदार व्यवसाय में नई पूंजी लगाने के बजाय व्यवसाय को नियंत्रण में रखना अपना दैवीय अधिकार मानते हैं। नतीजतन इस खेल में कंपनी, उसके कर्मचारी और बैंक द्वारा दिए गये कर्ज की स्थिति बंधक जैसी होती हैं।

6. कंपनी के प्रमोटर सरकार, बैंक और नियामक को धमकी देते हैं कि यदि उन्हें जरूरी रियायत नहीं दी गई, तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी।'

7. दरअसल कंपनी को इतना बड़ा बताया जाता है कि उसको बंद करना मुश्किल होता है। सरकार को ब्लैकमेल करते हुए ये पूंजीपति कहते हैं कि यदि कारोबार बंद किया गया, तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 8.

9. लिहाजा दबाव में सरकार ऐसे उद्योग को राहत पैकेज देती है। राजन का कहना है कि दुर्भाग्य से ऐसे व्यवसायी उद्योग जगत के नायक माने जाते हैं, जबकि ये देश के करदाताओं पर बोझ होते हैं।

10. रिजर्व बैंक गवर्नर का यह बयान राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के विवाद के मद्देनजर आया है, जिनके कर्ज–इक्विटी का अनुपात 6:1 से ज्यादा होने के बावजूद बैंकों से अतिरिक्त कर्ज दिया गया है।

11. जब कर्ज सीमा से ज्यादा हो जाता है, तब ब्याज का बढ़ता बोझ कंपनी को कर्ज के शिकंजे में फंसा देता है। सामान्य तौर पर जब किसी कंपनी के कर्ज–इक्विटी का अनुपात 3:1 से ज्यादा हो जाता है, तो उसे स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार,काफी जोखिम भरा माना जाता है।

12. इसका मतलब यह कि अगर कोई उद्यमी अपने इक्विटी फंड में 1,000 करोड़ रूपये लगाता है, तो उसका बैंक कर्ज और दूसरे ऋण 3,000 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए।

13. ऊर्जा संयंत्र, टेलीकॉम, नेटवर्क, रोड, बंदरगाह और विमानन से जुड़ी अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का कर्ज–इक्विटी अनुपात 3:1 से ज्यादा है। बैंकिग जगत के ज्यादातर पुनर्गठित कर्ज का लाभ भी इन्हीं इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को मिलता है। ऐसी कई कंपनियों के प्रमोटर आज डिफॉल्टर हैं, पर उनका राजनीतिक संपर्क बहुत मजबूत है। मसलन, बदतरीन डिफॉल्टर कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स के प्रमोटर न सिर्फ राज्यसभा सदस्य थे, बल्कि कुछ वर्श पहले नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे! क्या हितों के टकराव का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता था?

एक दूसरे प्रभावशाली राजनीतिक व्यवसायी ने, जिनके समूह की कंपनियों को पिछले दिनों 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाला गया, सार्वजनिक घोशणा की कि उनका उपक्रम 'राश्ट्रीय हितों' से जुड़ा था। राजनीति से जुड़े ज्यादातर पूंजीपति सरकारी बैंकों से राहत पाने के लिए 'राश्ट्रीय हितों' की दुहाई देने में देर नहीं

लगाते। जबकि असली कुशल व्यवसायी कभी 'राष्ट्रीय हितों' की दुहाई नहीं देते और उचित लाभ पर ईमानदारीपूर्वक व्यवसाय करते हैं।

यहां गौरतलब है कि निजी बैंक इन उद्यमियों के 'राष्ट्रीय हित' की अपील नहीं सुनते। इसे इन आंकडों से समझा जा सकता है : जहां सार्वजनिक बैंकों का 12 फीसदी कर्ज पुनर्गठित या राहत पैकेज की श्रेणी में आता है, वहीं निजी बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज का मात्र चार फीसदी ही इस श्रेणी में आता है। इससे पता चलता है कि 2008 में वित्तीय संकट के भारत पहुंचने और पूंजी के दुर्लभ और महंगी होने के बाद किस निर्ममता से सार्वजनिक बैंकों का दोहन किया गया। निजी बैंक इससे बचे रहे, क्योंकि उन पर राजनेताओं का नियंत्रण नहीं था।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्याप्त इस क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ, जिसमें पूंजीवाद का अनुचित लाभ अपनी पहचान के लोगों को दिलाया जाता है, रघुराम राजन समय–समय पर चेताते रहे हैं। पिछले दशक में सड़क, बंदरगाह, टेलीकॉम, नेटवर्क और ऊर्जा संयंत्र बनाने के काम में लगे उद्यमियों ने यह मानना शुरू किया कि वे 'राष्ट्र निर्माण' का काम कर रहे हैं, लिहाजा उनके कारोबारी जोखिम का बड़ा हिस्सा सरकार को झेलना चाहिए। स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले इसी गंभीर बीमारी के लक्षण थे। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मौजूदा शासन भी यह मानता प्रतीत होता है कि कर्ज में डूबी ये इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां देश को वैश्विक स्तर पर ऊपर उठाने मे मदद कर सकती हैं।

वर्श 2012 में जब एक बार मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जा रहा था, तब उसी मंच से प्रधानमंत्री के मानद आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने कहा था कि यूपीए सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन में पक्षपात को रोकने में विफल रही है, जिस कारण विकास की गति धीमी रही। राजन एनडीए सरकार को भी अब यही चेतावनी दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह राजन की इस चेतावनी को गंभीरता से ले। भारतीय उद्यमियों का ऐसा कोई दैवीय अधिकार नहीं है कि कर्ज चुकाने में विफल रहने पर भी वे अपना व्यवसाय चलाते रहें। अगर वे समय पर कर्ज नहीं चुका सकते, तो इसका एकमात्र समाधान यही है कि उन्हें कारोबार से अलग होने के लिए कहकर दूसरे उद्यमियों के लिए जगह बनाई जाए।

राजनीतिक पहुंच वाले बड़े कारोबारियों पर बरसे रघुराम राजन, बोले

जनता के पैसों पर मौज कर रहे उद्योगपति

– अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश के तथाकथित बड़े लेकिन बैंको का पैसा दबाने वाले उद्योगपतियों पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा हैं कि ऐसे उद्योंगपति सरकारी बैंकों का पैसा लौटाने में तो आनाकानी करते ही हैं, छोटे कारोबारियों को सुगमता से कर्ज मिलने का रास्ता भी रोकते हैं। ऐसे उद्योगपति पर बैंक चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि यें चोटी के वकील को निचली अदालतों में उतार कर स्टे हासिल कर लेते हैं।

उनका कहना है कि बड़े उद्योगपति जो मौज करते हैं, उसकी कीमत करदाता चुकाते हैं। गुजरात के आणंद में डा. वर्गीज कुरियन व्याख्यान में रघुराम राजन ने कहा कि भारत में ऐसे कुछ सुपर उद्योगपतियों का वर्ग तैयार हो गया है, जो अच्छे समय में तो मजा करते ही हैं, अपने राजनीतिक आकाओं की छत्रछाया में बुरे समय में भी मजा करते हैं। इन्हें कर्ज उपलब्ध करानें वाले अधिकतर सरकारी बैंक होते हैं, जिन्हें बुरे समय में तो पैसा नहीं ही मिलता हैं और अच्छे समय में भी बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता है। बैंको को मन मार कर इन्हें इन्हीं की शर्तों पर ऋण देना पड़ता हैं। राजन के मुताबिक ऐसा इसलिए होता हैं कि इन बड़े उद्योगपतियों को उनके आका की छत्रछाया मिलती है। इसलिए बैंकों को भी मन मारकर इन्हें इन्हीं की शर्तों पर कर्ज देना पड़ता है। ऐसे उद्योगपति जब पैसा नहीं चुकाते हैं, तो भी इन्हें कुछ नहीं होता है क्योंकि मामला अदालत में पहुंच जाता है और इनकी तरफ से देश के चोटी के वकील मुकदमे की पैरवी करते हैं। इनके प्रभाव का ही असर होता है कि निचली अदालतों में इन्हें स्टे मिल जाता है। उन्होंने बताया कि वर्श 2013–14 में ऋण वसूली पंचाट की मदद से 30,590 करोड़ रूपये वसूले गये थे, जो कि विवादित राशि का महज 13 फीसदी है। बैंकों के 2,36,600 करोड़ रूपये फंसे हैं और मामला पंचाट में चल रहा है।

भारत में बड़ी मात्रा में है विदेशी निवेश

सिर्फ यही क्यों, आईआईएम बेगलूरू में एक अध्ययन हुआ है कि भारत के बड़े स्टॉक्स के 50 प्रतिशत से भी अधिक शेयर विदेशी निवेशकों के पास हैं। ये कौन से निवेशक हैं? इसकी प्रायः सही सूचना हमारे पास नहीं होती। मारीशस मार्ग से जो निवेश आता हैं, वो निवेश करने वाले कौन हैं इसकी जांच पड़ताल करें तो काफी कुछ कालेधन के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। मारीशस में नियम–कानून इतने आसान है कि वहां कोई भी दूसरा जाकर कंपनी बना सकता है। वह आपसे कोई विशेष जानकारी नहीं मागेंगे। कई बार यह देखा गया है जिस कंपनी के नाम से करोड़ों का निवेश है उस के नाम पर मारीशस में कार्यालय के नाम पर कुछ भी नहीं है या तो नाम मात्र की चीजें हैं। फिर वहां कर दरें काफी कम हैं या फिर कई चीजों पर कर लगता ही नहीं है। वहीं, हमनें मारीशस से डबल टैक्सेशन एवाअर्डेस एग्रीमेंट कर रखा है। इसलिए भारत में जो कोई भी आकर यह कह सकता है कि हम मारीशस में टैक्स दे चुके हैं या मारीशस का होने के कारण मुझ पर यह टैक्स नहीं लग सकता। तो यह पूरी प्रणाली हमने खड़ी की है जो कालेधन को ही बढ़ावा देती है।

कालेधन पर ऐसे लगेगी रोक

इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमें काला धन वापस लाना है, सबसे पहले घर से शुरूआत करनी होगी। हमें ग्लोबल मार्केट में अभी जो भी सूचनाएं हैं उनको हासिल करना चाहिए। दूसरी, अपने देश में कानून और उसके नियमन की संरचना इतनी सख्त, पारदर्शी और त्वरित हो कि लोग इससे बच न सकें। तीसरे, वर्तमान प्रणाली में जो भी लूपहोल्स हैं उनको भरा जाए। चाहे वह मारीशस रूट हो या रियल स्टेट की समस्या हो।

बट्टे खाते में गया सरकार का धन

भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के वित्तराज्य मंत्री श्री जयन्त सिन्हा ने प्रश्न का लिखित में उत्तर दिया

1. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडो के अनुसार Non performing assets (NPA) सार्वजनिक सरकारी राष्टीय कृत बैंको में 30 बड़े बकाया दारों 95,122 करोड़ 31 दिसंबर तक है।

2. 31 दिसंबर 2014 तक 2,60,531 करोड़ हैं जिसमें 30 बड़े बकायादारों पर 1/3 एक तिहाई से भी अधिक बकाया हैं।

3. आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएसन के अनुसार बड़े पूंजीपतियों से बसूल न किये जाने वाला लोन 4.95 लाख करोड़ है।

   बट्टे खाते में बैंकों के 1.14 लाख करोड़, डूबी पूरी रकम।

1. सरकार ने बैंको का 1.14 करोड़ का एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्तियों) को माफ करने का फैसला लिया है। ये रकम भारतीय बैंकों के पिछले तीन वित्तीय सालों (2013 से 2015) के दौरान हुई है।

2. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार इतनी रकम पिछले नौ वर्षो में सभी 29 राज्यों को मिलाकर एनपीए हुई रकम से भी ज्यादा है।

3. इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई पर आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2012 में 15,551 करोड़ रूपये की एनपीए रकम बढ़कर मार्च 2015 में 52,542 करोड़ रूपये हो गयी। 4. वहीं जब बैंक से सबसे बड़े डिफाल्टर के बारे में पूछा गया हैं, कि वह बैंक है या कोई व्यक्ति जिसके 100 करोड़ से ज्यादा की रकम को माफ किया गया है, तो आरबीआई ने जानकारी न होने का हवाला दिया है, उसके अनुसार बैंक एकमुश्त रकम की जानकारी देते हैं न की किसी व्यक्ति विशेष के बारे में।

5. एक ओर जहां सरकार बैंकों में इक्विटी डालकर उनकों वर्किंग कैपिटल मुहैया कराने की कोशिश कर रही है वहीं वर्ष 2004 से 2015 के बीच सरकार ने 2.11 लाख करोड़ रूपये का एनपीए माफ किया। इसका करीब आधा एनपीए 2013 से 2015 के बीच माफ किया गया। केवल दो बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ही हैं जिन्होंने पिछलें पांच साल में कोई एनपीए अर्जित नहीं किया।

6. दूसरी भाषा में कहा जाए तो सरकारी बैंकों में जहां वर्ष 2004 से 2012 के बीच एनपीए चार फीसदी की दर से बढ़ा, वहीं 2013 से 2015 के बीच ये बढ़कर 60 फीसदी हो गया। वहीं मार्च 2015 में जो लोन माफ किया गया वह 2013 में माफ किया गए लोन का 85 फीसद था।

THE HINDU. MAY 9, 2016 NOIDA/DELHI

The biggest-ever fire sale of Indian corporate assets has begun, to tide over bad loans crisis

'For sale' tags on airports, roads, ports, steel plants, cement units, refineries, corporate park, among others, are visible.

We're seeing what is effectively India Inc.'s biggest ever fire sale. It's even bigger than the government's planned divestment target.

The Reserve Bank of India's (RBI) has decided to clean up the balance sheets of Indian banks, which are collectively saddled with Rs.five lakh crore of bad loans, by the end of this fiscal. So, the banks have started cracking the whip on Indian companies to repay loans. For most affected firms and groups, this means that they will be forced sell prized assets to repay their ballooning debts.

We're seeing 'for sale' tags on airports, roads, ports, steel plants, cement units, refineries, malls, corporate parks, land banks, coal mines, oil blocks, express highways, airwaves, Formula One teams, hotels, private jets, and even status-symbol corporate HQs. Substantial stakes in firms, and in some cases entire companies, are on the block.

Piyush Pandey

The Hindu reviewed leading corporate houses with billion-dollar loans riding on them, and the results are

(Rs. In crore)

DEBT WATCH

A sample of who owes what, and what assets are on sale.

Promoter	Name	Gross debt 2014-15	Assets for sale (Rs Cr)
Mukesh Ambani	Reliance Industries	1,87,070	—
Anil Ambani	Reliance Group	1,24,956	60,000
Ruia Brothers	Essar Group	1,01,461	50,000
Anil Agarwal	Vedanta Group	1,03,340	—
Gautam Adani	Adani Group	96,031	6,000
Cyrus Mistry	Tata Steel	80,701	0*
Manoj Gaur	Jaypee Group	75,163	24,000
Sajjan Jindal	JSW Group	58,171	—
LM Rao	Lanco Group	47,102	25,000
GM Rao	GMR Group	47,976	5,000
VN Dhoot	Videocon Group	45,400	9,000
GVK Reddy	GVK Group	33,933	10,000

* Tata Steel recently placed its UK assets on sale, writing down its value by $ 2.9 billion

ber 31, 2015; it is likely to end that fiscal with a net loss too.

The company is valued at Rs.13,440 crore, less than a third of

Excess return on capital is negative. This means companies earn less than their

Aside from selling stake in its land parcels and the Yamuna Express Highway, the group is looking to sell its remaining cement plants for Rs.4,000 crore and its Bina thermal power plant for Rs.3,500 crore.

Sell, sell more: GMR

GM Rao's GMR group's total debt has gone up: from Rs.42,349 crore at the end of FY13 to Rs.47,738 as of March, 2015.

The group is planning to raise about Rs.5,000 crore this year by selling land parcels, energy assets and stake in its airport subsidiary. Last month, it announced it was selling part of a road project in Karnataka, to help it reduce its debt by more than Rs.1,000 crore. It also plans to sell 30 per cent in its airport arm, which is valued at a total of about Rs.10,000 crore.

Power sale: L. M. Rao

The Lanco group has debts of Rs.47,102 crore. The group plans to sell power assets worth Rs.25,000 crore to de-leverage its balance sheet and retire debts of about Rs.18,000 crore.

It is also planning to sell a one-third stake in the Australian coal mine it acquired in 2011 for $750 million.

steel business, which came as the part of $12.9 billion acquisition by Tata Steel of Corus in 2007. The company's consolidated debt was $10.7 billion on September 30, 2015, with the total long-term debt of its Europe business at about $4.3 billion.

The others

Among other corporates,

• Naveen Jindal-led Jindal Steel and Power Limited has agreed to sell its 1,000 MW power plant to his elder brother Sajjan Jindal at an enterprise value of Rs.6,500 crore and is looking to sell other assets to reduce debts of Rs.46,000 crore.

• DLF Ltd, India's most valuable property developer, has sought expressions of interest from several top global investors to sell a 40 per cent stake in its rental assets arm as it seeks to pare debt. The rental assets arm holds about 20 million sq.ft of leased-out office space and is valued at about $2 billion.

• India's largest sugar producer Shree Renuka plans to fully exit the National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX), as part of a strategy to sell all its non-core assets to reduce debts.

• The Sahara group's sale list is long: 86 real estate assets, a 42 per cent stake in Formula One team Force India, four airplanes, and its hotels, the Sahara Hotel in Mum-

LIST OF SOME TOP BANK LOAN DEFAULTERS IN PUBLIC SECTOR BANKS

	BORROWER	LOAN NOT REPAID (₹ Cr)
1.	KINGFISHER AIRLINES	2673
2.	WINSOME DIAMOND & JEWELLERY CO. LTD.	2660
3.	ELECTROTHERM INDIA LIMITED	2211
4.	ZOOM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1810
5.	STERLING BIO TECH LIMITED	1732
6.	S. KUMARS NATIONWIDE LIMITED	1692
7.	SURYA VINAYAK INDUSTRIES LTD.	1446
8.	CORPORATE ISPAT ALLOYS LIMITED	1360
9.	FOREVER PRECIOUS JEWELLERY & DIAMONDS	1254
10.	STERLING OIL RESOURCES LTD.	1197
11.	VARUN INDUSTRIES LIMITED	1129
12.	ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICAL LTD.	938
13.	KEMROCK INDUSTRIES & EXPORTS LTD.	929
14.	MURLI INDUSTRIES & EXPORTS LIMITED	884
15.	NATIONAL AGRICULTURAL CO-OPERATIVE	862
16.	STCL LIMITED	860
17.	SURYA PHARMA PVT. LTD.	726
18.	ZYLOG SYSTEMS (INDIA) LIMITED	715
19.	PIXION MEDIA PVT. LIMITED	712
20.	DECCAN CHRONICLE HOLDINGS LIMITED	700
21.	K.S. OIL RESOURCES LTD.	678
22.	ICSA (INDIA) LTD.	646
23.	INDIAN TECHNOMAC CO. LTD.	629
24.	CENTURY COMMUNICATION LIMITED	624
25.	MOSER BAER INDIA LTD. & GROUP COMPANIES	581
26.	PSL LIMITED	577
27.	ICSA INDIA LIMITED	545
28.	LANCO HOSKOTE HIGHWAY LIMITED	533
29.	HOUSING DEVELOPMENT & INFRA LTD.	526
30.	MBS JEWELLERS PVT. LTD.	524
31.	EUROPEAN PROJECTS AND AVIATION LTD.	510
32.	LEO MERIDIAN INFRA PROJECTS	488
33.	PEARL STUDIOS PVT. LTD.	483
34.	EDUCOMP INFRASTRUCTURE & SCHOOL MAN	477
35.	JAIN INFRAPROJECTS LIMITED	472
36.	KMP EXPRESSWAY LIMITED	461
37.	PRADIP OVERSEAS LIMITED	437
38.	RAJAT PHARMA/ RAJAT GROUP	434
39.	BENGAL INDIA GLOBAL INFRASTRUCTURE LTD.	428
40.	STERLING SEZ & INFRASTRUCTURE PVT. LTD.	408
41.	SHAH ALLOYES LTD.	408
42.	SHIV VANI OIL AND GAS EXPLORATION LIMITED	406
43.	ANDHRA PRADESH RAJIV SWAGRUHA CORP. LTD.	385
44.	PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS LTD	351
45.	DELHI AIRPORT MET EX LTD.	346
46.	GWALIOR JHANSI EXPRESSWAY LIMITED	346
47.	ALPS INDUSTRIES LIMITED	338
48.	STERLING PORT LIMITED	334
49.	ABHIDEET FERROTECH LIMITED	333
50.	SUJANA UNIVERSAL INDUSTRIES	330
		40,528

8, 2016 THE HINDU MAY-8-2016 BUSINESS NOIDA|DELHI

ign exchange reserves rise to $363 bn

: reserves increased by $1.52 billion to $363.12 billion as eserve Bank of India said. The reserves stood at $361.60 ek ended April 22. —IANS

Schneider optimistic on solar biz, eyes 30% growth

Global energy automation major Schneider Electric is optimistic about its solar business in the country and is looking at a growth rate of 25—30 per cent, a top company official said.—PTI

Indian r

Governmen the tune of coaches in t

State-run banks see jump in loan fraud

Lenders see a sharp increase in non-performing assets on account of forgery and fraud

TCA SHARAD RAGHAVAN

NEW DELHI: State-owned banks are seeing a sharp jump in non-performing assets on account of forgery and fraud even as they struggle to cope with bad loans from distressed commodities and infrastructure sectors.

Bad loans extended on the basis of fake documents and outright cheating, soared to almost Rs.13,000 crore in 2015-16, more than double the amount two years ago and more than 16 per cent higher than the Rs.11,125 crore recorded in 2014-15, official data showed.

While Canara Bank recorded a 12-fold jump in fraud-triggered non-performing assets (from Rs.131.6 crore in 2014-15 to Rs.1,584.3 crore in 2015-16), just five big banks accounted for almost 60 per cent of such loans reported last year.

Largest lender

These are Bank of Baroda, Canara Bank, Corporation Bank, State Bank of India, and Syndicate Bank, who together have Rs.7,680 crore of advances at stake in 2015-16. State Bank of India, the country's largest lender, identified loans worth Rs.1,841 crore in 2015-16 that were related to cheating cases, far higher than the Rs.248 crore in 2013-14.

Syndicate Bank's fraud-related bad loans rose from Rs.123 crore in 2013-14 to Rs.1,385 crore in 2015-16. Just two cases of a banker-borrower nexus accounted for almost Rs.1,100 crore of those loans last year, according to separate data provided by the finance ministry about bank employees found to have colluded with such cheating borrowers. The total amount reportedly stuck in fraud-related bad loan cases jumped from Rs.5,591 crore in 2013-14 to Rs.12,935 in 2015-16, according to data submitted by the Ministry of Finance to the Lok Sabha on Friday. The number of cases of loans given on the basis of forged documents or cheating increased steadily from 1,520 in 2013-14 to 1,651 in the next year and 1,704 in 2015-16.

FRAUGHT BY FRAUD TOP-5

Top-5 banks with highest growth in NPAs due to fraud cases

Bank	2013-14	2014-15	2015-16
Bank of India	2.24	8.35	573.86
Oriental Bank of Commerce	25.69	64.76	506.12
Syndicate Bank	122.98	395.75	1385.32
Canara Bank	174.62	131.57	1584.29
State Bank of India	248.25	1468.17	1840.95

Forged documents

Several public sector banks saw an alarming growth in the number of loans discovered to have been given out on the basis of forged documents over the last three years. The higher numbers being reported could also reflect fresh scrutiny by bank managements in the face of the central bank's March 2017 deadline to clean up their books.

Bank of India identified Rs.574 crore worth of loans as being granted on the basis of fake documents in 2015-16, up from just Rs 2.2 crore in 2013-14. Oriental Bank of Commerce saw its fraud-related loans rise from Rs.26 crore in 2013-14 to Rs.65 crore in the next year and Rs.506 crore in 2015-16.

देश को लूट, विदेश भाग रहे लुटेरे

61000 ब्राह्मणवादियों ने विदेशों में बसाए आशियानें

नई दिल्ली/दै.मू.समाचार

भारत में शासक वर्ग (विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण) देश को लगातार लूटने में लगा हुआ है। जिसके अन्तर्गत ही नये-नये कानूनों का निर्माण कर देश तथा देश के 85 प्रतिशत मूलनिवासियों को लूटकर कंगाल बना दिया है। जिसका परिणाम है कि आज देश का लगभग 84 करोड़ मूलनिवासी भुखमरी का जीवन यापन कर रहा है। मालूम हो कि तथाकथित आजादी से लेकर और खास कर जब से डीएनए रिपोर्ट आयी उसी समय से शासक वर्ग द्वारा देश को लूटने का महाअभियान चला रखा है ताकि देश को लूटकर विदेशों में बसा जा सके। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2000 से 2014 तक लगभग 61 हजार से ज्यादा ब्राह्मणवादी करोड़पति देश को लूटकर विदेशों में बस गए हैं। उदाहरण स्वरूप फिल्म इण्डस्ट्री जो शासक वर्ग द्वारा देश को लूटने में महत्वपूर्ण योगदान देता है आज विदेशों में जा बसा है।

दै.मूलनिवासी संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में शासक वर्ग द्वारा मूलनिवासियों के धन तथा देश के धन को लूटकर अब तक अर्थात 2000 से 2014 तक 61 हजार से ज्यादा ब्राह्मणवादी करोड़पति विदेश भाग गए हैं। देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना दिया है ऐसा ग्लोबल रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार पिछले 14 वर्षों में 61 हजार करोड़पतियों ने पलायन कर लिया है और प्रतिदिन करीब 12 करोड़पति देश को लूटकर बाहर बसने के लिए निकल रहे हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनडब्ल्यूआई) के पलायन में मामले में भारत का दूसरा स्थान है।

एलआईओ-ग्लोबल एवं न्यू वर्ल्ड वेल्ड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 21वीं सदी की शुरूआत से दूसरे देशों की नागरिकता के लिए भारत से 2000 से 2014 के बीच करीब 61 हजार से ज्यादा करोड़पति विदेश पयालन कर गए हैं। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आखिर इतनी तेजी से शासक वर्ग विदेश क्यों पलायन कर रहे हैं तो इसका उत्तर साफ-साफ निकलकर आ जाता है। इसका जो उत्तर निकलकर आता है कि देश में शासक वर्ग की पोल खुल चुकी है वह जान चुका है कि वह विदेशी है। 21 मई 2001 को डीएनए अनुसंधान ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि भारत का शासक वर्ग (ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय) विदेशी है।

इस रिपोर्ट की जानकारी होते ही शासक वर्ग ने देश तथा देश के लोगों को तेजी से लूटना चालू कर दिया तथा जैसे-जैसे वह अमीर होते जा रहा है वह देश ज्यादातार ब्राह्मणवादी धनाढ्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की ओर रूख कर रहे हैं। वहीं शासक वर्ग अपने भाईयों को जल्द से जल्द विदेशों में बसाने के लिए यात्रा दस्तावेज पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम कर दिया है। वहीं इस योजना को सर्वप्रथम बंगलूरू से शुरू किया गया।

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय जिस पर शासक वर्ग के राजनाथ विराजमान हैं इस योजना को और तेजी से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस प्रकार से आज देश में शासक वर्ग देश के धन तथा मूलनिवासियों को अर्थात जल, जंगल, जमीन को मूलनिवासियों से जबरन छीनकर विदेशियों के हाथों बेच मालामाल बनकर विदेशों की ओर पलायन करने लगा है। जिसका जीता-जागता सबूत है कि 14 वर्ष में 61 हजार से ज्यादा करोड़पति विदेशों की ओर पलायन कर चुके हैं और अब भी यह पलायन जारी है।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया का गठन नागपुर मे

भारत की आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक आबादी बाला ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आज विकास के मामले में बिल्कुल हांसिए पर चला गया है। आज 70 प्रतिशत आबादी के हितों की बात करने वाला कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, जिसके कारण खुले तौर पर ओबीसी हिस्सा दूसरे 5 प्रतिशत आबादी बाले सामाजिक समूह लूट ले रहे है। एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के अभाव में या तो ओबीसी समुदाय को पता नहीं चल पाता कि हमारे हितों की अनदेखी हो रही है और हमारी हिस्सेदारी को लूट लिया जा रहा है या फिर पता होने के बावजूद भी हम अपनी बात अपने समाज के अधिकांश व्यक्तियों तक नहीं पहुँचाते हैं।

आज भारत सरकार की किसी भी नीतियों, अनुदानों, नियमों और नौकरियों में हमारा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकार से मिलने बाले अनुदान ओबीसी के घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज तक केन्द्र सरकार में कोई भी सचिव स्तर का कर्मचारी ओबीसी का नहीं बन पाया और

दूसरे समुदाय का सचिव हमारे समुदाय के साथ जाति गत भेदभाव करता है। संगठन के अभाव में हम केन्द्र सरकार पर दबाव नहीं डाल पाते। संगठन के अभाव में हम अपनी बात को केन्द्र सरकार तक नहीं पहुँचा पाते हैं।

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के सभी प्रदेशों के ओबीसी बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों से कई महीनों तक विचार विमर्श किया गया। लंबे विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि

सर्वप्रथम ओबीसी के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाये इसके लिए स्थान के रूप में महाराष्ट्र औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हिंगना, नागपुर, महाराष्ट्र, को चुना गया और तारीख निर्धारित की गयी 2 एवं 3 मार्च 2013।

2 एवं 3 मार्च 2013 को नागपुर में प्रथम ओबीसी राष्ट्रीय कार्यशाला में उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या में ओबीसी बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यशाला में आल इंडिया रेलवे ओबीसी इम्पलोई यूनियन, आल इंडिया इंडियन एअर लाइंस आफिसर्स एसोसियेशन, बैंक एसोसियेशन, ओबीसी सेवा संघ महाराष्ट्र, ओबीसी समर्थन समिति गुजरात पिछड़ा वर्ग पुनुरूत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद दिल्ली, पिछड़ा वर्ग समाज सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य कई पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में बुद्धिजीवियों ने सारगर्भित और ओबीसी हितों के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण विचार रखें। इस कार्यशाला की 2 मार्च की 9 घण्टे तथा 3 मार्च की 8 घण्टे के गंम्भीर विचार विमर्श किये जाने की 17 घण्टे की सी.डी./डी.वी.डी. भी उपलब्ध है।

इस कार्यशाला के आयोजन में "पिछड़ा वर्ग युग मासिक" पत्रिका दिल्ली के सम्पादक एवं पिछड़ा वर्ग पुनुरूत्थान एवं हिस्सेदारी अभियान के संयोजक महेश मानव और एम.के. धावड़े (प्रबन्ध संपादक, बहुजन इंडिया) तथा सह–संयोजक तथा स्थानीय संरक्षक गुलाबराव लाकुडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो दिनों तक चले लगभग 17 घंटे की कार्यशाला में ओबीसी की समस्याओं और समाधान, ओबीसी कब पिछड़ा कैसे पिछड़ा और अब कैसे उसे आगे लाये। आदि मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई। कई वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक बताया कि 65 प्रतिशत आबादी वाली ओबीसी की शासन, प्रशासन, उद्योग एवं व्यापार में 1 प्रतिशत भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई हैं, जबकि यह समाज शिक्षा, परिश्रम, सेवा, त्याग, कर्तव्य पालन, राष्ट्रभक्ति, नैतिकता के

मामले में सभी अन्य सामाजिक समूहों से आगे हैं। देश के कुछ लोग ही सतर्क होकर धूर्ततापूर्वक धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर एवं नैतिकता के नाम पर भोले–भाले ओबीसी को फंसाए हुए हैं। ये लोग खुद ही विपरीत और गलत काम करके भ्रष्टाचार, अनाचार, शोषण और धोखाधड़ी करके ओबीसी को भय, भूख,

अभाव और हीनभावना से ग्रसित किये हुए हैं। इस गोरख धन्धे में कुछ हमारे लोग भी लगे हुए हैं। क्योंकि इससे उनका व्यक्तिगत लाभ होता है। इन सभी बातों को समझते हुए और इन समस्याओं के समाधान की दिशा में जरूरी कदम उठानें हेतु राष्ट्रीय स्तर पर "ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" (भारतीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा) का गठन किया गया।

विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं वे सभी यथावत कार्य करते रहेंगे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वे सभी "ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" की अनुशंगी इकाई के रूप में कार्य करेंगे।" ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" की www.obcufi.news/obcufi.info पर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। मोर्चा ओबीसी को उसका संवैधानिक और मौलिक अधिकार हक दिलाने हेतु दृढ़ संकल्प हैं और इसके सभी कार्यक्रम इसके इर्द–गिर्द तैयार किए गए हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे।

कार्यशाला में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय स्तर पर "ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" के गठन को लेकर काफी उत्साह दिखा। उत्तर प्रदेश, मध्य–प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने पूरे जोश एवं उत्साह के साथ प्रदेश, जिला, ब्लॉक, नगर, वार्ड, पंचायत, मोहल्ला और गाँव स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने एवं संगठन तैयार करने का संकल्प लिया। प्रतिनिधियों ने यह भी संकल्प लिया कि वे आपसी भेदभाव भूलकर राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली संगठन बनाकर शासन, प्रशासन, उद्योग, व्यापार आदि सत्ता के सभी केन्द्रों पर कब्जा करेंगे। इसी क्रम में समयबद्ध कार्यक्रम (Time bound program) के संचालन के लिए ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव जी को सर्वसम्मति से बनाया गया। डॉ॰ एम॰के॰ धावड़े नागपुर को मोर्चा का राष्ट्रीय सहसंयोजक। महासचिव का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली तथा नागपुर में स्थापित करने का निश्चय हुआ।

पूरे देश को 6 जोनो में विभाजित कर सभी के प्रभारी नियुक्त किये गये जो निम्नलिखित इस प्रकार है :–

- ईस्ट जोन : वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा प्रभारी संजीव शाहू – उड़ीसा।
- नार्थ जोन : उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश प्रभारी आर॰के॰ पाल।
- वेस्ट जोन : राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा प्रभारी – जयंती भाई मनानी।
- सेन्ट्रल जोन : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, प्रभारी – बृजभान सिंह पढेरिया।
- साउथ जोन : आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल –प्रभारी – ए. जे. पी. राज।
- नार्थ ईस्ट जोन : प्रभारी –श्शकु जी – वेस्ट बंगाल।

निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया।

- आन्ध्र प्रदेश – डॉ एम.के. धावड़े
- बिहार – महेश मानव
- छत्तीसगढ़ – देवेन्द्र कौशिक
- गोवा – एडवोकेट किशोर घुघुस्कर
- गुजरात – एम.के. धावड़े
- झारखण्ड – इं. लक्ष्मण कुमार
- कर्नाटक – ए.जे.पी. राज
- केरला – प्रकाशम
- मध्य प्रदेश – महेश मानव
- महाराष्ट्र – ए.जे.पी. राज
- उड़ीसा – डॉ. गदरे
- पंजाब – जयंती भाई मनानी
- राजस्थान – आर.के. पाल
- तमिलनाडु – आर.के. पाल प्रकशम
- उत्तर प्रदेश – घनी प्रसाद / महेश मानव
- उत्तराखण्ड – महेश मानव
- पश्चिम बंगाल – संजीव साहू, उड़ीसा
- हिमाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर –

डॉ एम.के. धावड़े

इसी कार्यशाला में समयबद्ध कार्यक्रम तय किये गये और निर्धारित समय में अर्थात् 31 दिसम्बर 2013 तक प्रत्येक राज्यों की कार्यकारिणी का गठन और कार्यशालाओं के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 30 फरवरी 2013 तक प्रत्येक जिलों की कार्यकारिणी का गठन एवं कार्यशालाओं का आयोजन करने का निश्चय हुआ। इसी तरह 30 अप्रैल 2014 तक सभी विकास खण्डों एवं 30 जून

2014 तक ग्राम स्तर तक कार्यकारिणी का गठन और कार्यशालाओं का आयोजन करना निश्चित हुआ।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य और कार्यक्रम :

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन भारत के 65 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय को सत्ता, संसाधनों और संस्थाओं में उनका 70 प्रतिशत हिस्सा दिलाने के लिए किया गया हैं। मोर्चा दृढ़ निश्चय हैं कि पिछड़ा वर्ग देश में 70 प्रतिशत हिस्सा और अधिकार लेकर रहेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी को दूसरी जाति के लोगों के सामने टिकट की भीख, मंत्री पद की भीख मांगनी बंद कर देनी चाहिए और अपने समाज के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर स्वयं ही सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करना चाहिए। आज 3 प्रतिशत ब्राह्मणों के आगे हमें झोली फैलाकर भीख मांगनी पड़ती है। हम प्रयास करें तो जल्दी ही भीख देने वाले बन सकते हैं।

आजादी के बाद लगातार ओबीसी के हितों की अनदेखी होती रही हैं, जिसके कारण हम विकास की दौड़ में लगातार पीछे छूटते चले गये। पहली बार मंडल आयोग ने माना कि इस देश की बहुसंख्यक ओबीसी शिक्षा के मामले में बहुत ही पीछे छूट गया है। इस बहुसंख्यक आबादी को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान करने की जरूरत है ताकि इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके । राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ओबीसी को भी शामिल करने की मूल भावना के तहत मंडल आयोग ने यह सिफारिश की कि ओबीसी के लिए शिक्षा एवं रोजगार में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। मंडल आयोग की सिफारिशों को 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही ब्राह्मणवादी–सामंतवादी शक्तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया । मंडल आयोग को मुद्दो से भटकानें के लिए इसी समय भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आन्दोलन शुरू कर दिया। विरोधी लोगों ने मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में न तो ओबीसी के जज थे और न वकील जिस कारण सवर्ण समाज के जजों ने अनावश्यक देरी की और असंवैधानिक फैसला देते हुए "क्रीमीलेयर" के साथ ओबीसी आरक्षण लागू किया।

आज मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 25 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ पायी है। "ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" आन्दोलन चलाकर तत्काल आबादी के अनुसार नौकरियों में बहाली सुनिश्चित करेगा आज भी केन्द्र सरकार के सैकड़ों उच्च पदों पर ओबीसी का कोई अधिकारी नहीं है। सभी उच्च पदों पर सवर्ण अधिकारी काबिज हैं इस कारण पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। फ्रन्ट सभी जगहों पर समाज के सभी वर्गों को बैठाना चाहता है ताकि राष्ट्र के निर्माण में सभी लोग अपना योगदान दे सकें।

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया" ओबीसी को उसका हक दिलाने वाला संगठन है। आइए! हम फ्रन्ट से जुड़कर इस देश की 70 प्रतिशत आबादी को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करें। यह विशुद्ध रूप से ओबीसी का संगठन है, इसलिए आपका संगठन है।

जय ओबीसी! जय ओबीसी !

सभी क्रान्तिकारी साथिओं को बहुत–बहुत आभार एवं शीघ्र सफलता की कामनाओं के साथ आपका

महेश मानव (M.A, L L B)
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
डॉ. एम.के.धावड़े, महासचिव नागपुर

90% जनता जो आरक्षित वर्ग की है अपना पूरा अधिकार लेने के लिए मजबूती के साथ संगठित हो रही है। कुछ ही दिनों में आपको आभास हो जायेगा। हम सभी को संगठन में पूरे मन से लगना होगा। अधिकतम साथियों की सूची बनाकर 2 दिन का प्रशिक्षण लेकर विरोधियों के शोषण के हथकंडों को समझ कर 70% ओ.बी.सी. को जागृत कर राष्ट्र व्यापी संगठन में शामिल होकर संसद की सभी सीटों पर कब्जा सरलता से होगा। भीख मांगना कायरों और आलसियों का काम है।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया आपके ही विचारों का संगठन है आपका ही संगठन है। आप जो भी जैसा चाहते हैं वैसा ही संगठन में होगा। यह परीक्षण करके अवश्य देखें या आपका कोई संगठन है तो उसके साथ पूरी तरह से समर्पित हैं। हम आपका एक ही लक्ष्य है, मतभेद कैसा – ***जय ओ.बी.सी. – जय ओ.बी.सी.***

सभी क्रान्तिकारी साथियों के बहुत-बहुत आभार एवं शीघ्र सफलता की कामनाओं के साथ आपका

महेश गानव (एम.ए.,एल.एल.बी.) अध्यक्ष, दिल्ली / डॉ. एम.के. धाबड़े, महासचिव, नागपुर

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा देश में पहली बरा ओ.बी.सी. के सार्थक जीवन जीने वाले महान समाज सेवियों को राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय स्तर से ग्राम/मुहल्ला स्तर तक पहुचाने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान !

दिसंबर में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर गुजरात में 200 महान समाज सेवियों का प्रशिक्षण।

दिसंबर 2013 – जनवरी 2014 में 200 समाज सेवियों का दिल्ली में, 200 का पटना में, 200 का भोपाल में, 200 का हैदराबाद में, 200 का मुंबई में, 200 का लखनऊ में होगा।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ्र इंडिया

"खुशहाली और सार्थक जीवन के लिये एक ही रास्ता"

- आज हम जनतंत्र में जी रहे हैं। अर्थात् जनता के द्वारा जनता के लिये, जनता की सरकार है। जिसके लिए हजारों शहीदों ने अंग्रेजों, राजाओं से संघर्ष कर कुर्बानियां दी हैं।
- आज कोई भी नागरिक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गर्वनर, चुनाव आयुक्त, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बन सकते हैं जो पहले नहीं बन सकते थे।
- यह परम सत्य है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता और प्रत्येक कारण का निवारण है, प्रत्येक समस्या का समाधान है। इसके लिये हमें आलसी, निराशापूर्ण जीवन जीने की आदत छोड़नी होगी। मनोबल ऊंचा रखने की जरूरत है।

मन के हारे हार है मन के जीते जीत।
पारब्रह्म को पाइये मन ही की प्रतीत।।

- हमें इतिहास के परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान को समझकर सभी समस्याओं का निदान निकालना है। आप जो भी सामान खरीदते हैं। उस पर टैक्स लगता है उससे सरकार पर पैसा जाता है।
- कायर, गुलाम कहते हैं कि कोई नृप होय हमं क्या हानि, अनेक राजा महाराजा चले गए। जो भगवान के अवतार हुआ करते थे वह भी चले गये। भगवन भी उन्हें नहीं बचा पाया, अब आप जिन्हें आज का राजा समझ रहे हैं। वह आपके नौकर हैं, खजाना देश का है, आपका है, उससे वे तनख्वाह लेते हैं, इसको आपको समझना है।
- अगली बात नासमझ लोग कहते हैं–कि कोई भी पार्टी सरकार में आये सभी भ्रष्ट हैं, कोई सुधार का कार्य नहीं करती। शिक्षा, इलाज, मकान की समस्यायें, बेरोजगारी, असुरक्षा, आतंक बढ़ते ही जाते हैं। यह पूर्ण रूपेण सही है, लेकिन इसका समाधान क्या आपने कभी 2 घण्टे भी बैठकर, सोचकर निकाला है, जबकि यह समस्यायें जीवन की सबसे प्रमुख समस्यायें हैं, जे पीढ़ियों से चली आयी हैं यदि नहीं सोचा तो जीवन भर रहेंगी और आने वाली सन्तानों के सामने भी रहेंगी। इस पर भी कभी आपने पूरे जीवन में कभी भी लगातार 2 घण्टे भी समाधान के लिये विचार नहीं किया। इसी कारण समाधान निकाला ही नहीं तो समाधान होगा कहां से, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताये। जिन्होंने विचार किया है उन्हें समाधान मिला है।
- इस पृथ्वी पर प्रकृति और परमेश्वर ने सभी के लिये सब कुछ दिया है, परन्तु जो विचारक उस पर चलते हैं उनको सब कुछ मिलता है। जो देर तक विचार नहीं करते, हिम्मत हार जाते हैं, संघर्ष के द्वारा ही समय पर फल मिलता है, उसकी प्रतीक्षा न करके उसी हथेली पर आम लगाना कहते हैं उन्हें फल कभी नहीं मिलता।
- देश में दस हजार लोगों में एक व्यक्ति उच्च तकनीकी शिक्षा, इलाज, मकान, रोजगार, सात्विक, पौष्टिक भोजन मुश्किल से जुटा पा रहा है। बाकी दस हजार परेशान हैं। इसके विपरीत एक लाख लोगों को एक व्यक्ति मूर्ख बनाए हुए हैं, लोग भगवान का नाम लेते हैं, पूजा, कथा, रामायण पाठ, हवन यज्ञ, भागवत कथा, देवी जागरण, गंगा स्नान करते हैं मंदिर निर्माण कराते, कावर चढ़ाते हैं। रामलीला, कृष्ण लीला करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी से अपनत्व का व्यवहार नहीं करते हैं, ईश्वर कण-कण में है। बुरा किसका सोच रहे हो उसमें भी ईश्वर है, उससे द्वेष भावना रखते हैं सभी दुखी और

परेशान हैं। एक-दूसरे को बनावटीपन दिखाते हैं। अन्दर दु:खी हैं परेशान हैं बाहर तुर्रम खां हैं कि हम किसी से कम नहीं, पड़ोसी हमारे बराबर न हो जाये, हमसे आगे न निकल जाये, उसे पीछे करने में ही महत्वपूर्ण समय और बुद्धि ऊर्जा ताकत लगा देते हैं। और आपस में ग्राम/मोहल्ले में थोड़े से लोग अपने को अच्छा समझते हैं वे ही संगठन नहीं बनाते। इसके विरूद्ध चालाक बड़े नेता, अभिनेता, अधिकारी, बड़ा व्यापारी सभी आपस में मिले हुये, जिनकी संख्या मात्र दस लाख में एक है, जो देश भर में एक सौ ही हैं। पूरे सौ करोड़ की जनता की बेवकूफियों का फायदा ले रहे हैं।

- जो भला समाजसेवी व्यक्ति संगठन बनाकर समस्याओं को हल करने की बात करता है तो गरीब और परेशान व्यक्ति के पास उसकी बात सुनने के लिये समय नहीं होता है और सोचता है कि इसका कोई फायदा है, ऊपर से हां-हां करेगा संगठन का काम कुछ नहीं करेगा। खुद किसी को संगठन में जोड़ने के लिये तैयार नहीं करेगा न ही खुद कोई संगठन बनायेगा। संगठन के लिये सप्ताह में एक बार बैठक दो घण्टे भी समय अपने मोहल्ले, गांव में नहीं देता है। जब गुण्डों का उत्पीड़न, सरकारी शोषण करने वालों के महीनों चक्कर लगायेगा और बड़ी रकम रिश्वत में खर्च करेगा, सभी कमाई बड़े सरकारी कुछ ही अफसर व बड़े दलाज खा जाते हैं, क्योंकि वह संगठित हैं उन सभी की यूनियनें, संगठन हैं।
- विधायक एवं सांसद सुविधायें तथा फण्ड एवं वेतन बढ़ाने के लिये जनता से पूछने नहीं आते हैं, चुपचाप विधान सभा तथा लोकसभा में सभी पक्ष तथा विपक्ष के सदस्य आपस में मिले हुये, और अपना फण्ड तथा वेतन बढ़ा लेते हैं। कोई विरोध नहीं है जनता को विरोधी होने का नाटक नेता अभिनेता की तरह करते हैं। आई.ए.एस., आई.पी.एस., पी.सी.एस., इंजीनियर, डॉक्टर, द्वितीय श्रेणी के सभी की यूनियनें हैं। शोषित पीढ़ित जनता द्वारा पूरे देश में और सभी सांसदों को स्थानीय मतदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में अपने-अपने जिलें में राष्ट्रीय स्तर पर एक ही दिन एकत्रित होकर घेराव करके निम्न जीवन उपयोगी साधनों को उपलब्ध कराने के लिये मजबूर किया जायेगा।

जब गरीब-अमीर का वोट बराबर है, सभी मेहनत करते हैं। फिर सभी को-

- समान एवं नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क इलाज की मांग जनता ने कभी संगठन बना कर नहीं की। नहीं किसी भी दल राजनैतिक ने की।
- जरूरी आवास एवं रोजगार के लिये सामान व्यवस्था/सभी की सुरक्षा, जैसे सभी को राइफल, बन्दूकें या तो नि:शुल्क दे नहीं तो किसी को न दें।
- शराब देश में बने ही नहीं, बिकने की समस्या स्वत: समाप्त हो जायेगी। देश के मुखिया देश रूपी परिवार को शराब पिला रहे हैं कैसे मुखिया हैं।
- सरकारी नौकरियों में बड़ी रिश्वत के विरूद्ध मात्र 5 प्रतिशत भी लोगों द्वारा संगठित होकर क्यों घेराव नहीं हुआ, सरकार से रोजगार हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि क्यों नहीं मांगी गई, क्योंकि संगठन नही था।

जब उपरोक्त अधिकार कभी मांगने के लिये किसी ने सोचा ही नहीं मांगेंगे कैसे – मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगें कैसे – मांगने की सोचते-सोचते छीनने की ताकत प्रकृति स्वयं दे देती हैं। इसका इतिहास गवाह है। राजा-महाराजा गये, अंग्रेज गये, छुआ-छूत गई। अछूत नीच कहे जाने वाले राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गर्वनर, आई. ए. एस. आई.पी.एस. तथा पी.सी.एस., उद्योगपति बन गये, जो पिछड़े उन्हें नीचा समझते थे। लुटेरों, भ्रष्टों ने आपका हक मारकर सम्पत्ति इकट्ठी की है वह उनकी सम्पत्ति नहीं है। उन भ्रष्टों चारों में इतनी हिम्मत कहां जो आपकी सम्पत्ति हड़प सकें। आप स्वयं आपस में लड़कर उन्हीं की पूजा करते हैं। जो जाति, धर्म, पार्टी आदि के नाम पर वोट लेकर आप ही की गरीबी मजबूरियों का मजाक उड़ाकर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से मिलकर भ्रष्टाचार द्वारा मौजमस्ती करते हैं। आपको कोई मुसीबत में दस-बीस हजार रुपये की आवश्यकता पड़ जाये तो वह जाति धर्म वाला नेता उधार नहीं देगा – जबकि सरकारी छापों में करोड़ों रुपये जब्त हो जायेंगे। देश तथा विदेश में जमा रखेगा अपनी जाति वालों को नहीं देगा।

अत: आप अपने ग्राम/मोहल्ला/वार्ड में ''ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया'' की ग्राम पंचायत/मोहल्ला स्तर पर विकास खण्ड/नगर स्तर पर जिला स्तर एवं महानगर स्तर पर कार्यसमिति बनायें, व्यक्तित्व निर्माण हेतु तथा परस्पर प्रेम पैदा करने हेतु ग्राम, मुहल्ला स्तर पर ध्यान (मेडीटेशन) केन्द्र योग शिविर चलाये जा रहे हैं। उनमें सम्मिलित हों।

संगठन को शक्तिशाली बनायें, सभी समस्याओं के समाधान (नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक) हेतु महत्वपूर्ण विचार कार्यक्रमों को आपस में समझकर खुशहाली हेतु अपने विचार एवं सुझाव अवश्य भेजें। जो पत्रिका में प्रकाशित होंगे। घर-घर जायेंगे तथा जो समाजसेवी पूर्ण समय संगठन हेतु देंगे, संगठन की ओर से उनके परिवार एवं आश्रितों सहित, खर्चों की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। कृपया अपना सेवाओं हेतु नाम, पता, अनुभव, बायोडॉटा अवश्य भेजें, समाज राष्ट्र उनकी ऋणी रहेगा।

आपका शुभेच्छु
महेश मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष/संयोजक

गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल,
सिमटी बाहों को खोल गरूड़, उड़ने का अब अंदाज बदल।
स्वाधीन मनुज की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं।
रोटी क्या? ये अम्बर वाले सारे शिंगार मिल सकते हैं।
है कौन जगत में जो स्वतंत्र जनसत्ता का अवरोध करें
रह सकता सत्तारूढ़ कौन जनता जब उस पर क्रोध करे।
आजादी केवल नहीं आप अपनी सरकार बनाना ही,
आजादी है उसके विरूद्ध खुलकर विद्रोह मचाना भी!!

राष्ट्रकवि- रामधारी सिंह दिनकर

ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ़ इण्डिया के संगठन की रूपरेखा

ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया के संगठन की रूपरेखा!!

इस फ्रंट का संगठन मात्र 6 माह में देश के प्रत्येक ग्राम एवं मोहल्ले से घर-घर में फैलेगा।

केन्द्रीय राष्ट्रीय इकाई का गठन :

राष्ट्रीय इकाई–अर्थात् राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। प्रारम्भ में प्रत्येक जिले में फैलाने के लिये प्रत्येक प्रदेश में 2-2 प्रतिनिधि तय किये जा रहे हैं। इन सभी 2-2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जायेगा जो अपने-अपने प्रदेशों की कार्यकारिणी जिन प्रदेशों में नहीं बनी है, एक माह में बनायें।

प्रदेश कार्यकारिणी :

प्रदेश कार्यकारिणी में प्रत्येक जिले में कम से कम दो-दो सदस्य रहेंगे। अभी प्रारम्भ में जब तक प्रत्येक जनपद का गठन न हो जाये तब तक प्रदेश में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 4 सचिव, 4 संगठन सचिव तथा 4 व्यक्तित्व निर्माण, योग ध्यान सचिव, 4 आर्थिक विकास सचिव नियुक्त किये जा रहे हैं। एक कोषाध्यक्ष रहेगा। जिनको प्रदेश के जिलों का दायित्व जिला इकाइयां गठन करने को दिया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा एक माह में जिला इकाइयों का गठन पूरा किया जायेगा।

जिला कार्यकारिणी :

- *(अ)* ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्येक न्याय पंचायत से एक-एक सदस्य तथा नगरीय क्षेत्रों के वार्डों से एक-एक सदस्य जिला कार्यकारिणी का सदस्य होगा। अभी जब तक प्रत्येक न्याय पंचायत और वार्डों में संगठन नहीं पहुंच रहा है, तब तक जिला इकाईयों में 1 अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 4 सचिव, 4 संगठन सचिव ध्यान योग सचिव, 4 आर्थिक विकास सचिव, एक कोषाध्यक्ष नियुक्त होंगे और उन्हें एक-एक विकास खण्ड के अध्यक्ष के गठन का कार्य सौंपा जायेगा वह एक माह तक पूरा कर लिया जायेगा। प्रदेश इकाइयों की कार्यप्रणाली के पदाधिकारी को सौंपा गया है। उसी को शहरी क्षेत्र, महानगर निगम, नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष की भी नियुक्ति 15 दिनों में करनी है। महानगर निगम, नगर परिषदों के नियुक्त अध्यक्षों द्वारा भी कार्यकारिणी की तरह पदाधिकारी नियुक्त होंगे। अपने-अपने वार्डों के अध्यक्ष की नियुक्ति 15 दिनों तक करेंगे।

(अ) विकास खण्ड इकाई

प्रत्येक विकास खण्ड की कर्यकारिणी में ग्राम पंचायत से 2-2 सदस्य होंगे। जब तक ग्राम प्रचायत में से एक प्रतिनिधि अपनी कार्यकारिणी में रखेंगे जिनके 2 उपाध्यक्ष, दो महासचिव, दो सचिव, दो संगठन सचिव न्याय पंचायत में से प्रतिनिधि अपनी कार्यकारिणी में रखेंगे। दो सचिव, दो ध्यान, योग सचिव, दो आर्थिक विकास सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। जिनके द्वारा सभी न्यायपंचायतों के अध्यक्ष 15 दिन तक नियुक्त कर दिये जायेंगे।

(ब) महानगर एवं पंचायत अध्यक्ष अपने द्वारा प्रत्येक पंचायत में उपाध्यक्ष, 2 सचिव, 2 संगठन सचिव, 2 ध्यान योग सचिव, 2 आर्थिक विकास सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। यह कार्य एक माह तक पूरा कर लिया जायेगा।

(ब) वार्ड कार्यकारिणी :

नगरीय क्षेत्र में वार्ड अध्यक्ष अपने सभी मुहल्लों से 5-5 सदस्य नियुक्त करेंगे। जब तक सभी मुहल्लों में कार्य संगठन न पहुंच जाये तब तक वार्ड अध्यक्ष अपने साथ 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 संगठन सचिव तथा ध्यान योग सचिव तथा दो आर्थिक विकास सचिव, एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। 1 माह तक प्रत्येक मुहल्ले के अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।

(ब) ग्राम प्रचायत कार्यकारिणी :

पंचायत कार्य समिति में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 आध्यात्मिक सचिव, 2 आर्थिक विकास सचिव, एक कोषाध्यक्ष होंगे। जिनके द्वारा सभी ग्रामवासियों को मानवता का उद्देश्य परस्पर परिवार की तरह मिल जुलकर रहना समझना होगा ताकि गांव एक घर बन जाये। इसके लिय पूर्ण समर्पण भाव ही जरूरत पड़ेगी। सभी की समस्याओं के समाधान के लिये कार्य किये जायेंगे। यह कार्य 15 दिनों में होगा। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के मोहल्ले की कार्यकारिणी-मुहल्ले से बने सदस्यों की आमसभा से रखा जायेगा। कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2

महासचिव, 2 सचिव, 2 संगठन सचिव, 2 ध्यान सचिव, 2 आर्थिक विकास सचिव, एक कोषाध्यक्ष होंगे। यह सभी लोग पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से मुहल्ले को घर परिवार मानते हुए परस्पर मिलकर जीवन को खुशहालव एवं आनंदमय तथा सार्थक बनाने के लिये कार्य करेंगे। जिससे समाज और राष्ट्र गौरवशाली बन सके।

आर्थिक व्यवस्था :

संगठन की धरातलीय इकाई ग्राम पंचायत और मोहल्लों से सदस्यता एवं सहयोग राशि निश्चित धनराशि 10/-, 20/-, 50/- एवं 100/- एवं 500/- के कूपनों द्वारा प्राप्त की जायेगी। जिसकी सभी स्तरीय इकाइयों के संगठन के खर्चों हेतु निम्न प्रकार वितरित किया जायेगा। जिससे सभी कार्यलयों के भवन किराये, फर्नीचर, टेलीफोन यात्रा व्यय, कार्यालय प्रमुख मानदेय धनराशि, स्टेशनरी आदि का व्यय तय रहेगा।

1-	ग्राम पंचायत एवं मोहल्ला इकाइयों को मिलने वाली धनराशि	40 प्रतिशत
2-	विकास खण्ड की कार्यकारिणी को/वार्ड नगर क्षेत्र इकाई को	15 प्रतिशत
3-	जिला स्तर की कार्यकारिणी को	15 प्रतिशत
4-	प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी को	15 प्रतिशत
5-	राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी को	15 प्रतिशत

विशेष :

सभी को नरक के जीवन से शीघ्र छुटकारा पाने के लिये संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली बनाने हेतु सभी स्तर की कार्यकारिणी की बैठकें निम्न प्रकार होंगी।

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें प्रत्येक 3 माह में दो दिवसीय।
- प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठकें प्रत्येक 2 माह में दो दिवसीय।
- जिलों की कार्यकारिणी की बैठकें प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को।
- महानगर नगर पालिका, विकास खण्ड की कार्यकारिणी की बैठकें प्रत्येक पक्ष में द्वितीय और चतुर्थ रविवार।
- न्याय पंचायतों नगर क्षेत्र के वार्डो की बैठकें – द्वितीय और चतुर्थ रविवार को।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत नगर क्षेत्र के मोहल्लों की साप्ताहिक बैठकें प्रत्येक रविवार को होंगी। प्रत्येक आगामी बैठकों का स्थान एवं समय पूर्व की बैठकों में ही तय किया जाता रहेगा। राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय बैठकों का स्थान देश और प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में बदलता रहेगा।

नोटः राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक 18 एंव 19 जनवरी, शनिवार-रविवार 2014 को एम.एल.ए रैस्ट हाउस, भोपाल (मध्य प्रदेश) में होगी।
सभी प्रदेश संयोजक अपने-अपने प्रदेश की कार्यसमिति की बैठकें स्थान, तिथि निश्चित करके अपने-अपने जिला संयोजकों को भेजते रहें।

OBC United Front of India

पिछड़ा वर्ग उत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद् – वेस्ट बंगाल

पिछड़ा वर्ग पुनुरुत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद् की वेस्ट बंगाल इकाई की बैठक 26 फरवरी 2013 को काकीनाडा चौबीस परगना कोलकाता में महत्वपूर्ण कार्यशाला श्री शम्भू बर्मन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें पिछड़ा वर्ग पुनुरुत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला में वेस्ट बंगालव की पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और उनके निदान के लिए संगठन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कार्यशाला में श्री मोहनलाल जी, श्री श्रीकृष्ण जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री दिनेश शाह जी, श्री शम्भू शाह जी, श्री जीतिन्द्र प्रसाद जी, श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता जी, श्री रंजीत कुमार महतो जी, शांतुन गुप्ता, दीपक कुमार वर्मा जी, जवाहरलाल वर्मा जी, ए.के. गुप्त जी आदि अनेकों जागरूक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया तथा आगे की रणनीति विस्तृत रूप से तैयार की।

OBC United Front of India

पिछड़ा वर्ग उत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद् – बिहार

बिहार राज्य इकाई पिछड़ा वर्ग उत्थान अभियान एवं हिस्सेदारी परिषद् की कार्यशाला दिनांक 28-2-2013 को दरोगा राय भवन दरोगा राय पथ पटना में सम्पन्न हुई। जिसमें परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित पिछड़े वर्ग के अनुभवी साथियों से राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से संगठन को शक्तिशाली बनाया जा सके। इस पर विस्तृत रूप से समीक्षा की। इसके लिए पिछड़ी जातियों के प्रत्येक अनुभवी समाज सेवी समर्पित साथियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता महसूस की। डॉ. रामाशीष सिंह जी ने अपने लगातार कार्य करने के अनुभवों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और कहा कि हमें सभी को अपने-अपने दायित्वों को पूरी लगन के साथ निभाना होगा। अनुभवी अधिकारी रामेश्वर प्रसाद जी ने भी अपने गत 30 वर्षों की विस्तृत जानकारी देते हुए आगामी समय में सशक्त रणनीति बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेवा निवृत्त प्राध्यापक डॉ. ए.के. सिंह जी ने वर्तमान परिस्थितियों में और अधिक सक्रियता से कार्य करने की जरूरत को महसूस किया।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की लखनऊ, उ.प्र. इकाई की महत्वपूर्ण कार्यशाला

लखनऊ! वैभव एकेडमी, पटेल नगर में दिनांक 28-4-13 को सम्पन्न हुई। जिसमें राष्ट्रीय कार्यशाला, नागपुर में बनाई गई समय कार्य योजना के अनुसार, राज्य में संगठन को जिला नगर, विकास खंड, वार्ड, तथा गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तय किये गये, उ.प्र. को 6 जोन्स में विभाजित किया गया, प्रत्येक जोन में मई के इस माह में कार्यशालाएं आयोजित करके राज्य के मजबूत इकाई का गठन किया जायेगा। जून तक सभी जिलों जुलाई तक सभी नगरों तथा विकास खंडों एवं अगस्त तक सभी गांव-मुहल्लों में इकाइयों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा सितम्बर तक घर-घर में समस्याओं एवं सरल समाधान के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा। जिससे अपनी आबादी 70% के आधार पर हिस्सेदारी लेकर, स्वाभिमान और खुशहाली से जी सकें।

कार्यशाला की अध्यक्षता, ओ.बी.सी. युनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक / अध्यक्ष ***महेश मानव*** ने की। संचालन डॉ. सी.पी. सिंह जी ने किया। इस अवसर पर दिल्ली से आये अखिल भारतीय पटेल महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, श्री रामानुज पटेल जी ने विस्तृत अनुभव देश में पिछड़े वर्ग की स्थिति समस्याएं और समाधान के बारे में अवगत कराया। नेपाल से आये पूर्व सांसद श्री परमानन्द जी एवं सरपंच रक्षा राम वर्मा जी ने नेपाल में बहुत बड़ी आबादी ओ.बी.सी. की है। उसे जगाने के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण की तैयारी की जानकारी दी।

भरतपुर, राजस्थान से आये राष्ट्रीय गुर्जर नेता भाई मोहन सिंह जी ने संगठन के लिए बारीकियों से अवगत कराया। कटनी मध्यप्रदेश से आये श्री चेतू भाई पटेल ने अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ संगठन में भरपूर समर्पण से सफलता यथा शीघ्र दिलाने की बात कही। रुड़की उत्तराखंड से आये चौधरी विक्रम सिंह जी ने जन जागरण अभियान को सशक्त बनाने के लिए साहित्य इतिहास की जानकारी पर भी बल दिया। दिल्ली से आये भाई हरिकिशोर उत्तम जी ने कोर कमेटी को सशक्त रूप से बनाकर अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए नीतियों के बारे में अवगत कराया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव ने समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण और उनके आसान निवारण के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय लोगों को जागरूक करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को देना होगा। तभी संगठन कम समय में बन सकेगा। इस पर विशेष बल दिया।

अंत में विभा सिंह जी द्वारा कार्यक्रम में आये समस्त सहभागियों के विचारों, महत्वपूर्ण जानकारियों, संगठन के प्रति समर्पण साथ ही दूर-दूर से महत्वपूर्ण काम छोड़कर आने की सराहना एवं सभी साथियों के द्वारा किये जा रहे त्यागों के लिए धन्यवाद तथा आभार व्यक्त किया।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला । भोपाल, मध्य प्रदेश

ओ.बी.सी. यूनाईअेड फ्रंट ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश राज्य इकाई की कार्यशाला दिनांक 11 एवम् 12 मई 2013 को भोपाल में सम्पन्न

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रन्ट ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश राज्य इकाई की कार्यशाला दिनांक 11 एंव 12 मई 2013 को एम.एल.ए. रेस्ट हाउस नं. 3 के सभा भवन में संपन्न हुई। जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला इकाई गठित कर विकास खंड एवं नगर तथा वार्ड एवं ग्राम तक पहुंचने के लिए जोश के साथ दायित्व लिया। कार्यशाला में श्री लखन कुमार राजपूत, श्री राजेश पटेल, श्री अनुराग यादव, श्री जे.पी. पाटीदार भोपाल, श्री चेतु भाई पटेल कटनी, श्री ठाकुर नन्हे सिंह लोधी, श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री श्यामा चरण खिरा, श्री अमर सिंह ठाकुर, श्री भोले सिंह लोधी दमोह, भूपेन्द्र सिंह भेल, संजय सिंह कुशवाहा, रीवा, आनन्द सिंह, श्री रामजी लाल वर्मा भोपाल, डॉ. एम.एल. योगाचार्य मुंबई श्री इन्द्रजीत सिंह लोधी शिवपुरी श्री संजय कुशवाहा रीवा, श्री मगन लाल सोनी उज्जैन, श्री भूपेन्द्र सिंह भोपाल, श्री विजय सिंह पड़ेरिया, एडवोकेट भोपाल, श्री जितेन्द्र सिंह लोधी, एडवोकेट बीना, प्रवीन कुमार पटेल कटनी श्री छोटे लाल पटेल कटनी, श्री प्रवीन पटेल कटनी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तथा ग्राम नगर, बारडों में शीघ्र इकाईयां गठन कर प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना तैयार की। श्री महेन्द्र सिंह जी भोपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शोषित 90% लोगों को संगठित करने के लिए अभियान तेजी से चलाने की रणनीति तैयार की।

श्रीरामानुज पटेल दिल्ली, ने पूरा समय राष्ट्रव्यापी अभियान को तेज करने में लगाने का संकल्प लिया और देश भर में संगठन को मजबूत करने की पूरी उम्मीद जताई। इस उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के संयोजक अध्यक्ष श्री महेश मानव दिल्ली ने नागपुर की राष्ट्रीय कार्यशाला में तय की गई कार्ययोजना को यथाशीघ्र देश के प्रत्येक जनपद नगर गांव मुहल्लों के सच्चे समाज सेवियों की तैयार टीम को जुटन का उपयुक्त समय है। लोगों में चेतना जगी है स्वाभिमान से जीने का जुनून पैदा हो चुका है। देश भर में अच्छे लोग स्वत ही संगठित हो रहे हैं। हमें अपने द्वारा थोड़ी सी पहल करनी है। प्रतिदिन केवल एक घंटा संगठन के लिए काफी है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के 29 जिलों के संगठन की जिम्मेदारी स्वता जनपद प्रभारियों ने ली। मध्य प्रदेश की राज्य कार्य-समिति की अगली बैठकें प्रत्येक माह की 4 तारीख को होती रहेंगी। 3 जून 2013 की राज्य समिति की बैठे भोपाल में ही एम.एल.ए. रेस्ट हाउस में ही 10:00 बजे दिन से होगी।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला । पटियाला, पंजाब

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की पंजाब राज्य इकाई की बैठक दिनांक 2-6-2013 को रेलवे स्टाफ इंस्टिट्यूट पटियाला के सभागार में संपन्न हुई।

जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री महेश मानव ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को ससक्त बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि बिना राष्ट्रीय ससक्त संगठन के पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसके लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने निकटतम संबंधियों एवं मित्रों को सबसे पहले प्रशिक्षित कराना चाहिये। अनुभवी समाज सेवी श्री माताराम धीमान जी अध्यक्ष रामगढ़िया विश्वकर्मा समाज ने अपने लम्बे समाज के संघर्ष के अनुभवों को अवगत कराते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ओ.बी.सी. को सशक्त संगठन बनाना ही होगा। इसके लिए सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अनुभवी समाज सेवी श्री फकीर चन्द जी यू.एस.ए. ने अपने लम्बे समय से कर रहे पिछड़े वर्ग के विकास एवं संगठन के लिए कार्यों की जानकारी दी।

श्री सोहन सिंह पटियाला ने भी पिछड़े वर्ग की स्थिति-परिस्थितियों से अवगत कराते हुए संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता बताई और अवगत कराया कि पंजाब में मात्र 12% आरक्षण है और उसमें भी कोट 5% भी पूरा नहीं है। लेक्चरर श्री सोमनाथ जी ने अपने लम्बे अनुभवों के बारे में अवगत कराते हुए पूरे पंजाब के सभी साथियों को सशक्त संगठन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरदार बलजीत सिंह मक्खन ने सभी को सशक्त रणनीति बनाकर उस पर युद्ध स्तर से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार पंजाब के पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भी सुविधायें दे रही है। पंजाब सरकार वे भी सुविधाएं नहीं दे रही है। श्री स्वर्ण सिंह बरगाढ़ी जी ने भी राष्ट्रीय स्तर से गांव-मोहल्ला स्तरपर संगठन को सशक्त करना ही होगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि बिना ताकत के कभी भी अधिकार नहीं मिले हैं। इसे सभी भली भांति जानते हैं।

श्री आर.के. पाल साहब ने अवगत कराया कि ब्राह्मणवाद को पिछड़े वर्ग के ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं और लादे हुए हैं। जो भी कड़ी मेहनत करके थोड़ा सा कमाते हैं वह भी मंदिरों में पुजारी, पंडों को दे देते हैं। और भाग्य के भरोसे होकर शोषण के विरूद्ध संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिससे गरीबी में जीवन काटना पड़ रहा है। कार्यशाला का सफलतापूर्वक सञ्चालन सरदार श्री लाभ सिंह जी द्वारा किया गया। जिन्होंने पूरा परिवार के साथ पूरे मनोयोग से लगकर कठिन परिश्रम करके प्रदेश भर से समर्पित पिछड़े वर्ग के अनुभवी साथियों को बुलाया। जिससे यह प्रदेश की अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यशाला बन सकी। जिसके राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। और यह कार्यशाला देश की महत्वपूर्ण कार्यशाला सिद्ध होगी। अंत में कार्यशाला की महत्वपूर्ण सफलता के लिए सरदार लाभ सिंह जी ने सभी के सहयोग और महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

अखिल भारतीय ओ बी सी रेलवे कर्मचारी संगठन
रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, पंजाब

महात्मा ज्योति राव फुले के जन्म दिवस पर उनके द्वारा समाज में समता, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन दलित पिछड़ों को प्राप्त हो सका। इसके लिए उनके द्वारा सपूर्ण जीवन भर पत्नी देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले के साथ किए गये महान कार्यों को देश भर में पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आये लगभग 2000 समाज सेवियों ने भाग लिया।

पिछड़ावर्ग युग पत्रिका एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु सहयोग राशि

सहयोग राशि :

एक प्रति	30/-
एक वार्षिक	300/-
पंच वार्षिक	1500/-
दस वार्षिक	3000/-
आजीवन संरक्षक	5000/-

विज्ञापन दरें :

कवर का दूसरा पेज एवं तीसरा रंगीन पृष्ठ	25,000/-
कवर का दूसरा पेज एवं तीसरा आधा पेज रंगीन पृष्ठ	1500/-
कवर का आखरी चौथा पृष्ठ	30,000
अंदर के सभी रंगीन पृष्ठ	20,000
अंदर के सभी ब्लैक एंड ब्हाईट पेज	10,000
अंदर के सभी ब्लैक एंड ब्हाईट 1/2 पेज	5,000

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया कार्यशाला, दमोह (म.प्र.)

दिनांक 1 सितंबर 2013 को दमोह जिला मुख्यालय के मण्डी परिसर हाल में ओबीसी यूनाइटेड फ्रट आफ इंडिया की कार्यशाला बड़े जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी यूनाइटेड फ्रट आफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष ***महेश मानव*** उपस्थित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता वरिष्ट एडवोकेट/समाज सेवी ***भारत सिंह*** ने की। संचालन नन्हे सिंह ठाकुर ने सफलता पूर्वक किया। फ्रंट के राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की 70% जनसंख्या को जागृत करने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं। जिनके माध्यम से फ्रंट के द्वारा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग का प्रत्येक क्षेत्र में विकास संभव हो सके। संगठन की रूपरेखा के बारे में कम समय में कम खर्च में संगठन को अधिकतम शक्तिशाली कैस बनाया जाएगा। इस हेतु विशेष रूप से बिन्दुवार जानकारी दी गई।

संगठन का काम अत्यंत सरल है केवल सप्ताह में 3 घण्टे अपने-अपने गांव मौहलों में बैठकें नियमित रूप से स्थानीय समस्याओं और उनके समाधान के लिए होनी आवश्यक हैं। इसमें कोई विशेष आर्थिक खर्च की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण मे मध्यप्रदेश के वरिष्ट समाज सेवी अनुभवी, लगातार पिछड़ों के लिए समर्पित ***भाई रमाकान्त यादव जी***, सागर निवासी ने अपने द्वारा समर्पित भाव से किये गये पिछड़ों के उत्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिससे बड़ी संख्या में सागर संभाग में पिछड़ों को जागृत किया गया और बड़ी - बड़ी रैलियाँ जिसमें 30-30 हजार की संख्या में लोगों ने शामिल होकर अपने उत्साह और शक्ति का प्रदर्शन कराया तथा आगामी समय में पिछड़ों उनके हक पूरी तरह कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी दी।

जिला ***अध्यक्ष लोधी समाज श्री हाकिम सिंह*** जी ने पिछड़े वर्ग के लिए अपने जीवन में किए गये उत्थान के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिसके द्व रा आज भी लोग प्रेरणा लेकर बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अनुभवी रावभाव सिंह ठाकुर द्वारा अपने द्वारा किऐ गए शिक्षा के विकास के लिए कायक्रमों के बारे में अवगत कराया। साथ ही लोगों में परस्पर मित्रता की भावना पैदा कर कई कायक्रमों को जो जनता के हित में थे, सफलतापूर्वक संचालित किया। जिससे पिछड़ों के विकास का मार्ग तैयार हो सका। वरिष्ठ अनुभवी समाजसेवी ***बहादूर सिंह*** जी द्वारा उनके उदभोदन से पता लगा कि ग्रामिण अंचलों से लेकर नगरिय क्षेत्र में शिक्षा, समाजिक समर्सता विकास विभिन्न प्रकार के उत्थान के कार्यक्रम चलाऐ। जो समाज में अनुकरणीय कार्य हैं। लोगों में परस्पर संवाद, विचार-विर्मश, मंत्रणा, विकाय कार्यों के लिए कैसे कि जाए, इस पर विशेष अनुभव प्रस्तुत किया।

सफल संचालन करते हुए वरिष्ट समाजसेवी एवंम पिछड़ों के संगठन के लिए समर्पित रूप से काम करने वाले ***ठाकुर नन्हे सिंह*** जी के द्वारा सागर संभाग में संगठन को फैलाने वाले तथा जन जन में चेतना जगाने वाले, अपने कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। लगातार जनसंचार के माध्यम से साहित्य के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा, गोष्ठीयों, चेतना शिवरों के द्वारा पिछड़ों में जो क्राति पैदा की, इसकी जानकारी दी। शिवर में इंजीनियर लक्ष्मण कुमार लोधी (झारखण्ड), लोधी चेतना समिति के अध्यक्ष बहादुर सिंह प्रधानअध्यापक, आर्चाय पूरन सिंह आदि महत्वपूर्ण लोगों ने पिछड़ें वर्ग के उत्थान के लिए अपने-अपने महत्वपूर्ण सूक्षाव रखें। तथा आगामी समय में समर्पण भावना से कार्य करने का वचन दिया।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! छत्तीसगढ़

पिछड़ा वर्ग की एकजुटता पर हुआ मंथन
नवभारत २० अक्टूबर, २०१३ !
चेतना जागृत करने लगी कार्यशाला, दुर्ग भिलाई

हमारे प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़

दुर्ग, पिछड़ा वर्ग की एकजुटता पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक महेश मानव ने कहा देश में औसत 63 प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है। किन्तु आजादी के बाद से अब तक इस वर्ग को शासन-प्रशासन में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के सभी जातियों को संगठित होकर केन्द्र व राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। अध्यक्षता कर रहे भाजपा नेता गिरधर मढ़रिया ने कहा कि पिछड़े वर्ग में सामाजिक चेतना जगाने कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि पिछड़ा वर्ग समाज संगठित होकर सामाजिक व अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। विशिष्ट अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य शिव चंद्राकर ने कहा कि छ.ग. की लगभग 104 जाति पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है।

बोरसी स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यशाला में कुर्मी, साहू, यादव, लोधी, धोबी, निषाद, देवांगन, पटेल व मरार सहित दर्जन भर जातियों के लोग शामिल हुए। कार्यशाला में संयोजक भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री देवेन्द्र कौशिक ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के सभी जातियों को एकजुट कर उनमें सामाजिक चेतना जागृत करना है तथा छ.ग. में भी पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय स्तर पर इकाई गठित करना है, कार्यशाला में प्रमुख रूप से महेश यादव, भरकाम सिंह, मनोज ठाकरे, ओ.पी. साहू सहित 200 लोग मौजूद थे। सत्यदेव बिठोलिया, ए.पी. पटेल, गुलाब सिंह, श्रीमति मनोज कटियार, मनोज ठाकरे, कल्याण सिंह रापूत, मालीखान सिंह लोधी, मेहश यादव, राम खिलावन यादव, हनुमान यादव, ओम प्रकाश साहू, खेमलाल निषाद ने महत्वपूर्ण विचार विस्तार पूर्वक रखें। सभी उपस्थित टीम के लोगों ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी जिलों/नगर/गांव/मुहल्लों में चेतना जगाने के लिए आगामी दिसंबर में प्रशिक्षण शिविर लगाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! दिल्ली

ओबीसी कार्यालय रेलवे कालोनी तुगलकाबाद, दिल्ली 27/10/2013 को संपन हुई।

■ 27/10/2013 को "ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग सुबह 10:00 बजे से ओबीसी कार्यालय रेलवे कालोनी तुगलकाबाद दिल्ली में प्रारंभ हुई। जिसमें 11 प्रदेशों के सदस्यों ने जोश और उत्साह के साथ भागीदारी की। जिसमं आंध प्रदेश के श्री प्रकाशम, पंजाब के के.आर.के. पल, धनी प्रसाद, गुजरात के जयंतीभाई मनानी, वारसी भाई के गढ़वी, बरियर साहू, राजस्थान के शिव बन्धु प्रताप शाह, हरियाणा के सतेन्द्र वर्मा, मध्य प्रदेश के ब्रजभान सिंह परदेशिया, हरिदास केवट, छत्तीसगढ़ के देवेन्द्र कौशिक, दिल्ली से भाई तेजपाल जी, डॉ. यु.के. चौधरी, ओमवीर सिंह, एडवोकेट, ईश्वर सिंह नागर, ओम प्रकाश लोधी, बाबूलाल बघेल, आदि ने प्रतिनिधित्व किया। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक/अध्यक्ष महेश मानव ने अध्यक्षता की। सभी साथियों ने मिलकर ओबीसी के संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रदेश, जिलों, नगरों, विकास खंडों तथा ग्राम मोहल्लों तक संगठन के कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत देकर पूरे जोश के साथ, जनजागरण में लगा जा रहा है। ताकि इस वग्र के लोग अपनी शक्ति को पहचान सकें। संगठन को घर-घर तक प्रशिक्षण देकर, कार्यकर्ताओं में नॉलेज, उत्साह, मनोबल को बढ़ाकर प्रतिभावान बनाया जायेगा। कार्यकारिणी में ओबीसी में जाट बिरादरी को शामिल न करने की मांग भी रखी गई। जिसके कारणों को भी रखा गया। फ्रंट का मुख्य कार्य अपनी राष्ट्रव्यापी शक्ति जो देश में 60% आबादी ओबीसी की है। सबसे बड़ी शक्ति है उसे समझना है और अपना हिस्सा सभी क्षेत्रों में आसानी से हासिल हो जायेगा। कार्यशाला में - डा० यू के चौधरी, ओम प्रकाश लाधी : प्रदेश अध्यक्ष, ओमवीर सिंह एड० संयोजक आरक्षण रक्षा समिति, भाई तेज पाल जी, ईश्वर सिंह नागर, ललिता राजपूत, मंजू वर्मा, ममता राजपूत, जगत नरायण लोधी, बृज भान सिंह पढेरिया, प्रकाशम-हैदराबाद, जयन्ति भाई मनानी, वेरसी भाई गढ़वी- गुजरात ने संगठन को शक्तिशाली बनाने के संन्दर्भ में विस्तृत कार्ययोजना के संबंध में महत्वपूर्ण विचार रखे।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! दिल्ली

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला !

ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश

ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की कार्यशाला... ग्वालियर में शीतला गार्डन न्यू सुरेश नगर ग्वालियर में दिनांक 1-12-2013 को बड़े ही जोश एवं खरोश के साथ सम्पन्न हुई। कार्यशाला में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री विशाल सिंह गुर्जर ने की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि ''ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया'' के राष्ट्रीय अध्यक्ष ''श्री महेश मानव जी'' थे। श्री महेश मानव जी ने ओबीसी की भूतकाल, वर्तामन एवं भविष्य की स्थितियों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। ओबीसी वर्ग का इतिहास हमेशा स्वाभिमान एवं सम्मान का रहा है।

आज कुछ असामाजिक तत्वों ने ओबीसी की सज्जनता का दुरूपयोग किया है। जिससे देश की स्थिति विश्व में भिखारियों और गुलामों की बना दी है। आजादी के बाद देश की सत्ता का दुरूपयोग लगातार किया जा रहा है। देश में मेहनत करने वालों, ईमानदार, चरित्रवान और सज्जन नागरिकों का सम्मान न होने तथा उनके विचारों को महत्व न नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण देश का बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार से देश का धन विदेशों में चोरी से जमा करके राष्ट्र एवं राष्ट्रवादियों का मजाक बनाया गया है। जहाँ देश के सच्चे नागरिकों के लिए कलंक ये लोग समाज को लगातार, साम, दाम, के हथकंडों से विभिन्न हथकंडे, अपनाकर धर्म और नैतिकता का मजाक निर्लज्जता से उड़ाते चले जा रहे हैं।

जिसकी अब सीमा पार हो चुकी है। देश के 30 प्रतिशत ओबीसी, एससी, एसटी जाग गए हैं। जो अब शीघ्र इनकी बेशर्मी, हरकतों से इनको सबक सिखाने के लिए शक्तिशाली रूप में संगठित हो रहे हैं। इनके पापों का घड़ा फूटने वाला है। राष्ट्रव्यापी ''ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया'' का अभियान ही देश तथा समाज को प्रगति तथा खुशहाली की ओर ले जायेगा। इसके लिए सच्चे राष्ट्र भक्त और नैतिक, नागरिकों का लाखों की संख्या में लगातार प्रशिक्षण अभियान चल रहा है।

कार्यशाला में समाज के सम्मानित अनुभवी, ईमानदार सच्चे समाज सेवियों में प्रमुख रूप से श्री महावीर सिंह नरवरिया प्रधानाचार्य, श्री ब्रिजेश यादव, श्री हरी शंकर पटेल, श्री रामकुमार सिंह राजपूत, श्री ओंकार जी कुशवाहा, श्री राजेंद्र सिह, श्री ब्रिज मोहन सिंह बघेल, श्रीराम सेवक श्रीबास जी, श्री विश्राम सिंह नरवरिया, श्री ब्रजभान सिंह पदेरिया, श्री गिरराज सिहं गुर्जर, श्री ब्रिज मोहन सिह, श्री रामबरन सिंह, डॉ. फूल सिह नरवरिया, श्री भगवान सिंह नरवरिया, श्री रूप सिंह जी, श्रीराम बिलास सिंह कुशवाहा, श्रीराकेश रजक जी, श्री देवेन्द्र सिंह नरवरिया सरपंच, श्री बहादुर सिंह सरपंच, आदि लोगों ने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों से कार्यकर्ताओं में जोश एवं ऊर्जा कासंचार किया। जिससे प्रदेश एवं देश भर में गांव-मुहल्लों तक संगठन शीघ्र, सरलता से पहुचेगा।

कार्यशाला की अधयक्षता कर रहे श्री विशाल सिंह गुर्जर जी ने सभी सहयोगपूर्वक भावनाओं से कार्यशाला को सफल बनाया गया, इसके लिए धन्यवाद किया/कार्यशाला के आयोजक श्री विश्राम सिह जी ठेकेदार जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई, जिनके प्रसंशनीय प्रयासों से कार्यशाला का इतना महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। जिससे देश को महत्वपूर्ण दिशा मिलगी।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! भोपाल, मध्य प्रदेश

आज 22-12-2013 को *''ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट आफ इंडिया''* की मध्य प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक विधायक विश्राम गृह नं. 3 में बड़े ही गंभीर चिंतन के साथ सम्पन्न हुई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव जी एवं जामनगर गुजरात के ओबीसी सांविधानिक अधिकार ज्ञान सभा के अध्यक्ष श्री विरसी भाई गदवी जी 'आल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एल.पी.पटेल जी पूर्व विधायक श्री राज कुमार सिंह यादव व मध्य प्रदेश खनिज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री कोक सिंह नरवरिया जी, श्री लखन सिंह राजपूत जी, उप उचिव, डॉ. आर.एन. सिंह जी संस्थापक आल इंडिया ओबीसी इम्पलॉयज संघ के अध्यक्ष, श्री के.पी. कुर्मवंसी जी, महासचिव एवं मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री राम विस्वास कुशवाहा उपस्थित रहे, साथ ही विभिन्न जनपदों से आये क्रान्तिकारी साथियों में प्रांतीय अध्यक्ष विश्वकर्मा सभा श्री आर.के. विश्वकर्मा जी, समाज सेवी दिनेश देश राजन श्रीमती उषा विश्वकर्मा जी, श्रीमती अनीता वर्मा जी, ब्रज भान सिंह पदेरिया जी, श्री विजय सिंह पदेरिया जी, श्री राम विश्वास पटेल जी, श्री रामजी लाल वर्मा जी आदि अनेकों साथी उपस्थित रहे।

सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों से ओबीसी के लोगों में राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरण के लिए कार्यक्रम बनाये। देश की वर्तमान व्यवस्था में ओबीसी के साथ कूटनीतिपूर्वक शोषण के विभिन्न तरीकें एवं षड्यंत्र अपनाकर इनका शोषण किया जा रहा है। परिस्थिति का विस्तृत अनुभव रखते हुए सभी साथियों ने ओबीसी के लोगों को कठोर परिश्रम के अपरांत भी इनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हा पा रही है। इसका कारण देश की भ्रष्ट ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण समाज के लोगों का जीवन नर्कीय बना दिया गया है। सभी ने सर्वसम्मति से देश व्यापी ओबीसी के संगठन को ससक्त बनाने का संकल्प लिया, जिससे ओबीसी को शोषण से छुटकारा दिलाया जा सके।

सभी ने निम्नलिखित प्रस्तावों को राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को मानने के लिए बाध्य किया जायेगा। सर्वसम्मति से प्रचार पारित कर ओबीसी के लोगों में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन आवश्यक है। जिसके लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर सुझाव दिए:

- मंडल कमीशन की सभी सिफरिशों को लागू करें।
- ओबीसी की जनगणना तुरंत कराएं।
- राष्ट्रीय बजट तथा राज्यों के बजट में ओबीसी की आबादी के आधार पर 70 प्रतिशत विकास के लिए बजट निर्धारित किया जाये।
- ओबीसी का सरकारी सभी सेवाओं के साथ न्यायपालिका में सभी स्तरों में आबादी के आधार पर 70 प्रतिशत कोटा बेकलाग भर्ती से पूरा किया जाये।
- निजी औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में ओबीसी का सभी स्तर पर 70 प्रतिशत कोटा पूरा किया जाये (क्रीमीलेयर हटाया जाये)।
- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण लागू किया जाये।
- देश की शिक्षा व्यवस्था समान एवं निःशुल्क की जाये।
- महंगे इलाज को सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाये। सभी को पर्याप्त आवास की व्यवस्था की जाए।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! पटना, बिहार

ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की पटना बिहार राज्य की कमेटी की मीटिंग दिनांक 9 दिसम्बर 2013 को पटेल सेवा संघ भवन, दरोगा प्रसाद यादव पथ (सर वेल्टाइन रोड) पटना बिहार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पटेल सेवा संघ भवन के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानाद सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव उपस्थित रहे। बैठक में महेश मानव ने ओबीसी की 70% आबादी जो देश भर में कठोर परिश्रम करके राष्ट्र निर्माण का वास्तविक कार्य कर रही है। जो ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ, धार्मिक, है, सज्जनता के परिपूर्ण है। देश के सत्ताधारी लोग उसकी सज्जनता का शोषण बड़ी निर्लज्जता पूर्वक करते चले आ रहे हैं।

आजादी के पहले इनको पढ़ने नही दिया गया। अंग्रेजों के समय कुछ लोगों को पढ़ने का मुश्किल से अवर मिला। आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक बलिदान, कुर्बानी इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों की रहीं। जिनके बारे में योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर देश के लोगों को जानकारी नहीं दी गई। इनके पराक्रम बलिदान को छुपाया गया।

आजादी के बाद सत्ता पर बड़ी ही चालाकी से कब्जा किया गया। और पिछड़े वर्ग को सत्ता से अलग रखा गया। आजादी के बाद सविधान और नैतिकता के आधार पर मानवता और न्याय के आधार के विकास के लिए इनकी आबादी के आधार पर बजट में खर्च का प्राविधान रखना चाहिए किन्तु वज़त में उनका 99% हिस्सा, अन्य मदों में खर्च आजादी के बाद लगातार किया जा रहा है। ओबीसी के 99% लोग महंगी शिक्षा, महंगे इलाज, महंगे मकान, पोष्टिक भोजन से वंचित हो गए। जबकि इनकी आबादी देश की लगभग 70% है। अब ओबीसी जाग चुका है और देश में इसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर पायेगी। बैठक में प्रोफेसर (डॉ.) रामचंद्र प्रसाद यादव, मधेपुरा, प्रो. (डॉ.) रामासिश सिंह यादव आरा भोजपुर, प्रोफेसर (डॉ.) ए.के.पी. यादव पटना, अशोक यादव जी पटना, मुद्रिका दास मुजफ्फरपुर, अवध बिहारी तन्ती जिज्ञासु जी, रामकुमार सिंह, आर.पी. वर्मा आदि महत्वपूर्ण अनुभवी समाज सेवी उपस्थित रहे। मित्रों ने ओबीसी की स्थिति के बारे में किये जा रहे शोषण को विस्तार में बताया एवं शोषण से बचने के लिए संगठित होने के लिए संकल्प लिया। बिहार सरकार के पूर्व उपसचिव रामेश्वर प्रसाद जी ने बहुत ही प्रसंशनीय एवं प्रभावी संचालन किया। ब्रह्मानाद जी ने सभी साथियों का अभिवादन और आभार व्यक्त किया तथा ओबीसी के संगठन में सभी को जोड़ कर चलने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करने का वचन दिया। सभी साथियों ने ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का बिहार राज्य के प्रत्येक जिले-गाँव, मौहल्लों तक शीघ्र पहुँचकर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से चेतना जगाकर गठित का संकल्प लिया।

प्रेस विज्ञप्ति

ओबीसी से जुड़ी सभी संस्थाओं को एकीकृत करने पर जोर मूल ओ.बी.सी. में युवाओं को दी जायेगी प्राथमिकता!

जोधपुर। राजस्थान पिछड़ा वर्ग (मूल) कल्याण संस्थान की ऐतिहासिक बैठक आज पुरबीया प्रजापति न्याति नोहरा रातानाडा जोधपुर में दोपहर 12 बजे सम्पन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष लूणचन्द सिनावडिया द्वारा की गई। बैठक में ओबीसी से जुडे पंजीकृत संस्थान राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संस्थान, राजस्थान मूल अन्य पिछड़ा वर्ग विकास संस्थान तथा अपंजीकृत संस्थान अति अन्य पिछड़ा वर्ग संस्थान व अन्य अपंजीकृत संस्थाओं के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से आन्नद भाटी ठाकर द्वारा चुनाव लड़के बाद मूल अन्य पिछड़ा वर्ग को और मजबूत करना पड़ेगा। इस हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग से संबधित सभी पंजीकृत व अपंजीकृत संस्थाओं को एकीकृत कर एक मजबूत संगठन बनाया जाये जिससे संगठन का कार्य प्रभावी रूप से लोगों में दिख सकें। इस हेतु सभी संस्थाओं के अनुभवी बुजुर्ग पदाधिकारियों को सम्मिलित कर एक सलाहकार समिति (एडवायजरी बोर्ड) का गठन किया जाये। इस हेतु युवाओं को पदाधिकारी बना कर संस्थान में बुजुर्गों के अनुभव व युवाओं के जोश का तालमेल किया जाये ताकि संगठन के विस्तार व प्रचार प्रसार का कार्य अच्छी तरह से कर संस्थान को मजबूत बनाया जा सके। ताकि संसार ओबीसी के सर्वांगीण विकास के लिये रचनात्मक कार्य कर सके।

सभा में उपस्थित पदाधकारियों व कार्यकर्ताओं में जगदीश भामा, दयानन्द टीलावत, अचल सिंह भाटी, गोविन्दी पंवार, संजय सोलंकी, लक्ष्मीनारायण स्वामी, वीरेन्द्र सैनी, ओमप्रकाश शेवालिया, आईदान पुरी, जगदीश तंवर, नारायण प्रसाद प्रजापति, मूलचन्द जांगिड, कालूराम प्रजापति, संतोष परिहार, देवीलाल पंवार, बी आर भारू सहित कई लोग उपस्थित थे।

सभा के अंत में गोविन्दी पंवार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

लूणचन्द सिनावड़िया, अध्यक्ष

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया

अखिल भारतीय ओबीसी प्रशिक्षण सेमिनार –रेल ऑडोटोरियम, बड़ोदरा गुजरात

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया – के द्वारा प्रेरित वेस्टर्न रेलवे ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा आयोजित तथा गुजरात प्रदेश ओबीसी समर्थन समिति द्वारा प्रायोजित – अखिल भारतीय ओबीसी प्रशिक्षण सेमिनार-रेल ऑडोटोरियम, बड़ोदरा गुजरात में सफलतापूर्वक दिनांक 18 एवं 19 जनवरी, 2014 को सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर में 10 प्रदेशों के साथियों ने सम्मिलित होकर ओबीसी की भूतकालीन वर्तमान एवं भविष्य की स्थितियों के बारे में गंभीरतापूर्वक मंथन एवं चिंतन किया। शिविर के कार्यक्रमों का उद्घाटन माननीय दलसुख भाई प्रजापति पूर्व मेयर एवं विधायक बड़ोदरा एवं अध्यक्ष गुजरात प्रजापति संघ द्वारा किया गया। सत्र के उद्घाटन के उपरान्त ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष श्री महेश मानव जी ने इस प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्य, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंड ऑफ इंडिया की कार्य योजना के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए कहा कि ओबीसी के लोगों की हमारे लोगों दुर्दशा क्यों हुई। उन्हें गंभीरता से बताने वाले लोगों की कमी रही है। इसके लिए रणनीति नहीं तैयार की गई थी। इसमें हमारी ही कमी है कि हम बहुत जल्दी बिना सोचे समझे आगे बढ़ाना चाहते है। बिना धैर्य और त्याग के आगे बढ़ना चाहते है। हमारे पास अब तक कोई कार्य योजना तथा टीम नहीं थी, इस कारण हम पर शासन किया जा रहा है और हम कठोर परिश्रम करने के पश्चात् भी जरूरत की चीजें हासिल नहीं कर पाते हैं और शोषित समाज सम्पति पर कब्जा जमाकर ऐसे आराम का जीवन जीकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए जिस तंत्र और रणनीति से हमें लूटा जा रहा है। वह राष्ट्रीय स्तर की है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की कोई टीम नहीं थी। इसलिए हमारी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की ताकत नहीं बन सकी। इसी उद्देश्य से 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' का 2-3 मार्च 2013 को नागपुर में 17 घंटों की चर्चा-चिन्तन मंथन 11 प्रदेशों के विभिन्न केन्द्र सरकार के विभागों जैसे रेल, इंडियन ऐलायंस, बीएसएनएल, एलआईसी, बैंक्स आदि विभागों के ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन तथा देश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न संगठनों जैसे तथा गुजरात प्रदेश ओबीसी समर्थन समिति, ओबीसी सेवा संघ महाराष्ट्र, पिछड़ा वर्ग समाज सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी परिषद दिल्ली पिछड़ावर्ग पुनुरुथान अभियान दिल्ली। पिछड़ा वर्ग संगठन मध्य प्रदेश, उडीसा, आंध प्रदेश आदि विभिन्न संगठनों ने अपने-अपने विचारों के द्वारा साथ-साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का 2-3 मार्च 2013 को नागपुर में विधिवत गठन हुआ। और इसी एक्शन प्लान के तहत प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया गया। इसी के तहत देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उनमें यह गुजरात के बड़ोदरा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें सभी साथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट किया। प्रशिक्षण शिवीर का गरिमामई संचालन उत्कृष्ट रूप में श्री हसमुख भाई सोलंकी भावनगर, गुजरात द्वारा किया गया, जो ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के सहयोगी संगठन जीवन बीमा निगम ओबीसी एमपोइस एसोशियन के जोनल उपाध्यक्ष भी हैं।

गुजरात प्रदेश ओबीसी समर्थन समिति के अध्यक्ष जयंतीभाई मनानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पेसवा शासन पर जीत के बाद ईसवी 1858 के प्रारंभ तक के समय पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति थी। इस पर विस्तृत जानकारी दी। गुजरात प्रदेश ओबीसी समर्थन समिति के अध्यक्ष जयंतीभाई मनानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पेसवा शासन पर जीत के बाद ईसवी 1858 के प्रारंभ तक के समय पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति थी। इस पर विस्तृत जानकारी दी।

इसके बाद ओबीसी संवैधानिक अधिकार ज्ञान सभा के अध्यक्ष एवं कहानी साप्ताहित समाचार पत्र के संपादक श्री विरसी भाई गढ़वीजी ने संविधान में ओबीसी को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं संविधान बनते समय संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्यों की संख्या 308 थी जिसमें ओबीसी के मात्र 8 सदस्य ही थे, जिससे ओबीसी के अधिकारों के लिए संविधान निर्माण सभा में ओबीसी के हितों के लिए कानून नहीं बनाये गए बहुत बड़ा धोखा ओबीसी के लोगों के साथ किया गया। यह ब्राह्मण बड़ी सोच के लोगों का पुराने ऐतिहासिक समय से शोषण के सधान्त्रों का हिस्सा है, इसकी जानकारी दी। इसको विस्तृत ढ़ंग से अवगत कराया।

साथ डॉ (प्रो) श्रावण देवरे नासिक महाराष्ट्र, द्वारा ईसवी 1858 से 1902 तक देश तथा ओबीसी की स्थिति के बारे में अवगत कराया। देश में ब्राह्मणवाद की जकड में जकड़े लोगों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया कि इतिहास में ओबीसी के साथ कितना छल-कपट के साथ अंध विश्वास फैलाकर गुलाम बनाये रखने की पूरी व्यवस्था की गई। इससे बचने के लिए हमारे द्वारा सत्यशोधक ज्ञानपीठ की अखिल भारतीय परीक्षा कराई जा रही है। 3 परीक्षाएं पास करने के बाद सत्य शोधक पदवी, 5 परीक्षायें पास सत्यशोधक प्रबुद्ध पदवी प्राप्त होती है। 7 परीक्षाऐं पास करने पर सत्य शोधक सत्पति की पदवी 10 परीक्षाऐं पास करने पर सत्य शोधक प्रबुद पदवी प्राप्त होती है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं शोषण के तंत्र को समझ कर सत्य जान सकता है तथा सभी समस्याओं से छुटकारा समाज को मिल सकता है।

आल इंडिया रेल एम्पलाइज एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर के पाल ने समाज में व्याप्त अंध विश्वास पाखंड़ों में अपना समय बर्बाद करता रहता है। देश में सरकारी नौकरियों की भरती में कैसा-कैसा किस-किस तरह ओबीसी का शोषण हा रहा है इस पर विस्तार से साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार से आये श्री नवनीत यादव जी ने ओबीसी के लोगों का ब्राह्मण तंत्र ने किस-किस तरह शोषण किया इस पर धार्मिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक ब्राह्मणवादी मानसिकजा के शोषण के तरीकों को स्पष्ट किया। हरियाणा से आये भाई श्री राजेन्द्र यादव जी ने अवगत कराया कि हरियाणा में यादव ओबीसी में नहीं हैं, किस भी देश भर में यादव ओबीसी में हैं। देश के हित में है कि ब्राह्मणवाद से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए।

ग्वालियर से आये अनुभवी समाजसेवी श्री महावीर सिंह जी द्वारा मध्य प्रदेश में हो रहे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के बारे में भली-भांति अवगत कराया। ग्वालियर से ही आये डॉ. देवेन्द्र सिंह जी ने अवगत कराया कि कोई सुनाने वाला नहीं है, न्यायपालिका में भी उन्हीं का वर्चस्व है।

अहमदाबाद से आये प्रख्यात समाजसेवी, अनुभवी श्री भरत भाई सुथार जी ने समाज के स्थिति का अध्ययन करते हुए शोषण तंत्र से बचने की आवश्यकता महसूस की। अकोला महाराष्ट्र से आये युवा साथी सुनील लोधी ने ओबीसी को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जायेगा और संकल्प व्यक्त किया।

पंजाब से आये अनुभवी श्री धनी प्रसाद जी ने ओबीसी को कुरीतियों अंध विश्वासों से छुटकारा पाने के लिए अभियान चलाने के लिए दायत्व लिया। लखनऊ से आये अनुभवी समाजसेवी श्री जगत नारायण लोधी एवं कुमारी सुश्री ललिता राजपूत ने ओबीसी की समस्याओं के बारे में जानकारी दी तथा संगठन के महत्व को विस्तार से रखा। समाधान भी साथ-साथ आवश्यक है।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! गुना, मध्य प्रदेश

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया" की शाखा गुना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण कार्यशाला दिनांक 26 जनवरी 2014 को मैथिल धर्मशाला एबी रोड गुना में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव मुख्य अतिथि के रूप में तथा ब्रजभान सिंह पडेरिया एडवोकेट प्रभारी मध्य प्रदेश विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता कुशवाहा समाज के अध्यक्ष श्री हेमंत कुशवाहा जी ने की। आयोजन बड़ोदरा ओबीसी प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षण ले कर आये श्री प्रकाश सिंह धाकड़ जी के प्रयास से किया गया जिसमें जिले की समस्त पिछड़ी जातियों के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेश मानव जी ने ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के गठन तथा उद्देश्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं था, जिससे हमारी बड़ी शक्ति नहीं बन पा रही थी, अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बन गया है जिससे हमारा प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी के रूप में सभी सरकारों को देना पड़ेगा। सभी सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। जनतंत्र में जनता ही बड़ी है, यह सभी समझने लगे हैं, मेहनत करने वालों को कोई भी अब धोखा नहीं दे सकेगा। सत्र के उद्घाटन के उपरान्त 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' - के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष श्री महेश मानव जी ने इस प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्य ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के उद्देश्यों के बारे में, कार्य योजना के बारे में विस्तृत रूप से अवगत करते हुए कहा कि ओबीसी के लोगों को उनकी दुर्दशा क्यों हुई। उन्हें आज तक गंभीरता से बताने वाले लोगों की कमी रही है। इसके लिए रणनीति नहीं तैयार की गई है। इसमें हमारी ही कमी है कि हम बहुत जल्दी बिना सोचे समझे आगे

बढ़ना चाहते हैं। बिना धैर्य और त्याग के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास अब तक कोई कार्य योजना तथा टीम नहीं थी, इस कारण हम पर शासन किया जा रहा है और हम कठोर परिश्रम करने के पश्चात् भी जरुरत की चीजें हासिल नहीं कर पाते हैं। जबकि शोषित करने वाले सत्ता तथा सम्पति पर कबजा करके ऐसी आराम का जवीन जी रहे हैं। जो हमारा मजाग उड़ा रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिस तंत्र और रणनीति से हमें लूटा जा रहा है वह राष्ट्रीय स्तर की है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की कोई टीम नहीं थी इसलिए हमारी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की ताकत नहीं बन सकी। इसी उद्देश्य से ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का 2-3 मार्च 2013 को नागपुर में 17 घंटों की चर्चा-चिन्तन मंथन 11 प्रदेशों के विभिन्न केन्द्र सरकार के विभागों जैसे रेल, इंडियन एलांस, बीएसएनएल, एलआईसी, बैंक्स आदि विभागों की ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन तथा देश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न संगठनों जैसे गुजरात प्रदेश ओबीसी समर्थन समिति, ओबीसी सेवा संघ महाराष्ट्र, पिछड़ा वर्ग समाज सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, पिछड़ावर्ग हिस्सेदारी परिषद् दिल्ली पिछड़ावर्ग पुनुस्थान अभियान दिल्ली, पिछड़ावर्ग संगठन मध्य प्रदेश, उडीसा, आंध्रपदेश आदि विभिन्न संगठनों ने अपने-अपने विचारों के द्वारा साथ-साथ, विस्तृत चर्चा के उपरांत 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया' का 2-3 मार्च 2013 को नागपुर में, विधिवत गठन हुआ और इसी एक्शन प्लान के तहत प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया और इसी का परिणाम यह कार्यशाला है। कार्यशाला उद्घाटन सत्र के रूप में अनुभवी प्रशासनिक सेवा निवृत अधिकारी श्री कमल सिंह जी द्वारा ओबीसी की दयनीय स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा इससे निजात पाने के लिए उन्होंने शेष सारा जीवन ओबीसी के संगठन को सशक्त बनाने के लिए तन-मन-धन से समर्पित होकर सेवा का बचन दिया, और पूरे प्रदेश में संगठन को शक्तिशाली बनाने की बात कही। कार्यशाला में श्री नन्हुलाल प्रजापति जी ने सफलतापूर्वक संचालन किया। संचालन इतना प्रभावशाली रहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। कार्यशाला में श्री ब्रजभान सिंह पडेरिया एडवोकेट ने संगठन में सभी शक्तियां है यह सभी लोग भली-भांति जानते हैं। इसलिए संगठन को कैसे सक्रिय रूप दिया जाये। कार्यशाला के आयोजन करने में विशेष रूप से योगदान देने वाले श्री प्रकाश सिंह धाकड़ ने सभी साथियों को स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए आपस में मिलकर संगठन को शक्तिशाली बनाना है तभी हम शोषण से बच सकेंगे। इस पर विशेष बल दिया। युवा एडवोकेट श्री चरण सिंह जी द्वारा ओबीसी के संविधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। श्री हरगोविन्द नामदेव जी द्वारा समाज की परिस्थितियों

का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। श्री सुभाष कुशवाहा एडवोकेट द्वारा संविधानिक, कानूनी जानकारी देकर सहयोग करने की बात कही। श्री रामप्रकाश चौधरी जी द्वारा मध्य प्रदेश में आरक्षण कोट 14% से कम से कम 27% करने के लिए मुख्यमंत्री को बाध्य करने की बात कही गई, श्री महेंद्र सिंह धाकड़ जी द्वारा कार्यशाला आयोजन में ओबीसी में जोश और उत्साह का संचार हुआ ऐसा अवगत कराया गया। युवा नेता श्री मनोज सेन ने प्रशिक्षण लेकर निरंतर कार्य करने की बात कही। श्री नरेन्द्र यादव जी द्वारा देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ओबीसी के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है यह अवगत कराया। श्री शंकर लाल जी ने पूरे जोश एवं खरोश के साथ

पूरा समय देकर देश भर में घूम-घूम कर संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरा समय देने का वचन दिया। श्री बलराज सेन ने अपने द्व रा जनता में जोश पैदा करने की भावनाओं से अवगत कराया। श्री रत्नेश नामदेव जी ने इस समय को सही समय बताया कि ठीक समय पर जागरण प्रारंभ हुआ।

जो सोया सो खोया। अब जागते रह कर अपने अधिकार हासिल करने हैं। श्री नीलम सिंह सेन ने समाज के पूरे मनोयोग से संगठन में कम करने की बात कही। हरगोविन्द नामदेव जी द्वारा जनता को जगाने का सही समय है अब सभी साथियों को सक्रिय होने की बात कही। युवा नवदीप सिंह कुशवाहा जी ने कार्यक्रम में व्यवस्था में सक्रिय सहयोग किया। मैथिल समाज के जुझारू कर्मठ लोकप्रिय नेता श्री जनक सिंह ओझा अध्यक्ष ओझा समाज के द्वारा आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग किया गया। श्री दिनेश ओझा ने, श्री मोतीलाल राठौड, श्री रत्नेश नामदेव, श्री आर.एन. यादव जी, श्री पुरुषोत्तम ओझा जी, श्री हेमराज जी किरार श्री मोहन लाल सोनी, श्री संतोष धाकड़ जी आदि सभी लोगों के सक्रिय सहयोग से यह ऐतिहासिक कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। श्री ब्रजमोहन आजाद सिंह जी द्वारा विशेष सहयोग भोजन व्यवस्था का रहा। जो प्रशंसनीय रहा। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में श्री कुशवाहा जी ने समाज की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से अनुभवों को अवगत कराया तथा अपने द्वारा लम्बे समय से ओबीसी के कार्यों में लगातार रुचियों के कारण अनेकों सफल कार्यक्रम किये जाते रहे, भली भांति अवगत कराया। साथ ही संगठन को अब और सक्रिय किया जायेगा, जिसके लिए हम पूरे मनोयोग से पहले की भांति और नए जोश के साथ काम करने का अवसर इस कार्यशाला से मिलेगा। अंत में सभी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

4

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया

किसान भवन में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग की जिला कार्यशाला ! दमोह, मध्य प्रदेश !

16 फरवरी 2014

गुजरात में प्रदेश भर में सभी जनपदों में ओबीसी के जिला संगठनकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं के साथ ओबीसी जागरण यात्रा निकाली गई।

जयतीं भाई मनानी अध्यक्ष ओबीसी आरक्षण समर्थन समिति, गुजरात के द्वारा ओबीसी के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई

चेतू भाई पटेल राष्ट्रीय किसान नेता ओबीसी द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं को कृषकों के हित में लगातार संघर्ष करते हुए शोषण से लगातार बचाते आ रहे हैं। विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

ओबीसी सैविंधानिक अधिकार ज्ञान सभा के संस्थापक वेरसी भाई गढ़वी द्वारा भारतीय संविधान सर्वोच्च है, संसद और उच्चतम न्यायलय भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। संविधान में ओबीसी को उनकी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भरपूर अधिकार दिय गए हैं। इसकी जानकारी उपलब्ध करायी गई।

किसान भवन में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग की जिला कार्यशाला में पहुंचे देश भर से प्रतिनिधि

आबादी के हिसाब से मिले आरक्षण

दमोह। देश में 67 प्रतिशत से अधिक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। जिनकी जनसंख्या वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार 83.5 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन इन्हें संविधान में घोषित किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ आज तक नही दिया जा रहा है। इसके लिए ही ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया दल गत व जातिगत विचार धाराओं से ऊपर उठकर अन्य पिछड़ा वर्ग के भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहा है।

उक्त बातें ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव ने रविवार को किसान भवन में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग की जिला कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रुप में कही। श्री मानव ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रशासनिक स्तर पर उच्च पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग पदस्थ नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया हैं जिसके चलते ही उन्हें संविधान में निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में द्वितीय अतिथि के रुप में जयंती भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में अलग-अलग राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग-अलग संख्या में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है जो कि अनुचित है। आखिर जब एक देश है तो सभी अन्य पिछड़ी जातियों को सभी राज्यों में एक समान आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार पिछड़ी जातियों की संख्या को निश्चित तौर पर स्पष्ट नहीं कर रही है ताकि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के हक का लाभ मिल सके। वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो के साथ धोखाधडी कर रही है। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रोजेक्टर के माध्यम से एक टेली फिल्म दिखाई गई जिसमें आरक्षण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर संपादक बेरसी भाई गढवी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अन्य पिछ डा वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। उद्बोधन के पूर्व बेरसी भाई गढवी गुजरात, जयंती भाई, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष बैजनाथ पटेल, भगवानदास यादव, गोकुल पटैल सहित अन्य अतिथियों द्वारा क्षत्रपति, साहू जी, ज्योतिव फुले, रानी अवंती बाई लोधी, डॉ. भीमराव आम्बेडकर, सावित्री बाई फुले के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यशाला में देशभर से अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए थे जिनमें दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद, जबलपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, गुना आदि शहरो से प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

दमोह । कार्यशाला में उद्बोधन देते ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिक।

ओबीसी को नहीं मिल रहा निर्धारित आरक्षण

ये रहे उपस्थित

इस आयोजन में मदन सिंह एडवोकेट, जन अभियान परिषद के हटा विकासखंड समन्वयक श्रीमती पुष्पा सिंह लोधी, गोपाल पटेल, रमाशंकर ताम्रकार, महेश पटैल, सुरेश पटेल, पूरन सींग लोधी, हरिश्चंद गुड्डू पटैल, प्रकाश सिंह धाकड़ गुना, ओमप्रकाश सिंह लोधी शिवपुरी, चेतू पटैल कटनी, प्रमोद विश्वकर्मा सहित बडी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन नन्नें सींग व्याख्याता व राकेश सिंह लोधी ने किया।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! दुर्ग, छत्तीसगढ़

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का दुर्ग-भिलाई छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण शिविर - दिनांक 9 मार्च 2014 को शिवाजी पार्क उत्सव ग्राउंड दुर्ग में आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री गिरिधर मधरिया एडवोकेट ने की। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट फ्रंट आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महेश मानव जी दिल्ली से सम्मिलित रहे। प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में ओबीसी की सभी जातियों के कार्यकर्ताओ ने महत्त्व पूर्ण विषयो के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त की, जैसे इतिहास में पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या थी? मुगलों के शासन काल में क्या स्थिति थी? अंग्रेजो के शासन के समय में क्या स्थिति थी? भारतीय संविधान बनने से पूर्व क्या स्थिति थी? भारतीय संविधान बनते समय संविधान सभा जिसने संविधान के प्रा. विधानों को अंतिम रूप दिया गया, उस संविधान सभा में कुल 308 सदस्य थे, जिस में ओबीसी के मात्र 6 सदस्य थे। संविधान के बनने से पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो-जो वादे किये थे प्रधानमंत्री बनने के बाद उनमें से किसी को पूरा नहीं किया। आजादी के 60 वर्षों में ओबीसी के किन-किन महापुरुषों ने अधिकारो को दिलाने के लिए क्या-क्या आन्दोलन-अभियान चलाये? आदि-आदि विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षण शिविर में अत्यंत महत्त्वपूर्ण जानकारिया कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की।

मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुये ***माननीय महेश मानव*** जी ने इतिहास के समय से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को अवगत कराते हुए बताया, कि हमारा देश सोने की चिड़िया केवल बौद्ध विचारधारा के समय ही था। साथ ही विश्व गुरु भी केवल भारत तभी था। जब देश में बौद्ध विचारधारा विद्यमान थी। उस समय देश में कोई जाति छोटी बड़ी नहीं थी। समाज ऊच नीच छूआ-छूत की भावना से दूर था। अंधविश्वास पाखंड रहित वैज्ञानिक आधार पर जीवन में धम्म को जाना गया था। उसके पश्चात् देश में ब्राह्मण वाद अंधविश्वास, पाखंड के कारण देश के बहु-संख्यक समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। देश में अंधविश्वास के कारण सोमनाथ का मंदिर कई कई बार विदेशी लुटेरों के द्वारा लूटा गया पुजारियों तथा धर्म के ठेकेदारों ने विदेशी हमलों के समय कहा कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा और लुटेरे जलकर राख हो जायगे, परन्तु अंधविश्वास के कारण अनेकों बार सोमनाथ का शिव जी का मंदिर जिसमे पुजारियों ने देश के कीमती हीरे-जवाहरात बड़ी मात्रा में एकत्रित कर रखे थे। सभी विदेशी लुटरे कई-कई बार लूट कर ले गये। उसके बाद देश में कई सौ वर्षो तक विदेशियों ने जिनमे गुलाम वंश भी शामिल है, ने सेकड़ों वर्षों तक भारत पर शासन किया। और यहां के मूल निवासियो को तथा आर्यो को भी गुलाम बनाकर रखा। आजादी के बाद भी यहां के कथित उच्च जातियों के ही प्रधान मंत्री बने उन्होंने ओबीसी के हको-अधिकारों को दिलाने का कोई कार्य नहीं किया। ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन न होने के कारण ओबीसी के लोगो में जाग्रति एवं जानकारी का आभाव था। ओबीसी को अपनी बहुसंख्यक आबादी का पता नहीं था। इसलिये सरकारों पर दबाव नहीं बना पाए थे। शिक्षा भी कम थी। आर्थिक रूप से भी कमजोर बना दिया गया था। अब धीरे-धीरे शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ी और अपने अधिकारों की जानकारी हुई। तो संगठित होकर कुछ हिस्सेदारी हासिल करने लगे, और अब देश में पहली बार ***ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया*** का 2 एवं 3 मार्च 2013 को नागपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका विधिवत गठन हुआ। जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ओबीसी का कार्यकर्ता पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपने अधिकारों की जानकारी तथा उनके प्राप्त करने के आसन रास्ते समझ कर अपने छीने गए अधिकारों को हासिल कर स्वाभिमान से जी सके।

मुख्य वक्ता गणों में माननीय *भाई अर्जुन हेवानी* जी ने पूर्व के दिनों में स्व. श्री वासुदेव चंद्राकर जी ने ओबीसी के विकास एवं संगठन के लिए महत्त्वपूर्ण काम की किया जानकारी दी। हमारे द्वारा भी 14 जिलो में काम किया गया, संगठन बनाया। कुछ रा. जनैतिक लोग पहले लैटर पैड छपा कर राजनीति से जोड़ लेते थे। कांग्रेस भाजपा में काम करने वाले ओबीसी के लोग उन्हीं की गुलामी करते है बेशर्म लोग है इस्तीफा क्यों नहीं देते। जो ओबीसी के लोग है वह भीख मांग रहे हैं। यदि हमने ओबीसी को नहीं जगाया तो अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इसलिए अपने कर्तव्य का पूरे मन से पालन करके भविष्य को सुधार सकते है।

श्री महेन्द्र वर्मा प्रदेश अध्यक्ष अपैक्शि ने अपने द्वारा किये गये ओबीसी के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जिससे हजारों ओबीसी के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिण, विधिक लाभ मिला।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! दुर्ग, छत्तीसगढ़

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ***माननीय श्री गिरिधर मधरिया जी*** ने छत्तीसगढ़ की ओबीसी की जनता के साथ क्या-क्या धोखाधड़ी सरकार द्वारा की जा रही है इसका विस्तृत चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया। यहां की ओबीसी की लगभग 60 प्रतिशत आबादी है विधानसभा में भाजपा, द्वारा मात्र 25 प्रतिशत टिकिट दिए गए जिन वैश्यों-और ब्राह्मणों की आबादी मात्र 2 प्रतिशत के लगभग है उनको 30 प्रतिशत टिकिट दिए गए। मंत्रिमंडल में मात्र 2 मंत्री ओबीसी के बनाये गए। जबकि ब्राहमण और वैश्यों के विधान सभा अध्यक्ष सहित 5 मंत्री बनाये गए। यह ओबीसी के साथ सरासर मजाक किया गया। ओबीसी का बहुत बड़ा अपमान किया गया।

इसलिए अपमानित होकर जीना भी कोई जीना है। उठो और संगठन बनाने में तेजी से जुट जाइये। गांव-गांव तक घर-घर तक चेतना जगाकर अपने अधिकार एवं हिस्सेदारी हासिल करनी है।

सम्पूर्ण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन भाई श्री देवेन्द्र कौशिक जी ने किया। जिनके सफल संचालन एवं निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर में लोगो को ज्ञान एवं मनोबल तथा उत्साह का संचार हुआ जिससे संगठन शीघ्र प्रदेश भर में शक्तिशाली रूप में बनेगा और अपने अधिकारों को हासिल करके स्वाभिमान एवं खुशहाली पूर्वक जीने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा।

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ! बालाघाट, म.प्र.

ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला ▶ ! बालाघाट, मध्य प्रदेश में दिनांक 11-03-2014 को संपन्न हुई। जिससे में मुख्य अथिति के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ***महेश मानव*** सम्मिलित हुए।

▲ कार्यशाला की अध्यक्षता समाज सेवी ***शंकर कनसरे*** ने की। राष्ट्रीय स्तर पर ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न जानकारीयां दी जा रही हैं। जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास हो सकेगा और वे स्वाभिमान से जी सकेंगे।

15 प्रदेशों की *ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया* की राष्ट्रीय टीम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर - बांडाडेढ़ा फार्म हाउस, भरुच (गुजरात)

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया

15 प्रदेशों में ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया

की राष्ट्रीय टीम का 30, 31 मई एवंम

1 जून 2014 तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर!

बांडाडेढ़ा फार्म हाउस – भरुच (गुजरात)

अध्यक्षः महेश मानव | **महासचिवः डा. महेन्द्र धावड़े** | **उपाध्यक्षः नरेश यादव**

"ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया" के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव के आवाहन पर गुजरात भरुच जिले के बाडा डेढ़ा फार्म हाउस गुजरात में दिनांक 30 एवं 31 मई तथा 1 जून 2014 को *"ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया"* की 15 प्रदेशों की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम का प्रशिक्षण बड़ी ही भव्यता से सम्पन्न हुआ। जिसमें संविधान ज्ञान, संवैधानिक अधिकारों एतिहासिक ज्ञान सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतीक ज्ञान की विस्तृत जानकारी के साथ ओबीसी के लोगों के साथ किये जा रहे अन्याय के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। तथा उन्हें अपने छीने हुए अधिकार कैसे हासिल होंगे तथा उनकी खुशहाली कैसे होगी और उन्हें न्याय कैसे मिलेगा उपरोक्त सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

15 प्रदेशों में *ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया* की राष्ट्रीय टीम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर -

जिसमें प्रथम दिन उद्घाटन माननीय श्री छोटू भाई बसावा MLA के अस्वस्थ रहने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सरला बहन वसावा द्वारा प्रातः 10 बजे किया गया।

" माननीय श्री मती सरला बहन वसावा पत्नी माननीय श्री छोटू भाई वसावा (विधायक - भरुच, गुजरात) द्वारा देश भर से प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुये मित्रों का स्वागत किया। देश में व्याप्त अन्याय, गरीबी, अत्याचार, पाखण्ड, अंधविश्वास भृष्टाचार को समाप्त करने के लिए ओबीसी के लोगों का आहवाहन किया कि जबतक ओबीसी के लोग जागरूक होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं समझेंगे और संगठित नहीं होंगे तब तक देश की हालत ठीक नहीं हो सकती। इसी उदेश्य से ओबीसी के देशभर में संगठन को शक्तिशाली बनाऐं। यह प्रशिक्षण शीविर आयोजित किया गया। इस के पूर्ण सफलता की कामना करती हूँ। "

प्रोफेसर हरिनरके साहब भारत सरकार के योजना आयोग में सलाहकार रहे हैं साथ ही कई विश्वविद्यालय शिक्षा में कई गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। उनका संविधान सभा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गहरा अध्ययन है साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात अर्थशास्त्री भी है। उन्होंने ओबीसी शब्द का जन्म, ओबीसी के अधिकारों के लिये पण्डित जवाहर लाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के शासनकाल में किये गये वादों को पूरा नहीं किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ओबीसी के हितों के लिये उनके अधिकारों के लिये ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय रोकने के लिये संविधान में सेफगार्ड देने के लिये प्रस्ताव रखा। संविधान सभा जिससे पूरे भारत देश का भविष्य लिखा उसमें कुल 308 सदस्य थे जिसमें ओबीसी के कुल 6 सदस्य ही संविधान सभा में थे। कुल संविधान सभा के सदस्य थे इनमें 3/4 सामान्य वर्ग एवं कांग्रेस के थे। जिससे ओबीसी के हितों के लिये अम्बेडकर द्वारा रखे गये प्रस्ताव जो ओबीसी के

लिये न्याय देने वाले थे। संविधान सभा में वोटिंग कराकर पंडित नेहरू ने ओबीसी के साथ अन्याय किया और ओबीसी को न्याय नहीं दिलाया जो डा0 अम्बेडकर के द्वारा रखे गये प्रस्ताव से न्याय दिला सकते थे।

उक्त विवरण को तारीख सहित संविधान की डिबेट के पन्ने सहित विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही ओबीसी की जनगणना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होती। तब तक ओबीसी के विकास के लिये बजट का प्रावधान होने में समस्या हो सकती है। ओबीसी के लोग जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक आंदोलन नहीं करेंगे। जब तक सरकार एवं जन-प्रतिनिधि को संगठित होकर अपनी ताकत नहीं दिखायेंगे तब तक ओकीसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये ओबीसी के लोगों को राष्ट्र व्यापी संगठन बनाकर अपने अधिकार हासिल करने होंगे।

बिरसी भाई गठवी जी के द्वारा संविधान के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्याय पालिका के कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का ओबीसी के लिये योगदान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

जयन्ती भाई मनानी जी के द्वारा प्रचार मीड़िया की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया के महत्व के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा मनूस्मृति और भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

15 प्रदेशों में *ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया* की राष्ट्रीय टीम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर -

एडवोकेट विजय नागेश (हाईकोर्ट, गुजरात) के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सारगर्भित एवं प्रभावी ढंग से जानकारी विस्तृत रूप में दी गई और उससे ओबीसी के लोगों को उनके अधिकारों को बड़ी मात्रा में हासिल करने का सूचना का अधिकार हथियार है यह समझाया गया।

15 प्रदेशों में *ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया* की राष्ट्रीय टीम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर -

आदरणीय ***वोरकर साहब प्रख्यात अनूभवी विचारक हैं।*** आरक्षण विरोधियों की भूमिका निजी क्षेत्र के लिये आरक्षण, पदोन्नति में ओबीसी को आरक्षण। आरक्षण एक्ट की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी गई। संविधान सभा के समय से आरक्षण विरोधी कांग्रेस के लोगों ने नेहरू एंव कांग्रस के लोगों ओबीसी का आरक्षण नहीं होने दिया। साथ ही ओबीसी के लिये बने काका कालेलकर रिपोर्ट तथा बी.पी. मण्डल कमीशन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। साथ ही वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री जी ने मात्र 3% ही रिपोर्ट लागू की। तब भी भाजपा ने वी.पी. सिंह की सरकार गिरा दी।

जे.डी. चन्द्रपाल जी ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों तथा उनके अमलीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री जे.डी. चन्द्रपाल जी के द्वारा संविधान का विस्तृत विचरण प्रस्तुत कराया तथा उन्होंने पेरियर रामास्वामी नायकर जी के बारे में ओबीसी के लिये किये गये महान कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी।

3 दिवसीय कार्यक्रम के उपरान्त प्रशिक्षण में देश भर से आये मित्रों के द्वारा संगठन को राष्ट्रीय स्तर से गाँव/मौहल्ले स्तर तक फैलाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कि गई। जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर से गाँव/मौहल्ला स्तर तक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं/

15 प्रदेशों में *ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया* की राष्ट्रीय टीम का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर -

अनुभवी ज्ञान और मनोबल से परीपूर्ण टीम देश भर में 6 महीने के अन्दर तैयार की जाऐगी। जिसका विस्तृत विवरण विभिन्न विभागों के अनुभवी विद्वानों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर से गाँव/मोहल्ला स्तर तक कोर कमेटियां के रूप में दायित्व सौपा जा रहा है। संगठन में राष्ट्रीय, प्रदेश तथा जनपद स्तर पर कोर कमेटियां एवम 50 विभागों के विशेषज्ञों की टीमें शीघ्र गठित की जा रहीं हैं।

प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए - *नरेश यादव* राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओबीसी यूनाइटेट फ्रंट ऑफ इंडिया

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रन्ट आफ इन्डिया
एवं
ओ बी.सी. संवैधानिक अधिकार ज्ञान सभा

के. गढवी

गुज.हाईकोर्ट)

गुज.हाईकोर्ट)

गुज.हाईकोर्ट)

गुज.हाईकोर्ट)

(गुज.हाईकोर्ट)

गुज.हाईकोर्ट)

(गुज.हाईकोर्ट)

ओबीसी से संबंधित भारत सरकार एवंम् प्रदेश सरकार द्वारा जारी किऐ गऐ परिपत्रों पर कार्यशाला, मानसा, पंजाब इंसाफ की वर्कशाप बचत भवन मानसा में संपन्न!

INSAF (25.05.2014) Bachat Bhavan mansa (Punjab)

Agenda - BC / **obc** certificate $ other problems

Org. by INSAF (361of 2014)

1. Rajwinder singh khatriwala (gen. sec.)
2. Bharbhur singh (ex. meb)
3. Malkit singh (ex. meb)

Addres by people

1. Pro.Satnam singh (pre. INSAF) (about bc/obc problems)
2. Sh.Rajwinder s.khatriwala (gen. sec.)
   (BC/OBC certificate`s problems)
3. Let.Rattan singh (org. sec.) (about bc/obc problems)
4. Sh.Malkit singh(ex. meb)
   (BC/OBC certificate`s validity)

Addres by other people

Shri Mahes manv, Shri Kabil singh,
Dr. Risal Singh & other people.

ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗੂ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਸੇਮੀ ਮਾਨਸਾ

ਬੀ. ਸੀ./ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਮਾਨਸਾ, 25 ਮਈ (ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਇਨਸਾਫ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ. ਸੀ./ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

पंजाब के इंसाफ संगठन के द्वारा ओबीसी के लिए सभी क्षेत्रो में हिस्सदारी हासिल करने के लिए बनाई गई टीम द्वारा दिनाँक 25 मई 2014 को आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए *''ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया''* के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव।

''ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया'' के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव ने ओबीसी की समस्याओं के बारे में समाधान के लिए जब तक राष्ट्रव्यापी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश/जिला/नगर/वार्ड और विकाय खण्ड/तालुका - जनपद पंचायत एवंम मौहल्ला/गाँव तक एक टीम में संगठित होकर ओबीसी के लोग जिस दिन 5% भी सक्रिय हो जायेंगे उस दिन उनके साथ कोई भी सरकार अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके लिए ओबीसी के जो वास्तिविक समाजसेवी हैं उन्हें राष्ट्रीय टीम में जुड़ना ही समाधान है। इसके लिए *''ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया''* के द्वारा उपरोक्त राष्ट्रीय स्तर से गाँव और मौहल्ला स्तर तक समपूर्ण भारत में प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं। जिनमें ओबीसी के लोगों को संविधानिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सास्कृतिक, धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण किया जा रहा है।

इंसाफ संगठन के अध्यक्ष प्रो सतनाम सिंह के द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुए ओबीसी की समस्याओं के पैदा होने के कारण एवंम उनके निवारण के लिए महत्पूर्ण जानकारियां दीं कि जो-जो बाधाऐं सरकारी अधिकारियों द्वारा पैदा की जा रही हैं। उनका निवारण सरकारी शासनादेशों का भली भांति करके किया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ न्यायीक कार्यवाही भी की जा सकती है।

पंजाब के ***इंसाफ संगठन*** के अध्यक्ष ***प्रो सतनाम सिंह*** प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए।

पंजाब के ***इंसाफ संगठन*** के औरग्नाइजिंग सेक्रेटरी लेक्चरर रतन सिंह जी एवंम मलकियत सिंह एक्स मेम्बर द्वारा भी विस्तृत रूप से ओबीसी के सर्टीफिक्ट बनने एवंम अन्य ओबीसी की समस्याओं जैसे : स्कारशिप, एडमीशन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन ***भाई राजबिदर सिंह*** खटरीवाला जो इंसाफ संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा किया गया। साथ ही आपके द्वारा कार्यक्रम का सफलता संचालन भी किया गया। ये कार्यक्रम का आयोजन एक एतिहासिक तथा महत्पूर्ण रहा। जो देश के अन्य प्रेदेशों के लिए अनूकरर्णीय रहा। इस तरह के कार्यक्रमों से देश भर में ओबीसी के लोगों में ज्ञान एवंम प्रतिभा के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने सरलता से रास्ते निकाले जा सकते हैं।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला लक्ष्मी नगर, दिल्ली

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की दिल्ली प्रदेश राज्य इकाई की कार्यशाला दिनांक 15 जून 2014 को वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर दिल्ली मे दिल्ली प्रदेश के ओ.बी.सी. के महत्वपूर्ण समाज सेवियों के साथ सम्पन्न हुई।

आज दिनांक 15/6/2014 को ''ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया'' के कार्यालय वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर दिल्ली मे दिल्ली प्रदेश के ओ.बी.सी. के महत्वपूर्ण समाज सेवियों की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे ''ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया'' की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बांद्रादेढ़ा फार्म हाउस, जिला भरुच (गुजरात) मे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव (दिल्ली) एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नरेश यादव नोएडा (यू.पी) तथा राष्ट्रीय महासचिव डॉ. महेंद्र धावड़े नागपुर (महाराष्ट्र) आदि सभी 15 प्रदेश से आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यो की उपस्थिति में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया था कि देश के सभी प्रदेशों मे तीन महीनों के भीतर सभी प्रदेशों के प्रमुख समाजसेवियों को सम्मिलित कराते हुये उनको दो दिवसीय ओ.बी.सी. के प्रशिक्षण शिविरों में सम्मिलित किया जाए।

जिन प्रशिक्षण शिविरों में ओ.बी.सी. की सविधानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यावसायक स्थिति के बारे में भली-भांति ज्ञान से परिपूर्ण किया

जाएगा। उसके बाद प्रदेशों की कार्यकारिणी मे सभी ओ.बी.सी. की जातियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा। जो लगभग उस प्रदेश के सभी जिलों से होंगे। इसी क्रम में ही दिल्ली प्रदेश की कार्यकरिणी तथा दिल्ली प्रदेश की सभी विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त करने हेतु उनके प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए विचार विमर्श हुआ।

जिसमें महेश मानव, डॉ. यू.के. चौधरी, कर्नल अतर सिंह अध्यक्ष, गुर्जर भवन, प्रो. ओ.के. यादव, सुभाष पाल, सुमन कुमार सैनी, बबिता सैनी, सी.ए. अजय सैनी, सूर्यकांत लोधी, कल्लू भैया, अनिल पाल, प्रदीप पाल, आर.के. राजपूत, जमुना प्रसाद लोधी, डी.एस. कसाना, नरेंद्र कसाना, डॉ. डी.सी. प्रजापति आदि महत्वपूर्ण समाजसेवी सम्मिलित हुये। जिन्होनें सर्व-सम्मति से ओ.बी.सी. के संगठन को शक्तिशाली बनाने के अपने महत्वपूर्ण अनुकरणीय अनुभवों को प्रस्तुत किया। और संगठन को देश, प्रदेशों, जिलों तथा गांव-गांव मुहल्ले-मुहल्ले, घर-घर तक जागरूकता पहुंचाने का सकल्प लिया।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला लक्ष्मी नगर, दिल्ली

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की राष्ट्रीय कोर कमैटी की बैठक दिनांक 22 जून 2014 को 10 बजें दिन से केन्द्रिय कार्यालय वैस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में सम्पन्न हुई।

"ओ.बी.सी. यूनाइटेड फंट आफ इन्डिया" की "राष्ट्रीय कोर कमैटी" की बैठक दिनांक 22 जून 2014 को 10 बजें दिन से केन्द्रिय कार्यालय वैस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक की अध्यक्षता फन्ट के *राष्ट्रीय अधयक्ष महेश मानव जी* ने की कोर कमैटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा फन्ट के गठन के उददेश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों सबसे प्रथम उस विषय से संबधित अनुभवी विषेशज्ञों की आवश्यता है जो ओबीसी की समस्याओं को गहराई से समझे और उनके कारणों, कारण के निवारणों के विभिन्न उपाय खोजेगें। देश में समान एवं निशुल्क शिक्षा, स्वास्थय, आवास, पौष्टिक भोजन, शुद्व पेयजल, सम्मान, समानता, बन्धुत्व की समस्याये है इनका समाधान देश में राष्ट्रीय स्तर पर शसक्त जनजागरण अभियान से ही सम्भव है देश में मेहनत करने वाले तथा आचरण ठीक रखने वाले नागरिकों को ही सबसे पहले संगठित होने की आवश्यकता है जब अपने को ठीक व्यक्ति समझने वाले आपस में संगठित होगें तभी वो ठीक माने जाऐगें अन्यथा वो ठीक है ही नही। यदि ठीक होंगें तो संगठित होने में कही कोई बाधा नही आ सकती है ।

इसलिए ओबीसी के फन्ट में देश भर में तेज गति से सच्चे समाजसेवी स्वत ही जुडते जा रहे है। यह संगठन का कार्य ओबीसी की वर्तमान की आवश्यकता है इसलिए इस संगठन के अलावा दूसरे पर दायित्व छोडना ठीक नही हो सकता है । राष्ट्रव्यापी संगठन के द्वारा कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार पदाधिकारीयों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश, जिला, ब्लाक, ग्राम / मोहल्ला स्तर पर सब्वे समाजसेवीयों को संवैधानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होने की विशेष

आवश्यकता है, तभी कार्यकर्ता ज्ञान से परिपूर्ण होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होने के बाद ही सही और गलत का निर्णय कर सकता है और तभी वह दूसरों को उनके कल्याण का रास्ता दिखा सकता है यह संगठन तेजी से राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम/मोहल्ला स्तर तक ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपना मानवीय कतर्व्य पूरा करेगा जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन नही होगा यदि कोई दूसरों के साथ अन्याय करता है तो स्थानीय गाँव/मोहल्ला की कमैटी उस पर अंकुश लगाने में सक्षम होगी। इसी तरह जनपद स्तर पर जन प्रतिनिधि सत्ता में बैठै प्रशासनिक अधिकारी भी जनता के प्रति अन्याय नही कर सकेगें। तभी सम्पूण र्ा देश में शांती खुशहाली समृधि का वातावरण उत्पन्न हो सकेगा उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में निम्न कोर कमैटीयों का जिनको केन्द्रिय कोर कमैटीयां कहा गया है गठन हुआ है जिसमें :

1. विधायी कमेटी – के अंतर्गत भारतीय संसद संबधी मामले
2. कार्य पालिका कोर कमेटी – भारतीय प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से संबधित
3. न्यायक कोर कमेटी – सर्वोच्य न्यायलय संबधी मामले
4. आर0टी0आई0 संबधी कमेटी
5. ओद्योगिक कमैटी
6. व्यवसायिक कमैटी
7. केन्द्रिय प्रशासनिक समस्याओं संबधी कमैटी
8. कृषक कमैटी
9. शैक्षिक कमैटी
10. आर्थिक समाजिक कमैटी
11. संगठन की आर्थिक कमैटी
12. विकास की योजनाओं एवं विकास कमैटी
13. धार्मिक और सांस्कृतिक कमैटी

उपरोक्त कोर कमैटियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक कमैटी में कम कम से सात सदस्य रहेंगे । जो सम्बन्धित कमैटी के बारें में समस्त कार्यक्रमों को तैयार करेंगे । उपरोक्त कोर कमैटिओं के साथ ही 49 विभागों के द्वारा ओ0बी0सी0 की समस्याओं के समाध ाान के लिए राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश, जिला,ग्राम/मोहल्ला स्तर पर भी कमैटीयां तैयार की जाएंगी ।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ***श्री नरेश यादव जी*** ने कहा उपरोक्त कमैटियां तथा विभागों के बारे में संगठन को विस्तृत रुप से अध्ययन एवं रिसर्च करना होगा । जिनमें विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं का निमाण र्ा एवं संचालन, सम्बन्धि खोजपूवर्क कार्यक्रम तैयार किए जाऐगें । संगठन तथा समाज के उत्थान के लिए आवश्यक रुप से आर्थिक संसाधनों का विस्तार ही एक महत्वपर्ण विषय रहेगा । श्री नरेश यादव जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा कुछ निश्चित सदस्यों के द्वारा अधिकतम

धनराशि एक साथ सावधि जमा के रुप में संगठन के बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसके ब्याज से संगठन के आर्थिक व्यय की समस्या का समाधान होता रहेगा ।

श्री आर0के0पाल0 राष्ट्रीय प्रमुख केन्द्रिय अधिकारी और कर्मचारी विंग, के द्वारा ओ0बी0सी0 के अधिकारी कर्मचारी सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए कोर कमैटी आवश्यमानुसार समाधान ढूडेगीं ।

प्रो0 सतनाम सिंह जी पंजाब द्वारा चलाए जा रहे इंसाफ नामक संगठन के द्वारा ओ0बी0सी0 के अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करके समाधान निकाले जाते है साथ ही ओ0बी0सी0 के लोगों का सरकार द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजनाओं के कार्यक्रमों का ओ0बी0सी0 के लोगों को उनका लाभ कितना मिल पा रहा है तथा क्या क्या बाधाऐं आ रही है इन सब की समीक्षा की जाती है तथा उनको सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने

के लिए सारे प्रयास किए जाते है ये सब विस्तृत रुप में अवगत कराया गया जिसका अनुकरण सभी प्रदेशों में किया जाना ओ0बी0सी0 के लोगों के लिए लाभकारी होगा ।

श्री धनी प्रसाद जी महासचिव ओ0बी0सी0 एम्पलाईज एसोसिऐसन रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के द्वारा ओ0बी0सी0 के लोग बड़ी मात्रा में अंध ाविश्वास में जकड़े होन के कारण अपनी मेहनत की कमाई का अधिकांश घन अंधविश्वास पाखंड के अनुचित कार्यो में व्यय करते रहते है इसे रोककर उनकी आर्थिक समस्याओं का बहुत कुछ समाधान हो सकता है ।

श्री गिरधार मढ़रिया एडवोकेट रायपुर छत्तीसगढ़ अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ओ0बी0सी0 के लोगों को अधोग, व्यापार, ठेकेदारी व्यवसाय के क्षेत्र में आकर कार्य करना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो सकेगा इसके लिए उन्होने विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।

श्री अशोक सिंह अहीर अहमदाबाद गुजरात में संगठन तथा समाज को आर्थिक रुप से मजबूत होने के लिए विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव योजनाओं के

कार्यक्रमों संचालित करने चाहिए जिसमें ओ०बी०सी० के आम लोगों को रोजगार की समस्या का समाधान होगा तथा संगठन के पास भी आर्थिक संपन्ता रहेगी ।

श्री हरि प्रसाद बड़ीवाल राष्ट्रीय संगठन सचिव ने संगठन को सभी जातियों के समाजसेवीयों को प्रतिनिधित्व देकर उनको ओ०बी०सी० वर्ग के रुप में पहवान बनाने के कार्यक्रम तैयार करने का दायित्व दिया ।

संगठन के प्रमुख विभागों का गठन जो पहले से ही किया जा चुका है और उनके विशेषज्ञों की तलाश समाज में से संम्बिधित विभागों के लिए की जा रही है।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला अशोक नगर, मध्य प्रदेश

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की जिला इकाई अशोक नगर म0प्र0 की कार्यशाला दिनांक 13 जूलाई 2014 को दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई कार्यशाला नगर पालिका के समाग्रह में आयोजित की गई।

ओबीसी यूनाइटेड फंट आफ इन्डिया की जिला **इकाई अ**शोक नगर म0प्र0 की कार्यशाला दिनांक 13 जूलाई 2014 को दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई कार्यशाला नगर पालिका के समाग्रह में आयोजित की गई, जिसमें म0प्र0 के संयोजक *श्री बजभान सिंह पढेरिया एडवोकेट* के द्वारा सभी उपस्थित ओबीसी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया तथा आभार व्यक्त किया गया साथ ही सभी साथिओं का सक्षिप्त परिचय कराया गया । फन्ट की आवश्यकता क्यो पडी तथा फन्ट के द्वारा ओबीसी के लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा इस संबध में विस्तृत जानकारी दी गई ।

लाखन सिंह लोधी नेता जी द्वारा ग्वालियर एवं आसपास के जिलों में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, शैक्षिक दुर्दशा के बारे में जानकारी दी गई और इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए ओबीसी के लोगों को आपस में मित्रता पूर्वक एक दूसरे का सहयोग होने पर ही संगठित होकर समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते है ।

प्रकाश सिंह धाकड़ जिला अध्यक्ष गुना के द्वारा ओबीसी के भोले भाले लोगों को किन किन समाजिक कुरितियों,

अंधविश्वासों में फसाकर उनमें आपस में मतभेद पैदा करके उनका शोषण किया गया। एक दूसरे को आपस में छोटा और नीचा बताया गया जिससे आपस में बैमनस्यता की भावना मजबूती से लोगों के अन्दर बैठ गई और आपस मे एक दूसरे को हानि पहुचानें का काम किया गया जिससे उनका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया ।

किशोरी लाल चौरसिया वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा अपना लम्बें संघर्ष का अनुभव प्रस्तुत किया गया संघर्ष

में हिम्मत के साथ बडी बडी ताकतों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दोषी ठहराया गया और समस्याओं का समाधान जनता को संगठित करके बनी ताकत के द्वारा (संगठन से) समस्याओं का हल संभव कराया गया ।

चन्द्रशेखर साहू एडवोकेट के द्वारा कार्यशाला का संचालन प्रभावशाली ढंग से किया गया जिससे लोगों में संगठन के प्रति विशेष रुचि पैदा हुई श्री साहू जी द्वारा ओबीसी के लोगों में अशिक्षा, अंधविश्वास, आपसी वैमनस्य की भावना के घातक परिणामों के उदाहरण प्रस्तुत किए गये जिससे लोगों में शिक्षा, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ जिससे आपस में मित्रता पूर्वक कार्य किए गयें जिनसे मनोबल और शक्ति बढती गई और लोगों में लगातार शिक्षित और संगठित होकर संगठन की भावना के प्रति लगाव पैदा हुआ ।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला वैशाली जयपुर, राजस्थान

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया
ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इण्डिया की
एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर!
वैशाली:जयपुर (राजस्थान)
27 जुलाई 2014

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की रा. जस्थान की इकाई की कार्यशाला दिनांक 27 जुलाई 2014 को स्थान रविन्द्रभारती पब्लिक स्कूल, वैशाली जयपुर में दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई।

"ओ0बी0सी0 यूनाइटेड आफ इन्डिया" की राजस्थान की इकाई की कार्यशाला दिनांक 27 जुलाई 2014 को स्थान रविन्द्रभारती पब्लिक स्कूल, वैशाली जयपुर में दिन के 10 बजें से प्रारम्भ हुई बैठक की अध्यक्षता *डा0 सरोज प्रजापति* ने की मुख्य अतिथि के रुप में कार्यशाला में सम्मलित हुए ओ0बी0सी0 युनाईटेड फ्रन्ट आफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष *महेश मानव* के द्वारा संगठन के उददेश्यों के बारें में अवगत कराया गया। *महेश मानव जी* के द्वारा कार्यशाला में सम्मलित हुए लोगों का आहवान करते हुए बताया कि जनतान्त्रिक देश में ओ.बी.सी बहुसंख्यक है और उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी न के बराबर है जबकि ओ.बी.सी के लोगों ने सभी क्षेत्रों में एक से एक प्रतिभाऐं पड़ी हुई है उनको अवसर नही दिया जाता है यदि कही वो प्रतियोगिता में आगे आते भी है तो उनको जानबूझकर षड़यंत्रों के द्वारा उन्हे पीछे कर दिया जाता है।

विशेष अतिथि के रुप में बोलते हुए *श्री अशोक सिंह अहीर* अहमदाबाद गुजरात के द्वारा केन्द्रिय कोर कमेटी स्तर पर लिए गये निणयों जिनमें ओ0बी0सी0 के लोगों को रोजगार, उधोग व्यवसाय के बारें में प्रशिक्षण दिये जाने की सुविधाओं के बारें में पूरी तरह से मदद करने का उनके द्वारा वचन दिया गया ।

भाई बलवन्त सिंह निडर वरिशठ समाजसेवी हनुमानगढ़ राजस्थान द्वारा ओ0बी0सी0 की विभिन्न जातियों के आपस में अपने–अपने, अलग–अलग जातियों के संगठनों में अधिक रुचि लेते है ओ0बी0सी0 वर्गीय संगठन में रुचि लेने वाले लोगों का उनको प्रेरित करने का महत्वपर्ण काम किया जाना चाहिए जिससे ओ0बी0सी0 का एक विशाल संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो सकेगा ।

भाई भीम राज भाटी पूर्व विधायक – पाली द्वारा ओ0बी0सी0 के विभिन्न जातियों के जागरुक लोगों को इस संगठन के द्वारा प्रशिक्षण देकर उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है इससे

समाजसेवी लोग ओ0बी0सी0 के अन्य अन्य लोगों को सीघ्रता से संगठन के अंतर्गत जोड़ने में सरलता महसूस करेंगे ।

लोधी बाबू लाल पथरिया जी – जयपुर के द्वारा ओ0बी0सी0 के विभिन्न स्थानीय एवं छोटे छोटे संगठनों को मिलाकर उनको प्रशिक्षण देकर सरलतापूवर्क उनको विधिक ज्ञान दिलाकर उनके अधिकारों के बारें में अवगत कराया जा सकता है और उनके ऊपर हो रहे अन्यायों की जानकारी जब लोगों को प्राप्त होगी तो अन्याय सहने वाले सभी लोग एक जुट होकर शक्तिशाली संगठन का निमार्ण करेंगे ।

लोधी सूरजमल पथरिया जयपुर के द्वारा समाज के उत्थान के लिए लम्बे समय से किए जा रहे अनेकों प्रकार के उपायों की जानकारी दी गई साथ ही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई जिससे लोगों ने छात्रों के लिए छात्रवृति फीस, आर्थिक सहायता व्यापार, स्वयंसहायता समूह के द्वारा लाभ उठाया गया ।

इ0 सुदर्शन मेहरा जी ने ओ0बी0सी0 की एकता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरण अभियान प्रभावी ढंग से चलाने की आश्यकता महसूस की जिसमें उन्होन तन मन धन से सहयोग करने का वचन दिया। ओबीसी के लोगों को उनके प्रति हो रहे संवैधानिक अधिकारों के हनन के कारण उनकों विकास में बाधाऐ झेलनी पड़ रही है। संगठन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नही है। ओबीसी के समाजसेवीयों को आर्थिक, सास्कृतिक, समाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करना होगा समस्या कहा से पैदा की जाती है? कौन कौन लोग पैदा करते है? इसका निदान क्या है? इसे गहराई से सोच समझकर कार्यक्रम बनाने की आवश्यता है ।

डा0 सरोज प्रजापति जी जयुपर के द्वारा अपने जीवन के लम्बें राजनैतिक, सामाजिक अनुभवों को अवगत कराते हुए कहा की समाज के लोगों में राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिम्मत नही थी धीरे धीरे हम तमाम लोगों ने संगठित होकर राजनैतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई तो समाज के बड़े हिस्से में भारी हलचल पैदा हुई और बड़ी संख्या में लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का प्रसार हुआ जिससे समाज के नेताओं और अधिकारीयों के द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान निकालने पड़ें । शासन प्रशासन लोगों को उनकी मदद के लिए समर्पित होने को बाध्य हुआ ।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला रुड़की, उत्तराखंड

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की उत्तराखंड ईकाई की कार्यशाला दिनांक 2 अगस्त 2014 को कश्यप धर्मशाला, रुड़की में दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया की उत्तराखंड इकाई की कार्यशाला दिनांक 2 अगस्त 2014 को कश्यप धर्मशाला, रुड़की में दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के वरिष्ठ समाजसेवी श्री श्यामवीर सिंह सैनी ने की, मुख्य अतिथि के रुप में ***ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव जी*** ने कार्यशाला में ओ.बी.सी. के लागों की राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर कोई भी ओ.बी.सी. का उच्चाधिकारी नही है न ही उधोग व्यापार में कोई विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा है देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में आजादी के बाद अब तक काई भी मुख्य न्यायाधीश नही बना। न ही कोई न्यायाधीश बना। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग में भी कोई अध्यक्ष एवं सदस्य अभी तक नही बना। इसी तरह भारत सरकार में विभागो के सर्वोच्च अधिकारी विभागी सचिव भी कोई भी ओ.बी.सी. का अधिकारी नही बना। इससे स्पस्ट हो जाता है कि ओ.बी.सी. के लोगों में प्रतिभाशाली होते हुए भी किसी को अवसर जानबूझकर नही दिया जाता है इसलिए ओ.बी.सी. युनाईटेड फ्रंट आफ इंडिया यह राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि आवश्यता आविष्कार की जननी है इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए देश भर से जागरूक, प्रबुद्ध समाजसेवियों के विचारों, सुझावों के द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की जाती है और उसे कार्यान्वित की जाती है ।

भाई श्याम वीर सैनी उत्तराखंड के वरिष्ठ समाज सेवी

भाई श्याम वीर सिंह सैनी जी द्वारा प्रदेश की ओ.बी.सी. की सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराया गया और ओ.बी.सी. के साथ हो रहे अन्याय के बारे मे विस्तृत रूप से बताया गया के द्वारा ओ.बी.सी.के लोगों में से कार्यकर्ता तैयार करने के लिए कैडर कैंप लगाये जा रहे है इन कैम्पो में कार्यकर्ताओं को संविधानिक अधिकारों का विशेष रुप से विस्तृत ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है साथ ही एतिहासिक राजनितिक सामाजिक, सांस्कृति ढ़ांचे को बड़ी बारीकी से अवगत कराया जाता है जिससे कार्यकर्ताओं में ज्ञान से परिपूण होने के कारण उत्साह एवं मनोबल बढ़ता है।

भाई शीशपाल कश्यप जी ने अवगत कराया कि जनजागरण अभियान के द्वारा विभिन्न पहलूओं के द्वारा ओ.बी.सी. के लोगों में चेतना पैदा की गई। जिससे ओ.बी.सी.के लोगों में संगठन के प्रति लगाव पैदा हुआ तथा अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्षरत रहने लगे। ओ.बी.सी.के लोगो में एक दूसरे से परिचय के कार्यक्रम चलाए गये जिससे एक दूसरे के सहयोग के द्वारा समाज का काफी मात्रा में विकास सम्भव हो सका, हम लोग अभी भी लगातार जनजागरण अभियान पूरी टीम के साथ चला रहे है और शीघ्र बड़ी ताकत उभरकर सामने आऐगी।

सुरेन्द्र कश्यप जी - ओ.बी.सी. के लोगों के साथ हो रहे प्रशासनिक, राजनैतिक शोषण के बारे में विस्तृत रुप से अवगत कराया कि ओ.बी.सी. के लोगों को नौकरियों में पूरा कोटा एवं बैंक लाक कोटा सरकारों द्वारा नही पूरा किया जाता है जिससे ओ.बी.सी. के लोगों को बेरोजगार और अपमानित होकर जीना पड़ता है ।

आदेश सैनी जी ने अनुभव के आधार पर बताया कि - न सभी ओ.बी.सी. के लोगों को जो जातियों के नाम पर अलग अलग काम करके बड़ी ऊर्जा का नष्ट करते है जिससे उनके विकास में भी बाधा पैदा

होती है सरकार पर संगठित होकर बडी ताकत बनाकर ओ.बी.सी. के वर्ग के रुप में दवाब बनाना आसान होता है साथ ही एक दूसरे के सहयोग से संगठित होने में सरलतापूर्वक बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

अमर सिंह गहलोत जी ने कहा कि - भाई महेश मानव जी राष्ट्रीय स्तर पर काफी लम्बे समय से सरकारी नौकरी छोड़कर पूरे समर्पण के साथ संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करने के लिए समर्पित है हम सभी को तन-मन-धन से समर्पित होकर इनका साथ देना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह सतर्क और जागरुक है जो ओ.बी.सी. के लोगों

को अपने बराबर लाने की सोचना तो दूर पूरे मन से पूरी ताकत से ओ.बी.सी. को पीछे और पीछे धकेलने के लिए सभी उपायों के साथ सर्तक होकर लगे हुए है।

भाई शोभा राम प्रजापति - जो लम्बे समय से ओ.बी.सी. के लोगों में चेतना जगाने का काम करते चले आ रहे है उनके द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे जाति में बटे होना, संकुचित सोच से युक्त होना परस्पर मित्रता की भावना न रखना के विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं है जिनके मनुष्य में विकास के लिए ऊर्जा की कमी बनी रहती है समाज में देखा गया है कि गरीब और साधारण स्तर के लोगों में संघर्ष कहाँ करना है? किससे करना है? हमारा दुश्मन कौन है? इसका ही पता नही है इस कारण से लोगों में जागरुक टीम बनने में समय लग जाता है ओ.बी.सी. के लोगों की समस्या राष्ट्रीय स्तर की है इसलिए संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रुप में होना आवश्यक है तभी इस वर्ग की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

कालूराम कश्यप जी के द्वारा अवगत कराया गया कि - जनता के लोगों के बीच सम्पर्क में आया तो यहां जातियों के रुप में बटे लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। शासन प्रशासन में ओ.बी.सी. के लोगों के साथ अनेंको अन्याय होते देखे और ओ.बी.सी. के लोगों का शासन प्रशासन में अभाव है इसलिए इस वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नही मिल पाता। संगठन ही एक ऐसा रास्ता है जो सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता हैं।

संजय कश्यप जी ने अवगत कराया कि ओ.बी.सी. को लोगों सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में सत्य को समझना आवश्यक है अंधविश्वास, आडम्बर और कुरीतियों में जकड़े होने के कारण इनका मानसिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया है इसको विशेष रुप से समझने की आवश्यता है इसके लिए संगठन द्वारा चलाए गये प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना आवश्यक है प्रशिक्षण के माध्यम से शोषन के कारणों के निवारण और निवारण के साधनों पर विस्तृत रुप से चर्चा की जाती है साथ ही संवैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक, एतिहासिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है जिससे कार्यकर्ता संगठन की कार्ययोजना के अनुसार लोगों में संगठन के प्रति समर्पण की भावना पैदा कर सके। शिविर को मोहन सिंह वर्मा, सुंदर लाल प्रजापति, प्रधान कुवँरपाल प्रजापति जी द्वारा ओ.बी.सी. की समस्याओं का समाधान केवल संगठन ही है। हम सभी को पूरे मन के साथ काम करना है तभी संगठन संभव है।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला लखनऊ, उत्तर प्रदेश

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई की कार्यशाला दिनांक 24 अगस्त 2014 को अम्बेड़कर विद्यालय कानपुर रोड़, लखनऊ में दिन के 10 बजे से प्रारम्भ हुई।

"ओ.बी.सी यूनाइटेड आफ इन्डिया की उत्तर प्रदेश राज्य **इकाई की** कार्यशाला दिनांक 24 अगस्त 2014 को **अम्बेड़कर विद्यालय** कानपुर रोड़, लखनऊ में दिन के 10 बजे से प्रारम्भ **हुई कार्यशाला** की अध्यक्षता *डा0 नाथूराम वर्मा* ने की, **मुख्य अतिथि** के रुप में *ओ. बी.सी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव जी* के द्वारा कार्यशाला में सम्मलित हुए लोगों का आहवान करते हुए बताया कि जनतान्त्रिक देश में ओ.बी.सी बहुसंख्यक है और उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी न के बराबर है जबकि ओ.बी.सी के लोगों ने सभी क्षेत्रों में एक से एक प्रतिभाऐं **पड़ी हुई है** उनकों अवसर नही दिया जाता है यदि **कही वो प्रतियोगिता** में आगे आते भी है तो उनको **जानबूझकर षड़यंत्रों** के द्वारा उन्हे पीछे कर दिया जाता है।

इससे उनके साथ घोर अन्याय और उत्पीड़न किया जा रहा **है इसका मुख्य** कारण **ओ.बी.सी** का राष्ट्रीय स्तर पर **सशक्त संगठन** न होना **है इसलिए** सभी बुद्धिमान जागरुक **समाजसेवीयों** का **दायित्व** संगठित होकर शासन पर दबाव बनाकर अपनी हिस्सेंदारी हासिल करना होगा ।

नन्दलाल पाल **एडवोकेट** लखनऊ के द्वारा ओ. बी.सी के अंतर्गत डी0**नाटी फाईड** ट्राई जाति के लोगों के लिए बनाने गये कमीशन की रिर्पोट की सिफारिशों के अनुसार उन्हे 10% शैक्षिक क्षेत्र में सभी स्तरों पर आरक्षण देने की सिफारिश की गई है साथ ही सरकारी नौकरीयों में भी यह व्यवस्था की गई है इसके लिए भी **सरकार** से आरक्षण कोटे 50% सीमा का प्रतिबंध हटाकर **आबादी** के अनुपात में सभी वर्गो को आरक्षण का लाभ **दिया** जाना चाहिए ।

जितेन्द्र कुमार कश्यप जी के द्वारा अपने लम्बे अनुभव के किए गये जनहित में कार्यों को अवगत कराया गया, लोगों में आपसी प्रेम भावना का संचार करके उनको स्थानीय स्तर पर संगठित करके शासन प्रशासन एवं सामाजिक, राजनैतिक समस्याओं का समाधान निकाला गया लोगों में मनोबल बढ़ा तथा कुछ विकास के अवसर मिलें ।

बाबूलाल वर्मा जी ने अपने लम्बें समय से रेलवे में की गई सेवाओं के काल में विभिन्न तरह के सामाजिक **प्रशासनिक** अन्यायों को **सहन किया** तथा अन्य **अनेकों** लोगों के साथ भी अन्याय **होते** देखा, इससे **प्रेरित होकर** अन्याय न सहने की दृड **शक्ति** का एहसास करते हुए अन्याय सहना, अन्याय करने से बड़ा जुर्म है के विचार से अन्याय न सहने के लिए ओ.बी.सी के लोगों में चेतना जगाने का निरन्तर कार्य किया ।

श्री नारायण लोधी एडवोकेट जी के द्वारा ओ. बी.सी के लोगों में रोजगार परक कार्यक्रम चलाने की

विशेष आवश्यक्ता पर बल दिया जिससे लोग आर्थिक रुप से सशक्त होने के लिए संगठन में बड़ी संख्या में जुडेंगे और शासन प्रशासन से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके हिस्सेदारी हालिस करने में मदद मिलेगी ।

श्री राधेश्याम वर्मा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है के द्वारा समाज में छोटी छोटी कार्यशालाए गाव गाव पर लगाने की आवश्यकता है जिसमें लोगों को कानूनी, संवैधानिक अधिकारों की जानकारीयां हासिल होंगी जिससे शासन प्रशासन उधोग व्यापार में ओ.बी.सी के लोगों को हिस्सेदारी प्राप्त हो सकेगी ।

श्री राजबहादुर वर्मा जी ने अवगत कराया की समाज में लोगों को ओ.बी.सी की लगातार चल रही मीटिंगों, प्रशिक्षण शिविरों में सम्मलित होकर राष्ट्रीय स्तर पर परिचय करने का लाभ उठाना चाहिए साथ ही एक दूसरे से मिलकर सभी तरह की तकनीकी जानकारी, कानूनी जानकारी हासिल करके सभी क्षेत्रों में विकास किए जा सकते है ।

सुश्री ललिता राजपूत ने समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास के बारें में अवगत कराया साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और विभिन्न प्रकार से सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया जिससे लोगों को उनकी आर्थिक परेशानीओं में राहत हासिल हो सके, समाज के लोगों को इस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रदेश तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण के चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अनिवार्य रुप से सम्मलित होना चाहिए जिससे उनके ज्ञान में भारी वृद्धि हो सकेगी जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा ।

कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षीय उदबोधन करते हुए *डा0 नाथूलाल वर्मा जी* ने सभी को धन्यवाद देते हुए अवगत कराया की ओ.बी.सी के लोगों में अच्छी एवं मंहगी शिक्षा के लिए, गम्भीर बीमारियों के समय उनकों सरकार द्वारा निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को समान पाठ्क्रम एवं नवोदय विद्यालयों की तरह निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है। इसके लिए लोगों में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जगाने की आवश्यता है। सरकार जनता ही बनाती है जो जनता के हित के लिए होनी चाहिए । ऐसा तभी सम्भव है जब राष्ट्रीय स्तर पर सच्चे समाजसेवीयो का संगठन लगातार लोगों को सचेत करता रहे और संगठित करता रहें ।

अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले!
जयंती पर पेरियार रामास्वामी नायकर याद किए गये –

लखनऊ। पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितम्बर, 1879 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में एक सम्पन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनका उद्देश्य जातिविहीन व वर्गविहीन समतामूलक समाज का निर्माण कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। यह वक्तव्य ***ओबीसी यूनाइटेट फ्रंट ऑफ इंडिया के संयोजक केपी यादव*** ने दिया। यह दारुलशफा के 'ए' ब्लॉक स्थित कॉमन हॉल में पेरियार जयन्ती पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद उनके द्वारा चलाए गए आरक्षण से संबंधित आक्रामक व अहिंसक जेल भरों आंदोलन के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को संविधान की धारा-15 में उपधारा-4 को जोड़कर आरक्षण का प्रावधान करने पर बाध्य होना पड़ा था। वर्ष 1927 में देश की आजादी की सिल्वर जुबली के अवसर पर पेरियार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जेले यात्राएं करनी पड़ी। विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी के लिए भारत सरकार ले ताम्र-पत्र देकर सम्मानित किया था। अंतराष्ट्रीय संस्था यूनोस्को ने पेरियार को आत्मसम्मान आंदोलन चलाने के लिए *'दक्षिण–पूर्व एशिया के सुकरात'* की उपाधि दी थी। गोष्ठी में इन्द्रमोहन पाल, अफजल आजाद, इन्द्र प्रकाश बौद्ध, लोकनाथ पटेल, दयानाथ निगम, रमेश चन्द्र चौधरी, विजय कुमार वर्मा, रामचन्द्र वर्मा व कामता राम ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला लक्ष्मी नगर, दिल्ली

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की दिल्ली प्रदेश राज्य इकाई की कार्यशाला दिनांक 7 सितम्बर 2014 को प्रातः 10 बजे फन्ट के कार्यालय वैस्ट गुरु अगंद नगर, लक्ष्मी नगर में सम्पन्न हुई।

"ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया" की दिल्ली प्रदेश राज्य ईकाई की कार्यशाला दिनांक 7 सितम्बर 2.14 को प्रातः 1. बजे फन्ट के कार्यालय वैस्ट गुरु अगंद नगर, लक्ष्मी नगर में सम्पन्न हुई जिसमें *ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव जी* द्वारा इस संगठन को बनाने की क्यो आवश्यकता पड़ी इस पर एतिहासिक पृष्ठ भूमि का भी विवरण प्रस्तुत किया। आज राष्ट्रीय स्तर पर ओ.बी. सी. का कोई भी संगठन नही है । इसी कारण ओ.बी. सी. की सारी समस्याऐं पेदा हुई। शासन, प्रशासन, उद्योग, व्यापार में ओ.बी.सी. की हिस्सेदारी न के बराबर है जो सत्ता में बैठै है वे लोग ओ.बी.सी. के लोग शासन, प्रशासन उधोग व्यापार में हिस्सेदारी न देने के लिए पूरी ताकत से कार्य कर रहे है इसलिए ओ.बी.सी. के लोग केवल मजदूर एवं मजबूर बने हुए है ।

ओ.बी.सी. के संगठन को शसक्त बनाने के लिए ओ.बी.सी. के सार्थक और समाजसेवीं लोगों का ही दायित्व है क्योकि वे समाज की समस्याओं का कारण और निवारण जानते है और जानने के साथ साथ लोगों को भी बताने की आश्यकता है यही लोगों में चेतना जगाने की विशेष मुहिम समाजसेवीयों द्वारा पूरी क्षमता के अनुसार योजनाबद्व तरीके से चलानी होगी इसके लिए कार्यकर्ताओं को सवैधानिक, एतिहासिक, राजनैतिक, सास्कृति ज्ञान होना परमावश्यक है तभी वह दूसरे अन्य लोगों को बता सकते है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है और कैसे हासिल होगें इसके

लिए संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

चौधारी रामदत्त जी ने स्व.चौधरी ब्रहमप्रकाश जी के समय में किए गये ओ.बी.सी. के लोगों जनजागरण कार्यक्रमों के बारे में बताया उन परस्थितिओं में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए उनके द्वारा कई वर्षों तक लोगों में चेतना जगाने का काम किया गया। जिससे देश भर में ओ.बी.सी. के लोगों उनके अधिकारों को हासिल करने के लिए हौसला पैदा किया गया जो आज तक लोगों में हौसला देता चला आ रहा है।

भाई डी.के. सिन्हा जी के द्वारा ओ.बी.सी. के लोगों में से कार्यकर्ता तैयार करने के लिए कैडर कैंप लगाये जा रहे है इन कैम्पौ में कार्यकर्ताओं को संविधानिक अधिकारों का विशेष रुप से विस्तृत ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है साथ ही **एतिहासिक** राजनितिक सामाजिक, सास्कृतिक ढ़ांचे को **बड़ी बारीकी** से अवगत कराया जाता है जिससे कार्यकर्ताओं में ज्ञान से परिपूण होने के कारण उत्साह एवं मनोबल बढ़ता है ।

भाई बिजेन्द्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा किए गये जनजागरण अभियान के द्वारा विभिन्न पहलुओं के द्वारा ओ.बी.सी. के लोगों में चेतना पैदा की गई जिससे ओ.बी.सी. के लोगों में संगठन के प्रति लगाव पैदा हुआ तथा अपने अधिकारों को लेने के लिए संघषर्त रहने लगे । ओ.बी.सी. के लोगो में एक दूसरे से परिचय के कार्यक्रम चलाए गये जिससे एक दूसरे के सहयोग के द्वारा समाज का काफी मात्रा में विकास सम्भव हो सका, हम लोग अभी भी लगातार जनजागरण अभियान पूरी टीम के साथ चला रहे है और शीघ्र बड़ी ताकत उभरकर सामने आऐगी ।

भाई शम्भु जी यादव ने ओ.बी.सी. के लोगों के साथ हो रहे प्रशासनिक, राजनैतिक शोषण के बारे में विस्तृत रुप से अवगत कराया कि ओ.बी.सी. के लोगों को नौकरियों में पूरा कोटा एवं बैक लाक कोटा सरकारों द्वारा नही पूरा किया जाता है जिससे ओ.बी.सी. के लोगों को बेरोजगार और अपमानित होकर जीना पड़ता है ।

श्री अनिल पाल जी न सभी ओ.बी.सी. के लोगों को जो जातियों के नाम पर अलग अलग काम करके बड़ी उर्जा का नष्ट करते है जिससे उनके विकास में भी बाधा पैदा होती है सरकार पर संगठित होकर बडी ताकत बनाकर ओ.बी.सी. के वर्ग के रुप में दवाब बनाना आसान होता है साथ ही एक दूसरे के सहयोग

से संगठित होने मे सरलता पूर्वक बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है ।

भाई विरेन्द्र सिंह यादव जी जो लम्बे समय से ओ.बी.सी. के लोगों में चेतना जगाने का काम करते चले आ रहे है उनके द्वारा समाज के विभिन्न पहलूओं जैसे जाति में बटे होना, संकुचित सोच से युक्त होना, परस्पर मित्रता की भावना न रखना, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्यांए है जिनसे मनुष्य के विकास के लिए उर्जा की कमी बनी रहती है समाज में देखा गया है कि गरीब और साधारण स्तर के लोगों के संघर्ष कहाँ करना है? किससे करना है? हमारा दुश्मन कौन है? इसका ही पता नही है इस कारण से लोगों में जागरुक टीम बनने में समय लग जाता है ओ.बी.सी. के लोगों की समस्या राष्ट्रीय स्तर की है इसलिए संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर शसक्त रुप में होना आवश्यक है तभी इस वर्ग की समस्याओं का समाधान हो सकता है ।

भाई महेश मानव जी राष्ट्रीय स्तर पर काफी लम्बें समय से सरकारी नौकरी छोड़कर पूरे समर्पण के साथ संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर शसक्त करने के लिए समर्पित है। हम सभी को तन मन धन से समर्पित होकर इनका साथ देना चाहिए । सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह सर्तक और जागरुक है जो ओ.बी.सी. के लोगों को अपने बराबर लाने की सोचना तो दूर पूरे मन से पूरी ताकत से ओ.बी.सी. को पीछे और पीछे धकेलने के लिए सभी उपायों के साथ सर्तक होकर लगे हुए है ।

डा. यू.के. चौधरी साहब ने अवगत कराया कि

हमारे द्वारा गूजर आन्दोलन शक्तिशाली ढंग से चलाया गया। जिससे गूजर समाज के लोगों मे भी संघर्ष करने की क्षमता है ये देश के लोगों ने देख लिया है। अपना हिस्सा हासिल करना हर किसी का कतर्व्य एवं अधिकार है। इसलिए गूजर समाज सभी ओ.बी.सी. की जातियों के समाजसेवीयों से निरन्तर संपर्क में है जिससे आने वाले समय में ओ.बी.सी. के लागों में परस्पर मित्रता की भावना पैदा होकर बड़ी शक्ति के रुप में दिखाई देगा, हम सभी को जाटों को ओ.बी.सी. में शामिल करने का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुसार, मंडल कमीशन के अनुसार, काका कालेलकर आयोग के अनुसार वे ही जातिया ओ.बी.सी. में हो सकती है जो सामाजिक और शैक्षिणिक रुप से पिछड़ी **हो इसलिए** जाट इसमें कही नही थे न हैं। जाटों के द्वारा **ही मंडल** कमीशन की सिफारिशें जो पिछड़ों के लिए आरक्षण देने के लिए थी उसका विरोध पूरे देश में जाटों द्वारा पूरी ताकत से किया गया था। अब वही इसी में आने के लिए आन्दोलन चला रहे है कितनी शर्म की बात है ।

स्वर्णकार एम.के.राजपूत जो अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज शोध एवं विकास संस्थान के अध्यक्ष है उन्होने लम्बें समय से राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णकार

समाज के सम्मेलन स्वर्णकार समाज कुंभ के नाम से नासिक, उज्जैन एवं इलाहबाद में करायें इन्ही के साथ साथ पिछड़े वर्ग के भी सम्मेलन कराऐ उनके द्वारा *''सयुक्त सामाजिक मौर्चा''* नामक संगठन भी देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, अन्याय, गरीबी को समाप्त करने के लिए भी चलाया जा रहा है साथ ही दिल्ली में ओ.बी.सी. के लोगों की विशाल रैली भी कराने का कार्यक्रम चल रहा है ।

भाई प्रमोद नागर जी द्वारा मंडल कमीशन के लागू करने के समय लगातार जनजागरण कार्यक्रम चलाऐं गयें उन्होने ओ.बी.सी. के लोगों के लिए चेतना जगाने के लिए उन्हे अपने अधिकारों के बारें में अधिक से अधिक जानकारी दिलाने के लिए निरन्तर मीटिंगे सम्मेलन, धरने, प्रदर्शन के कार्यक्रम चलाए गये, उन्होने इस बात पर जोर दिया कि ओ.बी.सी. लोगों में जो अपने को समाज के प्रति जिम्मेदार मानते है और शिक्षित तथा प्रभुत्व समझतें है उनकी ही विशेष रुप से जिम्मेदारी बनती है कि व संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए योजनाबद्व तरीके से कार्य करें ।

हर कार्य का एक्शन प्लान होता है अपनी बात को घर घर तक पहुचानें के लिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करें, राजस्थान में सबसे

पहले अटल बिहारी जी ने अपने शासनकाल में जाटों को आरक्षण दिया। तो गूजरों ने एस.टी. में शामिल करने का अभियान चलाया, गूजर व्यूरोक्रैसी में कमजोर थे, मीणा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने राजस्थान में गूजरों की कोई बात नही सुनी , मीणा लोगों के विरुद्व प्रशासन के किसी भी अधिकारी, नेता ने हिम्मत नही की। 2. गूजरों पर मुकददमा लगा। 1. गूजर मारें गये । अब गूजर समाज के लोगों को बड़ी सूझ बूझ सहित पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने होने की आवश्यकता है । ओ.बी.सी. फन्ट में जाट लोगों को शामिल नही किया जाना चाहिए, क्योंकि जाट लोग वैसे भी सभी क्षेत्रों में शसक्त और संपन्न है । ओ.बी.सी. युनाईटेट फन्ट आफ इण्डिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक थिंक टैंक के रुप में विद्ववान अनुभवी, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृति, प्रशासनिक ज्ञान से युक्त लोगों के द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए, जो समय सीमा के अंतर्गत संगठन के लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

कर्नल अतर सिंह बैसोया अध्यक्ष गुर्जर भवन दिल्ली के द्वारा अवगत कराया गया की हमने लम्बे समय तक भारतीय सेना में सेवा की जिसमें वहाँ कोई जाति की बात नही होती थी, लेकिन सेवानिवृत होने के बाद जनता के लोगों के बीच सम्पर्क में आया, तो यहां जातियों के रुप में बटे लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली । शासन प्रशासन में ओ.बी.सी. के लोगों के साथ अनेको अन्याय होते देखे और ओ.बी.सी. के लोगों का शासन प्रशासन में अभाव है इसलिए इस वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नही मिल पाता । संगठन ही एक ऐसा रास्ता है जो सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता हैं ।

भाई सुनील यादव द्वारा कुशलतापूर्वक कार्यशाला में संचालन का कार्य किया गया उन्होने अवगत कराया कि ओ.बी.सी. के लोगों सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में सत्य को समझना आवश्यक है अंधविश्वास, आडम्बर और कुरीतियों में जकड़े होने के कारण इनका मानसिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास अवरुद्व हो गया है इसको विशेष रुप से समझने की आवश्यता है इसके लिए संगठन द्वारा चलाए गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना आवश्यक है प्रशिक्षण के माध्यम से शोषन के कारणों के निवारण और

निवारण के साधनों पर विस्तृत रुप से चर्चा की जाती है साथ ही संवैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक, एतिहासिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है जिससे कार्यकर्ता संगठन की कार्ययोजना के अनुसार लोगों में संगठन के प्रति समर्पण की भावना पैदा कर सके ।

भाई जितेन्द्र यादव जी आल **इण्डिया** बैकवर्ड स्टूडैन्ट फोरम जवाहर लाल नेहरु **विश्वविद्यालय** ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी अधिकारी भर्ती करने में ओ.बी.सी. के कोटे को पूरा नही किया गया है इसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत रहते है हम लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष मंडल दिवस मनाया जाता है तथा शोषण के विरुद्ध संर्घष कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं।

भाई कन्हैया लाल गुप्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी बिरादरी जो ओ.बी.सी. में है वैश्य समाज में शासन के लोग मानकर हमारी जात के लोगों को कोई भी सुविधा नही देता । हमारे लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है सरकारी योजनाओं में हमारे लोग न होने के कारण कोई भी सुविधा नही मिल पा रही है ।

शिविर में संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, एन.के. सिन्हा, जयवीर शाह, जगदीश चन्द्रपाल, निहालसिंह पाल, जयवीर मावी, देवेन्द्र कुमार यादव, शेखर चौधरी, राजबीर यादव, सुभाश यादव, संतराम यादव,राकेश सोनी एडवोकेट, रुपकिशोर लोधी, योगेन्द्र राजपूत, के.पी.सिंह लोधी, तेजबीर सिंह लोधी, एम.पी.सिंह लोधी, गोपाल राजपूत, जयचन्द्र लोधी, नवलकिशोर यादव, मुंशीलाल यादव, इं.राजेन्द्र सिंह, हेतराम वर्मा, डा.विरेन्द्र गुजर, सरदार सिंह गुजर, प्रेमनारायण सचान, सुरेश कुमार, सुरेन्द्र नागर, आदि साथिओं ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए जिससे कार्यशाला में विशाल उर्जा का संचार हुआ और कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं बढ़ा मनोबल भारी मात्रा में साफ दिखाई दिया ।

नोट :- उपरोक्त कार्यशाला में दिल्ली की सभी 7- विधानसभा के क्षेत्रों की कमैटियां बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र की कमैटी गठित करने की जिम्मेदारी स्वीकार की तथा अपने अपने द्वारा संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए अभियान में जुड़ जाने का संकल्प लिया।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला भोपाल, मध्यप्रदेश

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक : 13 - 14 सितंबर 2014 को स्थान-ज्योतिबाफुले भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) मे सम्पन्न हुई।

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया" की कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक: 13-14 सितंबर 2014 को स्थान-ज्योतिबाफुले भवन भोपाल-मध्यप्रदेश मे सम्पन्न हुई। दिनांक 13-9-2014 को 11.00 बजे प्रात: से 12.00 बजे तक (परिचय कार्यक्रम में सभी साथियों का परिचल हुआ) महात्मा-फुले जी के चित्र पर मुख्य अतिथि, एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया।

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया" की मध्य प्रदेश राज्य की इकाई के संयोजक, श्री ब्रजभान सिंह पड़ेरिया एडवोकेट, सह-संयोजक भाई प्रकाश सिंह धाकड़, सलाहकर लोधी लाखन सिंह नेताजी, भाई राम विश्वास कुशवाहा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश ओबीसी इंप्लोइज एसोसिएशन, भाई के.पी. कुर्मवंशी महामंत्री, मध्य-प्रदेश ओबीसी इंप्लोइज असोसियशन, मानसिंह राजपूत भोपाल, आदि साथियो द्वारा अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट द्वारा किया गया। कार्यक्रम मे *"ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया" के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मानव जी* ने अवगत कराया कि - ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया का गठन इसलिए, हुआ, क्योंकि देश के कड़ी मेहनत करने वाले लोगो को महंगा इलाज, महंगा मकान, महंगी शिक्षा, पोष्टिक भोजन, उपलब्ध, नहीं हो पा रहा है। उनको अपमानित किया जा रहा है। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट मे कभी भी चीफ जस्टिस तो दूर कभी भी जस्टिस नहीं बनाया गया है, संघ लोक सेवा आयोग, मे अध्यक्ष तो दूर कोई भी सदस्य तक नही बनाया गया है। केंद्र सरकार मे आजादी के बाद आज तक कोई भी सचिव नहीं बनाया गया। देश के महत्वपूर्ण पदों पर कथित सवर्ण ही कब्जा किए हुये है। ओबीसी के लोगो को सभी क्षेत्रों में, हिस्सेदारी हासिल करके, स्वाभिमान से जीने के लिए यह राष्ट्रव्यापी सशक्त संगठन बनाया गया है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नरेश यादव जी ने फ्रंट के उद्देश्यों के बारे मे अवगत कराते हुये कहा कि ओबीसी की लगभग 70% जनसंख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में आरक्षण हमारा अधिकार है, मण्डल कमीशन की सिफारिशों को शत-प्रतिशत लागू किया जाये। न्याय पालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं अन्य न्यायालयी संस्थाओं में ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था लागू की जाये, क्रीमीलेयर की सीमा, बढ़ा कर 20 लाख रुपये की जाये। महिला आरक्षण मे ओबीसी की आबादी के आधार पर आनुपातिक आरक्षण हो, केंद्र और राज्य की सरकारी, अर्धसरकारी नौकरियों की चयन समितियों मे आबादी के आधार पर सदस्य नियुक्त हों। *श्री आर.के. पाल साहब, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया के ओबीसी इंप्लोइज विंग के राष्ट्रीय प्रमुख* द्वारा देश की सरकारी सेवाओ की भर्ती मे ओबीसी के लोगो को न्याय नही मिल पा रहा है। विभिन्न तरीको से उनको हानि पहुचाई जाती रही है। जिसके कारण हमारे लोगो को सरकारी सेवाओ मे रोजगार के अवसर नही मिल पाते है। नंही ओबीसी के समाज को सरकारी योजनाओ का पूरा हिस्सा मिल पाता है। इसलिए सभी साथियों को आपस मे संगठित होकर समर्पित भावना से काम करने की जरूरत है। साथ ही अपनी मेहनत की कमाई को पंडे पुजारियों मे न लुटाने की जरूरत है। मेहनत की जो भी थोड़ी-बहुत कमाई है उसे बच्चो की अच्छी शिक्षा, भोजन, रोजगार मे लगाए। तभी ओबीसी के लोगों का विकास संभव है।

गुजरात राज्य संयोजक भरत भाई सुथार द्वारा - केंद्र तथा राज्य सरकारो, सरकारी, संसाधनो एवं प्राकृतिक संसाधनों में ओबीसी की आबादी के आधार पर हिस्सेदारी दी जाए, ओबीसी की परम्परागत जातियों को उनके व्यवसायों को उन्हीं के लिये आरक्षित

किया जाए। ओबीसी के कार्यकर्ताओं तथा समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करके लागू कराने के लिए संगठन को शक्तिशाली बनाने की अवश्यकता बताई। ***माननीय श्री गिरधर मढरिया जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़*** द्वारा अवगत कराया गया कि विदेशों में संचालित पाठ्यक्रनों व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा एवं सभी प्रकार के अध्ययन हेतु ओबीसी के छात्रों के शुल्क, हास्टल, कोचिंग आदि का सम्पूर्ण व्यय सरकारों द्वारा किया जाए। आरक्षण का सही अनुपालन न करने बाले अधिकारी को कम से कम 7 वर्षों की कठोर सजा दी जाए। ओबीसी के लोगो को जनसंख्या के आधार पर उद्योग व्यापार में सरकारो द्वारा लोन एवं अनुदान की व्यवस्था की जाय। साथ ही अवगत कराया कि ओबीसी के संगठन द्वारा भी आपस मे आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाये जा राहे है।

वरिष्ठ समाजसेवी श्री रामेश्वर चौधरी पटना बिहार द्वारा ओबीसी के लिए लबे समय से कार्य करते आ रहे, अपने लबे अनुभव को अवगत कराया कि हम भी सचिवालय मे अधिकारी थे, हमारे द्वारा अनुभव किया गया है कि सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों, के चयन तथा शैक्षिक संस्थाओं मे प्रवेश हेतु कराई जा रही काउंसलिंग पहले सामान्य वर्ग की कराई जाए, फिर आरक्षित वर्ग की काउंसलिग कराई जाए। अभी ठीक इसके विपरीत कराई जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। आरक्षण का सही अनुपालन न करने वाले अधिकारी को कम से कम 7 वर्षों की कठोर सजा दी जाए।

खुले सत्र के समय में मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आए ओबीसी के महत्वपूर्ण अनुभवी समाज सेवियों द्वारा विचार रखे गए जिनमे युवा साथी ललित गौर जी के द्वारा ओबीसी के लोगो की दुर्दशा के कारणों तथा उन कारणों का निवारण केवल सशक्त संगठन ही है। इसलिए हम सभी लोगों को पूरे मन से अभी से संगठन मे लग जाना चाहिए। लगातार अधिकतम समय निकाल कर जन जागरण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

आचार्य पूरन सिंह दमोह के द्वारा दमोह में लगातार चलाये जा रहे जन-जागरण के अभियान के बारे मे अवगत कराया गया। कि ब्लाक स्तर पर लगतार बैठके चल रही है और कई गावों मे भी लगातार बैठके चल रही है।

प्रबुद्ध अधिवक्ता– भाई रामेश्वर सिंह ठाकुर जबलपुर - द्वारा मध्य प्रदेश मे ओबीसी के मात्र 14% आरक्षण के बारे में चिंता होने के कारण उन्होनें सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की जिसका जबाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगा गया है। इसके लिए सारे सविधानिक एवं कानूनी पक्षों का उनके द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया और जनता में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है।

प्रबुद्ध युवा अधिवक्ता ***भाई बैभव सिंह जी ठाकुर***- द्व रा गहराई एवं, लगन से अध्ययन के बाद पाया कि मध्य प्रदेश मे ओबीसी का सरकारी सेवाओ मे मात्र 14% ही आरक्षण है। वह भी कोटा पूरा नही है। सबिधानिक पहलुओं का गहराई के साथ उनके द्वारा अध्ययन किया गया, उसका विस्तृत विवरण बहुत ही प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया।

अखिल भारतीय लोधी महासभा के पूर्व महामंत्री श्री हुकुम सिंह देशराजन जी द्वारा अवगत कराया गया कि धर्म के नाम पर मूर्ख बन रहे लोगो को उनकी मूर्खता पर कड़ा प्रहार किया गया। जिससे ओबीसी के लोगों में जाग्रति का संचार हुआ।

पंजाब से आये धनीप्रसाद साहब जो रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, पंजाब ओबीसी एम्पलोइज ऐसासियसन में महामंत्री भी है ने अवगत कराया कि, ओबीसी के लोगो द्वारा बड़ी मात्रा में अंधविश्वास के कारण मंदिरों मे कथित पंडितो को धन भेंट कर दिया जाता है। जिससे ओबीसी के लोग और गरीब हुये है और लुटेरे और धनवान हुये है।

हाकिम सिंह लोधी दमोह द्वारा ओबीसी के लोगों मे चलाये गए जन जागरण के प्रभावशाली कार्यक्रमों को अवगत कराया।

मध्य प्रदेश पिछड़ावर्ग ***इंप्लोइस असोसिशन के महामंत्री श्री के.पी. कुर्मवंसी जी*** द्वारा लगातार वर्षों से मध्य प्रदेश मे ओबीसी के लोगो में चेतना जगाने के कार्यों से जागति आई है इससे लोगो मे अपने अधिकारों को हासिल करने की हिम्मत पैदा हुई है। और शक्तिशाली संगठन तैयार होने मे सहायता मिल रही है।

मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी अध्यक्ष, आल इंडिया मुस्लिम ओबीसी फेडरेसन ने आजादी के समय से काका कालेलकर कमीशन से लेकर मण्डल कमीशन तक के देश भर के संघर्षों की

चर्चा करते हुये उनके द्वारा किए गये कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने से तमाम लोगो को अनेकों तरह का लाभ मिला।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के संयोजक भाई ब्रज भान सिंह पड़ेरिया जी जिनके तन-मन-धन के लगातार सहयोग से मध्य प्रदेश मे ओबीसी मे जाग्रति का संचार हुआ। उन्होने भविष्य मे भी लगातार इसी तरह कार्य करते रहने के लिए घोषणा की जिससे लोगो मे संगठन के प्रति और अधिक लगाव पैदा हुआ।

मध्य प्रदेश ओबीसी इंप्लोइज असोसिएशन के अध्यक्ष श्री राम विश्वास कुशवाहा जी द्वारा सफल एवं अनुकरणीय संचालन करते हुये, उनके द्वारा ओबीसी की इस कार्यशाला मे सम्मिलित हुये साथियो में शाक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। जिससे सभी साथियों में और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिली।

वरिष्ठ समाज सेवी, समाज की सेवा में सतत समर्पित ***त्यागमूर्ति श्री लखन राजपूत जी*** के द्वारा पूरे देश मे लंबे समय से ओबीसी के लोगो में लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। सभी को एक दूसरे से मिलना एवं आपस में मदद करते-कराते सभी को प्रगति की ओर ले जाना उनका शोक शुरू से रहा है। इससे वे जन-जन के प्रिय बन चुके है। उनसे सैंकड़ो लोगो ने प्रेरणा लेकर समाज मे समर्पित होकर समाज के लोगो के विकास मे काम किया है। यह उनके द्वारा किए गए कार्यो से स्पस्ट रूप से दिखाई दिया।

पूर्व डिप्टी कलेक्टर श्री महेंद्र सिंह जी द्वारा शासन, प्रशासन के महत्वपूर्ण लंबे अनुभवो के उपरांत ओबीसी की दयनीय स्थिति को भली-भाँति समझा जाता। विकास की प्रक्रिया मे ओबीसी के लिए समस्याओ का अनुभव किया तथा प्रशासन में ओबीसी की हिस्सेदारी बहुत ही कम होने से इनको अपने अधिकार नही मिल पाये है। सेवा अवधि में उनके द्वारा जनहित एवं न्यायपूर्ण किए गए कार्य आज भी समाज, शासन एवं प्रशासन में अनुकरणीय है। अन्याय एवं अंधविश्वास के बिरुद्ध क्रांतिकारी कार्यक्रम एवं विचार जनता मे छाप छोड़ चुके है।

डा. आर.एन. सिंह जी द्वारा ओबीसी के इंप्लोइज के लिए, तथा इंप्लोइज के द्वारा ओबीसी के लिए किए गए कार्यों का विवरण जितना किया जाय कम है। उन्होंने बहादुरी एवं दिलेरी के साथ ओबीसी के लोगो मे हिम्मत जगाने के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए। वह प्रवचन और भाषण नही देते बल्कि उनके धरातल पर किए गए कार्य स्वता प्रवचन बन जाते है उनके अंदर ओबीसी के लिए गंभीर पीड़ा का अनुभव उनके रचनात्मक, कार्यों से स्वत: किया जा सकता है।

समाज के अनुभवी, गंभीर, चिन्तक और बहादुर संरक्षक परम ***आदरणीय बहादुर सिंह जी*** - जो सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य जी हैं। आप ने सारे जीवन आदर्श जीवन जीने की कला अनगिनत लोगों को सिखाई। जीवन में चिंतन, मनन, ध्यान, संयम की साक्षात मूर्ति का लोगों ने साक्षात दर्शन किया। लोगों में बोद्धिक क्षमता का विकास कैसे हो, ज्ञान से ओत प्रोत कैसे हो उन्होने लोगो को उनके जीवन मे करके दिखाया। निरंतर समाज के लोगो के व्यवहार मे सत्यता, आदर्श, सहजता, द्रणता, मानवता की स्थापना के लिए पूर्ण समर्पित होकर देश के कोने-कोने मे भ्रमण करते हुये संपर्क में रहते है।

अन्त में प्रभावी संचालन करते हुये ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया के महामंत्री डा. महेन्द्र घावड़े, नागपुर द्वारा सभी उदबोध को का परिचय भी कराया गया साथ ही उन्होंने संगठन के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक साथियों को अवगत कराया कि संगठन के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे ओबीसी के लोगों को न्याय मिल सके।

कार्यशाला के निष्कर्ष की समीक्षा में राष्ट्रीय अध्यक्ष, महेश मानव जी ने सभी साथियो को धन्यवाद दिया, एवं आभार व्यक्त किया कि देश मे ओबीसी को न्याय पाने के लिए कोई भी राष्ट्र व्यापी संगठन नही है - इसलिए 'ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट आफ इंडिया' के हम-आप सभी साथियो की ही जिम्मेदारी लेनी है। ओबीसी के समझदार, प्रबुद्ध, अनुशवी समाज सेवी ही देश और समाज की व्यवस्था ठीक कर सकते है? दूसरों से उम्मीद करना न समझी ही है। इसलिए सभी साथी अपने-अपने सार्मथ्य के अनुसार जन-जागरण में नहीं लगेगे तो वर्तमान एवं भविष्य की दुर्दशा के लिए हम सभी ही जिम्मेदार होगे। भविष्य की कोई भी पीड़ी माफ नही करेगी।

कार्यशाला मे मध्य-प्रदेश इकाई के प्रभावी रूप से कार्य को आगे जिलों एवं ब्लाको, नगरों, गांव-गांव, घर-घर तक पहुचने और अधिक तेजी से संगठन को बढ़ाने के लिए टीम में और विस्तार किया गया। जिसमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व डिप्टी कलेक्टर साहब को सोंपा गया। शेष कार्यकारिणी निम्नानुसार घोषित की गई।

श्री ब्रजभान सिंह पदेरिया जी एडवोकेट - उपाध्यक्ष
श्री राम विश्वास कुशवाहा जी - महामंत्री
श्री हरी राम राय जी - सचिव
श्री ललित गौर जी - सचिव
श्री के.पी. कूर्मवंसी जी - संगठन सचिव
श्री प्रकाश सिंह धाकड़जी - संगठन सचिव,

सलाहकार एवं प्रकोष्टों का दायित्व-

1. डा.-आर.एन. सिंह जी - सलाहकार
2. श्री लाखन सिंह ग्वालियर - सलाहकार
3. श्री वैभव सिंह एडवोकेट - विधि प्रकोष्ठ
4. श्री अरुण सुयालयव - इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ।

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला रायपुर, छत्तीसगढ़

ओ.बी.सी. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया की छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यशाला दिनांक 21 सितम्बर 2014 को भोला कुर्मी छात्रावास तात्यापारा, आजाद चौक, रायपुर में प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ हुई।

"ओ.बी.सी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इन्डिया" की छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यशाला दिनांक 21 सितम्बर 2014 को भोला कुर्मी छात्रावास तात्यापारा, आजाद चौक, रायपुर में प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ हुई । कार्यशाला में मुख्य **अतिथि** के रुप में बोलते हुए "ओ.बी.सी. यूनाईटेड फ्रंट **ऑफ इण्या**" के राष्ट्रीय अध्यक्ष ***श्री महेश मानव जी*** ने देश में ओ.बी.सी की लगभग 70% आबादी को आजादी के बाद 65 वर्षो कभी न्याय नही मिल रहा है। जबकि यही ओ.बी.सी0 के लोग देश के प्रमुख रुप से आदर्श नागरिक, कडी मेहनत करने वाले व सच्चे धार्मिक , नैतिक सेवा भावना, मानवीय भावना से ओत प्रोत है । यही देश की खुशहाली एवं विकास के लिए सच्चे हदय से कार्य कर रहे है इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नही है जो आज भी शोषित पीडित हैं जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जिसका कारण है आजादी के बाद 65 सालों से सत्ता मे बैठे लोगो ने अपना सामन्ती, रजवाड़ो वाला रवैया अपना लिया है। वह साम दाम दण्ड भेद से देश की सत्ता और सम्पति पर कब्जा जमा कर बैठे है

उपरोक्त सभी समस्याओं का कारण देश में राष्ट्रीय स्तर का ओ.बी.सी0 के बुद्धिजीवियों को कोई संगठन नही था । संगठन बनाने का दायित्व उसी का होता है जिसकी समस्या होती है । प्यासा ही कुए के पास जाता है अथार्त प्यासा ही पानी की तलाश करता है । *आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है* । इन्ही सभी समस्याओं के समाधान के लिए देशभर के विभिन्न केन्द्रिय सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे भारतीय रेल विभाग के **आलइण्डिया** ओबीसी इम्पलोईज रेलवे एसोसिएसन, **आल इण्डिया**, ओ.बी.सी0 इण्डियन एयरलाईन्स एसोसिएसन, आल इण्डिया बैक ओ.बी.सी0 एम्पलाई एसोसिएसन आल इण्डिया बीएसएनएल ओ. बी.सी0 इम्पलाईज एसोसिएसन, आल इण्डिया एलाईड सर्विसेज ओ.बी.सी एसोसिएसन एवं देश के विभिन्न प्रदेशों के ओ.बी.सी के संगठनों ने 2 एव 3 मार्च 2013 में नागपुर में महाराश्ट् आद्योगिकता विकास संस्थान के प्रशिक्षण केन्द् में ओ.बी.सी की प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई थी। जिसमें विधिवत दोनो दिनों में 17 घण्टों की विस्तृत विचार विमर्श एवं चर्चा के उपरांत ओ.बी. सी यूनाईटेड फन्ट आफ इण्डिया का गठन किया गया तथा देश को 6 जोन में बांटा गया, जोन प्रभारी, प्रदेश प्रभारी एवं आगे प्रदेश से लेकर जिला तथा ग्राम

पंचायत मोहल्ला इकाईयों का गठन करने का वरण बद्व टाईम बाउंड (समय सीमा के अन्तर्गत) कार्यक्रम तैयार किया गया। उसी के तहत देश के सारे प्रदेशों में कार्यशालायें चलाई जा रही हैं।

जर्नलिस्ट मूवमैन्ट ऐसोसिएसन के सम्पादक किसान क्रान्ति महासंघ के प्रांताध्यक्ष *श्री वी०वी०पटेल* ने समाज मे समरसता बनाकर ओ.बी.सी० के साथिओं को अपने अपने परिचितों द्वारा संगठनों मे लगातार जोड़कर आगे बढ़ाने हेतु सम्पर्क में रहना चाहिए।

अपाक्स संगठन के *श्री सिन्हा साहब* ने ओ.बी.सी० के लोगों में जागरुकता एवं देश की वस्तुस्थिति के बारें में जानकारी देने की आवश्यकता बताई । श्री निर्मल साहिब ने कहा कि सभी साथिओं को यह बताना होगा कि देश की समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण, एवं उनका निवारण क्या है। तभी ओ.बी.सी० के लोग संगठन में रुची लेगें । *पूरण सिंह पटेल* जी ने समाज में समरसता, भाईचारा बनाकर संगठन को मजबूत किया जा सकता है।

उत्तम चन्द्राकर जी ने संवैधानिक अधिकारों की ताकत को जो ओ.बी.सी0 के लोंगों को हिस्सेदारी हासिल करने के लिए है कि विस्तृत जानकारी दी ।

श्री दिवाकर यादव जी ने लोगों में लगातार सम्पर्क की आवश्यकता बताया। साथ ही घर–घर तक अपनी बात पहुचानें के लिए पूरा प्रयास जरुरी है ।

श्री कमलनारायण वर्मा जी ने ओ.बी.सी0 के लोगों को आपस में एक दूसरे के लिए त्याग करके मदद की आवश्यकता महसूस की तभी लोग संगठन में आसानी से जुड़ेगें ।

श्री प्रहलाद दमाहे लोधी जो समाज के सचिव भी है उन्होने ओ.बी.सी0 की खुशहाली के लिए संगठन को बनाने की विशेष आवश्यकता पर बल दिया ।

लोधी जतन दमाहे प्रख्यात समाजसेवी द्वारा ओ. बी.सी0 के संगठन में महत्वपर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया।

सत्यदेव बिठोलिया जी ने ओ.बी.सी0 समाज की खुशहाली के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन को सशक्त एवं सक्रिय बनाने की अनिवार्यता पर विस्तृत प्रकाश डाला ।

सुप्रसिद्व गायिका *सीमा कौशिक जी* द्वारा महिलाओं को ओ.बी.सी0 संगठन में जोड़ने के लिए दायित्व मिलना चाहिए ताकि महिलाओं में जागृति

आ सके, महिलाओं में ही अधिक पिछड़ापन है अशिक्षा और अज्ञानता है इनके लिए विशेष जनचेतना अभियान चलाने की आवश्यकता है ।

श्री रामअवतार देवांगन जो अनुभवी एवं प्रदेश स्तर के ओ.बी.सी0 के संगठन कर्ता के रुप में महत्वपूर्ण काम कर चुके है उनके द्वारा संगठन के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से प्रकाश डाला गया जिससे संगठन में आने वाली समस्याओं का समाधान सरलता पूवर्क हो सकेगा ।

श्री महेन्द्र वर्मा जी द्वारा अवगत कराया गया की प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकताओं को

संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान एवं सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के बारे में जानना आवश्यक है इस संबध में कार्यकर्ताओं को विस्तृत प्रशिक्षण देकर जनता में चेतना जगाने के लिए दायित्व दिया जाना चाहियें ।

भाई नरेश जी के द्वारा जनता की समस्याओं को उनके समाधान के लिए सहजता से उपलब्ध उपायों संसाधनों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि जनता की वर्तमान समस्याओं के समाधान हो सकें तभी जनता आसानी से संगठन में रुचि ले सकेगी ।

अनिल सिन्हा जी ने

सरकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न के अनेको उदाहरण प्रस्तुत किए कि ओ.बी.सी0 के सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर सामान्य वर्ग के उच्चाधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है उससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है और समाज के विकास की गति भी धीमी होती है

16 फरवरी, 2014 को किसान भवन दामोह (मध्य प्रदेश)
ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला की झलकियाँ

केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में 29 मार्च, 2015 को
ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की दिल्ली मीटिंग की झलकियाँ

4 एवं 5 अप्रैल 2015 को लखनऊ के संत एस राम इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर की झलकियाँ

दिनांक 27 मई 2015 को ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का सागर संभाग की रविन्द्र भवन सागर (म.प्र.) कार्यशाला की झलकियाँ

ओबीसी
Emailwebsite
:- www.obcufi.news, obcufi.info,obcufi.net
obcufi@gmail.com Mo. 9711539237, 9891496594, 9891306064,
यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडियाह भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चाआ से अतिशीघ्र जुड़ने के लिए सम्पर्क करें : -

दिनांक 26 जून 2015 को सनराइज पब्लिक स्कूल, लगावली धौलपुर (राजस्थान) में कार्यशाला की झलकियाँ

दिनांक 19 जुलाई, 2015 को गाँधी भवन सभागार, भोपाल (मध्य प्रदेश) की कार्यशाला की झलकियाँ

दिनांक 28 जून 2015 को सैनी धर्मशाला (हरियाणा) में ओबीसी यूनाईटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला की झलकियाँ

अंधाविश्वास और अज्ञान से कभी भला नहीं होता तथा ज्ञान - विज्ञान से कभी हानि नहीं होती।

'मण्डल दिवस' 7 अगस्त 2015 को संसद भवन, नई दिल्ली पर मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया।

जीना खाना सब करें, करो काम तुम खास। है भारत के पिछड़े जवानों, तुमसे भारी आस ।।

26 एवं 27 मार्च 2016 को मिर्जापुर उ.प्र. के कुमार उत्सव भवन में मण्डल की कार्यशाला की झलकियॉ

दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को कुशवाहा धर्मशाला, रमटापरा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की कार्यशाला की झलकियाँ

प्रजापति महासभा ;दिल्लीद्ध द्वारा ओबीसी यूनाइटेड ंन्ट ऑपफ इंडिया की टीम को ओबीसी के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए सम्मानित करते हुए प्रजापति
महासभा क दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री राम सिंह खान्डोदिया एडवोकेट

दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की फुले भवन, अरैरा कॉलोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश) की कार्यशाला की झलकियाँ

मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक का मानवहित में प्रयोग ही धार्म हैं।

दिनांक 27 फरवरी, 2016 को किरार भवन में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की कार्यशाला की झलकियाँ

भाग्यवादी कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता और क्रांतिकारी कभी भाग्यवादी नहीं हो सकता।

दिनांक 28 फरवरी, 2016 को महारानी अवन्तीबाई लोधी छात्रावास, भिण्ड (मध्य प्रदेश) में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला की झलकियाँ

दिनांक 5 मार्च, 2016 को ऊषा फर्नीचर हाऊस भवन, चमरौली, आगरा (उत्तर प्रदेश) में ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की कार्यशाला की झलकियाँ

दिनांक 7 एवं 8 मई, 2016 को बुद्धिष्ठ सोसायटी आफ इंडिया, तुलसी नगर सभागार, भोपाल (मध्य प्रदेश) की झलकियाँ

संविधाान को जाने अपनी ताकत को पहचानें।

ओबीसी के आरक्षण के लिये मील के पत्थर

रोहिणी प्रसाद पटेल

1871 – में मद्रास जनगणना रिपोर्ट के द्वारा नॉन ब्राह्मण हिन्दू एवं मुस्लिम को राजनैतिक सता से बाहर रखा गया है। ऐसा साबित हुआ।

1881 – सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को Entitls सुझाव की विशेष रुचि की आवश्यकता महसूस की गई।

1882 – पिछड़े वर्ग के लिये शिक्षा की सिफारिश की गई।

1883 – इण्डियन एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य जनता के लिये शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

1885 – सामान्य जनता में शिक्षा के लिये मद्रास प्रांत ने वित्तीय समर्थन दिया।

1893 – मद्रास सरकार द्वारा 49 विशेष जातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने कि व्यवस्था कि गई।

26-7-1902 – छत्रपति साहु जी महाराज द्वारा उनके शासन में 50% नान ब्रहम्ण को रिजर्वेशन दिया गया।

1918 – मैसूर सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं के लिये कमीशन बना कर, उसकी रिर्पोट के आधार पर शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण की घोषणा कि गई।

1920 – छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा उनके राज्य में नान ब्रहाम्णों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 90% किया गया।

1927 – में मद्रास राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में भरती का जाति आधारित नियम बनाया गया। जिसमें 12 सरकारी नौकरियों में 2 ब्राहम्ण, 5 नान ब्राहम्ण हिन्दु, 2 मुस्लिम, 2 इंग्लो इडियन और 1 अनुसूचित जाति का भरती होता था।

1928 – मुम्बई स्टेट सरकार की एक कमीशन की रिर्पोट द्वारा निम्नलिखित विभाजन किये गए:

1 – डिप्रैस्ट क्लासेस

2 – ओरीजिनल और हिल ट्राइप

3 – अन्य पिछड़े वर्ग का क्लास

1931 – सेप्रेट इलेक्शन कैम्पस पिछड़े वर्ग के लिये घोषित किये गये। जिसके विरोध में गांधी द्वारा आमरण अनशन किया गया। इसके फलस्वरूप नेताओं के बीच गांधी एवं बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बीच बहुचर्चित पूना पैक्ट 24 सितम्बर 1932 को हुआ। जिसमें अनुसूचित जाति को आबादी के आधार पर सभी क्षेत्रों सरकारी सेवाओं, विधायिकाओं में आरक्षण किया।

1943 – डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रथम कानून मंत्री के रूप में अनुसूचित जातियों को 8-33% आरक्षण देने के लिये वायसराय को मेमोरेंडम प्रस्तुत किया।

1944 – शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जातियें को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई।

1946 – अनुसूचित जातियों के आरक्षपण 8.33% से 12.33 बढ़ाया गया।

1946-48 – अनुसूचित जातियों को आरक्षण 16.66 तक बढ़ाया गया।

26.11.1949 – भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 के अनुसार एस.एस., एस.टी., ओबीसी को आरक्षण के प्राविधान करने के साथ ओ.बी.सी. के लिये इनकी समस्याओं के लिये आयोग गठित करने तथा आयोगों की सिफारिशों को मानने का प्राविधान हुआ।

1950 – पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिये संविधान में प्रथम संशोधन अनुच्छेद 340 में किया जाय।

27.11.1951 – डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल से पिछडे वर्ग के आरक्षण के लिये अनुच्छेद 340 की सिफारिशों को लागू करने के लिये रुचि न लेने से इस्तीफा दिया।

29.1.1953 – केन्द्र सरकार ओबीसी समस्याओं के लिये प्रथम आयोग काका कालेलकर नियुक्त किया गया।

30.3.1955 – काका कालेलकर आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग की 2399 जातियों उपजातियों के उत्थान के लिये अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, किन्तु नेहरू ने इस पर बहस ही नहीं होने दी और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

1979 – जनता पार्टी के शासन काल में प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देशाई जी द्वारा विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल कमीशन का पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिये गठन किया गया।

31.12.1980 – श्रीबिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल द्वारा कमीशन की सिफारिशों को संसद में जमा किया गया। इस समय इसमें वी.पी. मण्डल जी द्वारा ओबीसी की 3743 जातियां उप जातियों को शामिल किया गया। जिनकी 52% आबादी बताई गई तथा 52% आरक्षण की सिफारिशें की गई। क्योंकि अभी संविधान में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। जब तक कि संविधान में संशोधन न हो जाये तब तक 50% में शेष 25% आरक्षण की सिफारिशें की गई।

1982 – मण्डल कमीशन की रिपोर्ट संसद में पटल पर रखी गई।

13.8.1990 – भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के आफिस साप नं. 36012/31/90 - Est. (Sct) dated August 13, 1990 (प्रधाानमंत्री वी.पी. सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिये 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का आदेश जारी किया।) जिसके विरोध में कथित उच्च जातियों में भयंकर विरोध होने के कारण उनके द्वारा देश भर में भारी हिंसा आगजनी तोड़ फोड की गई भारतीय जनता पार्टी भी वी.पी. सिंह की जनता दल सरकार में शामिल थी। उसमें लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकालने के बहाने साम्प्रदायिकता फैलाने का पूर्ण प्रयास किया ताकि देश में साम्प्रदायिकता फैले। इसके लिये बिहार में प्रवेश किया वहां जनता दल के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी को रोका। वी.पी. सरकार गिराने का एक बहाना था।

7.09.1990 – सुप्रीम कोर्ट ने मण्डल कमीशन की ओबीसी के आरक्षण पर विरोधियों द्वारा याचिकायें दायर करने पर अगले निर्णय तक रोक लगा दी।

16.09-1992 – सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों की बैंच ने ओबीसी को 27% आरक्षण की संवैधानिक एवं सही ठहराया।

8.9.1983 – भारत सरकार के आफिस मैमोरन्डम सं. 36012/22/93 - Est(Sct) दिनांक 13 अगस्त 1990 को बोबीसी के 25% आरक्षण देने का आदेश जारी हुआ।

13.7.1993 – को प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी.पी. सिंह) जी ने पिछड़े वर्ग के लिये 27% केन्द्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आदेश जारी किया।

इसका कथित अपर कास्ट में जबरजस्त विरोध हुआ। जिससे कथित ऊंची जातियों के लोगों ने देश में बड़ी मात्र में तोड़-फोड़, आगजनी, हिंसा फैलाई। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के वी.पी. सिंह सरकार में मंत्री लाल कृष्ण अड़वानी ने बी.पी. सिंह की सरकार गिराने के लिये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राम रथ निकालने का काम चालू कर दिया ताकि देश में सांप्रदायिकता फैले और अड़वानी को रोका जायेगा। इसके विरोध में बी.पी. सिह की सरकार गिराई जायेगी। और यही हुआ भी। वी.पी. सिंह की सरकार पिछड़ों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिये मण्डल कमीशन रिपोर्ट की शिफारिशों को लगू क्यों किया। इसलिये भारतीय जनता पार्टी ने वी.पी. सिंह की जनता सरकार गिरा दी।

ओबीसी के साथियों! आप क्या चाहते हैं?

डॉ. राम अशीष सिंह

''कोउ नृप होय हमें क्या हानि।
चेरी छाड़ ना होयब रानी।''

कई सदी पूर्व कहे 'दैवी संस्कृति' के इस वक्तव्य को क्या आप आज 21वीं सदी में भी जारी रखना चाहते हैं? हमारे देश की भौगोलिक तथा पर्यावरणीय स्थिति, उपजाऊ जमीन, खनिज एवं वन सम्पदा से भरे पड़े पहाड़, पठार और घने जंगलों ने ही सहस्राब्दियों पूर्व यहां दैवी संस्कृति स्थापित कर दी। लेकिन इस दैवी संस्कृति से विकसित हमारी मानसिकता ने इस देश का कितना नुकसान किया है, इसका सही-सही आकलन हम आज भी लगाने को तैयार नहीं हैं। यदि हम अपनी क्षति का सही आकलन कर पाये होते या आज भी करने की इच्छा रखते तो शायद हमारा ध्यान अपनी क्षतिपूर्ति की ओर अवश्य जाता और हम स्वयं उठ खड़ा होते, स्वविकसित होते। 'बुद्ध' का वचन - ''अप्प दीपो भव'' (अपना दीपक स्वयं बनो) को चरितार्थ करते। ''दैवी संस्कृति'' (सब कुछ भगवान/देव/देवी देख रहे हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे, हमारे शत्रुओं का विनाश करेंगे) में हमारी अंध श्रद्धा के कारण ही इस देश को विदेशियों ने जमकर लूटा है। करीब पिछले दस हजार वर्षों से अनवरत जितना अधिक यह देश लूटा-पिटा, शोषित, उत्पीड़ित हुआ है, जितना अधिक यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन-शोषण हुआ है, शायद उतना विश्व के किसी अन्य देश का नहीं हुआ है। यद्यपि यहां विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में प्राचीन सभ्यता (सिन्धु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता) मौजूद थी। विश्व का शायद ही कोई अतिसभ्य देश इतना अधिक लूटा-पिटा हो। यहां सहस्राब्दियों से ही विदेशियों का आक्रमण प्रारम्भ हुआ। आर्य, यवन, हूण, कुषाण, शक, मंगोल, तुर्क, अफगान, मुगल और अंत में अंग्रेज आये। इनमें से कुछ तो लूट-पाट कर लौट गये और कुछ यहीं के बन कर रह गये।

याद कीजिए ''महमूद गजनी' का 'सोमनाथ' पर आक्रमण। महमूद गजनी 17वीं बार में सोमनाथ पर आक्रमण करने में सफल हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि जिस वक्त ''महमूद गजनी' अपनी छोटी-सी सेना लेकर सोमनाथ के मंदिर के 'दीवार' को तोड़ रहा था, उस वक्त सोमनाथ मंदिर के विशाल प्रांगड में हजारों की संख्या में, साधु, संत, पुजारी, महंत, तांत्रिक, औघड़ और आम नागरिक मौजूद थे। इतिहासकार बताते हैं कि इतनी विशाल जनसंख्या यदि मात्र अपना शरीर लेकर ही 'गजनी' की सेना पर गिर पड़ती तो 'गजनी' की पूरी सेना का कचूमर निकल जाता। वह दैवी संस्कृति की अंध भक्त विशाल समूह सिर्फ हर-हर महादेव के नारे लगाती रही। गजनी के हथौड़े के हर आघात पर पंडे-पुजारी आम लोगों को समझाते रहे कि महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और यह मलेच्छ यहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 'गजनी' तो 'महादेव' के तीसरे नेत्र से भस्म नहीं हुआ बल्कि गजनी ने महादेव के तीसरे नेत्र के खुलने से पूर्व ही उनके विशाल प्रस्तर लिंग को अपने हथोड़े की चोट से चूर-चूर कर दिया और उस प्रांगण में मौजूद सभी काहिलों, अकर्मण्यों को मौत के घाट उतार दिया।

पूरे भारतीय इतिहास का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कभी भी हमारे देव/देवी हमारी सहायता को सामने नहीं आये हैं, उल्टे उनके सामने ही हम लूटते-पिटते रहे हैं। हम अपनी अकर्मण्यता छोड़कर, कर्मठ, कर्मशील क्यों नहीं हो पा रहे हैं?

अंग्रेजों के जाने के बाद अपने आपको स्वतंत्र कहने, समझने वाला यह देश अपने लिए एक संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया। संविधान की उद्देशिका में देश को ''संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' बनाने का संकल्प लिया गया। लेकिन पूरे संविधान में इस उद्देशिका की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। संविधान में लोकतांत्रित के बदले 'व्यक्तिवादी' व्यवस्था के लिए प्रावधान केया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-52 के अनुसार ''भारत का एक राष्ट्रपति होगा।'

अनुच्छेद–53(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

अनुच्छेद–74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद–75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

इस तरह देश की 'सर्वोच्च कार्यपालिका' लोकतंत्रवादी न होकर 'व्यक्तिवादी' है अर्थात् देश का राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री

और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वह देश की जनता के बहुमत से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं चुना जाता। साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह अलग बात है कि संविधान लागू होने के पूर्व से ही एक संविधानेत्तर परम्परा कायम कर दी गयी कि 'बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा।'' संविधान में दलीय व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं है फिर भी देश पर लोकतंत्र के नाम पर 'दलतंत्र' या 'दलीय अधिनायकवाद' लाद दिया गया। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया कि हम 'दैवी संस्कृति' के पोषक और अंध समर्थक हैं। इस देश की विडम्बना है कि संविधान ने जिस राष्ट्रपति में संघ के कार्यपालिका की पूरी शक्ति निहित किया है, उसी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त प्रधानमंत्री ने देश की अंध व्यक्तिवादी जनसमर्थन से बौना बना दिया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प होना चाहिए था लेकिन यहूदी दुष्प्रचार की कला का उपयोग कर स्थिति उलट दी गयी। अर्थात् राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बनाने की परम्परा विकसित कर दी गयी। प्रधानमंत्री भष्मासुर बन बैठा।

इस तथाकथित 'लोकतंत्रात्मक गणराज्य' के लिए संविधान अंगीकृत करने (26 नवम्बर, 1949) के पूर्व (15 अगस्त, 1947) से ही व्यक्तिवाद का न केवल बीजारोपण हुआ बल्कि उसके बढ़ने, फूलने-फलने का माहौल भी दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू के ग्लैमर की चकाचौंध में पूरे देश को डुबो दिया गया। 20वीं सदी के प्रारम्भ में जिस छल-छद्म के कौशल का उपयोग 'आस्ट्रिया-जर्मनी' के यहूदी करते थे, लगभग उसी छल-छद्म का उपयोग कर एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को अपने मीड़िया और दुष्प्रचार माध्यम से इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि उस समय हर क्षेत्र (राजनीति, कूटनीति, आर्थिक, वैदेशिक) में उससे बड़ी हस्तियां भी बौनी नजर आने लगीं। यह मीडिया तथा प्रचार तंत्र का ही कमाल था कि बहुत सी गलतियां होने पर, घोटाले (जीप कांड) पकड़ाने पर, चीन से युद्ध में परास्त होकर अपनी हजारों वर्गमील जमीन गवां देने पर भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व धूमिल नहीं हुआ बल्कि चमकता रहा। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष और अघोषित तानाशाही का ही नमूना था।

1947 से लेकर आज तक हम इस व्यक्तिवाद के मायाजाल से बाहर नहीं आये हैं बल्कि उल्टे धीरे-धीरे स्वयं ही व्यक्तिवाद के मजबूत जाल में फंसते जा रहे हैं। आज इस देश में जहां दलतंत्र लोकतंत्र पर हावी है एकाध दल ही अपवाद स्वरूप (साम्यवादी, वामपंथी दल) व्यक्तिवाद से बचे हैं अन्यथा सभी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियां देश की आज जनता का समर्थन पाकर व्यक्तिवादी हो चुकी हैं।

क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिवादी राजनीति या व्यवस्था (विश्व के किसी कोने में) जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे अधि नायकवाद, तानाशाही, नाजीवाद या फासीवाद को जन्म देती है। सामूहिक नेतृत्व का दम भरने वाली वामपंथी (साम्यवादी) पार्टियां भी व्यक्तिवाद का शिकार होकर तानाशाही, अधिनायकवादी हो जाती हैं। चाहे सोवियत रूस में स्टालिन, खुश्चेव का शासन हो या चीन में 'माओ' का या 'क्यूबा' में 'फिडेल कास्त्रो' का। इन साम्यवादियों तथा अन्य तानाशाहों में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं देखा जाता। ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट करते हैं कि कोई भी तानाशाह पहले लोकतांत्रिक माध्यमों (दलीय पद्धति में आम जन के मतदान) से भावनात्मक मुद्दे के बल पर आमजन में अपनी जगह बनाकर अंततः तानाशाह बन बैठता है।

जर्मनी का 'उग्र राष्ट्रवादी' तानाशाह 'एडोल्फ हिटलर' ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वाभिमान जैसे भावनात्मक मुद्दों के बल पर आम चुनाव में भाग लेते हुए बहुदलीय साझा सरकार के माध्यम से ही सत्ता हथियाया था। 31 जुलाई, 1932 को हुए आम चुनाव में 'एडोल्फ हिटलर' की 'नेशनल सोशलिस्ट पार्टी' को मात्र 37% मत हासिल हुआ। उसे 608 सदस्यीय जर्मन संसद में स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर लेकिन संसद की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 230 सीटें मिलीं। इस अल्पमत से चलकर 'हिटलर' जर्मनी का दो दशक से ऊपर एकछत्र शासक कैसे बना यह इतिहास में विस्तार से दर्ज है।

हिटलर अपने बेरोजगारी और गरीबी के दिनों में 'यहूदियों' की पार्टी 'सोशल डेमोक्रेट' के प्रकाशनों को पढ़ता था। हिटलर में उन प्रकाशनों के अध्ययन तथा 'सोशल डेमोक्रेट' के राजनीतिक व्यवहार के अवलोकन से उनकी सफलता के तीन (राज) निष्कर्ष निकाले – ''यहूदी यह जानते थे कि बिना 'जन आंदोलन' के कोई भी राजनीतिक पार्टी अनुपयोगी थी। यहूदी यह जानते थे कि 'जन आंदोलन' कैसे पैदा किया जाता है।''

''यहूदियों ने जनसाधारण के बीच दुष्प्रचार (Propaganda) के कला को भी सीखा था।''

और अन्त में ''यहूदी आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक (Spiritual and Physical Terror) के उपयोग का मूल्य जानते थे।

हिटलर राजनीति में कुशल सार्वजनिक भाषण के महत्व को समझता था। उसने, अपनी आत्मकथा–''मेरा संघर्ष' में लिखा है कि ''जनता के व्यापक जनसमूह को मात्र वाक्शक्ति या भाषण की शक्ति (Power of Speech) से ही विचलित और प्रेरित किया जा सकता है।''

कालांतर में हिटलर ने यहूदियों के इन्हीं कलाओं-जन आंदोलन खड़ा करने की कला, जन साधारण के बीच दुष्प्रचार (Propagada) करने की कला तथा आध्यात्मिक और शारीरिक आतक (Spirutla and Physical Terror) पैदा करने की कला का बखूबी इस्तेमाल कर अल्पमत में रहते हुए भी 1932 में शासन-सत्ता पर कब्जा जमाया।

हमारे देश में भी तथाकथित आजादी जो 'महात्मा गांधी' के सिद्धांतों पर चलकर कांग्रेस पार्टी के 'जन आन्दोलन' से प्राप्त हुई थी के बाद उस 'जन आंदोलन' से उपजे सत्ता के नायक 'पं. नेहरू' ने महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को भंग नहीं किया। पं. नेहरू ने भी यहूदियों के उस मंत्र – 'जन आंदोलन' की ताकत, ओजस्वी भाषण की ताकत तथा आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक की ताकत का उपयोग करते हुए जीवनपर्यन्त शासन किया। 1947 के बाद पं. नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने कोई 'जन आंदोलन' खड़ा नहीं किया बल्कि उस जन आंदोलन को भुनाते रहे। आज आजादी के 66 वर्षों बाद भी कांग्रेस उसी जन आंदोलन का नाम लेकर अपने आपको 125 वर्ष पुरानी पार्टी कहती है।

कांग्रेसी नेता अपनी वक्तव्य क्षमता के उपयोग के साथ ही साथ समय-समय पर आध्यत्मिक और शारीरिक आतंक का भी बखूबी इस्तेमाल कर शासन-सत्ता पर काबिज है। जैसे – 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या एक संघी द्वारा किए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (R.S.S.) को 4 फरवरी 1948 को साम्प्रदायिक करार देकर उस पर पाबन्दी लगा दिया।

उसी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर से पं. नेहरू ने 1963 में पाबन्दी हटाकर गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1963) के परेड में शामिल कराकर राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र दे दिया। आर.एस.एस. आज भी उसी प्रमाण पत्र को दिखाकर कांग्रेस को चिढ़ाता है।

पं. नेहरू के शासन काल में ही अयोध्या के 'बाबरी मस्जिद' में 'राम लला' की मूर्ति रखवायी गयी थी। जब पं. नेहरू ने उ.प्र. के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत को बाबरी मस्जिद से मूर्ति हटाने को कहा तो पंत ने विद्रोह खड़ा होने का भय दिखाकर मूर्ति हटाने से मना कर दिया। परिणामत: वहां ताला लगा दिया गया।

'राजीव गांधी' के प्रधानमंत्रित्व काल में हिन्दुओं को लुभाने के लिए मस्जिद का ताला खुलवाया गया तो इससे मुसलमानों में उपजे गुस्से को शांत करने के लिए एक तलाकशुदा वृद्ध महिला 'शाहबानो' को मुआवजा देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश को संसद से नया कानून बनवाकर रोक दिया।

पं. नेहरू के शासनकाल में भी मीडिया आम जन की तकलीफों, समस्याओं, विस्थापनों से उपजे दर्द से ज्यादा नेहरू के व्यक्तित्व का महिमामंडल करने में व्यस्त रहता था। मीडिया ने जनमानस में भविष्य की राजनीतिक शून्यता का दुष्प्रचार 'Who after Nehru' कर आम जन में राजनीतिक आतंक पैदा किया। मीडिया के इस शोर-शराबे में जनता की अन्य सभी तकलीफें डूब जाती थीं।

आज पिछले 15-20 वर्षों से देश की स्थिति कुछ अजीब सी हो गयी है। 1991 से देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने, विकसित करने के लिए देश में नयी उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लायी गयी। इस नयी उदारवादी, निजीकरणवादी तथा भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में देश के सभी साधन, संसाधन (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, प्राकृतिक संसाधन-जमीन, जल, जंगल, खनिज, मानव श्रम) विकास और रोजगार विकसित करने के नाम पर निजी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट घरानों को कौड़ियों के दाम सौंपा जाने लगा। सूचना तंत्र में खुलापन लाया गया जिससे पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया तंत्र (समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टी.वी. चैनल) की बाढ़ आ गयी। इस निजीकरण के दौर में पूंजीपति, उद्योगपति खुलेआम जनप्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों), मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा प्रधानमंत्री तक को अपने धन के बोझ तले दबाने लगे तो दूसरी तरफ अपने मीडिया से उन पर अंकुश डालने लगे। अर्थात् 'धन तंत्र' और 'सूचना तंत्र' के दुहरे मार से लोकतंत्र बिलबिलाकर भाग गया।

आज देश का मान-सम्मान, स्वाभिमान और सम्प्रभुता लगभग रोजाना ही पड़ोसियों (पाकिस्तान और चीन) के सैनिकों के बूटों तले बुरी तरह रौंदा जा रहा है। हमारे सैनिकों का सिर काट कर पाकिस्तानी सेना ले भागती है, गस्ती कर रहे सैनिकों की, घात लगाकर पाकिस्तानी सेना द्वारा हतया कर दी जाती है।

चीनी सैनिक आये दिन भारतीय सीमा में 40-50 कि. मी. अन्दर आकर अपनी छावनी लगा देते हैं। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के गिड़गिड़ाने पर चीनी अपनी शर्तें हमारे ऊपर लादकर ऐसे वापस जाते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हों। इन घटनाओं से पूरा देश (आम जन) आहत हो क्रोधित, आक्रोशित और क्षुब्ध है। आम जन इन घटनाओं का स्वयं प्रतिकार करने में अपने आपको अक्षम पाकर घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी रक्षा, सुरक्षा, मान-सम्मान तथा सम्प्रभुता की रक्षा करने के लिए चुनी गयी जिस सरकार को इन पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए थावह सरकार नपुंसकता की हद तक न केवल अपनी बुजदिली और कायरता ही दिखा रही है बल्कि सरकार के प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और विदेशमंत्री पड़ोसियों की इस नापाक घिनौनी हरकत पर उन्हें दोषी न करार देकर उन्हें 'क्लीन चिट' दे रहे हैं।

गस्ती कर रहे पांच सैनिकों की घात लगाकर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गयी हत्या पर हमारे प्रतिरक्षा मंत्री संसद में बड़ी बेशर्मी से बयान देते हैं कि ''इस हत्या में पाकिस्तानी सैनिक शामिल नहीं थे।''

चीन के भारतीय सीमा अतिक्रमण और सीमा के अन्दर प्रवास पर प्रतिरक्षा मंत्री और विदेशमंत्री न केवल चीन को 'क्लीन चिट' देते हैं बल्कि पूरे देश के विरोध के बावजूद विदेश मंत्री चीन का दौरा भी करते हैं।

चीन उस धमकी के बदौलत भारत से अपने पक्ष में

बहुत बड़ी 'व्यापार डील' हासिल करता है। चीन के साथ हुए व्यापार समझौते से हमारा व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है, देश कुछ और अधिक आर्थिक घाटे की ओर बढ़ जाता है।

आज देश में लगभग दो-तिहाई जनता भूखों रह रही है। भूख से, बिमारी से लोग मर रहे हैं। देश में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, महिलाएं कुपोषण तथा उचित देख-रेख के अभाव में प्रसव-काल में ही मर जा रही हैं। कमसिन, नाबालिग बच्चे/बच्चियां स्कूल जाने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर हैं। आये दिन किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खाये-अघाये पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट घरानों को मंदी से उबरने के लिए '5 लाख करोड़' का बेल-आउट पैकेज दिया जाता है। अबोध, मासूम (5-7 वर्ष), नाबालिक बच्चियों, युवतियों को रोजाना बलात्कार ही नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार और फिर उनकी नृशंस हत्या हो रही है। इस तरह पूरे देश में न केवल एक मासूम 5 वर्ष से लेकर वृद्ध तक का मान, सम्मान, स्वाभिमान तार-तार किया जा रहा है, बल्कि देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से देश के तथाकथित नेताओं द्वारा ही खोखला किया जा रहा है। आम लोगों के जल, जमीन, जंगल, खनिज, वन-सम्पदा इत्यादि सरकार द्वारा ही जबरन लेकर पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। परिणामतः देश का विकास करने, रोजगार पैदा करने के नाम पर मुफ्त में हासिल प्राकृतिक संसाधनों से वे पूंजीपति रातों-रात अरबपति बन रहे हैं तो दूसरी तरफ वास्तविक भूस्वामी एक खाता-पीता खुशहाल किसान से मजदूर और भिखमंगा बन रहा है।

हमारे जिन नेताओं को, भूख, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, स्वाभिमान हनन से लोगों के जख्मी मन पर मरहम लगाना चाहिए था वे स्वयं अपनी कायरता, बेशर्मी स्वार्थपरता से उनके जख्मों पर क्रूरता से नमक-मिर्च मल रहे हैं।

इस तरह इस देश की आज की परिस्थितियां आज से 100 वर्ष पूर्व के जर्मनी की परिस्थितियों की तरह ही नजर आ रही हैं। ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, वैदेशिक परिस्थितियों के संक्रमण काल में ही लोगों की भावनाओं को भड़काकर, समाज पर लगे जख्म पर मरहम लगाकर 'हिटलर' जर्मनी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा था। चूंकि क्षुब्ध, क्रोधित, आक्रोशित व्यक्ति/समूह अपने सोचने की शक्ति खो देता है, उसकी विश्लेषण और विवेचन शक्ति समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वह भाषण और प्रचार (दुष्प्रचार) के प्रबल धारा-प्रवाह में बह जाता है। स्वयं ही आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक के भंवन जाल में फंस जाता है जहां से निकलना अब उसके वश में नहीं रहता।

आज घपलों-घोटालों (2-जी स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, कॉमन वेल्थ गेम, आदर्श कॉलोनी घोटाला, हेलिकॉप्टर डील) से त्रस्त तथा स्वाभिमान से टूटे इस देश में 2014 में देश की सर्वोच्च संस्था (संसद) के लिए होने वाले आम चुनाव की वार्निंग घंटी बज चुकी है। इस अवसर पर देश के संविधान के प्रावधानों से अलग हटकर एक राष्ट्रीय दल, अपने दल के अन्दर के पुरजोर विरोध को नजरअंदाज कर देश के शीर्ष (प्रधानमंत्री) पद के लिए अपना भेड़ा नामांकन कर मैदान में छोड़ दिया है। साथ ही दूसरे प्रमुख राष्ट्रीय दल को चिढ़ाने की मुद्रा में चुनौती दे रहा है कि यदि तुममे दम है तो अपने दल से प्रधानमंत्री पद के लिए भेड़ा नामित कर मेरे 'भेड़े' के साथ द्वन्द्व युद्ध में उतारो।

अब प्रश्न खड़ा होता है कि 'समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' में क्या व्यक्तिवादी (जहां विचारधारा और नीति से भी ऊपर व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा) राजनीति देश के बहुजन (पिछड़े दलित, पसमांदा, आदिवासी) के हित में होगा?

मेरा उत्तर है – नहीं। क्योंकि व्यक्तिवादी राजनीति तानाशाही को जन्म देती है। यह इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जिन पिछड़ों, दलितों, पसमांदा, आदिवासी को लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है वही स्वयं यहूदी कला (जन आंदोलन खड़ा करने की कला तथा आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक पैदा करने की कला) में माहिर उन दलों की देखा-देखी व्यक्तिवादी राजनीति के भंवर जाल में फंस चुके हैं। आज लगभग हर प्रदेश में इन बहुजनों के अपार अंध समर्थन से व्यक्तिवादी नेता पैदा हो गये हैं जो एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे है। उन व्यक्तिवादी तानाशाहों से चुनाव के बाद आम बहुजनों का न केवल मिलना दुष्कर हो जाता है बल्कि उनकी आवाज भी 'नक्कार खाने में तूती की आवाज' बन जाती है।

देश के संविधान के अनुसार आमजन को मात्र अपना जन-प्रतिनिधि (सांसद, विधायक, जिला पार्षद) चुनने का अधिकार है। वे जन-प्रतिनिधि आपस में मिलकर आमजन के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जिलाध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो अपने स्तर से सरकार गठित कर आमजन की समस्याओं का निवान करते हैं। यदि आप अपना जनप्रतिनिधि, उसके गुण-दोष, विचारधारा, नीति के आधार पर चुनते हैं तो उसका दखल बनने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा जिलाध्यक्ष और सरकार पर बना रहता है जिससे आपके लिए कार्य करवाने में आपका जनप्रतिनिधि सक्षम होता है। लेकिन यदि आप पूर्व से नामित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जिलाध्यक्ष के नाम पर उसके दल के उम्मीदवारों को अपना मत देते हैं तो आपका जनप्रतिनिधि नहीं रह जाता बल्कि वह उस व्यक्ति का गुलाम बनने को मजबूर हो जाता है। कहीं-कहीं तो आपके अंध अपार समर्थन से पैदा वह व्यक्तिवादी तानाशाह अपने विधायकों को कौन कहे मंत्रियों तक से

भी नहीं मिलता, आम कार्यकर्ता और जनता की बात तो दूर की है। इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए इस देश के बहुजनों के हित में नहीं है–व्यक्तिवादी राजनीति बल्कि उनके हितों के विरूद्ध है।

आज एक दल विशेष यहूदियों की कला (जन आंदोलन खड़ा करने, दुष्प्रचार करने तथा आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक पैदा करने) तथा दल द्वारा नामित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के ओजस्वी आपके (बहुजनों के) मनोमस्तिष्क पर छा रहा है। आप उसके दुप्रचार और आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक (चाहे वह अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा या पांस कोसी परिक्रमा हो या मुजफ्फरनगर, शामली में फैलाया गया साम्प्रदायिक दंगा) के चंगुल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस देश में (अति पिछड़ी) जाति के नाम पर एक नया हिटलर आपके ही बीच से पैदाकर उसी से आपका (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, न्यायिक) कत्लेआम कराया जाय।

यह वक्त है धैर्य से उत्तेजना रहित होकर शांत मन से विचार करने का, मंथन करने का, देश की राजनीतिक स्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने का जिससे आपके विकास (पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का नहीं) का सही 'रोड मैप' तैयार हो सके। आध्यात्मिक और शारीरिक आतंक का दुष्प्रचार के कारण आक्रोश, उत्तेजना, क्रोध और भावना में बह जाने का समय नहीं है।

यह निर्णय आपका होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं – एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या पूंजीवादी, बाजारवादी, उपभोक्तावादी विकास की भावनात्मक तानाशाही।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ!

डा. राम अशीष सिंह
सम्पादक– ''आपका आईना'' पटना

देश का शासक ऐसा हो जिसके लिये राष्ट्र सर्वोपरि हो

President of Uruguay
Uruguay
Per capita $16,334

ये अपने वेतन का 90% गरीबों में दान कर देते हैं और सादा जीवन जीते हैं

President of Bharat
Bharat
Per capita $1,592

इधर इनका सालाना खर्चा 3 हजार करोड़ रूपये का है. और इनकी जीवन शैली ऐसी है मानो जैसे अभी भी भारत में अंग्रेजों का राज हो

8

भारतीय मूल निवासी राष्ट्र *बनाम* हिन्दू राष्ट्र

▲ *वेरसीभाई गढवी*

3500 वर्ष पूर्व आर्यब्राणों ने हमारे देश में आक्रमण करके देश के मूलनिवासियों को पराजित करके उनकी सभ्यता और संस्कृति का दमन करके वर्णव्यवस्था को क्रमशः प्रस्थापित किया। अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए मूलनिवासियों में से जरूरी लोगों का वैदिक धर्म में धर्मांतर करके उनको क्षत्रिय और वैश्य की पहचान दी। मूलनिवासियों की विशाल आबादी को गुलाम रखने के लिए उनको शुद्र, अतिशुद्र बनाकर शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र धारण करने के अधिकारों से वंचित किया। उनक शोषण के लिए पाखंडों और ठगविद्या को धर्म के रूप में प्रस्थापित किया। देश की मूलनिवासी आबादी को अनार्य घोषित किया।

ई.स. 600 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने ढोंग, पांखड, ठगविद्या का पर्दाफाश करके मानवीय मूलभूत मूल्यों को प्रस्थापित किया। वेदों की सत्ता को नकारा, वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था को हटाके गुणकर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था को समर्थन दिया। उनकी विचारधारा का सार्वत्रिक स्वीकार हुआ।

महामानव बुद्ध के पुरोगामी और समकालीन तीर्थंकर महावीर ने वर्ण का बंधन तोडके अहिंसा पर बल देके जैन विचारधारा विकसित की। बौद्ध और जैन विचारधारा से मूलनिवासियों में सामाजिक परिवर्तन होने से मुलनिवासी शासकों का शासन शुरू हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अंगिकार किया। उनके पौत्र महान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना के दया, प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश विश्व में फैलाया।

भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का समय भारत के स्वर्णयुग से पहचाना जाता है। उस समय विश्व के विद्यार्थी ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति करने भारत की तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यापीठों में आते थे। मूलनिवासियों के भव्य मौर्य शासन को सामवेदी आर्यब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने षडयंत्र करके नष्ट किया और शासक बनके ब्राह्मणराज की स्थापना की। फिर से वर्णव्यवस्था लागू करके मनुस्मृति के काले कानून का कडक अमल शुरू किया। देश की मूलनिवासी आबादी को शूद्र घोषित करके पतन की गर्त में डाल दिया। बौद्ध धर्म की विचारधारा को खत्म करने के लिए कदम उठाए, बौद्ध धर्म की विचारधारा को खत्म करने के लिए कदम उठाए, बौद्ध साधु के शिर के लिए 100 स्वर्णमुद्रा का इनाम घोषित किया। मूलनिवासियों के लिए ज्ञान-विज्ञान के द्वार बंद करके, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रतिबंधित हुआ। व्यक्ति का मूल्य जन्मजात वर्ण और जाति से निश्चित हुआ। जाति व्यवसाय से स्थापित की गई। गुणकर्म आधारित मूल्य की व्यवस्था नष्ट होने से जिन्होंने वर्णव्यवस्था को अस्वीकार किया, ऐसे विद्रोही मूलनिवासियों को अछूत घोषित किया। जिनको अब हम अनु. जातियों (एस.सी.) के रूप में पहचानते है। मूलनिवासियों का जो समूह जंगल में चला गया, उन्हे हम अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के रूप में पहचानते है। मूलनिवासियों के बडे समूह ने समझौता करके वर्णव्यवस्था को स्वीकार कर, उनको शुद्र वर्ण में लिया गया। चतुर्थ वर्ण की आबादी आज की विकसित शुद्र जाति (कुणबी, रेडडी, मराठा, कायस्थ, जाट इ.) और पछात शुद्र (ओबीसी) मंडल आयोग की जाति वर्णव्यवस्था की शुद्र वर्ण की जातियाँ है।

ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकार का अमल वी.पी.सिंह ने मंडल आरक्षण लागू करके घोषित किया, तब मंडल आरक्षण का सबसे अधिक विरोध सवर्ण कहे जाने वाले हिन्दू वैदिक राष्ट्रवादियों ने किया था, ऐसा क्यों हुआ? उनके सच्चे कारणों की जानकारी का अभाव मूलनिवासी पिछडे वर्गों में आज भी देखा जा सकता है।

आर्यब्राह्मण पंडितों ने मूलनिवासियों को पीढी पर पीढी जन्मजात मानसिक दासता में जकडने के लिए माने जाते धर्म (ब्राह्मण) शास्त्रों का गठन किया। जिसमें क्रियाकांडो, भाग्यवाद और पुनः जन्म के काल्पनिक सिद्धांत की रचना करके शोषण की जाल बिछाके रखी है। जिसका परिणाम मूलनिवासियों की मानसिक दासता में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है।

मूलनिवासियों में अपने पतन और

पराजय के इतिहास की सच्ची जानकारी का न होना ओर अपनी पहचान के बारे में अज्ञानता, उनकी वर्तमान समस्याओं का प्रमुख कारण है। ब्राह्मणवादियों ने काल्पनिक धर्मकथाओं और दंतकथा का मिश्रण करके मूलनिवासियों के पास इतिहास के नाम पर रखकर मूर्ख बनाते रहे है। हिन्दु धर्म 5000 वर्ष पुराना है, ऐसी अफवाह फैलाई है। वास्तव में वैदिक ब्राह्मण धर्म और मूलनिवासियों के सनातन शिव-शक्ति धर्म का कोई संबंध नहीं है, उस पर लेखक जयति भाई गनानी ने अच्छी छानबीन की है।

मूलनिवासी महान लोकनायक कृष्ण ने अपने समग्र जीवन में वैदिक यज्ञ संस्कृति के विरुद्ध में संघर्ष किया, मूलविदेशी आर्य और मूलनिवासियों के बीच का संघर्ष आज भी चल रहा है, उनका रूप बदला है। कट्टर ब्राह्मणवादी आज भी लोगों को हिन्दु जीवनपदति और हिन्दू राष्ट्र से लुभा रहे है। इतिहास के संदर्भ में हिन्दू शब्द वर्ष पुराना है। पंडितों द्वारा रचित माने जाते धर्मशास्त्रों, वेद, पुराणो, स्मृतियां, रामायण, महाभारत और गीता में कहीं भी हिन्दू शब्द देखने में नही आता।

वर्णव्यवस्था ने आबादी को शुद्र, अतिशुद्र और अवर्ण रूप से लाचार और मजबूर बनाके देश को खोखला बना दिया। विदेशी मुस्लिमआक्रमणकारों ने निर्बल बने हुए देश को सरलता से जीतकर भारतीय लोगों को हिन्दु की पहचान दी।

फारसी भाषा में हिन्दु शब्द 1200 का अर्थ पराजित, दास, नालायक होता है। आर्य बाह्मणों ने यह शब्द अपने लिए स्वीकार नहीं किया था। विदेशी मुस्लिम शासकों के राजशासन का कारोबार भी आर्यब्राह्मण चलाते थे। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था, जो आर्य ब्राह्मणें पर लागू नहीं थाा। दयानंद सरस्वती ने हिंदु समाज के बदले आर्य समाज की स्थापना क्यों की?

बदले हुए काल और संजोग के परिणाम स्वरूप डॉ. केशवराम हेडगेवार ने आर.एस.एस. की स्थापना 1925 की। उन्होंने हिन्दु राष्ट्र और हिन्दु जीवन शैली के सिद्वांत रखकर संगठन का आधार खडा किया। उनका उद्देश्य वर्णव्यवस्था को यथावत रखकर हिन्दु संस्कृति के नाम आनेवाले दिनों में आर्यबाह्मणों को एकाधिकार प्रबल बनाना था।

क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र और अवर्ण माने गए भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए कट्टर आर्यबाह्मणों ने हिन्दू शब्द अपनी पहचान के रूप में स्वीकारा। लोकमान्य तिलक जो डॉ. हेडगवार के आदर्श पुरूष है, उन्होने हिन्दु शब्द अपनी पहचान के लिए स्वीकार नहीं किया था, उनको अपनी आर्य पहचान का गौरव था।

मूलनिवासियों में से वर्णव्यवस्था से पीडित लोगों ने इस्लाम सा खिस्ती धर्म का अनुसरण शुरू किया। ऐसे मूलनिवासियों को मुस्लिम-हिंदु के रूप में आपस में लडाकर अपना नेतृत्व प्रस्थापित करने की रणनीति कट्टर ब्राह्मणवादियों ने अपनाकर क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, अतिशुद्र और अवर्ण को हिन्दु के नाम संगठित करना शुरू किया। मूलनिवासी वर्गो के साथ कट्टर ब्राह्मणवादियों को कोई लगाव नहीं है, सिर्फ उनका इस्तेमाल अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के साधन के रूप में कर रहे है। ब्राह्मणवादियों तथा मूलनिवासियों के बीच समानता के संघर्ष को, वह हिन्दु-मुस्लिम संघर्ष या हिन्दु-खस्ती के संघर्ष में पलट के भारतीय राष्ट्र को निर्बल बना रहे है।

पिछडे मूलनिवासी, पिछड़ी शूद्र वर्ण जातियां (ओ.बी.सी.), अवर्ण जातियों (एस.सी.) और अतिशुद्र (एस.टी.) जातियां ऐसे तीन भाग में विभाजीत है। पिछड़ वर्ग को समान स्तर पर लाने सामाजिक हिस्सेदारी के रूप में अनेक अधिकार संविधान ने दिए है, जो डॉ. बाबा साहब आंबेडकर के प्रयास और संघर्ष से प्राप्त अधिकारों का अमल आज भी होता नहीं है।

शासन, प्रशासन, न्यायतंत्र, मीडिया जैसे लोकतंत्र के चार स्तंभ, मनुवादीयों की पकड़ में है। जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के फल मूलनिवासी पिछडे वर्गों तक नही पहुंचते। खानगीकरण जैसे नये शस्त्रों से स्थापित हित पिछडे वर्गों की सामाजिक भागीदारी खत्म कर रहे है। ओबीसी (मंडल) जातियां वर्णव्यवस्था में शुद्र है और देश की मूलनिवासी है, यह जानकारी नहीं होने से उनका नेतृत्व उनके दुश्मन कर रहे है। मूलनिवासियों को भ्रम में रखके हिन्दु तथा हिन्दुत्व की बातें कट्टर ब्राह्मणवादी करते रहे हैं। ओबीसी (पिछडी) जाति को अपने संवैधानिक अधिकारों की जागृति नहीं है, एस.सी., एस.टी., और धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक जातियां उनके भाई है ऐसी जानकारी नहीं हैं।

गुजरात में कुणबी, आंध में रेडडी, यु.पी. में जाट, बिहार-यू. पी. और बंगाल में कायस्थ, महाराष्ट्र में मराठा जैसी विकसित शुद्र जाति को भी वर्णव्यवस्था में शुद्र होने की जानकारी नहीं है, परिणामस्वरूप ब्राह्मणवादी उनको धोखा दें रहे है। कुणबी जाति के और शूद्र वर्ण के होने के कारण प्रतिभायुक्त सरदार वल्लभभाई पटेल योग्यता और समर्थन होने पर भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाये। जिसका सही कारण वे वर्णव्यवस्था में शुद्र होने से ऐसा हुआ था, उनकी सही जानकारी विकसित कुणबी जाति के लोगों को आज भी नहीं है।

आर.एस.एस. का नेतृत्व हमेशा कट्टर ब्राह्मण नेता ही सरसंघसंचालक बनके करते आ रहे है। आर.एस.एस. ब्राह्मणवादी संगठन नहीं है ऐसा दिखाने के लिए कुछ समय के लिए क्षत्रिय वर्ण के पो. राजेन्द्र सिंह को सरसंघसंचालक बनाया गया पर कट्टर ब्राह्मणवादियों को रज्जुभैया की भूमिका पसंद न आने पर, वे संपूर्ण तंदुरस्त होने पर भी पद से हटाके कट्टर ब्राह्मणवादी सुदर्शन की सरसंघचालक बनाये गये। परंपरा अनुसार संघ के प्रमुख आजीवन पद पर रहते आये है। तब संपूर्ण तंदुरस्त राजुभैया (क्षत्रिय) को क्यों हटाया गया? इस प्रश्न का उत्तर देश के क्षत्रियों को कहे जानेवाले हिंदु राष्ट्रवादीयों से मांगना चाहिए।

भारतीय राष्ट्र आज दिन-प्रतिदिन और हर साल अधिक से अधिक प्रभावी बन रहा है, उन्हे तोडकर, भारतीयों को धर्म-संप्रदाय के भेद पर तोड देने कटिबद्ध हुए पुष्यमित्र शृंग के वारिस कट्टर ब्राह्मणवादियों का असली चेहरा सामने लाना जरूरी है। जो कार्य "भारतीय राष्ट्र या हिंदु राष्ट्र? किसके लिए हितकारी? किसके लिए

घातक?'' के लेखन से भारतीयों के सामने प्रगट हुआ है।

देश का संविधान गुणकर्म की व्यवस्था अनुसार बना है। धर्म, संप्रदाय, वर्ण या जाति के भेद सिवा अब भारतीयों को भातृभाव के एक तार से बांध के, भारतीय राष्ट्र को मजबूत और शक्तिशाली बना सके ऐसे वर्तमान संविधान का अमल करने पर जोर देने के बदले, उन्हे समुद्र में डाल देने की धृष्टता आर.एस.एस. के वर्तमान सरसंघसंचालक कट्टर ब्राह्मणवादी सुदर्शन क्यों कर रहे थे?

संविधान के आमुख में बताये गए उद्देश्य अनुसार समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सभी व्यक्तियों की गरिमा के साथ भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडितता और भातृभाव प्रस्थापित करता संविधान समुद्र में फेंकना चाहिए या मनुस्मृति उठाके समुद्र में फेंकनी चाहिए?

ऊपर बताये गये प्रश्नों के उत्तर विषय की जानकारी भारतीय समाज को मिले, यह अति जरूरी है। समरसता और समानता के अंतर को पहचानना जरूरी है। देश को अधोगति की ओर ले जा कर देश की आबादी को पतन की खाई में धकेलने वाली मनुस्मृति के संविधान से सर्जित वर्णव्यवस्था की जानकारी आवश्यक है। हिन्दुत्व और रामराज्य के पर्दे के पीछे जिन षडयंत्रों का शिकार देश बन रहा है, उनका पर्दाफाश होना आवश्यक है।

अज्ञानतावश कुछ लोग अपनी और अपनी भविष्य की पीढी के कदमों पर कुलाडा चलाने के लिए तैयार हो रहे है, भारतीय राष्ट्र को पंगु बनाने का कार्य कट्टर ब्राह्मणवादी कर रहे है। भारतीय राष्ट्रीयता वर्णव्यवस्था से पंगु बन चुकी थी, असमानता और दासता सर्जक वर्णव्यवस्था कभी भी तंदुरस्त समाज रचना का आधार नहीं बन सकती।

सम्राट अशोक के समय में विकसित भारतीय राष्ट्र को पंगु बनाकर पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणराष्ट्र बनाया था, जिनको हिन्दु राष्ट्र कहकर कट्टर ब्राह्मणवादी करोडों भारतीयों को धोखा दे रहे है। जिस बात की जानकारी वर्तमान भारत में अति आवश्यक है। देश और भारतीय समाज को पंगु बनाने वाले शृंग के शासन तथा पेशवा शासन की भयानकता जाने बिना हिंदु (ब्राह्मण) राष्ट्र को समझाना मुश्किल है।

आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा जोतिबा फुले ने कट्टर ब्राह्मणवादियों के विरूद्ध मानवता, समानता, सामाजिक अधिकारों के लिए चलाई हुई जंग का इतिहास जानना आवश्यक है। समाज में सच्चे इतिहास की जानकारी मिलेगी तो जनहित में जनमत तैयार होगा। ऐसा बनने पर ही हमारे महामुल्यवान लोकतंत्र को सफल बना सकेंगे।

वेरसीभाई गढवी
माननीय तंत्री (संपादक)
''कहानी'' साप्ताहिक, जामनगर
संस्थापक – ओबीसी संवैधानिक अधिकार ज्ञान सभा

भारत के संविधान में कहीं भी प्रतिनिधित्व (रिजर्वेशन) आर्थिक (economical) आधार पर दिए जाने का प्रावधान नहीं है, प्रतिनिधित्व केवल ''सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन'' के आधार पर है, इसलिए आर्थिक (Economical) आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग करने वालों पर संविधान द्रोह मतलब देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल में डाल देना चाहिए।

झूठा प्रचार करता है ''ब्राह्मण वाद'', कि ''बुद्धिज्म'', ''जैनिज्म'', ''सिखिस्म'' सब ''ब्राह्मण धर्म'' (हिन्दू धर्म) की शाखाऐं है, जब की सच्चाई यह है कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिस्म का उदय भारत में हुआ, वो बात अलग है कि आज के बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिस्म में ब्राह्मण वाद ने घुसपैठ कर उसमें भी ''ब्राह्मणवाद'' का जहर घोल दिया है।

कविता

हम लोग हैं ऐसे दीवाने

हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे
मंजिल की धुन में आये हैं मंजिल को पाकर मानेंगे,
जो लक्ष्य है अपना पूरा हो, उस वक्त तसल्ली पायेंगे,
ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम आगे बढ़ते जायेंगे,
इस दिल में हजारों मौजें है तूफान उठाकर मानेंगे।

मंजिल की धुन में....
हम लोग हैं ऐसे दीवाने...

दो दिन की बहारें हैं जग में जब जुल्म किसी का चलता है,
इस जुल्म का सूरत लाख जले, हर शाम को लेकिन ढ़लता है,
नफरत के शोले दिल में हैं हम उनको बुझाकर मानेंगे।

मंजिल की धुन में....
हम लोग हैं ऐसे दीवाने...

९९ प्रतिशत जनता पीड़ित है शोषक कहां टिक पायेंगे,
खड़े हम जहां हो जायेंगे शोषक वहीं झुक जायेंगे,
राजा झुके और अंग्रेज झुके, भिखारी वोट के कहां टिक पायेंगे।

मंजिल की धुन में....
हम लोग हैं ऐसे दीवाने...

सच्चाई के खातिर इस युग में शहीदों ने गोली खायी है,
ईसा भी चढ़ गये सूली पर सच्चों ने जांन गंवायी है,
है हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदलकर मानेंगे।

मंजिल की धुन में....
हम लोग हैं ऐसे दीवाने...

दर्पण

हम अनेक आवरण लिये अनबुझे सवालों से जिये
जिन्दगी का अर्थ ढूंढने, जिन्दगी में झांकते रहे।

नर्म गाल पर लिखे हुये अमन्त शब्द बांचते रहे।
सभ्यता कराहती रही, गिरगिटों ने होट सिल दिये।।

कुर्सियों के चक्रव्यूह में, अज और कल फंसे हुये।
त्रासदी की गोद में सदा प्रश्न पीढ़ियां डसे हुयें।।

इस धुयें में आग बन रही उठ रही हवा को रोकिए।
रेत पर लकीर खींच कर जिन्दगी का अर्थ ढूंढने।

कर्ज में मिली जो हमें खुशियों की पर्त ढूंढने।
कागज की नाव फेंककर जल का विश्वास जीतने।

हो गई है पीर पर्वत

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी
शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में

हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही

हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए

तू जिन्दा है तो

तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर
तू जिन्दा है.....

ये गम के और चार दिन सितम के और चार दिन
ये दिन भी जायेंगे, गुजर गये हजार दिन
कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर
तू जिन्दा है.....

सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर
तू सुन जमीन गा रही है, कण से सूर्य झूम-झूमकर
तू आ मेरा सिंगार कर तू आ मुझे हसीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर
तू जिन्दा है.....

भारतीय संविधान की अनुच्छेद – 340

340: Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes :–

(1) The preisdent may by order appoint a Commission consisting of such persions as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) A commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये आयोग की नियुक्ति

(1) राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किये जाने चाहिये और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाी प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित सकझे।

टिप्पणी – OBC के साथ विश्वासघात : इसके पिछले और वर्तमान सभी सबूत अंग्रेजी संविधान की आर्टीकल 340 में MAY दर्शाया है यह अंग्रेजी क्रियापद है, यहां पर SHALL लिखने के लिये डॉ. आबेडकर साहेब ने संविधान सभा में अनुरोध किया। लेकिन कांग्रेस के शेठजी भट्टजी नेता SHALL के लिये सहमत नहीं हुये। उसी के लिए संविधान सभा में मतदान (Voting) हुआ। उस में कांग्रेस के शेठजी भट्टजी नेताओं की जीत हुई और OBC की पराजय हुई। उसी से SHALL की बजाय शब्द MAY आर्टीकल 340 में है। महात्मा फुले ने शेठजी भट्टजीओ को 'कलम कसाई' माना था। यह ठीक है MAY और SHALL को शाब्दिक दावपेच से करोड़ों OBC का भविष्य अंधकारमय हो गया। अंग्रेजी भाषा का क्रियापद MAY के उपयोग से उसके साथ जुड़ी हुई सिफारसें मानने के लिये बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन SHALL क्रियापद में बाध्यता होती है। अनिवार्यता होती है।

हिन्दी में संविधान में एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। ऐसा दर्शाया गया है। वो May के कारण है। उसी से सरकार की इच्छा हो तो आयोग की नियुक्ति करें और ना इच्छा हो तो टाल भी सकते हैं। इसी वजह से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को सरकारों की दया और एहसान का पात्र बना दिया। Shall लिखा होता तो एक आयोग नियुक्ति करेगे। ऐसा अर्थ होता और सरकार को अधिकार देना बाध्यता और अनिवार्यता होती।

O.B.C. के साथ विश्वासघात की हकीकत से समुदाय को जानकारी देने की बड़ी आवश्यकता है, May शब्द के कारण O.B.C. के 64 साल बाद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोग सरकारों से सिर्फ 3% अधिकार पा सके हैं, 97% अधिकारों को लागू नहीं किया गया है। उसी के लिये मंडल आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसके अलावा कांलेलकर आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करके नेहरू सरकार ने O.B.C. पर दूसरा प्रहार किया और उसका विवरण पढ़ने जैसा है।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में हुई। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपने संबोधन में SC, ST, OBC (सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग) और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को संविधानिक संरक्षण देने का वादा किया था। SC, ST और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को संविधानिक संरक्षण देकर अपना वचन निभाया, लेकिन OBC को संविधानिक संरक्षण कांग्रेस के शेठजी भट्टजी लीडरो ने नहीं दिया, OBC के साथ विश्वासघात हुआ और विश्वासघात के कारण Shall शब्द की बजाय May शब्द को समाविष्ट किया। उसी तरीके से आयोग की सिफारिशें आयोग के द्वारा की गई उनको लागू करने में शासकों ने रुकावट की है। ये संविधान सभा की कार्यसूची के वोल्युम (जो भारत सरकार ने प्रकाशित किया है) वहां ये घटनाओं का दस्तावेजी सबूत है। पेरीयार रामा सामी की प्रचंड जन समर्थन की ताकत और डॉ. आबेडकर साहेब की विद्वता की प्रचंड शक्ति से OBC समुदाय को कुछ हक्क मिला है, डॉ. आबेडकर साहेब ने OBC के हक-अधिकार के लिए जो योगदान दिया वो कभी भी ना भूलाने वाली बात है। मंडल आयोग आर्टीकल 340 के तहत बना। आयोग को उचित लगे ऐसी सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। उसमें से सिर्फ कुछ सिफारिशों का अमल हुआ है और इसके अलावा बहुत आवश्यक सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उसके सभी प्रमाणों की जानकारी OBC के बुद्धिजीवियों को होनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जन जागरण ही लोकतंत्र में उचित संवैधानिक, कानूनी उपाय है।

हसमुखभाई काचा (गुजरात) मो. 9426736453

पिछड़ो व आदिवासियों की रामायण है : *मानव विज्ञान* तथा महाभारत है : *पत्रकारिता एवं मीडिया*

मीना सिंह
एम.ए.-समाजशास्त्र सामाजिक राजनैतिक विचारक

1. भारतीय समाज की संरचना जातीय व धार्मिक द्रष्टि से बहुत जटिल है। इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास रहा है। विभिन्न चरणों में भारतीय समाज में अत्यंत उथल-पुथल होती रही है मानव विकास व संरचना व उसके उद्‌भव? उत्थान के अध्ययन तथा भारत के समाज को समझने के लिए, मानव विज्ञान नामक विषय पर अंग्रेजी हुकूमत ने कार्य करना शुरू किया। अंग्रेजी शासको द्वारा भारतीय समाज को समझने के लिए इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए विदेशी समाज-शास्त्रियों को भारत बुलाया गया। उक्त विदेशी समाज शास्त्रियों द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न समूहों का निष्पक्ष रूप से सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक पहलुओं से अध्ययन किया तथा समाज के विभिन्न समूहों के सामाजिक गुणों का अध्ययन कर उनक सामाजिक क्रिया कलाप और सभी गुण अवगुणों का अध्ययन किया। उक्त विस्तृत अध्ययनों की विस्तृत रिपोर्ट भारत में ब्रिटिश शासकों को प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्टो के आधार पर ही ब्रिटिश शासनकाल में जातियों के आधार पर ही जन गणना तक होती रही। विभिन्न जातियों के वारे में विस्तृत सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक पहलुओं पर अध्ययन को ब्रिटिश शासन ने अपने शासन को सुचार रूप से चलाने के लिए उपयोग किया जिसके अनुसार लालची व सिद्धांतों से समझौता करने वाली जातियों को शासन सत्ता में भागीदार बनाया तथा अन्य सामान्य जनता जो लालची नहीं थी व जिन्होने सिद्धांतो से समझौता नहीं किया। उन्हें करों के बोझ से लाद दिया गया तथा अपने मूल स्थानों तथा रिआसतों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजो ने भारतीय समाज का अध्ययन कर उसकी कमजोरियों का उपयोग साम्राज्य को चलाने के लिए किया। ब्रिटिश हुकूमत के समय कुछ धार्मिक संस्थाओ ने मानवता के आधार पर भारतीय हिन्दू समाज की बुराइयों के कारण उपेच्छित समुदायों? जन-जातियों व अछूतों के बीच शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवा के आधार पर कार्य किया। जिसे आज भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों व अन्य राज्यों जैसे केरल आदि में देखा जा सकता है। जहां मानव विकास (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) इडेक्स सबसे अधिक है।
2. उक्त मानव विज्ञान विषय में अध्ययन किये जाने बाले पहलुओं को 4 भागों में बांटा गया है।

भाग-क

मानव जीवन के उद्धभव के बारे में वैज्ञानिक, दार्शनिक सिद्धांतो के साथ-साथ अनुवांशिक (पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण व गुणों) के बारे में अध्ययन है।

भाग-ख

भारतीय समाज की संरचना जिसमे परिवार, पारवारिक संबंधों, जीवन यात्रा के विभिन्न चरणों व विवाह पद्धतियों के साथ, पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में विवरण है।

भाग-ग

भारत में जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के साथ-साथ राजनैतिक व आर्थिक संस्थाओ के संचालन, उक्त संस्थाओं में भारतीय समाज के बिभिन्न जातीय समूह की भागीदारी के बारे में है तथा इसके साथ-साथ विभिन्न जातियों के सामजिक एवं शैक्षणिक उत्थान में जातीय - व्यवस्था व राजनीति के योगदान के वारे में विस्तृत विवरण अध्ययन भी किया जाता है।

भाग-घ

भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों के सामाजिक क्रिया-कलापों, आर्थिक व शैक्षणिक स्तरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भारत के संविधान में जातियों के अधिकारों व भारत सरकार द्व रा जन-जातियों के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण इस लिए दिया जा रहा है ताकि यह समझा जा सके कि स्वतंत्र भारत में विभिन्न जातियों के समग्र विकास के लिए उक्त विषय की कितनी महत्ता है।

3. भारत का समाज मानव शरीर के अनुरूप ही जटिल है। मानव को स्वस्थ्य रहने व कार्य-शील रहने के लिये आवश्यक है कि शरीर के सभी अंगों का स्वस्थ्य रहना व कार्य करना जरूरी है। कार्य करने के लिए सभी अंगों को आवश्यक ऊर्जा मिलना जरूरी है व विषम परिस्थितियों? शरीर के कमजोर? बीमारू अंगों की देखभाल करना आदि दिमाग की जिम्मेदारी है। यदि शरीर के किसी भाग में कोई समस्या है तो डाक्टर उसका उचित परीक्षण करता है। फिर उक्त परेशानी को दूर करने के कारणों को मिटाने के लिए दवा दी जाती है। ताकि सारा शरीर स्वस्थ्य रूप से

कार्य कर सके। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अपने आपको शरीर का मस्तिस्क कहने बाले लोगो ने शरीर के विभिन्न भागो को कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा नहीं दी और उनसे कार्य लेना जारी रखा। उक्त कारण से ऊर्जा के आभाव में विभिन्न अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया। स्वतन्त्र भारत में भारतीय समाज का चैकअप नहीं किया गया और न ही समाज की बीमारियों के लिए कोई इलाज किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद मस्तिस्क ने सारी ऊर्जा अपने पास रखकर पेट, हाथों व पैरों को जाने वाली ऊर्जा के रास्ते बंद कर दिये। जिससे मानव शरीर का पाचन तंत्र बिगड़ गया। तथा हाथ-पैर दुबले पतले हो गये व मस्तिष्क? शिर बड़ा व भारी हो गया। कल्पना करो उक्त वर्णित स्थिति वाला मानव शरीर दिखने में कैसा लगेगा। ठीक वैसी ही आज भारतीय समाज की आकृति हो गई है। जहां तक कुछ संतानों जो ऊर्जा की कमी से अल्पायु में मर गई वह हिन्दू फिलोसफी के अनुसार माओ-वादी भूत प्रेत बनकर वर्तमान भारतीय सामाजिक मानव शरीर प्रभावित कर रहे है।

4. लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि स्वतंत्र भारत की पहली 3-पंचवर्षीय योजनाओं में पंडित नेहरू के समय सामाजिक अध्ययन व उसके सुधार के सन्दर्भ में कोई काम नहीं हुआ। मानव विज्ञान विषय पर कुछ विश्वविद्यालयों में उच्च वर्ग के समाज शास्त्रियों ने भारतीय समाज के बारे में कुछ अध्ययन किये जिसकी रिपोर्टों के आधार पर सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर राजनीति व शासन के उच्च पदों पर बैठे कुछ चालाक? लालची व सिद्धान्तों से समझौता करने वालो ने अपनी संतानों के भविष्य के हितो को ध्यान में रखकर 40 वर्षों तक पिछडों व जनजातीय समूह के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अर्थात् सामाजिक बुराइयो? बीमारियों के कारणों को दूर करने के लिए कोई सामाजिक उपचार नहीं किया गया तथा आम जनता को इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्रा। (जिसमें समुदाय, परिवार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाजो आदि के बारे में अध्ययन है) व भूगोल आदि विषयो को तो पढाया जाने लगा। लेकिन मानव विज्ञान विषय को जान-बूझकर छोड़ा गया, जिससे समाज के पिछड़े व जनजातीय लोग किसी तरह अध्ययन कर अपने अधिकारों के लिए विरोध पर न उतर आयें और तथा-कथित कुछ 10 प्रतिशत लालची, चालक व कूटनीतिक जातियां व समुदायों के सत्ता/राजनीति व शासन पर कब्जे को चुनौती न मिलने लगे। शहरों के विकास व बड़ी योजनाओ में पिछड़ो व आदिवासियों को उनकी रोजी रोटी (कृषि भूमि व वन भूमि) से बिना किसी नीति के उजाड़ दिया गया। उक्त के लिए कोई नीति नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी एवं अटल बिहारी जी ने नहीं बनाई। पिछड़े व आदिवासियों की जमीनों व जंगलों को कंपनियो, उच्च वर्ग के लिए बड़े-बड़े मकानो/बंगलो व व्यावसायिक केन्द्रों तथा फैक्टरियों के लिए सस्ती दरों पर उपहार स्वरुप दे दिए गया तथा जमीन व वन भूमि छोड़ने वालों के रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना आज तक नहीं बनाई गई। समय के साथ-साथ कुछ हमारे पिछड़े व आदिवासियों द्व ारा राजनीतिक हिस्सेदारी. के उपरांत अपने हितों के कुछ मुद्दों को उठाया गया। जिसके परिणामस्वरुप 1990 में मजबूरन माननीय श्री बी.पी. सिंह जी को मंडल कमीशन की रिपोट लागू करना पड़ा (वह भी कुछ ही अंशो में लागू किया गया। लेकिन चालाक, लालची कूटनैतिक जातियों ने 40 वर्षों की अपनी अकर्मण्यता से सरकारी संगठनों को नाकारा बना दिया। तथा उन्हीं लोगो के शासक वर्ग में बैठे लोगो ने नई उदारवादी नीति के तहत सरकारी संस्थानों को ओने-पोने दामों पर प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया तथा सरकारी सेवाओ को समाप्त कर प्राइवेट को बढ़ावा दिया। जिससे मंडल कमीशन का फायदा पिछड़ी जातियों को देश के विकास में भागीदारी न मिल सके। क्वालिटी की बात करने वालों ने इतने प्राइवेट कोलेज खोल दिए और फीस इतनी जादा कर दी कि उच्च वर्ग के धनाड्य लोग जिनकी कुछ की क्वालिटी नहीं है वह डिग्री पाकर नौकरी पा सके या अपनी कंपनियों के मालिक बनकर सरकारी योजनाओं के पैसे हड़प सकें और पिछड़े व जनजातियों के लोग अच्छी शिक्षा पाकर भी नोकरी न पा सके। क्योंकि आज अधिकांश कंपनियों में नियुक्तियां करने वाले हैड (प्रमुख पदाधिकारी) व मालिक ही तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ही है। उक्त सन्दर्भ में जातीय आधार पर ही सत्ता और शासन पर कब्जा किया जाता रहा है। लेकिन पिछड़ी जातियों के लोग अब जागरूक होकर राजनैतिक हिस्सेदारी व भागीदारी करने लगे तो उक्त तथा कथित चालाक, लालची लोगों ने टी.वी. मीडिया चैनलों के स्पीकर थाम लिए। जिसे सत्ता का चौथा पिलर कहा जाता है। अब बही लोग टीवी चैनलों तथा समाचार पत्रों में जातीय आधार पर वोटिंग व रिजर्वेशन का विरोध करते है। लेकिन बड़े गर्व से विचारों के अंत में अपने नाम के पीछे जातिसूचक शब्द बोलना नहीं भूलते। अतः भविष्य में पिछड़ी जातियों, जन-जातियों को सत्ता, शासन व अर्थ-व्यवस्था में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना है तो हर पिछड़े नेता व शासक/अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता को मानव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करना होगा तथा पत्रकारिता में महारत हासिल कर कलम व स्पीकर पकड़ने के लिए सक्षम बनाना होगा। उक्त दोनों ग्रन्थ ही पिछड़ो व आदिवासियों के लिए रामायण व महाभारत है। जो घर-घर में होना चाहिए तथा उनका रोज कम से कम एक घंटे अध्ययन करना आवश्यक है।

मीना सिंह, एम.ए. (समाजशास्त्र)
सामाजिक राजनैतिक विचारक

हिन्दू आंदोलन महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणों द्वारा क्यों?

जयंती भाई मनानी

12 वीं सदी में विदेशी मुस्लिम शासकों ने भारत को हिन्दुस्तान नाम दिया। भारत में रहने वाले जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी नहीं थे, उनको हिन्दू पहचान दी, तब आर्य ब्राह्मणों ने अपने को हिन्दू कहना पसंद नहीं किया, वे अपनी पहचान आर्य बताते रहते थे।

मुस्लिम शासको और मुगलों के शासन में भारतीयों के यात्रा स्थानों पर जजिया कर लगाया गया तब ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ विमर्श किया कि हम हिन्दु नहीं हैं। आपने पराजित हिन्दुओं पर कर लगाया है, हम पराजित नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले यहां के लोगों को हराया था, वे हिन्दु हैं, हम आर्य हैं। इसीलिए मुगलों ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्ति दे दी थी।

1828 में बंगाल के ब्राह्मण नेता राजा राममोहन राय ने 'ब्राह्मसमाज' नाम से एक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया, जिसमें ब्राह्मण और कायस्थ जुड़े हुए थे। ब्राह्मणों ने उनका नाम हिन्दू समाज नहीं रखा। राजा राममोहन राय उच्च जातियों में सामाजिक सुधार की मुहिम चलाते थे।

स्वामी दयानंद सरस्वति ने 1875 की साल में मुंबई में 'आर्य समाज' की स्थापना की। आर्य समाज के द्वार सभी जातियों और वर्णों के लिए खुले थे, फिर भी उन्होंने 'हिन्दु समाज' नाम क्यों न रखा?

स्वामी विवेकानंद ने समाज के कमजोर वर्गों में कार्य करने के लिए एक मिशन को स्थापित किया, जिसका नाम 'रामकृष्ण मिशन' रखा। 1897 में स्थापित यह मिशन का नाम हिन्दू मिशन क्यों नहीं रखा गया?

1897 तक देशभर में कट्टर ब्राह्मण नेताओं में से किसी को हिन्दू धर्म के नाम से, हिन्दू वाद के नाम से कोई आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों न पड़ी? वैदिक ब्राह्मण धर्म के सामने वर्णव्यवस्था के सामने 1873 से 1918 तक जो चुनौति कट्टर ब्राह्मणों के समक्ष उपस्थित हो रही थी और राजनीति के क्षेत्र में जो चुनौती कट्टर ब्राह्मणों के समक्ष आ रही थी, उससे पंडित-पुरोहितों के हितों की रक्षा के लिए 20 वीं सदी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणों को हिन्दू आंदोलन के नाम से ब्राह्मण संगठन खड़े करने की जरूरत हुई।

सत्य शोधक समाज की चुनौती

अपनी जिंदगी के 25 साल शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं के उद्धार में बिताने वाले महात्मा जोतिबा फूले को समाज सुधार में अनेक अड़चनें सहनी पड़ी। ऐसे समय में उनकी सहायता में उदार मतवादी उच्च वर्णीय सहायकों और सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिला।

महात्मा फुले ने यह महसूस किया कि शूद्र, अतिशूद्र वहम, अंधश्रद्धा और अज्ञान में फंसे हुए हैं। ब्राह्मण-पंडितों ने धर्म का सार ग्रंथों में ही रखकर खुद को ही देवता का स्थान दिया और वे अपने को भूदेव बताते रहते हैं। वह ज्योतिबा ने अनुभव किया। उन्होंने यह भी देखा कि रूढ़ियों में लिपटे हुए लोग परंपरा के कारण ब्राह्मण की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते हैं और ऐसा समझते थे कि कोई भी वस्तु ब्राह्मण के मुख में जाने से सीधी ईश्वर के मुख में जाती है।

ब्राह्मण पंडितों द्वारा बिछाई हुई जाल से लोगों को मुक्त किये बिना समाज में कोई सुधार संभव नहीं था। इस लड़ाई में एक व्यक्ति का काम नहीं था, लोगों को सामूहिक रूप से जोड़ने के लिए संगठन शक्ति का होना जरूरी था। इस समय में शूद्र, अतिशूद्र के कुछ युवाओं ने शिक्षा भी पाई थी उनको जोड़ने के लिए 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना महात्मा फुले ने पुणे में की, जिसमें महाराष्ट्र भर से 50 से 60 लोग उपस्थित हुए थे।

सत्यशोधक समाज के सिद्धात निम्न अनुसार थे

1. ईश्वर एक है, वह कोई गुफा, नदी-नाला अथवा पंडित-पुरोहित के मंदिर में बंधा नहीं है, वह सर्वव्यापी है।
2. ईश्वर हिन्दू, मुस्लिम, ब्राह्मण या अछूत जैसे भेदभाव नहीं करता, उनके लिए सभी मानव समान रूप से प्रिय हैं।
3. ईश्वर की आराधना करने का अधिकार सभी को है और उनके लिए कोई भी दलाल जरूरी नहीं है, ईश्वर को अपनी स्वयं शक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है।
4. मानव जाति से नहीं, गुण से श्रेष्ठ होता है, उच्च जाति में जन्मा मानव श्रेष्ठ और नीची जातियों में जन्मा व्यक्ति कनिष्ठ और नीच है ऐसी मान्यता पंडित-पुरोहितों ने फैलाई हैं। जिससे गुण न होने पर भी उच्च जातियों के लोग अपने को उच्च बताने लगे और गुण होने पर भी नीची जातियों के लोग भी जाति के कारण अपने को नीचा मानने लगे।
5. कोई भी ग्रंथ ईश्वर ने नहीं रचा। ईश्वर साकार रूप से अवतार नहीं लेता। पूर्वजन्म की धारणा, कर्मकांड, जप-तप अज्ञानमूलक हैं।

धर्म को अपना व्यवसाय बनाने वाले ब्राह्मण-पुरोहितों ने ऐसी अफवाह फैलाई हैं कि, ब्राह्मण द्वारा संस्कृत में मंत्र बोलने बिना ईश्वर से संपर्क नहीं होता, ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, ईश्वर को कुछ नहीं पहुंचता।

महात्मा फुले ने लोगों को कहा, यह बात ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ और श्रेष्ठता बनाये रखने के लिए प्रचलित की है। यदि ईश्वर केवल संस्कृत ही समझता है तो क्या क्रिस्चन, मुसलमान, यहूदी आदि द्वारा उनकी भाषा में की गई प्रार्थना ईश्वर नहीं समझता? हमारे देश में कितने संतों ने अपनी-अपनी भाषा में ईश्वर की उनकी हुई आराधना क्या ईश्वर तक नहीं पहुंची?

सत्यशोधक समाज ब्राह्मणों का विरोधी न था, वह धर्म के नाम पर ठगलीला का आचरण करती ब्राह्मणी वृत्ति का विरोधी था। विवाह कम खर्च से और लग्नविधि पंडित-पुरोहित को बिचोलिया बनाकर संस्कृत में नहीं पढ़ अपने ही लोगों द्वारा हो। इसीलिए सत्यशोधक समाज ने आवाज उठाई। समाज का सभ्यपद सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए खुला था, जिसने ब्राह्मण, मुसलमान और यहूदी भी सभ्य बने। समाज की बैठक सभी शाखाओं में हर सप्ताह एक बार होती थी। शराब बंधी, शिक्षा की जरूरत, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर जौर, धार्मिक क्षेत्रों में ब्राह्मण पंडितों को हटाना, ज्योतिष और डायन, भूत-प्रेत से लोगों के भय को हटाना इत्यादि विषयों पर चर्चा होती थी।

सत्यशोधक समाज की विवाह पद्धति क्रांतिकारी थी, गांव में होनेवाली शादी में सभी जातियों में समभाव और सहकार बढ़ाया गया। गांव के हजाम वर के बाल कटाता था, गांव की धोबिन अन्न का चौक आसन पर लगाकर वर को उस पर बिठाए और उसके हाथ में कड़ा पहनाए। वरवधु गांव में आने पर गांव की महारिन (अछूत जाति की महिला) हाथ में दीपथाली लेकर उनकी आरती उतारे। विवाह में कहीं भी कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं।

6 दिसम्बर, 1873 में सत्यशोधक समाज द्वारा बिना ब्राह्मण-पुरोहित विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वर-वधु ने पारसपारिक निष्ठापूर्वक आचरण की शपथ ली। दूसरा विवाह कुछ दिन बाद हडपसर में हुआ, पूना से थोड़े दूर बाकाजी कुसाजी पाटिल ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यशोधक समाज की सरल विधि से जून्नर तहसील में कराया। महाराष्ट्र भर के कट्टरपंथी ब्राह्मणों के शिर में आग जाग उठी। महाराष्ट्रभर में हलचल मच गई।

पुणे और आसपास के कट्टर ब्राह्मणों ने गांव के स्थानिक पंडित को तैयार करके बाकाजी पाटिल के सामने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आर्थिक सहयोग किया। पुणे की सब-जज कोर्ट में चले मुकदमें में दो दावे थे। एक यह विवाह में सादी कराने का ब्राह्मण का अधिकार छिना गया है। दो, विवाह में प्राप्त होने वाली दक्षिणा से वंचित ब्राह्मण को क्षतिपूर्ति कर दी जाय।

कोर्ट में लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज को वकील न मिला। सब जज ब्राह्मण था, जिसने ब्राहमण वादी की तरफदारी का निर्माण दिया। सत्यशोधक समाज ने फर्स्ट क्लास सब जज की कोर्ट में अपील की। इस जज ने निचली कोर्ट का निर्णय रद्द करके प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय किया। पंडित ने मुंबई हाइकोर्ट में अपील की। महात्मा फुले ने एक अंग्रेज बैरिस्टर वकील को केस सौंप के उनको ब्राह्मण धर्मग्रंथों में उल्लेखित अनुकूल प्रमाण बताये। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर निचली फर्स्ट क्लास सब जज कोर्ट का निर्णय मान्य रखते हुए कहा कि दूसरी जातियों के लोग पुंडित-पुरोहित के बिना विवाह कर सकते हैं, विवाह में पुरोहित कार्य न करे तो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल सकती।

हिन्दू आंदोलन महाराष्ट के कट्टर ब्राह्मणों द्वारा क्यों?

सत्यशोधक समाज का कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया। उनको शुरू में ही गला घोंटके खत्म करने के प्रयास किये। वे घर-घर पहुंचकर लोगों में प्रचार करते थे कि सत्यशोधक समाज धर्मद्रोही, ब्रह्मद्रोही है। कोई भी व्यक्ति सत्यशोधक समाज का सदस्य बनता तो उनके मातापिता को बताया जाता था कि उनके कुल का नाश हो जायेगा।

ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण जन्मजात रूप से उच्च और श्रेष्ठ होने की ब्राह्मण धर्मग्रंथों में लिखी बात को और वर्णव्यवस्था को ललकारा। धार्मिक विधियां, कर्मकांड और लग्नविधि में जन्मजात ब्राह्मण की आवश्यकता को फाडकार फेंका। धर्म के नाम पर चलती ठगलीला को ललकार ने के लिए सत्यशोधक समाज की शाखाएं मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी खोली गई, जिससे भारतीय समाज व्यवस्था में धर्म के नाम पर स्थापित ब्राह्मणवादी प्रभुत्व समाप्त होता गया।

11 जनवरी, 1911 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज की शाखा शुरू हुई। छत्रपति शाहू महाराज ने उनको समर्थन दिया।

वयस्क मताधिकार से बढ़ा षडयन्त्र

ब्रिटेन में मत देने का अधिकार सिर्फ टेक्स भरने वाले और शिक्षित लोगों को ही था। 1917 में वहां आंदोलन शुरू हुआ कि 21 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। इंगलैंड ने 1918 में एक क्रांतिकारी निर्णय किया कि 21 साल की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को, मजदूरों और निरक्षर को भी मत देने का अधिकार दिया जाय।

भारत में ब्रिटिश शासन के समय, प्रत्येक स्वराज देने की प्रक्रिया चालू थी, इंग्लैंड में जो अधिकार आम लोगों को मिले वह क्रमशः ब्रिटिश भारत में भी लागू होने वाले थे। देश में कट्टर ब्राह्मण अपने को आर्य रूप से पहचान कराते थे। अन्य आबादी हिन्दू के रूप में पहचानी जाती थीं। चुनाव में 3 प्रतिशत आबादी होने से कट्टर ब्राह्मण सफल नहीं हो सकते।

भारत में आने वाले समय में वयस्क मताधिकार से मूल निवासी पिछड़ी जातियों शूद्र, अतिशूद्र और उन्हीं में से धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्क व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिलने पर कट्टरपंथी ब्राह्मण नेता शासन नहीं कर सकते ऐसी चुनौती आ रही थी।

संघ के सरसंघचालक डा0 हेडगेवार एवं गुरू गोलवलकर कहते थे, सभी को मताधिकार यानि पिछडों (बिलाड), मूलनिवासीयों (बिलाड़ों), शूद्रों - अतिशुद्रों (कुत्तों) को मत का अधिकार देना है। कट्टरपंथी ऐसे मताधिकार के विरोधी थे।

सिंधु-घाटी की सभ्यता मूल निवासियों की

कट्टरपंथी ब्राह्मणनेता जिसका गर्व करते रहते थे, वह वैदिक संस्कृति 3500 वर्ष पुरानी मानी गई है। 1920 में सिंधु घाटी के उत्खन के लिए सरकार ने कमीशन नियुक्त किया। 1922 में हुए उत्खलन से मिले प्रमाणों ने साबित किया कि सिंधु सभ्यता अति प्राचीन और पांच हजार वर्ष पुरानी है।

विश्व की महान सभ्यताओं में श्रेष्ठ मानी गई सिंधु सभ्यता भारत में अनार्य और दस्यु, राक्षस और असुर, शूद्र और अतिशूद्र माने गए मूल निवासियों की विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता शिव-शक्ति की उपासक नगर संस्कृति होने से वैदिक संस्कृति की जंगल सभ्यता की श्रेष्ठता की हवा निकल गई। सिंधु घाटी की मूल निवासियों की नगर संस्कृति की शोध ने कट्टरपंथी ब्राह्मण नेताओं को कड़ी चोट पहुंचाई।

हिंदू महासभा का गठन

पिछड़ों (मुल निवासी) शूद्र, अतिशूद्रों में मंद गति से शिक्षा का प्रसार और जागृत बनने की प्रक्रिया सत्यशोधक समाज की शाखाओं द्वारा बढ़ रही थी। सिंधु सभ्यता अनार्य गिने गये शूद्र-अतिशूद्रों की 90 प्रतिशत आबादी की विरासत है यह प्रस्थापित होने के बाद और इंग्लैंड में मिले सभी को मताधिकार से कट्टरपंथी ब्राह्मण नेताओं को आम लोगों में मिलना जुलना जरूरी हुआ।

शूद्र, अतिशूद्रों, पर अपना प्रभुत्व हिन्दू के नाम पर प्रस्थापित करने के लिए, हिन्दुओं के नाम से संगठन करके, संगठन का नेतृत्व करने के लिए महाराष्ट्र के कट्टरपंथी ब्राह्मण नेताओं ने महाराष्ट्र के नासिक शहर में 'हिन्दू महासभा' का गठन किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना

'हिन्दू महासभा' के नाम से कट्टर ब्राह्मण नेताओं ने हिन्दू के नाम पर राजकीय आवाज उठाने की शुरूआत की, पर महाराष्ट्र मे सत्यशोधक समाज की शाखाओं द्वारा वर्णव्यवस्था के माध्यम से पंडित-पुरोहितों द्वारा धर्म के नाम पर चल रहे शोषण के सामने विरोध साप्ताहिक

बैठकों में बढ़ता रहा था। पिछड़े (मूल निवसी) शूद्र, अतिशूद्रों द्वारा सामाजिक प्रतिकार महाराष्ट्र में, देशभर में फैल जाये तो भारतीय समाज पर पंडित-पुरोहितों का जातिगत प्रभुत्व टिक नहीं सकता।

लोकमान्य तिलक और उनके साथीदार विष्णु शास्त्री चिपलुणकर सामाजिक सुधार और ऊंच नीच के भेदभाव के सामने हलचल करने वाले उदार मतवादी ब्राह्मणों के कड़े विरोधी थे। विष्णु शास्त्री महात्मा फुले के कार्यों की हांसी करने, फुले का उल्लेख 'शूद्रकवि', 'शूद्र जगद्गुरु', शूद्र धर्म संस्थापक जैसे शब्दों में अपने लेखों में करते थे।

तिलक जैसे कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी नेता के अनुयायी और समर्थक डॉ. हेडगेवार थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के सामने आ रहे विहन में पंडित-पुरोहित का प्रभुत्व यथावत् रखने के लिए 1925 में 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' नाम का एक संगटन महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू किया, तब 15 - 20 ब्राह्मण उपस्थित थे।

विश्व हिन्दू परिषद की रचना

हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ने साथ होकर 1951-52 में जनसंघ नाम के राजनैतिक दल को स्थापित किया, फिर भी देशभर से लोकसमर्थन नहीं मिला। आर.एस.एस. के महाराष्ट्रीयन कट्टरपंथी ब्राह्मण नेताओं को एक और हिन्दू संगठन स्थापित करने की जरूरत हुई। महाराष्ट्र-मुंबई के पास पवई स्थित सैंदीपन आश्रम में संघ के ब्राह्मण नेताओं, ब्राह्मण विद्वान कन्हैयालाल मुन्शी, गीता प्रवचनकार ब्राह्मणपंडित चिन्मयानंद इत्यादि ने सन् 1964 में 'विश्व हिन्दु परिषद्' नाम से एक संगठन शुरू किया।

कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ने महाराष्ट्र के नासिक शहर में 'हिन्दू महासभा', नागपुर में आर.एस.एस. और मुंबई में विश्व हिन्दू परिषद की रचना की। तीनों संगठन हिन्दू ब्राह्मण धर्म के नाम, हिन्दूवाद के नाम, हिन्दू वैदिक राष्ट्र के नाम महाराष्ट्र से ही क्यों बनाये गये?

1848 से 1889 तक के 41 सालों के अपने सामाजिक जीवन में महात्मा फुले ने पिछड़े शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। पेशवाशाही के शासन में महाराष्ट्र के ब्राह्मणवादि देश में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बने थे, पुणे ब्राह्मणवादियों का गढ़ बना था। उन ब्राह्मणवादियों को फुले के आन्दोलन ने डगमगा दिया।

1924 के बाद फूले के आंदोलन को डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने राष्ट्रव्यापी बनाया। दक्षिण में रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग शुरू की जिनका प्रभाव भी महाराष्ट्र तक पहुंचा था। डॉ. बाबासाहब ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर शूद्र, अतिशूद्रों को सत्ता में सामाजिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का अधिकार भी स्थापित किया। ब्राह्मणवाद को सबसे ज्यादा चुनौति महाराष्ट्र से सतत मिलती रहने से ही हिन्दू ब्राह्मण आंदोलन के तीनों संगठनों की स्थापना कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं को महाराष्ट्र में ही करने की जरूरत पड़ी, जिनका नेतृत्व महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण नेता करते रहे हैं।

संघ क्या भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक है?

आर.एस.एस. के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं और प्रचारक सतत राष्ट्रवाद और देशभक्ति का रटन तोते की तरह रटते रहते हैं। उनके साहित्य में, प्रवचनों में आयोजनबद्ध रूप से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात होती रहती है। किसी भी देश के अस्तित्व के लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति जरूरी है, जिनसे भातृभाव का बल प्रगट होता है।

ऐसे प्रश्न उठना स्वभाविक है कि ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ'' की स्थापना महाराष्ट्र के ब्राह्मणों से कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ने ही क्यों की? संघ का नेतृत्व महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ही क्यों करते रहे हैं? संघ द्वारा स्थापित अलग अलग नामधारी संगठनों हिन्दू महासभा, विश्व हिन्दू परिषद आदि, का नेतृत्व कट्टर ब्राह्मणवादी नेता ही क्यों करते हैं?

संघ द्वारा स्थापित संगठनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ने सिर्फ कट्टर मनुवादी वैश्य नेताओं को हिस्सेदारी क्यों दी है?

इसके विपरीत भी उठते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर देश अन्य प्रदेशों के के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र और अवर्ण जातियों में से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का तोता रटन करता संगठन किसी ने क्यों नहीं बनाया?

महाराष्ट्र के ब्राह्मण वर्ण में से कट्टर ब्राह्मणवादियों के सिवा देश की आबादी में कोई राष्ट्रवादी या देशभक्त नहीं है? महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में से सिर्फ कट्टर ब्राह्मणवादि ही राष्ट्रवादी और देशभक्त है?

ऊपर उठाये गये प्रश्नों के उत्तर भारतीय राष्ट्र के समर्थक, देश से प्यार करते प्रत्येक नागरिक को ढूंढ़ना चाहिए, चाहे वे देश के मूल निवासी हों या विदेशी हों। देश के राजनैतिज्ञों, प्रशासकों, समाज सवियों और बुद्धिजीवियों को व्यापक रूप से इस प्रश्नों की चर्चा करना जरूरी है। व्यापक रूप से ऊपर के प्रश्नों के विषयक सत्य देशभर के नागरिकों के समक्ष पहुंचाना ही चाहिए।

आर.एस.एस. किसके लिए ?

हमारा देश 21 वीं सदी में विश्व के अग्रिम देश की प्रथम पंक्ति में प्रगति के प्रति कदम बढ़ा रहा है, तब आर.एस.एस. भारतीय राष्ट्र का समर्थक संगठन है या राष्ट्र विरोधी संगठन है? इस प्रश्न की जानकारी संघ के समर्थकों को और विरोधियों को होनी ही चाहिए।

आर.एस.एस. के स्थापक महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणवादी नेता डॉ. हेडगेवार के मत अनुसार हजारों साल से पूरे हिन्दुस्तान में यह वैदिक हिन्दू राष्ट्र का जीवन अपनी विशिष्ट पद्धति से चलता रहा है, उस राष्ट्र का मैं घटक हूं, ऐसी जिनकी श्रद्धा है वह सब हिन्दू हैं। संघ के राष्ट्रीय सरसंचालक गोलवलकर, देवरस, सुदर्शन और राष्ट्रीय प्रचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कट्टर ब्राह्मणवादी नेता सतत डॉ. हेडगेवार की बात को दोहराते रहे हैं। समय आजादी के पूर्व का हो या बाद का हो तोतारटन चलता रहा है।

संघ के राष्ट्रीय प्रचारक कट्टर ब्राह्मणवादी दीनदयाल उपाध्याय के लेखों में और उनके संघ में दिये गये प्रवचनों का संपादन रामशंकर अग्निहोत्री तथा भानुप्रताप शुक्ल नाम के दो ब्राह्मण संपादकों ने 'राष्ट्र जीवन की दिशा' नाम से पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय संगठन की मूलभूत बात को दर्शाते हैं,

''संगठन भी ऐसे लोगों का हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से एक हो और एक अंग-अंगीका घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण समूह के नाते एक ही नाम से जाने जाते हो।''

''संपूर्ण समाज की इतनी सुन्दर, सुखद, सर्वांगपूर्ण व्यवस्था (वर्णव्यवस्था) कर आर्यऋषियों को जो आन्नद प्राप्त हुआ उनका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हजारों मस्तक (ब्राह्मण), हजारों बाहू (क्षत्रियों), हजारों नेत्र, हजारों उदर (वैश्यों), हजारों जांघे और हजारों पैरों (शूद्रों) वाला एक पुरुष पृथ्वी पर चारों और फैला हुआ है। ज्ञानी मनुष्य इसके मुख (ब्राह्मण) है, शूरवीर (क्षत्रिय) बाहू है, किसान-व्यापारी उसका उदर तथा जांघे (वैश्य) है, कारीगर मेहनत का काम करने वाले (शूद्र) इसके पैर है।''

वर्णव्यवस्था में पुरुष का मस्तक और मुख ब्राह्मण है, इसीलिए संघ का नेतृत्व ब्राह्मण ही करेंगे यह स्पष्ट है। वर्ण व्यवस्था के पुरुष के पैर शूद्र (ओबीसी), अतिशूद्र (एस.टी.) और अवर्ण (एस.सी.) है इसीलिए संघ को गतिमान रखने का काम शूद्र-अतिशूद्र करेंगे यह भी स्पष्ट है।

वर्तमान भारत में वर्णव्यवस्था नष्ट हो गई है। ज्ञान, विज्ञान तथा शिक्षा का एकाधिकार कोई एक वर्ण (ब्राह्मण) के हाथ में नहीं रहा है, जिनका एकाधिकार नष्ट हो रहा है, जिनकी जन्मजात रूप से उच्चता, श्रेष्ठता और पृथ्वी पर के भूदेव की मान्यता नष्ट हो रही है उनसे चिंतित महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं ने संघ की स्थापना की है, संघ का नेतृत्व कर रहे हैं।

परशुराम ने क्षत्रियों के कत्लेआम से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक क्षत्रियों को भी कट्टर ब्राह्मणवादियों ने दबे हुए और निचले दरजे में रखा था, वे अब मुक्त हुए हैं। इसीलिए उनको भी हिन्दू ब्राह्मण धर्म के नाम से आर.एस.एस. की स्थापना करने की जरूरत नहीं हुई ।

वर्णव्यवस्था में वैश्य ब्राह्मणों से दबे हुए, ब्राह्मणों से नियंत्रित क्षत्रिय भी पीड़ित थे, इसीलिए उनको अंग्रेज शासन में मुक्ति मिली। इसीलिए वैश्यों को भी आर्य ब्राह्मणों के प्रभुत्व को यथावत रखने के लिए आर.एस.एस. की स्थापना करनी ब्रहामणों को जरूरी थी।

वर्णव्यवस्था में अधिकार वंचित बनाये गये पिछड़े- अहीर, लाधी, कुशवाह, मौर्य, शाक्य, गूर्जर आदि। शूद्र वर्ण की कोली, कुणबी, अहिर, वाघरी, नाई, सुथार, रायका, माली, चारण, धोबी, माछी, लोहार, तैली जैसी व्यवसायिक जातियों को भी पुष्यमित्र शुंग के शासन से अंग्रेजों के आगमन पूर्व के समय में ब्राह्मणों की दास और सेवक बनाई गई थी, ब्रिटिश शासन में उन्हें भी मुक्ति मिली, इसीलिए उन्होंने भी आर्य ब्राह्मणों के दास और सेवक बने रहने के लिए ब्राह्मण राष्ट्रवाद के समर्थक आर.एस.एस. की स्थापना करने की जरूरत नहीं हुई।

अतिशूद्र माने गए आदिवासियों और अवर्ण रखे गए दलितों को भी ब्रिटिश शासन में ही इन्सान समझा गया, वे आर.एस.एस. की स्थापना क्यों करेंगे? जिन वर्णव्यवस्था ने उन्हें पशुओं से भी निम्न बना दिया था। शूद्र, अतिशूद्र और अवर्ण जातियों को ब्रिटिश शासन में मानवी के रूप में मान्यता मिली, शिक्षा का अधिकार मिला ये ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्थापित रखने के लिए आर.एस.एस. की स्थापना क्यों करेंगे?

महाराष्ट्र मे कट्टर ब्राह्मणवादियों का गढ़ पुणे में है, वहां ही महात्मा फुले ने कट्टर ब्राह्मणों के धर्म के व्यवसाय को शोषण और ठगविद्या का व्यवसाय बताकर वर्णव्यवस्था की असमानता और शोषणलीला को चुनौती दी। सत्यशोधक समाज के आंदोलन में कट्टर ब्राह्मण

ों का धर्म का व्यवसाय संकट में पड़ गया। धर्म के व्यवसाय से ही शोषण किया जाता था और उच्चता तथा श्रेष्ठता की मान्यता भूदेव के रूप में मान्य रहती थी। कट्टर ब्राह्मणवादी डॉ. हेडगेवार ने हिन्दू वैदिक धर्म, हिन्दू वैदिक राष्ट्र के नाम पर वर्णव्यवस्था को यथावत रखने के लिए वर्णव्यवस्था को लुटने के लिए आर.एस.एस. की स्थापना की, जिनको महाराष्ट्रभर के कट्टर ब्राह्मणदियों ने अपना समर्थन दिया, पुणे से संघ को ज्यादा समर्थन-आर्थिक सहयोग मिला। दीनदयाल उपाध्याय जैसे कितने ही कट्टर ब्राह्मणवादी युवकों ने अपना जीवन ब्राह्मणराष्ट्र के लिए समर्पित किया।

आर.एस.एस. का हिन्दूवाद

जो इतिहास नहीं जानते है ऐसे मूलनिवासी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र तथा अवर्ण जातियों के राजनैतिक-सामाजिक अग्रजनों, बुद्धिजीवियों हिन्दूवाद, हिन्दु धर्म और हिन्दू संस्कृति के नाम पर आर.एस.एस. के कट्टर ब्राह्मणवादी नेताओं के बिछाऐ जाल में फंसते रहते हैं।

आर.एस.एस. के राष्ट्रीय प्रचारक कट्टर ब्राह्मणवादी, नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'राष्ट्रजीवन की दिशा' में कहते हैं,

''धारणा से धर्म का संबंध है, इसीलिए जिस चीज से, जिस शक्ति से, जिस भावना से, जिन व्यवस्था से, जिस नियमों से धारणा होती है वही धर्म है। मनुष्य की धारणा जिसमें होती है वह मनुष्य धर्म है।''

विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने मूलनिवासी अनार्य आबादी को जन्मजात रूप से आर्य ब्राह्मणों के दास तथा सेवक के रूप में शूद्र, अतिशूद्र और अवर्ण स्थापित करती व्यवस्था को मनुस्मृति का संविधान समर्थन करता है। मनुस्मृति वैदिक ब्राह्मण धर्म तथा ब्राह्मण राज का संविधान है। मनुस्मृति में हिन्दू नाम का एक भी शब्द देखा नहीं जा सकता। हिन्दू धर्म को मनुस्मृति से कोई लेना-देना नहीं है, मनुस्मृति ब्राह्मण ध र्म का संविधान है।

डॉ. हेडगेवार जानते थे कि ब्राह्मणधर्म, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण राष्ट्र या ब्राह्मण संस्कृति की बातों को देश के सभी ब्राह्मणों का भी समर्थन नहीं मिलेगा। आधुनिक शिक्षा प्राप्त ब्राह्मणों में भी मानसिक परिवर्तन बढ़ रहा था। उनमें भी मानव मात्र को समान अधिकार होने चाहिए, यह सत्य पहुंच चुका था। शूद्र, अतिशूद्र, और अवर्ण जातियों की पहचान हिन्दु की थी, वे भी ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण संस्कृति को सहयोग नहीं करेंगे, जिस संस्कृति ने उनको अधिकार वंचित रखा था।

प्रख्यात लेखक, विचारक एवंम् समाज शास्त्री
जयंती भाई मनानी, गुजरात

अप दीपो भव!

किसी वाद या विचार को तुम इसलिये मत ग्रहण करो कि वह वाद या विचार किसी बड़े महात्मा द्वारा या किसी बड़े ग्रंथ में कहे-लिखे गये हैं। तुम उसे इसलिये भी मत मानो कि उसके मानने वाले बहुतायत में हैं। बल्कि तुम खुद उसका निरीक्षण-परीक्षण करो और देखो कि वह वाद या विचार तुम्हारे एवं तुम्हारे जैसों के लिये हितकारक है।

गौतम बुद्ध

पिछड़ी जातियों के उज्जवल भविष्य के लिए गम्भीरता से समझने योग्य

पिछड़ी जातियों का इतिहास गौरवमयी रहा। परन्तु आज देश की आबादी के अनुपात में देश की अगड़ी जातियों से शासन, उद्योग, व्यापार में बहुत पीछे हैं अगड़ी जातियें राजनीति, शासन प्रशासन तथा उद्योग व्यापार पर कब्जा जमाये हैं। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं-

1. पिछड़ी जातियों के कुछ ही लोगों में जोश है, उनमें भी होश कम है। क्योकि पिछड़े समाज के जो व्यक्ति देश और दुनिया के विकसित लोगों के सम्पर्क में रहते हैं वे सभी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और समझकर गंभीरता पूर्वक व्यवहार कर आगे बढ़ते हैं।

2. पिछड़े समाज के 99 प्रतिशत लोग खेती और मजदूरी एवं छोटी आमदनी पर निर्भर हैं। जिसमें हमेशा सरकारों द्वारा फसलों के रेट जानबूझ कर कम कर दिये जाते हैं ताकि यह मजबूर और मजदूर बनें रहें। देश में 80 प्रतिशत भाईयों के पास केवल 5 हजार रूपये मासिक आमदनी हैं। जिससे केवल वह परिवार रूखी सूखी रोटी ही खा पाते हैं छोटी मोटी 1-2 हजार रूपये की बीमारी के खर्च के लिये परिवार में रूपये नहीं होते। महंगे इलाज में तमाम लोगों की जाने जा रही हैं। घर मकान बिक रहें हैं, कर्जे हो रहें हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए 100 रूपये महीने भी नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में सरकारें जानबूझ कर पढ़ाई नहीं कराती हैं। रिश्वत लेकर शिक्षकों को भर्ती करते हैं और रिश्वत लेकर उनको वेतन देते रहते हैं तो शिक्षक क्यों पढ़ायेंगे। कभी समय तो वोटर लिस्ट, पोलियो, जनगणना आदि कार्यों में उनका समय गंवाँ दिया जाता हैं। इन 80 प्रतिशत पिछड़ी जाति की बीमारी, अशिक्षा, मकान की समस्यायें पहले हल होनी चाहिए बाद में उनसे अधिक आमदनी वालों की समस्याओं का हल किया जाना चाहिए जैसे परिवार में कोई सदस्य ज्यादा परेशानी में होता हैं उसकी परेशानी पहले दूर की जाती हैं। समाज के उत्थान करने वाले पदाधिकारियों से पूंछे कि उत्थान की क्या कार्ययोजना है। केवल 100 में से 1 पिछडें समाज के भाई की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं। 99 प्रतिशत गरीबों के इलाज, अच्छी शिक्षा के लिए क्या कार्यक्रम हैं। केवल 1 प्रतिशत कुछ पैसे वालों के लिये कार्य कर रहे हैं। यह घोर पाप एवं अन्याय तथा बेईमानी एवं जाति के 99 प्रतिशत लोगों को धोखा देकर अपनी राजनीति के लिये एम. एल.ए. बनने के लिए राजनैतिक पार्टियों से टिकट की भीख मॉगकर जाति को मूर्ख बनाने का कार्य है। इस पर गम्भीरता सें सोचना होगा। देश के किसी भी गॉव मुहल्ले में सबसे गरीब और दुःखी व्यक्ति 50 प्रतिशत हैं। उसके लिए पहले मदद का कार्य करना होगा चाहे जिला, प्रदेश, केन्द्र सरकार को इसके लिए मजबूर करें इसके लिए देश में आन्दोलन चलायें या जाति के धानी लोग सम्मेलनों के मंच पर डींग मारने वाले बड़े-बड़े लुभावने भाषण देनें वाले अपनी सम्पत्ति में से उनकी मदद करें जो लगभग सभी करोड़ पति और अरबपति हैं। 50 प्रतिशत पिछड़ी जातियों की मदद करें तभी वे समाज से सच्चे शुभचिन्तक माने जायेंगे। जो लोग देश में पिछड़ी जाति परिवार के उत्थान का कार्य करने की बात करते हैं। वह अपनी कार्ययोजना एक वर्ष की बतायें उनकी केन्द्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी बतायें, यदि नहीं हैं तो बनेगी कैसे? और वह कार्यकारिणी 99 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लोगों की समस्यायें कैसे हल करेगी? सब कुछ कैसे ठीक होगा बतायें, देशभर के अच्छे समाजसेवी उनका पूर्ण सहयोग करने को तैयार बैठे हैं। उनका केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिला, ब्लॉक, गॉव, मुहल्ला कार्यालय कहाँ-कहाँ हैं साथ ही कौंन कौंन पदाधिकारी तथा कौंन-कौंन कार्यालय में कर्मचारी हैं। उनकी सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उन्होंने सप्ताह में कितना कार्य किया। सूची पेस करें। ताकि पिछड़ी जातियों के भाई अपनी समस्या उनकों बता कर उनका समाधान निकलवा सकें।

3. पिछड़ी जातियों के 99 प्रतिशत लोगों के पास महंगी शिक्षा के लिए धान ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए देश के कुछ पब्लिक स्कूल, बड़े-बड़े शहरों में इतने महंगे हैं कि जिनमें बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में नर्सरी में प्रवेश के लिए जाता है, तो 20 से 25 लाख रुपये डोनेशन-चंदा-रिश्वत दी जाती हैं। ऐसे लगभग एक लाख बच्चे प्रतिवर्ष देश में प्रवेश लेते हैं। 99 प्रतिशत ये ही बच्चे आगे चलकर IAS, IPS, IFS, इंजीनियर आदि उच्च कोटि

इंस्टीट्यूट 1 करोड़ में देता हैं । करोड़ वाला हमेशा एक श्रेष्ठ नौकरी पाता है या अपनी कम्पनी चलाता है। 3 लाख वाला 6 हजार की नौकरी के लिए रात दिन मेहनत करता है। 4. देश में भयंकर ब्राह्मणवाद है। हमारें एक प्रतिशत बच्चे जो कड़ी मेहनत करके अच्छे नम्बर लाते भी हैं तो उनको विभिन्न तरीकों से ब्राह्मणवादी अधिकारी पीछे कर देते हैं।

5. कुछ हमारे 1 प्रतिशत से कम बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमीशन हो भी जाता हैं। पीए प्पैए आदिसरकारी सेवाओं में भर्ती भी केवल 27 प्रतिशत आरक्षण के कारण हो जाते हैं। जिसका विरोधा भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों ने ही किया है। हमारे बड़े से बड़े अधिकारी कहीं भी एक या दो ही होते हैं, वे भी सवर्णो के शासन-प्रशासन में सवर्णों के लाभके लिए ही काम करने को मजबूर हैंनहीं तो वे नौकरी नहीं कर सकते।इसी तरह एम.पी., एम.एल.ए., मंत्रियों का भी यही हाल है।

6. प्राइवेट सेक्टर में सरकारों के सभी बड़े से बड़े कार्य ठेके जानबूझ कर ब्राह्मण बनियों को ही दिये हैं। जो उन्हीं के रिश्तेदार परिवार के है वे सभी अपने अपने लोगों को ही भर्ती करके बड़ा वेतन देकर अपनी जाति के लोगों को लाभ देते हैं पिछड़ी जाति को नहीं देते।

7. देश की सत्ता भारत सरकार से चलती है। हमारा कोई प्रभावशाली मंत्रि या अधिकारी नहीं है न ही ओबीसी द्धपिछड़े वर्गत्रद्ध का है जैसे-सुप्रीम कोर्ट में ाजादी के बाद से आज तक मुख्य न्यायाधीश तो छोड़िये जूनियर जज भी नहीं बना। इसी तरह भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार में कोई भी मुख्य सचिव या सचिव नहीं बना। ह्संघ लोक सेवा आयोगह में आई.ए.एस. ,आई.पी.एस. आदि की भर्ती होती हैं कोई भी आजादी के बाद से अब तक अधयक्ष तो दूर की बात हैं कोई सदस्य तक नहीं बना। टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस जैसे उद्योगपतियों में 10 हजारवां भी पिछड़े द्धओबीसीत्रद्ध वर्ग का नहीं हैं। उपरोक्त समस्याओं हेतु सरल समाधाान उपरोक्त समस्याओं के सरल समाधाान के लिए सभी की शिक्षा समान तथा नि:शुल्क सरकार को करनी होगी जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह होगी विद्यालय के छात्रवासों में रहकर सारा व्यय सरकार उठाती हैं साथ ही महंगा इलाज, महंगा मकान तथा पौष्टिक भोजन सरकार की जिम्मेदारी हैं। ओबीसी के 99 प्रतिशत मजदूर और मजबूर मित्र केवल 5 प्रतिशत ही जागृत होकर अपने गाँव-मुहल्ले में साप्ताहिक बैठक करेगें । ज न प द पंचायत/ब्लॉक/ वार्ड स्तर पर एक महींने में 5 प्रतिशत ओबीसी के साथी एक बार अपने-अपने सांसदों से समस्याओं के समाधाान के लिए मजबूर करगे ें एसे ा किसी भी पाटी ि क े नते ा तथा सामाजिक सग ठन न े नही ं किया। केवल एक जाति से न ही ीस, वजीफा तथा शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश मिलेगा न ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा, न ही रोजगार के लिए ;ण एवं छूट मिलेगी यह केवल ओबीसी के नाम पर ही मिलेगा। क्योकि संविधाान मे किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा हैं वर्गो का नाम है जैसे - सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग द्धओबीसीत्रद्ध, एस.सी, एस. टी.। ब्राह्मण बनिये हमारे समाज को गुमराह करते रहते हैं क्योकि ओबीसी के सभी लोग आपस में अलग-अलग रहें, नहीं तो ये ताकतवर बनकर सत्ता-शासन, उद्योग-व्यापार पर कब्जा जमा लेंगे। इसलिए ह्ओबीसी यूनाइटेड फ्न्ट ऑफ इण्डियाह जिसका गठन 2 एवं 3 मार्च 2013 को देश भर के प्रमुख संगठनों तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों की ओबीसी यूनियनों के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में लम्बी चर्चा द्ध2 दिनों में, 17 घटेत्रद्ध के बाद सुचारू रूप से संकल्प लेकर गठित हुआ है। जो कि आज देश के सभी प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। जिसके राष्ट्रीय अधयक्ष महेश मानव जी हैं। जिन्होंने सरकारी बैंक की महत्वपूर्ण सेवा से त्याग पत्र देकर उससे महत्वपूर्ण ओबीसी की सेवा तन, मन, धान से करने का संकल्प लिया है तथा अपना परिवार छोड़कर पूरे देश मे ओबीसी को अपना परिवार मानकर, रात-दिन मेहनत करसमस्त जिलों, ग्रामों-मुहल्लों में लाखों लोगों को प्रशिक्षित करके संविधाान, शासन, सामाजिक, ऐतिहासिक तथारातनैतिक जानकारी दे रहें हैं शीघ्रओबीसी की देश में सबसे बड़ी ताकतबनने जा रही है जो देश तथा प्रदेश में व्याप्त अन्याय तथा शोषण को माप्त कर सभी की खुशहाली के लिए थाई समाधाान निकालेगें। इस संगठन में पिछड़े वर्ग की सभी जातियों के सच्चे समाज सेवी केन्द्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तथा जिला, विकासखण्ड, ग्राम मुहल्ला तक जुड़ रहे हैं। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट .obcufi.news, www.obcufi.info को इंटरनेट पर अवश्य देखें। जिससे देश भर में सभी जिलों तथा ग्रामों में तेजी से ओबीसी यूनाइटेड फंट ऑफ इंडियाह द्धभारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चात्रद्ध के लाखों लोग ओबीसी की सभी बिरादरियों के प्रमुख समाजसेवी यु)स्तर पर तन मन धान से संगठन को सशक्तबनाने में लगे हुए हैं। शीघ्र ही पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर देश की सबसे बड़ी ताकत ओबीसी द्धपिछड़ा वर्गत्रद्ध की बनने जा रही है जिसके दबाव से विदेशों में जमा अरबों-खरबों का धान देश के विकास में लगेगा जिससे देश खुशहाल होगा। सभी को उनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा

हरी प्रसाद बड़ीवाल (प्रजापति)

अपनी छुपी शक्ति को पहचानो सम्माननीय अति पिछड़े बंधुओं

पार्टी धर्म जाति का चक्कर छोड़कर एकजुट होकर काम करो सोलह आना सफलता मिलेगी।

आज हमारी देश में हर क्षेत्र में कम से कम 40% से 90% की जनसंख्या (कुल अनुपात 60% से ज्यादा) है फिर देश के आजाद होने (67 वर्ष में) के बाद से हमारे नाम मात्र के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद व पंच आदि हैं। जबकि संसद में हमारी संख्या बल के आधार पर 545 में से हमारे 325-350 सांसद होने चाहिए, क्या ऐसा है? देश आजाद होने के समय से ही कहां जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या ऐसा है.....?

आज प्रजातंत्र के नाम पर ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति व सभी उच्च पदों पर बड़े उद्योगों तथा कथित किसानों (राजनीति में रह रहे) के पास राजनीति-उद्योग, शिक्षा, सरकारी नौकरी, कृषि की भूमि पर कुछ जाति-परिवार व राजघरानों का कब्जा है। ये कैसा प्रजातंत्र है जिसमें मंत्री पद व सांसद-विधायक पीढ़ियों से एक ही परिवार व जाति के लोग देखे, नेहरू प्रधानमंत्री बेटी दामाद व परिवार के लोग मंत्री, राज्यपाल, इन्द्रा (बेटी) प्रधानमंत्री, नाति-राजीव प्रधानमंत्री, भाई संजय-सांसद, अब इन्द्राजी की 2 बहू 2 पोते (सोनिया-राहुल कांग्रेस से सांसद), मेनका-वरुण-भाजपा से सांसद)

ज्यादातर राजघरानों का 1947 से आज तक सपरिवार सत्ता में भागीदारी, लालू, मुलायम, बीजू पटनायक, बाल ठाकरे, चौ. चरण सिंह, चौ. देवीलाल, चौ. भजन लाल, करूणा निजि, पासवान, शरद पवार आदि के परिवारों का पार्टी पर किसी निजी संस्था की तरह अधिकार हर मुख्यमंत्री की पत्नी बेटा-बेटी, भाई केन्द्र में सांसद मंत्री हार गये तो राज्य सभा में राज्यपाल बनाकर भेज देना ही चलता रहता है। पति राज्य सभा में पत्नी लोक सभा में। जिन व्यक्तियों के पास पैसा-मान-सम्मान की कमी नहीं। पर खाना खाने को भी समय नहीं निकाल पाते। ऐसे लोगों को जो संसद के कार्यकाल में 5% हाजरी भी नहीं लगाते ऐसों को भी पता नहीं किस कारण सांसद बना देते है? कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी कई करोड़ संख्या होते हुए भी आज तक लोक सभा, राज्य सभा में एक भी सांसद नहीं बना। ऐसी असमानता क्यों है इसके जिम्मेदार कौन है?

इन सभी के जिम्मेदार हम खुद हैं हम लोग अपने लिए तो टिकट मांगते नहीं व तथाकथित जननेता राजा साहब - साहब के परिवार वालों को जिताना अपना धर्म मान बैठते हैं, उन्हें बिना कुछ सनझौते मांगे वोट दे आते हैं, जिताने में हमारा 16 आने हाथ रहता है पर मिलते जाते हैं तो हमें पहिचानते तक नहीं व जो उनकी बगल में बैठा होता है वह प्रचार किसी और के पक्ष में करता था अपना भी वोट इस क्षेत्र में नहीं है फिर भी जनता के प्रतिनिधि ऐसे ही लोगों से घिरे रहते हैं (ये सभी पार्टी नेताओं के मध्यस्था/दलाल होते है।

हमारी सभी अति पिछड़ी जातियां जो भी काम करें निर्णय ले मिलकर सामूहिक कार्य करें। देखेंगे कि ग्राम पंचायत से राष्ट्रपति तक हमारी पूछ होगी, हमारे लोग होंगे।

सामूहिकता का परिणाम (सत्य आपबीती)

वर्ष 2000 में लोहिया कालेज (चुरू) राजस्थान के छात्र संघ के चुनाव होने थे। इस कॉलेज की स्थापना के समय से जाट छात्रों का दबदबा था क्योंकि कुल छात्रों में से 40 से 50% अकेले जाट वह भी पैसे की राजनीति से सम्पन्न परिवारों के होते है। वर्ष 2000 में गरीब प्रजापति छात्र मनीराम की मेरे से दिसम्बर 1999 में मुलाकात हुई उसने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। साथ में अपनी गरीबी व समाज के मात्र 197 छात्र होने की बात बताई।

मैंने पूछा कि कुल छात्र कितने हैं व जाट कितने, उसने बताया कुल 2300-1100 जाट। मैंने पूछा गैर जाट कितने

तो हिसाब लगाकर बताया, 1200, मैंने पूछा ज्यादा कौन तो उसने आश्चर्यचकित होकर बताया गैर जाट। तब मैंने बताया कि क्या गैर जाट छात्रों के मन में जाटों को हराने की तमन्ना है। बताया पूरे जोर से तो फिर क्या है, सभी गैर जाट छात्र एक होकर अपना प्रत्याक्षी खड़ा करो। खावो-पिवो व गीत गावो। जाटों को जब मतदान करना हो तो गैर जाट को कर देना बिना खर्च किये भी जीत निश्चित है।

इस प्रकार जब मनीराम प्रजापति ने अन्य गैर जाट छात्रों से बात करी सभी को यह समझ आ गया कि 1100 से हम 1200 मिलकर ज्यादा हैं तो जीत हमारी होगी। मनीराम को ही महासचिव पद पर खड़ा किया गया। अत्यन्त गरीब छात्र बिना पैसे खर्च किये सूझ-बूझ से आराम से जीत गया।

इस प्रकार वर्ष 2000 से चुरू की 7 तहसीलों की कालेजों में ऊपर के 3 पदों पर कम से कम 1 प्रत्याशी पिछड़ों का जीतने लगा। लोगों का भ्रम निकल गया कि अमुक जाति का ही वर्चस्व रहेगा। बंधुओ प्रजातंत्र में सर्वप्रथम मुन्डो (शीरो) का संख्या का मतत्त्व है पिछड़ों के मिलकर राजनीति में आने का मतलब है अति पिछड़े 40% दलित 22% मुस्लिम 15% कुल 77% शेष सभी 23% तो बतायें संख्या किसकी ज्यादा है।

सबसे बड़ी एक और बात मुसलमान 100% दलित 80% पिछड़े 90% मतदान करते हैं जबकि कथित उच्च जातियों जिनके सर्वाधिक प्रत्याशी होते हैं उनकी मतदान : संख्या के हिसाब से 30-40% तक भी नहीं होती। यह वह वर्ग है जो अखबार टी.वी. पर आड़े बताते हैं अपनी राय देते हैं पोस्टर लगवाते हैं पर वोट देने नहीं जाते।

हरी प्रसाद बड़ीवाल (प्रजापति)

मै. वेट-पेट्स

के-62, छाछी बिल्डिंग चौक, (लाल क्वार्टर) कृष्ण नगर, दिल्ली-110051 | मोबाईल : 9211529841/9643529841

भगवान के बनाऐ हुए जिंदा मनुष्यों का शोषण तथा अपमान करते हैं और मनुष्य की बनाई हुई मुर्तियों की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? जबकि सनातन धर्म में कहा गया है ***"नर सेवा नरायण सेवा"*** भगवान को ***"दीन बन्धु"*** कहा गया है।

साईं बाबा ने पूरा जीवन सादा बिताया, किसी का शोषण नहीं किया नहीं अपने लिए संपति जमा की। जो लोग साईं बाबा को किमती मुकुट पहनाते हैं तथा करोड़ों रूपये चढ़ावा, चढ़ाते हैं। क्या वे साईं बाबा का अपमान नहीं कर रहें हैं? वे साईं बाबा का उपहास कर रहें हैं क्या ये साईं भक्त हो सकते हैं? जो साईं को मानते हैं साईं की नहीं मानते।

अप दीपो भव!

किसी बात या विचार को तुम इसलिये मत ग्रहण करो कि वह बात या विचार किसी बड़े महात्मा द्वारा या किसी बड़े ग्रंथ में कहे-लिखे गये हैं। तुम उसे इसलिये भी मत मानो कि उसके मानने वाले बहुतायत में हैं। बल्कि तुम खुद उसका निरीक्षण-परीक्षण करो और देखो कि वह बात या विचार तुम्हारे एवं तुम्हारे जैसों के लिये हितकारक है।

गौतम बुद्ध

गरीबी (आर्थिक,मानसिक) का निवारण, शिक्षा

शिक्षा – वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव, भौतिक, समाजिक आर्थिक व आध्यात्मिक, प्रशासनिक तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है । शिक्षा के द्वारा इंसान का मस्तिस्क परिष्कृत होता है और उसकी उत्पादकता / क्षमता व समस्त मूलस्थिति के संचालन व स्थायत्व एवम विकास की गतिविधियों में योगदान देने की क्षमता बढ़ती है ।

शिक्षा के माध्यम –

1. आध्यात्मिक प्राचीन शिक्षा
2. भौतिक स्कूली शिक्षा ।
3. अनुभव व प्रयोगात्मक शिक्षा विधि ।
4. व्यवहारिक शिक्षा।

1. अध्यात्मिक / प्राचीन शिक्षा

मानव जीवन को प्रकृति से सामंजस्य व मनुष्य के आर्दश के संदर्भ में, हिन्दू या किसी भी धर्म के धर्मग्रन्थ व प्राचीन पाण्डुलिपियां व ग्रन्थ मनुष्य को समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति आदर्श व्यवहार करने के लिए तथा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए काफी उपयुक्त है । जिसका प्रचार व प्रसार धर्म गुरुओं, के द्वारा गुरुकुलों / प्रवचनों के माध्यम से दिया जाता है । जिसमें सामाजिक व आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य परिकृत होता है । समाजिक व आध्यात्मिक ज्ञान से परिकृत मनुष्य का स्वर्ग का रास्ता साफ होता है । व दूसरों का रास्ता साफ करने व परिस्थितिक स्थानातरण को कायम करने में योगदान करता है ।

2. भौतिक शिक्षा

पृथ्वी व भूमण्डल, वायुमण्डल व सामाजिक प्रबंधन के संदर्भ में क्रमवद्ध तथ्यों पर आधारित ज्ञान जो विज्ञान के नाम से जाना जाता है । जिसके द्वारा प्राकृतिक तथ्यों, श्रोतों, व क्रिया, प्रक्रिया के अध्ययन जो तकनीकी के रुप में विकसित हुआ, मानव शरीर के विस्तृत कार्य विधि एवं व्यवहार का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान के साथ सूचना व तकनीकी के साथ सभ्यता के विकास में मानव उपयोग की नई वस्तुओं के अध्ययन का ज्ञान भौतिक ज्ञान है । जो तथ्यों के बारे में सूचनाओं को संकलन व प्रक्रिया के माध्यम से मानव उपयोगी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है । आज ये भौतिक ज्ञान स्कूली शिक्षा के माध्यम से जीवन यापन का सुगम व अच्छा साधन बन गया है । मानव व परिस्थिति के संतुलन के लिए, क्रिया कलापों में मनुश्य के विकास के क्रम में भौतिक शिक्षा भी अनिवार्य हो गई है ।

3. अनुभव से शिक्षा प्राप्ति

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । अपने आस पास के वातावरण के प्रभाव को समझ कर अपने आप को अपने अनुकूल बनाता है । कहने का तात्पर्य मनुष्य वातावरण व समाज में हो रही घटनाओं को अपने दिमाग में समझाता है

। और अपने अस्तित्व के लिए शिक्षा ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त कर समायोजित करता है । और जो व्यक्ति आस पास के वातावरण को सामाजिक गतिविधियों को नही समझता अर्थात समाजिक व वातावरण के अच्छे प्रभाव का आकलन नही कर सकता, वक्त के अभाव में वह वातावरण के बदलते स्वरुप व बदलती सामाजिक परिस्थिति में अपने आप को स्थापित नही कर पाता या गलत व अच्छे का अंतर न कर पाने के कारण बुरे प्रभाव की आंधी में बह जाता है और बदलते परिदृश्य में विकास के रास्ते में अपने आप को स्थापित नही कर पाता और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है

जीवन की उत्पत्ति व विकास के संदर्भ में डार्विन वैज्ञानिक ने कहा है जो समर्थ होते है वही जीवित रहते है तथा जिन अंगो का प्रयोग किया जाता है वह विकसित हो जाते है और जिन अंगो का प्रयोग नही किया जाता वह विलुप्त हो जाते है

4. व्यवहारिक शिक्षा

मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो समाज वातावरण में एक जीव की तरह व्यवहार करना जीवन जीने, सुधार करने व विकास करने के लिए वातावरण व समाज में कैसा व्यवहार किया जाए । एक व्यवहार से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा । उक्त का आकलन व आभास मनुश्य को होना चाहिए, मनुष्य के प्रत्येक कृति से समाज वातावरण को क्या हानि–लाभ होता है उक्त का भी आभास होना चाहिए, स्वार्थ रुप व्यवाहर आस पास के वातावरण को दूशित करता है जिससे विकास व स्थायित्व की प्रक्रिया शिथिल पड़ जाती है तथा स्वार्थी व्यक्ति भी कुछ स्वार्थ पूरे करने पर अलग थलग पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा उसकी स्वयं की प्रगति का रास्ता भी बंद हो जाता है, व्यवहार ज्ञान अंतिम सफलता के लिए आवश्यक है, व्यवहार ज्ञान परिवार समाज स्कूल व अध्यात्मिक ज्ञान से अनुभव के साथ साथ पैदा होता है ।

श्रीमती मीना सिंह (एम.ए. समाजशास्त्र), सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तक

पिछड़ावर्ग युग पत्रिका एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु सहयोग राशि

सहयोग राशि :

एक प्रति	30/-	*एक वार्षिक*	300/-
पंच वार्षिक	1500/-	*दस वार्षिक*	3000/-
आजीवन संरक्षक	5000/-		

विज्ञापन दरें :

कवर का दूसरा पेज एवं तीसरा रंगीन पृष्ठ	15,000/-
कवर का दूसरा पेज एवं तीसरा आधा पेज रंगीन पृष्ठ	10,000/-
कवर का आखरी चौथा पृष्ठ	20,000
अंदर के सभी रंगीन पृष्ठ	10,000
अंदर के सभी ब्लैक एंड ब्हाईट पेज	5,000
अंदर के सभी ब्लैक एंड ब्हाईट 1/2 पेज	3,000

मनीआर्डर भेजने का पता

महेश मानव सम्पादक ''पिछड़ावर्ग युग'', 12 A/FF, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

अपने शहर में **State Bank** of India की शाखा में जायें और उसकी स्लिप में लिखें :

Mahesh Manav, A/c No. 10193163390, S.B.I. Branch, Laxmi Nagar, Delhi-110092

लिखकर अपनी सहयोग राशि का चेक साथ में लगवा दें या नकद जमा कर मोबाइल न. 09711539237 पर सूचित कर सकते हैं।

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया" के राष्ट्रीय अध्यक्ष "श्री महेश मानव जी" का छात्र जीवन से आज तक का समाज के लिए संघर्ष एवं समर्पण

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया" के रा ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश मानव जी के द्वारा छात्र जीवन से 1977 मे ं जब उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष आजमगढ़ के निवासी स्वा0 श्री रामवचन यादव जी थे, तब आप उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग युवक संघ के युवा अध्यक्ष थे और एम.ए. प्रथम वर्श के छात्र थे, उसके पश्चात 1978 में जब द्वितीय वर्श मे ं थे तो उस समय श्री राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जनता पार्टी की सरकार में थे। तमिलनाडु प्रदेश मे ं कालेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने पिछडे वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया था, बिहार के मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर के द्वारा बिहार मे ं पिछडे वर्ग के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया था, इसी के तहत उत्तर प्रदश मे ं पिछडे वर्ग के आरक्षण के लिए चलाए गये अभियान मे ं महेश मानव जी ने भारी संख्या मे ं छात्रों, युवाओं को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थें, उनको कई बार ज्ञापन दिये गये धरना प्रदर्शन किये गए और 15 प्रतिशत आरक्षण हुआ।

केन्द्र सरकार से काका कालेलकर आयोग की सिफारिसे ं जिसमे पिछडे वर्ग के अधिकारो ं को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रो ं मे ं 52 प्रतिशत आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1955 में सिफारिसे ं की थी। जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कूड़ेदान मे ं डाल दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने भी काका कालेलकर आयोग की सिफारिसों को लागू नहीं किया, उसके पश्चात केन्द्र सरकार मे ं 1977 तथा 1978 मे ं जनता पार्टी की सरकार आई, पंडित मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू कराने के लिए श्री

महेश मानव जी भारी संख्या में युवाओ ं और छात्रो ं को लेकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश पिछड़ेवर्ग के अध्यक्ष राम वचन यादव जी, रघुनाथ सिंह वर्मा सांसद मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मंत्री उत्तर प्रदेश दयाराम सांसद फरूखावाद, रामसिंह भाक्य सांसद इटावा तत्कालीन सांसद भारद यादव, चन्द्रजीत यादव, चौधरी ब्रह्मप्रकाश, जय पाल सिंह कश्यप, रामविलास पासवान आदि सांसदो के साथ संसद के अंदर तथा बाहर हुए अनेको ं धरना प्रदर्शनो ं मे ं महेश मानव युवाओ ं की भारी टीम सहित जोश एवं खरोश के साथ सम्मिलित होते थे।

प्रधानमंत्री मुरारजी देशाई ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिसो ं को यह कहकर जानबूझ कर टालदिया कि यह रिपोर्ट पुरानी हो गई हैं, और नया आयोग श्री बिन्दश्वरी प्रसाद मंडल सांसद मधेपुरा बिहार की अध्यक्षता मे ं बना दिया और इस आयोग की सिफारिसें अतिशीघ्र बड़ी मेहनत के साथ आयोग के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यो ं ने 1980 मे ं लोकसभा मे ं पेश की तब तक जनता पार्टी की सरकार चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने की जिद के कारण गिर चुकी थी, और इंदिरा गांधी की पुनः केन्द्र मे ं सरकार बनी। तब उनके समक्ष मण्डल कमीशन की शिफारिशें लागू करने के लिए संसद के अंदर सांसदो द्वारा धरना तथा संसद के बाहर एवं देश भर मे ं आरक्षण के समर्थन में

आन्दोलन किये गए। इसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं।

देश में लगातार 1980–1981–1982 में प्रदर्शन, आन्दोलन तथा संसद में पिछड़े व अनुसूचित जाति,जनजाति के संसद सदस्यो ं द्वारा हंगामा करने के बाद तब मई 1982 मे ं इंदिरा गांधी जी ने संसद मे "मण्डल कमीशन" की रिपोर्ट रखी। जिसमे ं कहा गया था कि पिछडे वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत देश भर मे ं हैं। अतः इसको 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने जीवन 1984 तक मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की उसके पश्चात् उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने ं उन्होनें ने भी 1984 से 1989 तक अपने प्रधानमंत्री के काल में मण्डल कमी ान रिपोर्ट लाग ू नहीं की थी। वर्श 1989 के अन्त मे ं जनता दल की सरकार बनी और उसके प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने। पिछड़े वर्ग के सांसदों के भारी दबाव मे ं

साथ ही जनता दल के घोशणा पत्र में भी मण्डल कमीशन लागू करने की घोशणा की गई थी। वी.पी. सिंह जी द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कुछ ही मात्रा मे केवल नौकरियों मे 27 प्रतिशत आरक्षण की ही घोशणा की थी और 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का आदेश भी बाद मे जारी कर दिया था, जो मात्र मंडल कमीशन की सिफारिसो का 5 प्रतिशत ही हिस्सा थी भोश 95 प्रतिशत जिनकों आज तक लागू नहीं किया गया ये सिफारिसे इस पुस्तक मे दी गयी हैं उसके पश्चात् देश भर मे लगभग 41 याचिकांए सवर्णो द्वारा इस ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की गई। जिनको सभी को एक पत्रावली मे सम्मिलित करते हुए **"इंदिरा साहनी"** जो सवर्ण जाति मे आते है, तत्कालीन सुर्पीम कोर्ट के वार एसोसिएसन के अध्यक्ष थे उनके नाम से **"इंदिरा साहनी"** बनाम **"केन्द्र सरकार"** के नाम से सुर्पीमकोर्ट में मुकदमा चला 1993 में 9 जजो की बैन्च जो अब तक के इतिहास मे सबसे बड़ी बैन्च थी उसने 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया। पूरे देश मे सबर्णो ने इसके विरूद्व मे आन्दोलन चलाया। आज तमाम छदमों, धोखाधड़ी से आरक्षण का कोटा जानबूझकर पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही मण्डल कमीशन की सभी मांगे जो इसी पत्रिका मे हैं उनको पूरी तरह लागू कराने के लिए **"ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया"** के द्वारा पिछड़े वर्ग में लगातार जागरूकता के लिए सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, पशासनिक, आथिर्क , सवैधानिक ज्ञान से पिछडे वर्ग के लोगों को परिपूर्ण करने के लिए राश्ट्रव्यापी प्रशिक्षण शिविर लगातार लगाये जा रहें है जो राश्ट्रीय, प्रदेश, जिला, तथा ब्लाक, वार्ड तथा ग्राम/मुहल्ला स्तर पर लगाये जा रहें और देश की सबसे बड़ी आबादी आज 65 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की हो गयी है इस बड़ी आबादी का देश का सबसे बड़ा सगं ठन शीघ्र बनने जा रहा हैं। आप सभी के सझु ाव, मागर्दशर्न ,सहयागे तथा भागीदारी, अपने तथा अपनी आने बाली संतानों की खुशहाली एवं स्वाभिमान पूर्वक जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। राश्ट्रीय स्तर पर पिछड़वेर्ग का सशक्त सगं ठन बनने के बाद ही पिछड़वेर्ग के छीने गये सामाजिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक, संवैधानिक अधिकार एवं हिस्सेदारी हासिल हो सकेगी। तभी स्वाभिमान एवं खुशहाली का जीवन संभब है।

प्रत्येक लोक सभा सदस्य को अपने ही जिले मे जिसकी आबादी लगभग 20 लाख होती है। इसके 5 प्रतिशत लोग जो लगभग 1 लाख होते उनके द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में देश भर मे प्रत्येक महीने एकत्रित होकर अपने अपने सांसद से देश में भश्टाचार द्वारा एकत्रित की गई अरबों खरबों की धनराशि जो देश तथा विदेशो में जमा है। इस देश के कड़ी मेहनत करने बाल जिनको जीवन की जरूरी जरूरतें महंगा इलाज, महगी पब्लिक स्कूलो की शिक्षा, महंगा मकान उपलब्ध नही हैं इनके लिए लगना चाहिए। इसके लिए अपने अपने सांसदों को मजबूर करेंगे सरकार किसी की भी हो जनता के आगे उसे झुकना ही पडेगा, उदाहरण के लिए दुनियाभर में राजा थे, राजाओ का राजपाट गया,फिर दुनिया भर में अंग्रेजों का भासन हुआ। आज अंग्रजों का भासन भी गया। राजाओ आरै अंग्रेजा दौना के पास फौजें हुआ करती थीं किसी फौज ने उनका साथ नही दिया क्योंकि जब जनता पर अत्याचार होता है आरै फाजै में सभी सिपाही गरीब होते हैं। वे गरीब सिपाही अपने परिवार खानदान रिस्तेदार आदि पर अत्याचार हाते हुए कैसे देख सकते है। अतः हमेशा जनता की ही जीत हुई है, और हमेशा
हागेी। क्योंकि देश में 99 प्रतिशत जनता लाखो के महगे इलाज, लाखो की महंगी महगें पब्लिक स्कूलो की शिक्षा, लाखो के महंगे मकान जा स्वाभिमान, खशहाली के लिए जरूरी हैं। इनके पास नही हैं। इसका कारण सभी सरकारा द्वारा किया जा रहा भश्टाचार हैं। अब जनता इसे बरदास्त नहीं करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ावर्ग में जागरूकता लाकर उनकी शासन,प्रशासन,उद्योग,व्यापार में हिस्सेदारी प्राप्त कर खुशहाली एवं स्वाभिमान से जीने के लिए **"महेश मानव जी"** और उनकी टीम द्वारा देश भर के सभी प्रान्तों में चलाए गये कार्यकम एवं प्रशिक्षण शिविर :–

जिनका रिकार्ड आज भी उपलब्ध हैं

क्रमांक	दिनांक / वर्ष	स्थान, जिला एवं प्रदेश
01	1977–1978	उत्तर प्रदेश पिछड़ावर्ग युवक संघ के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामवचन यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव को अनेकों बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन के उपरान्त 15 प्रतिशत आरक्षण कराने मे सफल रहे।
02	1980–1982	**मण्डल कमीशन** की रिपोर्ट को संसद में पेश कराने के लिए तत्कालीन जाकरूक ओबीसी, एससी, एसटी के साथ राष्ट्रीय **पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष चौधरी ब्रह्मप्रकाश पूर्व केन्द्रीयमंत्री** के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग युवा अध्यक्ष के रूप में युवाओं के साथ संसद के सामने धरना प्रदर्शन के द्वारा **मण्डल कमीशन** की रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संसद पेश कर वाने में सफल हुए।
03	1983–1985	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तथा बिहार आदि प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों के साथ मण्**डल कमीशन लागू कराने के लिए लगातार जन जागरण अभियान चलाया गया।** जिसका नेतृत्व चौधरी ब्रह्मप्रकाश पूर्व केन्द्रीयमंत्री एवं मुख्यमंत्री, शरद यादव, रघुनाथ सिंह वर्मा, रामसिंह शाक्य, रामविलास पासवान, चन्द्रजीत यादव आदि सांसदो के साथ धरना प्रदर्शन आन्दोलनों में बड़चड़ कर हिस्सा लिया।
04	1987	मंडल कमीशन लागू कराने के लिए लगातार जन जागरण अभियान चलता रहा, जागरूकता अभियान के बाद दिनांक **17,18 अक्टूबर को दिल्ली में बापू समाज केन्द्र पंचकुइया रोड पर स्थित कम्यूनिटी हॉल में हुए राष्ट्रीय संम्मेलन मेसर्व सम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित**
05	1988–1989	**"राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ"** के साथ साथ अराजनैतिक **पिछड़ा वर्ग समाज सेवा संस्थान** जो रचनात्मक कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसके अध्यक्ष के रूप में भी देश में रचनात्मक कार्य बड़चढ़ कर किये गए। **मंडल कमीशन** लागू कराने के लिए लगातार जन जागरण अभियान चलता रहा।
06	1990	जनता दल की सरकार आने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनें तथा जनता दल के घोषणपत्र के अनुसार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तत्कालीन जनता दल के सभी सांसदों के साथ विश्वनाथ सिंह सरकार पर दबाव लगातार बनाने में युवाओं के साथ देश भर में आन्दोलन धरना प्रदर्शन में बड़चढ़ कर हिस्सा लिया और **मंडल कमीशन** की रिपोर्ट के आधार पर वी.पी. सिंह जी के द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया।
07	1991–1992	दिल्ली के स्पीकर हॉल विट्ठलभाई पटेल हाउस रफी मार्ग पर दो दिवसीय **3,4 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यशाला** का आयोजन किया गया।
08	1993–1997	महिला आरक्षण लोकसभा तथा विधानसभाओं में लागू कराने के लिए अनेकों बार संसद में बहसें हुई इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आबादी के आधार पर 52 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए जन्तर मन्तर धरना स्थल पर लम्बे समय तक महेश मानव जी द्वारा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया गया।

09	1998–2010	देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जिसमे महंगी शिक्षा, महगी चिकित्सा एवं सरकारी नौकरियों, सभी कोर्सों में छात्रों के प्रवेश के लिए तथा उद्योग व्यापार में ऋण एवं अनुदान सभी में आबादी के आधार पर 52 प्रतिशत हिस्सेदारी दिए जाने के लिए जागरूकता अभियान एवं सरकारों पर दबाव बनाने के प्रभावशाली अभियान चलाए गये।
10	18,19 जून 2011	**कामन हॉल विधायक निवास लखनऊ 18,19 जून 2011 में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया** जिसमे पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की पूरी सिफारिसों को लागू कराने के लिए देश भर मे जागरूकता अभियान चलाने का निश्चय किया गया क्योंकि अभी तक मंडल कमीशन की मात्र आरक्षण की सिफारिस लागू की गयी जिसमें भी क्रीमीलेयर को असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया। साथ ही पिछड़े वर्ग की जनगणना अलग से कराकर उनकी आबादी के आधार पर विकास के लिए शिक्षा एवं रोजगार के लिए बजट में धनराशि आवंटन करना आदि सभी बिन्दुओं को पूर्ण रूप से लागू कराये जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
11	31 जुलाई 2011	नागपुर में गणगौर होटल आशाराम देवी मंदिर के सामने सुभाष रोड नागपुर में पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षण का शिविर आयोजित किया गया।
12	2012	देश के विभिन्न प्रदेशों के पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों, शुभचिन्तकों से सम्पर्क करने पर **राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्ग का जागरूकता अभियान चलाने के लिए अनेकों संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रभाव शाली संगठन की आवश्यकता विशेष रूप से महसूस की गयी** इसके लिए पुनः जनजागरण कार्यक्रम चलाकर संगठन बनाने का विचार किया गया। **जिसके पश्चात 2 व 3 मार्च 2013 को नागपुर महाराष्ट्र के राज्य औद्योगिकता विकास प्रशिक्षण भवन में पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने का निश्चय किया गया।**
13	26 फरवरी 2013	शंकर भोले धर्मशाला काकीनाडा कोलकाता प.बंगाल
14	28 फरवरी 2013	दरोगाराय भवन, दरोगारथ पथ पटना बिहार
15	2 एवं 3 मार्च 2013	**2 व 3 मार्च 2013 को नागपुर महाराष्ट्र के राज्य औद्योगिकता विकास प्रशिक्षण भवन में पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी 2 मार्च की 9 घंटे एवं 3 मार्च 8 घंटे की कुल 17 घंटों की रिकार्डिंग की डीवीडी उपलब्ध हैं। जिसमें 12 प्रदेशों के पिछड़े वर्ग के 18 संगठनों ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ेवर्ग की दयनीय हालात पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की,** दयनीय हालत के कारणों का पता लगाया गया तथा कारणों के निवारण के उपायों को सामने लाया गया ओर निष्कर्ष निकाला गया कि पूरे देश में गांव गांव घर घर तक पिछड़ेवर्ग के लोगों में जागरूकता विशाल संगठन बनाकर ही लाई जा सकती हैं। इसके लिए जागरूक और समर्पित समाज सेविओं को समर्पित भाव से लगने और लगाने का अभियान चलाया गया जो आज देश भर में सभी प्रदेशों में सक्रिय रूप से काम करते हुए देखा जा सकता हैं। विस्तार में इस कार्यकाला का विशेष लेख इस पुस्तक में हैं।
16	5 अप्रैल 2013	बैभव एकेडमी इन्द्रिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश
17	11 अप्रैल 2013	रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब
18	11,12 मई 2013	विधायक विश्राम ग्रह मीटिग हॉल भोपाल मध्य प्रदेश
19	2,3 जून 2013	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास, प्रशिक्षण शिविर नागपुर महाराष्ट्र
20	15 जून 2013	सागर में विशाल रैली मध्य प्रदेश
21	27 जुलाई 2013	नागपुर ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यालय नागपुर महाराष्ट्र
22	01 सितम्बर 2013	मण्डी परिषद भवन दमोह मध्य प्रदेश
23	20 अक्टूबर 2013	शिवाजी पार्क उत्सव भवन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़
24	27 अक्टूबर 2013	रेलवे कालौनी तुगलकाबाद दिल्ली मीटिग हॉल दिल्ली
25	01 दिसम्बर 2013	ग्वालियर कुशवाहा धर्मशाला रमतापुरा ग्वालियर मध्य प्रदेश

26	09 दिसम्बर 2013	पटेल सेवा संघ भवन दरोगा राय पथ पटना, बिहार
27	22 दिसम्बर 2013	विधायक विश्राम गृह मीटिग हॉल भोपाल म. प्र.
28	26 दिसम्बर 2013	प्रजापति न्याय भवन नाता वाडा जोधपुर राजस्थान
29	30 दिसम्बर 2013	पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ धरना महारैली यु.पी.गेट दिल्ली
30	11,12जनवरी 2014	पवार सामुदायिक भवन गोंदिया महाराष्ट्र
31	18,19जनवरी 2014	रेलवे आडोटोरिम बड़ौदा गुजरात
32	26 जनवरी 2014	मैथिल धर्मशाला गुना मध्य प्रदेश
33	फरवरी माह 2014	सम्पूर्ण गुजरात भ्रमण एवं बड़े शहरों में मीटिग
34	9 फरवरी 2014	प्रतिमा सम्मान समारोह म.प्र. पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल
35	16 फरवरी 2014	किसान भवन दमोह मध्य प्रदेश
36	9 मार्च 2014	दुर्ग शिवाजी पार्क मैरिज होम दुर्ग छत्तीसगढ़
37	11 मार्च 2014	ज्योतिराव फुलेभवन बालाघाट मध्य प्रदेश
38	29 मार्च 2014	केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली प्रदेश की बैठक
39	11 अप्रैल 2014	मैथिल धर्मशाला गुना मध्य प्रदेश
40	12 अप्रैल 2014	रेलडिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब
41	25 मई 2014	मुख्य विकास अधिकारी सभागार जिला मनसा पंजाब में
42	30,31 मई,1जून2014	बॉडा डेडा फार्म हाउस, झगडिया जिला भरूंच (गुजरात)
43	15 जून 2014	दिल्ली प्रदेश मीटिग केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली
44	13 जुलाई 2014	नगर निगम हाल जिला अशोक नगर म.प्र.
45	27 जुलाई 2014	नागपुर रविन्द्र भारती पब्लिक स्कूल जयपुर राजस्थान
46	2 अगस्त 2014	रूड़की कश्यप धर्मशाला रूड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड
47	24 अगस्त 2014	अम्बेडकर विद्यालय कानपुर रोड लखनऊ
48	7 सितम्बर 2014	राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली कार्यालय दिल्ली
49	13,14 सितम्बर 2014	ज्योतिबा फुले भवन अरैरा कालौनी भोपाल मध्य प्रदेश
50	17 सितम्बर 2014	अम्बेडकर विद्यालय कानपुर रोड़ लखनऊ उत्तर प्रदेश
51	21 सितम्बर 2014	रायपुर भोपाल कुर्मी छात्रावास आजादचौक रायपुर छत्तीसगढ़
52	23 सितम्बर 2014	शिवाजी हाउस शिवाजी नगर कटनी म.प्र.
53	29 मार्च 2015	दिल्ली केन्द्रीय कार्यालय लक्ष्मी नगर दिल्ली
54	4,5 अप्रेल 2015	संत एस राम इंटर कॉलेज जानकी पुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश
55	27 मई 2015	गांधी समाज संस्थान सभागार सागर मध्य प्रदेश
56	21 जून 2015	पटेल धर्मशाला देहरादून उत्तराखण्ड
57	26 जून 2015	सन राइज पब्लिक स्कूल धोलपुर राजस्थान
58	28 जून 2015	सैनी धर्मशाला जीन्द हरियाणा
59	1 जून 2015	बरेली पटेल धर्मशाला, बरेली उत्तर प्रदेश
60	07 जुलाई 2015	कुमार उत्सव भवन लाल डिग्गी, मिर्जापुर उ.प्र.
61	19 जुलाई 2015	गांधी भवन सभागार भोपाल, मध्य प्रदेश
62	7 अगस्त 2015	संसद भवन के सामने प्रदर्शन मण्डल दिवस पर हिस्सा एवं अधिकार के लिए ज्ञापन
63	11 दिसम्बर 2015	कुशवाहा धर्मशाला रमतापुरा ग्वालियर म.प्र.
64	27 दिसम्बर 2015	फुले भवन अरैरा कालौनी भोपाल, म.प्र.
65	27 फरवरी 2016	किरार भवन ग्वालियर म.प्र.
66	28 फरवरी2016	महारानी अबंतीवाई लोधी छात्रावास भिण्ड म.प्र.
67	5 मार्च 2016	ऊषा फर्नीचर हॉल चमरौली आगरा
68	26,27 मार्च 2016	कुमार उत्सव भवन लाल डिग्गी मिर्जापुर उ.प्र.
69	7,8 मई 2016	बुद्धबिहार तुलसीनगर भोपाल म.प्र.

नरेश यादव
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
ओबीसी.यू.एफ.आई

पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर

भगवान गौतम बुद्ध

बुद्ध शाक्य गोत्र के थे और उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु (शाक्य महाजनपद की राजधानी) के पास लुंबिनी (वर्तमान में दक्षिण मध्य नेपाल) में हुआ था। इसी स्थान पर, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बुद्ध की स्मृति में एक स्तम्भ बनाया था।

सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोदन थे। परंपरागत कथा के अनुसार, सिद्धार्थ की माता महामाया उनके जन्म के कुछ देर बाद मर गयी थी। कहा जाता है कि उनका नाम रखने के लिये 8 ऋषियों को आमन्त्रित किया गया था, सभी ने 2 सम्भावनायें बताई थी, (1) वे एक महान राजा बनेंगे (2) वे एक साधु या परिव्राजक बनेंगे। इस भविष्य वाणी को सुनकर राजा शुद्धोदान ने अपनी योग्यता की हद तक सिद्धार्थ को साधु न बनने देने की बहुत कोशिशें की। शाक्यों का अपना एक संघ था। बीस वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था।

सिद्धार्थ गौतम जब बीस वर्ष के हुये तो उन्होंने भी शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण की और शाक्यसंघ के नियमानुसार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुये आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वे संघ के अत्यन्त समर्पित और पक्के सदस्य थे। संघ के मामलों में वे बहुत रुचि रखते थे। संघ के सदस्य के रुप में उनका आचरण एक उदाहरण था और उन्होंने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। संघ की सदस्यता के आठवें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोदन के परिवार के लिये दुखद बन गयी और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी।

शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने-अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। ये विवाद कभी-कभी झगड़े और लड़ाइयों में बदल जाते थे। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे, रोहणी के पानी को लेकर शाक्य और कोलियों के

नौकरों में झगड़ा हुआ जिसमें दोनों ओर के लोग घायल हुये। झगड़े का पता चलने पर शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि क्यों न इस विवाद को युद्ध द्वारा हमेशा के लिये हल कर लिया जाये। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिये शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया और संघ के समक्ष युद्ध का प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ गौतम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा युद्ध किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता, युद्ध से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण होगा। सिद्धार्थ ने कहा मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से दो आदमी चुनें और कोलियों से भी दो आदमी चुनने को कहें। फिर ये चारों मिलकर एक पांचवा आदमी चुनें। ये पांचों आदमी

मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ का प्रस्ताव बहुमत से अमान्य हो गया साथ ही शाक्य सेनापति का युद्ध का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। शाक्यसंघ और शाक्य सेनापति से विवाद न सुलझने पर अन्ततः सिद्धार्थ के पास तीन विकल्प आये। तीन विकल्पों में से उन्हें एक विकल्प चुनना था (1) सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, (2) अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना, (3) फाँसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। उन्होने तीसरा विकल्प चुना और परिव्राजक बनकर देश छोड़ने के लिए राजी हो गए।

परिव्राजक बनकर सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने पाँच ब्राह्मणों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किये। वे उचित ध्यान हासिल कर पाए, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होने तपस्या करने की कोशिश की। वे इस कार्य में भी वे अपने गुरुओं से भी ज्यादा, निपुण निकले, परंतु उन्हे अपने प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिले। फिर उन्होने कुछ साथी इकठ्ठे किये और चल दिये अधिक कठोर तपस्या करने। ऐसे करते करते छः वर्ष बाद, बिना अपने प्रश्नों के उत्तर पाएं, भूख के कारण मृत्यु के करीब से गुजरे, वे फिर कुछ और करने के बारे में सोचने लगे। इस समय, उन्हें अपने बचपन का एक पल याद आया, जब उनके पिता खेत तैयार करना शुरू कर रहे थे। उस समय वे एक आनंद भरे ध्यान में पड़ गये थे और उन्हे ऐसा महसूस हुआ था कि समय स्थित हो गया है।

कठोर तपस्या छोड़कर उन्होने अष्टांगिक मार्ग ढूंढ निकाला, जो बीच का मार्ग भी कहलाता जाता है क्योंकि यह मार्ग दोनो तपस्या और असंयम की पराकाष्ठाओं के बीच में है। अपने बदन में कुछ डालने के लिये, उन्होने एक बकरी-वाले से कुछ दूध ले लिया। वे एक पीपल के पेड़ (जो अब बोधि पेड़ कहलाता है) के नीचे बैठ गये प्रतिज्ञा करके कि वे सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। 35 की उम्र पर, उन्होने बोधि पाई और वे बुद्ध बन गये। उनका पहला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ मे था।

अपने बाकी के 45 वर्ष के लिये, गौतम बुद्ध ने गंगा नदी के आस-पास अपना धर्मोपदेश दिया, धनवान और कंगाल लोगों दोनो को। उन्होने दो सन्यासियों के संघ की भी स्थापना की। जिन्होने बुद्ध के धर्मोपदेश को फैलाना जारी रखा।

पालि साहित्य

मुख्य लेख : पालि साहित्य

सिद्धांत

गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बौद्ध धर्म के अलग-अलग संप्रदाय उपस्थित हो गये हैं, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं।

प्रतीत्यसमुत्पाद

प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण-परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। प्राणियों के लिये, इसका अर्थ है कर्म और विपाक (कर्म के परिणाम) के अनुसार अनंत संसार का चक्र। क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनात्मं (बिना आत्मा के) होता है, कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है। हर घटना मूलतः शुन्य होती है। परंतु, मानव, जिनके पास ज्ञान की शक्ति है, तृष्णा को, जो दुःख का कारण है, त्यागकर, तृष्णा में नष्ट की हुई शक्ति को ज्ञान और ध्यान में बदलकर, निर्वाण पा सकते हैं।

चार आर्य सत्य

1. ***दुःख :*** इस दुनिया में दुःख है। जन्म में, बूढे होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुःख है।
2. ***दुःख कारण :*** तृष्णा, या चाहत, दुःख का कारण है और फिर से सशरीर धारण करके संसार को जारी रखती है।
3. ***दुःख निरोध :*** तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है।
4. ***दुःख निरोध का मार्ग :*** तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है।

   बुद्ध का पहला धर्मोपदेश, जो उन्होने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन चार आर्य सत्यों के बारे में था।

आर्य अष्टांग मार्ग

बौद्ध धर्म के अनुसार, चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टाण्ग मार्ग है दुःख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए :

1. ***सम्यक दृष्टि :*** चार आर्य सत्य में विश्वास करना
2. ***सम्यक संकल्प :*** मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना
3. ***सम्यक वाक :*** हानिकारक बातें और झूट न बोलना
4. ***सम्यक कर्म :*** हानिकारक कर्मे न करना
5. ***सम्यक जीविका :*** कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना
6. ***सम्यक प्रयास :*** अपने आप सुधरने की कोशिश करना
7. ***सम्यक स्मृति :*** स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना

8. सम्यक समाधि : निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना।

कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए, पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है। और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ-साथ पाए जाते है। मार्ग को तीन हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है : प्रज्ञा, शील, और समाधि।

बोधि

गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता को बोधि कहलाते है। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं (पूर्णताओं) की निष्पत्ति, चार आर्य सत्यों की पूरी समझ, और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय, लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा, और आत्मां में विश्वास सब गायब हो जाते है। बोधि के तीन स्तर होते है : श्रावकबोधि, प्रत्येकबोधि, और सम्यकसंबोधि। सम्यकसंबोधि बौध धर्म की सबसे उच्चतम अवस्था मानी जाती है।

तीर्थ यात्रा
बौद्ध
धार्मिक स्थल

चार मुख्य स्थल

लुम्बिनी · बोध गया
सारनाथ · कुशीनगर

चार अन्य स्थल

श्रावस्ती · राजगीर
सनकिस्सा · वैशाली

अन्य स्थल

पटना · गया
कौशाम्बी · मथुरा
कपिलवस्तु · देवदहा
केसरिया · पावा
नालंदा · वाराणसी

बाद के स्थल

साँची · रत्नागिरी
एल्लोरा · अजंता
आरहट

क्षणिकवाद : इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है। कुछ भी स्थायी नहीं। परन्तु वेदिक मत से विरोध है।

अनात्मवाद : आत्मा नाम की कोई स्थायी चीज नहीं। जिसे लोग आत्मा समझते हैं, वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है।

अनीश्वरवाद : बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम पर चलती है। पर अन्य जगह बुद्ध ने सर्वोच्च सत्य को अवर्णनीय कहा है।

शून्यतावाद : शून्यता महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रधान दर्शन है।

साम्प्रदाय : बौद्ध धर्म में दो मुख्य साम्प्रदाय हैं :
थेरवाद : थेरवाद या हीनयान बुद्ध के मौलिक उपदेश ही मानता है।
महायान : महायान बुद्ध की पूजा करता है। ये थेरावादियों को ''हीनयान'' (छोटी गाड़ी) कहते हैं।

अप दीपो भव!

किसी वाद या विचार को तुम इसलिये मत ग्रहण करो कि वह वाद या विचार किसी बड़े महात्मा द्वारा या किसी बड़े ग्रंथ में कहे–लिखे गये हैं। तुम उसे इसलिये भी मत मानो कि उसके मानने वाले बहुतायत में हैं। बल्कि तुम खुद उसका निरीक्षण–परीक्षण करो और देखो कि वह वाद या विचार तुम्हारे एवं तुम्हारे जैसों के लिये हितकारक है।

बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है – मौत की छवि है।

हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे कष्ट ही मिलता है. यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोडती।

– भगवान गौतम बुद्ध

राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस पर

(1827 - 1890)

प्रसिद्ध समाज सुधारक, दलितों के उद्धारक

जोतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में महाराष्ट्र की एक OBC मूल निवासी माली जाति में हुआ। जोतिबा के पिता का नाम गोविन्द राव तथा माता का नाम विमला बाई था। एक साल की उम्र में ही जोतिबा फुले की माता का देहान्त हो गया। पिता गोविन्द राव जी ने आगे चलकर सुगणा बाई नामक विधवा जिसे वे अपनी मुंह बोली बहिन मानते थे उन्हें बच्चों की देखरेख के लिए रख लिया। जोतिबा को पढ़ाने की ललक से पिता ने उन्हें पाठशाला में भेजा था, मगर स्वर्णों ने उन्हें स्कूल से वापिस बुलानेपर मजबूर कर दिया। अब जोतिबा अपने पिता के साथ माली का कार्य करने लगे। काम के बाद वे आस-पड़ोस के लोगों से देश-दुनिया की बातें करते और किताबें पढ़ते थे। उन्होंने मराठी शिक्षा सन् 1834 से 1838 तक प्राप्त की। सन् 1840 में तेरह साल की छोटी सी उम्र में ही जोतिबा का विवाह नो वर्षीय सावित्री बाई (1831-1897) से हुआ। आगे जोतिबा का नाम स्काटिश मिशन नाम के स्कूल (1841-1847) में लिखा दिया। जहां पर उन्होंने थामसपेन की किताब 'राइट्स ऑफ मेन' एवं 'द एज ऑफ रीजन' पढ़ी, जिसका उन पर काफी असर पड़ा। स्कूल के अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में एक बार जोतिबा गये थे, तो उन्हें वहां पर ओबीसी शूद्र होने से अपमानित होना पड़ा था। बड़े होने पर उन्होंने इन रूढ़ियों के प्रतिकार का विचार पक्का किया। 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला। यह भारत के तीन हजार साल के इतिहास में ऐसा पहला स्कूल था जो दलितों के लिए था। 1948 में यह स्कूल खोलकर महात्मा फुले ने उस वक्त के समाज के ठेकेदारों को नाराज कर दिया था। जोतिबा के पिता गोविन्द राव जी भी उस वक्त के सामंती समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस कारण उनके पिता पर काफी दबाव पड़ा तो उनके पिता ने उनसे आकर कहा कि या तो स्कूल बंद करो या घर छोड़ दो। तब जोतिबा फुले एवं उनकी पत्नी ने सन् 1849 में घर छोड़ दिया। उस स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक पढ़ाते थे। उनको भी दबाव में अपना घर छोड़ना पड़ा। सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फुले ने 1851 में दो और स्कूल खोलकर दिया। सन् 1855 में उन्होंने पुणे में भारत की प्रथम रात्रि प्रौढ़शाला और 1852 में मराठी पुस्तकों के प्रथम पुस्तकालय की स्थापना। जोतिबा ने भारत का पहला लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। जिसमें पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी सावित्री ने ही स्वयं यह जिम्मेदारी उठाकर उस लड़कियों के स्कूल में पढ़ाना आरंभ किया। इस तरह सावित्री घर से बाहर आकर पढ़ाने का काम करने वाली पहली शिक्षिका थी। उन्हें तंग करने के लिए शुरू में उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। पर वे पीछे नहीं हटी। जब 1868 में उनके पिताजी का देहान्त हुआ तो जोतिबा ने अपने पिताजी के पीने के पानी वाले तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया। मुम्बई सरकार के अभिलेखों में जोतिबा फुले द्वारा पुणे एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में शुद्र बालक-बालिकाओं के लिए कुल 18 स्कूल खोले जाने का उल्लेख मिलता है। अपने समाज सुधारों के लिए पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य ने अंग्रेज सरकार के निर्देश पर उन्हें पुरस्कृत किया और वे चर्चा में आए। इससे चिढ़कर कुछ अछूतों को ही पैसा देकर उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई पर वे उनके शिष्य बन गए। सितम्बर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में 'सत्य शोधक समाज' नामक संस्था का गठन किया। और इसी वर्ष उनकी पुस्तक 'गुलाम गिरी' का प्रकाशन हुआ।

महात्मा फुले एक समता मूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमद नगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच-विचार करने का रिवाज नहीं था लेकिन महात्मा फुले ने इस सबको अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गयी थीं। लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्य भट्ट यानि ब्राह्मणवादी

व्याख्या को गलत बताया। फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैरबराबरी का विरोध करता था। आगे स्वामी दयानंद ने जब मुम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तो सनातनियों के विरोध को देखते हुए उन्हें जोतिबा की मदद लेनी पड़ी। जोतिबा ने शराब बंदी के लिए भी काम किया था। एक गर्भवती ब्राह्मण विधवा को आत्महत्या करने से रोक कर उन्होंने उसके बच्चे को गोद ले लिया। जिसका नाम यशवंत रखा गया। अपनी वसीयत जोतिबा ने यशवंत के नाम ही की। सन् 1890 में जोतिबा के दाएं अंगों को लकवा मार गया। तब वे बाएं हाथ से ही ''*सार्वजनिक सत्य धर्म*'' नामक किताब लिखने में लग गये। 28 नवम्बर 1890 में उन्होंने संसार से विदाई ली। इसी साल उनकी मृत्यु के बाद यह किताब छपी। महात्मा जोतिबा फुले जी महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों के उत्थान के लिये इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे।

डॉ. अम्बेडकर तो महात्मा फुले के व्यक्तित्व-कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। वे महात्मा फुले को अपने सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा का स्त्रोत मानते थे। 28 अक्तूबर 1954 को पुरंदर स्टेडियम, मुम्बई में भाषण देते हुए उन्होंने महात्मा बुद्ध तथा कबीर के बाद महात्मा फुले को अपना तीसरा गुरू माना है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा (अर्थात् मेरे तृतीय गुरू ज्योतिबा फुले हैं। केवल उन्होंने ही मानवता का पाठ पढ़ाया। प्रारम्भिक राजनीतिक आन्दोलन में हमने ज्योतिबा के पथ का अनुसरण किया, मेरा जीवन उनसे प्रभावित हुआ है।)

डा. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक ''शूद्र कौन थे?'' को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फुले को समर्पित करते हुए लिखा - जिन्होंने हिन्दु समाज की छोटी जातियों को, उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उस आधुनिक भारत के महान मूल निवासी महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित।

भारत के धार्मिक नवोत्थान के पुरोधाओं राजा राममोहन राय (1772-1833), महात्माज्योतिराव फुले (1827-1890), स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883), महादेव गोविन्द रानाडे (1842-1901), में से सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में केवल महात्मा ज्योतिबा फुले की गणना की जा सकती है। महात्मा फुले से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होकर विनायक दामोदर सावरकर (1833-1866) भीमराव अम्बेडकर (1891-1956) सामाजिक क्रांति के स्वर और आंदोलन को आगे बढ़ाया।

राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन की महत्वपूर्ण घटनायें

1.	जन्म सन्।	11 अप्रैल 1827
2.	मराठी शिक्षा पैन्थोजीज स्कूलेस।	1834-1838
3.	सावित्री बाई के साथ विवाह।	1840
4.	मिसनरी स्कूल से प्राइमरी शिक्षा।	1841 - 1847
5.	थॉमसपेन की पुस्तक 'राइट ऑफ मेन' का अध्ययन	1847
	कथित उच्च जाति के ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में अपमानित हुये।	1848
7.	शूद्र और अति शूद्रों की बालिकाओं के लिये स्कूल प्रारंभ किया।	1848
8.	शूद्रों के लिये शिक्षा देने की शपथ लेने के कारण घर त्याग	1849
9.	चिपलंकार वाड़ा में बालिका स्कूल प्रारंभ किया।	1851
10.	मेजर केन्डी ने सम्मानित किया उनकी सेवाओं हेतु जो शिक्षा के क्षेत्र में थी।	16 नवम्बर 1851
11.	स्कोटिस स्कूल में पार्ट टाइम टीचर।	1854
12.	रात्रि कक्षायें चलाई।	1855
13.	स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड से अवकाश लिया।	1858
14.	विधवाओं की पुनः शादियां कराई।	1860
15.	शिशु हत्याओं को घरो से रोका।	1863
16.	ज्योतिराव के पिता गोविंदराव का देहावसान।	1868
17.	अपने घर में अछूतों के लिये कुएं को बनवाया।	1868
18.	गुलाम गिरी नामक पुस्तक लिखी।	1 जून 1869
19.	सत्यसोधक समाज की स्थापना की।	24 सितम्बर 1873
20.	दयानन्द सरस्वती के समक्ष प्रदर्शन जुलूस।	1875
21.	पुणे शाखा सत्यशोधक समाज की रिपोर्ट।	20 मार्च 1877
22.	पुणे नगर पालिका के सदस्य बने।	1876 से 1882
23.	हण्टर एजुकेशन कमीशन को ज्ञापन दिया।	19 अक्टूबर 1882
24.	''किसानों की चाबुक का रस्सी'' पुस्तक लिखी	18 जुलाई 1883
25.	इसार पुस्तक प्रकाशित की।	1 अक्टूबर 1985
26.	ग्रामीणों के अधिकार के लिये फेवर में जूनर कोर्ट की रिपोर्ट।	29 मार्च 1885
27.	कनाट के शासन द्वारा बधाई प्राप्त।	11 मार्च 1888
28.	जनता के द्वारा महात्मा के नाम से उपाधि दी गई।	11 मई 1888
29.	सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखन।	1 अप्रैल 1889
30.	देहावसन।	28 नवम्बर 1890

वैदिक ब्राह्मणधर्म के विरुद्ध महात्मा फुले की जंग

"मूलनिवासी भारत राष्ट्र या हिन्दु राष्ट्र" पुस्तक से

वैदिक ब्राह्मण धर्म की वर्णव्यवस्था अनुसार शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मूलनिवासियों को आर्य ब्राह्मणों ने दस्यु कहा। दस्युओं को दास-गुलाम बनाया, दास को वर्णव्यवस्था में शूद्र बनाया गया। महात्मा फुले ने शूद्र और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्यवाही प्रारंभ करके वैदिक धर्म के विरुद्ध में जंग की शुरूआत की।

जब महात्मा फुले सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने पुणे में बुध वार पेठ में 1848 में कन्याशाला का प्रारंभ किया। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को खुद पढ़ाया, कन्याशाला में सावित्रीबाई ने शिक्षिका के रूप में पढ़ाने का कार्य किया। भारत के आधुनिक इतिहास में स्त्रियों के लिए प्रथम पाठशाला प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय महात्मा फुले बने। प्रथम भारतीय महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले बनी।

कन्या पाठशाला ज्योतिबा फुले जैसे मूल निवासी ओबीसी ने खोला है और वहां बालाएं पढ़ने जा रही है, ऐसा देखकर पुणे के कट्टरपंथी ब्राह्मणों का खून उबल उठा। महिलाओं को शिक्षा देना यह वैदिक ब्राह्मणधर्म की वर्णव्यवस्था अनुसार घोर पाप था। यदि पेशवा (ब्राहमण) का शासन होता तो ऐसा कार्य करने वाले को प्राण दंड दिया जा सकता था, पर शासन कंपनी सरकार का था। ब्राह्मण सत्ताहीन थे। इसलिए ज्योतिबा के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के सिवाय उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने जोर से आवाज उठाई-

'महिलाओं को पढ़ाना यह महापाप है, वे बड़ी दुष्ट, चंचल और अविचारशील होती है। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि महिलाओं को पढ़ाया तो वे कुमार्ग पर चलेगी, घर की सुख-शांति धूल में मिल जायेगी।'

शूद्र वर्ण की माली जाति की महिला सावित्रीबाई फुले अध्यापिका बन के पढ़ाए, वह कट्टरपंथी पंडित-पुरोहितों के लिए समाज और धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। सावित्रीबाई जब पाठशाला में जाती तब कट्टरवादी पंडित-पुरोहित और उनके समर्थकों द्वारा सावित्रीबाई पर कीचड़ और धूल फेंके जाते, गालियां दी जातीं और कंकर भी मारे जाते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने शांतिपूर्ण शाला में जाना चालू रखा।

कट्टरपंथी ब्राह्मणों की दाल महात्मा ज्योतिबा फुले के पास न गली। उन्होंने माली जाति के पंच और फुले के पिता को मिलकर ज्योतिबा के धर्म विरोधी कृत्यों को रोकने दबाव बढ़ाया। ज्योतिबा के पिता ने उनको बुला के बहु को अध्यापिका के रूप में जाने पर और कन्या शाला खोलने पर आपत्ति बताई। अपना फूलों का व्यवसाय ब्राह्मणों को नाराज करके नहीं चल सकता ऐसी मजबूरी बताई।

ज्योतिबा फुले ने कन्याशाला बंद करने के बदले अपने पिता के घर का त्याग पिता को संकट से बचाने के लिए किया। पेट की चिंता प्रारंभ हुई, ऐसे संकट में मुन्शी गफार बेग ने ज्योतिबा को मदद दी। फुले ने कोन्ट्राक्ट का व्यवसाय शुरू किया, ऐसे में पाठशाला बंद हो गई। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आते ही ज्योतिबा ने गंजपेठ में जहां पिछड़ी जातियों की आबादी थी वहां अपनी पाठशाला का प्रारंभ किया। विष्णुपंत थत्ते नामक एक ब्राह्मण शिक्षक पढ़ाने आने लगा, पर कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने शिक्षक का जीना मुश्किल बना दिया और उनको शाला छोड़नी पड़ी। फिर भी शाला में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से मकान बदलना जरूरी हो गया पर कट्टरपंथी ब्राह्मणों के भय से एक भी हिन्दु धर्मी व्यक्ति मकान किराये पर देने को तैयार नहीं हुआ। उन्हीं विस्तार में एक मुस्लिम गृहस्थ का मकान मिल गया।

अछूतों के लिए पाठशाला प्रारंभ करना, कट्टर वैदिक पंडित-पुरोहितों के लिए महापाप था। कट्टरपंथियों के सिर पर आग लग गई। उन्होंने ज्योतिबा को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलायी कि ज्योतिबा ब्राह्मण धर्म को डुबोने के लिए तैयार हुए हैं। वह खुद इसाई बनकर शाला में पढ़ते विद्यार्थियों को भी इसाई बनाएंगे। इसी दुष्प्रचार के बीच शाला का चपरासी गरीबी से तंग होकर इसाई बनने तैयार हुआ, तब ज्योतिबा ने उनको समझा के रोका तो बदनामी का अभियान बंद हो गया।

3 जुलाई, 1851 को ज्योतिबा फुले ने अण्णसाहब चिपणुकर के मकान में बुधवार पेठ में कन्याशाला खोली, जिसमें चार घण्टे बिना तनख्वाह पढ़ाने के लिए जाते थे। कुछ समय के बाद पूना के रास्तापेठ तथा वैताल पेठ में पाठशालाएं शुरू की। तत्कालीन मुंबई सरकार के दस्तावेज के अनुसार पुणे और उनके आसपास के विस्तारों में कुल 18 पाठशालाएं ज्योतिबा ने चलाई थी।

महात्मा ज्योतिबा फुले के शूद्र, अतिशुद्र ओबीसी मूल निवासी और कन्या को शिक्षा देने के अभियान से ब्राह्मणों में दो भाग हुए, कट्टरपंथी और उदारमतवादी। उदारवादी ब्राह्मणों का मत था कि पुरानी परंपराएं बेकार हैं, उनका त्याग करना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए।

विष्णुशास्त्री चिपलूणकर, लोकमान्य तिलक तथा गोपालगणेश अगरकर कट्टरवादी ब्राह्मणों का नेतृत्व करते थे। वे ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक प्रवृत्ति के विरोधी थे। जिस वर्णव्यवस्था की शोषणलीला को महात्मा फुले समाप्त करना चाहते थे, वही व्यवस्था के वे समर्थक

और संरक्षणकर्ता थे, उनको खत्म हुई पेशवाशाही से बहुत प्रेम था। भूतकाल का गौरवगान करते करते, हिन्दु ब्राह्मण धर्म-हिन्दू रूढ़ियां तथा संस्कृति के टीकाकारों पर अपनी कलम से टूट पड़ते थे। उस समय के समाज सुधारक बाहमणवादियों के हमले से निशाने पर थे।

हिन्दू वैदिक ब्राह्मण धर्म का असली आधार वर्णव्यवस्था थी। वर्णव्यवस्था का असली आधार देश की 90% मूल निवासीयों की आबादी को शूद्र, अतिशूद्र या अवर्ण के रूप में शिक्षा से वंचित बना के, अज्ञानी बना के ऊपर के तीन वर्णों की सेवा जन्मजात पीढ़ी दर पीढ़ भी कराते रहना था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वैदिक ब्राह्मण ध र्म की नींव पर प्रहार करके मूल निवासी शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं की शिक्षा के पतन के लिए शिक्षा का अधिकार न होने का रहस्य प्रगट करते हुए लिखा,

विद्या बिना गई मति, मति बिना नहीं नीति
नीति बिना नहीं गति, गति बिना नहीं संपत्ति
संपत्ति बिना पतित शूद्र अविद्या ने किया अनर्थ

1882 में हंटर कमीशन शिक्षा का विकास और संशाधन की जानकारी प्राप्त करने आया तब राजा राममोहनराय जैसे कहे जाने वाले ब्राह्मण जाति सुधारक ने निवेदन करते हुए बताया कि निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रथम उच्च वर्ण जाति को शिक्षा देने से उनके द्वारा शिक्षा नीचे की जातियों में जायेगी।

महात्मा फुले ने हन्टर कमीशन के समक्ष निवेदन देते हुए बताया कि सरकार किसान के पास से लगान प्राप्त करके उनका खर्च उच्च जातियों की शिक्षा के लिए करती है और नीचे के वर्गो की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देती है। सरकार को मूल निवासी शूद्र, अतिशुद्रों के लिए ज्यादा शालाएं खोलनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने, पिछड़े वर्गो के लिए छात्रवृति की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों के पद पर ब्राह्मणों का एकाधिकार स्थापित हो गया है, सरकार वास्तव में जनकल्याण चाहती हो तो अन्य जातियों में से नियुक्तियां देते रहकर ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म करना चाहिए।

लोकमान्य तिलक जैसे कट्टर ब्राह्मणवादी नेता और राजा राममोहन राय जैसे ब्राह्मण जाति सुधारक नेताओं ने मूल निवासी पिछड़े शूद्र, अतिशूद्र में शिक्षा न बढ़े और ब्राह्मण वैदिक धर्म जीवित रहे उनके लिए सभी उपाय आजमाये। पर ज्योतिबा फुले ने शुद्र, अतिशूद्र और महिला की शिक्षा के लिए मृत्यु पर्यन्त लड़ते रहो। ब्राह्मणवादी शोषण से मुक्ति के लिए फुले ने 1873 में ''सत्य शोधक समाज'' की स्थापना की।

शूद्र, अतिशूद्र और अवर्ण देश के मूलनिवासी?

ज्योतिबा फुले ने 1873 में ''गुलामगीरी'' नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित किया। देश के शूद्र और अतिशूद्रों के पतन की कहानी, उनकी गुलामी का विश्लेषण महात्मा फुले ने किया है। ग्रंथ का मूल आधार है - स्वतंत्रता और भातृभाव के आधार पर समाज रचना।

महात्मा फुले ने ग्रंथ में बताया कि यह देश के मूलनिवासी क्षत्रियों को ईरान से आये आर्य ब्राह्मणों ने पराजित किया। वर्तमान शुद्र, अतिशुद्र उस समय के क्षत्रिय है जिनका पराजय हुआ। शूद्र, अतिशूद्र एक वंश और एक रक्त के लोग हैं। उनकी ताकत नष्ट करने के लिये आर्यब्राह्मणों ने उनको शूद्र और अतिशूद्र के रूप में अलग-अलग जातियों में बिखेर दिया है।

धर्मग्रंथों की रचना करके वर्णव्यवस्था के रूप में शूद्र, अतिशूद्रों को जन्मजात रूप से आर्यब्राह्मणों के दास और सेवक, ध र्म के नाम पर गुलाम बना दिया। धर्मग्रंथों में रचे हुए झूठ को शूद्र जान न जाये, विद्रोह न कर सके बल एकत्र न कर सके इसीलिए उनको शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया।

इतिहास क्या कहता है?

उर्दू शब्कोश में आज के ईरान को आर्यन बताया है, आर्य जिस क्षेत्र से आये जिन्हें प्रशिया का क्षेत्र कहा गया है। ''गेजेट ऑफ इण्डिया'' का जो प्रथम भाग है, जिनका पी.एन. चोपड़ा ने संपादन किया है, उनके पृष्ठ नं. 287 में आर्य जाति विदेश से आई है ऐसा बताया है।

''सब प्रोबलम ओफ इन्डीयन लिटरेचर'' में विंटरनीटज़ लिखते हैं कि, फारसीओ का धर्मग्रंथ ''अवेस्ता'' और उनके प्राचीन किलारक्षित शिलालेखों में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, ऐसी ही भाषा प्रारभिक वेदमंत्रों में उपयोग में ली गई है। इसीलिए वेदों को ईशवी पूर्व 2000 या 2500 पहले की रचना नहीं मानी जा सकती। ''अवेस्ता'' की रचना का समय निर्धारित नहीं हो सका। फारस के बादशाहों के शिलालेखों में दर्शाये समय अनुसार यह शिलालेख इ.स. पूर्व 600 वर्ष से ज्यादा समय पहले का नहीं है। साथ-साथ फारस की पुरानी भाषा और भारत की पुरानी भाषा संस्कृत में इतनी साम्यता है कि यह शिलालेखों को अनुवाद वेदों की भाषा में कर सकते हैं।

इम्पीरियल गेज़ेटीयर के पृष्ठ नं. 356 के मुताबिक, आर्यों का दो समूह अलग-अलग काल में अलग-अलग रास्ते से भारत में आये। यह तथ्य स्वीकारा गया है। मानवजाति विज्ञान और दर्शन दोनों द्वारा यह तथ्य बाहर आया है और परम्पराओं द्वारा उनको समर्थन मिला है। डॉ. हर्नल ने सबसे प्रथम यह तथ्य को प्रगट किया और डॉ. गियर्सन ने भारत की संस्कृतजन्य भाषाओं पर विचार करके उसका स्वीकार किया है।

पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार आर्य लोग मध्य एशिया में से आये हैं। ''हिस्ट्री ऑफ गीडियेवल हिन्दु इन्डीया'' के लेखक सी.वी. वैद्य का मत है कि आक्रमणकारी आर्यो का दूसरा भाग काश्मीर के रास्ते से आया और सरस्वति से दक्षिण की ओर तथा काठियावाड, जबलपुर, अन्य दक्षिण के क्षेत्रों में पहुंच गया।

वेदों को पवित्र मानने वाले, इन्द्र द्वारा शासित देवताओं पर आस्था रखने वाले और संस्कृत बोलने वाले समूह को आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन और स्वतंत्र माना गया है, ऐसा वर्ग आर्यवर्त में ही रहा। पर 19वीं सदी में और बाद के विद्वानों ने कितने ही आधार पर एक बड़े जनसमूह को आर्यों की अदंर ला दिया यह आधार है निकट के संबंध रखती भाषाएं, जैसे की संस्कृत, ग्रीक, लेटिन, स्लाव को बोलने वाले, एक समान हड्डियों के माप वाले, बाल, चमडी और आंखों में समान रंगवाले लोग इस रूप से भारत के बाहर की अनेक जातियों ने अपने को आर्य माना।

आर्य जाति के मूल निवासियों को पराजित करके शुरू में तीन वर्ण बनाये, मूल निवासियों में जिन्होंने वैदित धर्म अपनाया उनको क्षत्रिय का दरजा दिया, वैश्य का दरजा दिया। अंतिम जिन पराजितों ने सनातन शिव-शक्ति धर्म नहीं छोड़ा उनको शुद्र घोषित किया गया। वैदिक ब्राह्मण धर्म को व्यवसाय बना के आर्य जाति पुरोहित रूप में ब्राह्मण बन गई।

विज्ञान क्या कहता है?

इतिहास और भाषा शास्त्र अनुसार आर्यजाति विदेश से यहां ई.स. पूर्व 1500 के आसपास भारत में आई। वैदिक धर्म विकसित किया। आधुनिक विज्ञान ने भी सहयोग दिया है। ***अभी ही हुए डी.एन.ए. परीक्षण में यह सत्य प्रगट हुआ है कि आर्यब्राह्मण विदेशी हैं।***

अमेरिका की उटाह युनिवर्सिटी के प्रोफेसर बमसाद के नेतृत्व में हुए डी.एन.ए. परीक्षण में आंध युनिवर्सिटी को मानवनृवंश शास्त्र विभाग सामिल था, उस विभाग के प्रो. सत्यपाल डी.एन.ए. रिसर्च में शामिल थे। डी.एन.ए. टेस्ट के परीक्षण परिणाम को दिखाते हुए प्रो. सत्यपाल ने बता है कि,

1. यदि हम विभिन्न खंडों के मानवों के आनुवंशिक गुणधर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते तो जानने में आता है कि भारत की उच्च जातियों के लोग आनुंवशिक रूप से यूरोप के लोगों के साथ ज्यादा ही निकट हैं।
2. हम मध्यम जातियां और निचली जातियों का ऐसा तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो जानने में आता है कि यह जातियां एशियाई जनसमूहों के साथ निकटता दिखाती हैं, पर यूरोपीयन जनसमूह से दूरी दिखाती हैं।
3. डी.एन.ए. परीक्षण में पापया गया है कि भारत के लोगों की आनुवंशिक बनावट एक खास प्रकार की विशेषताओं से भरी है। उन विशेषताओं का हेप्लो समूह कहते हैं, यह हेप्लो समूह एशियाइयों से ज्यादा निकट है।
4. मातृगुण सूत्र (फीमेलजीन) अर्थात् मेट्रोकन्ड्रीयल डी.एन.ए. दर्शाता है कि उच्च जातियों में ब्राह्मण आनुवंशिक रूप से युरोपियनों से सर्वाधिक निकट है, क्षत्रिय और वैश्य की निकटता कम है।
5. अध्ययन कर्ताओं ने सबसे पुराना ''हेप्लो ग्रुप'' पर अध्ययन किया है, जो गुणसूत्र ब्राह्मणों के बारे में गुण विशेषता दिखाते हैं, जिनकी तुलना यूरोपियनों के साथ की गई वह सबसे ''कोमन हेप्लो ग्रुप'' है, जो युरोप में देखने में आता है और ब्राह्मणों से मिलता है।
6. y क्रामोझोम अर्थात् पितृगुणसूत्र के आधार पर जानने में आता है कि भारत में उच्च जातियों में ब्राह्मण की पूर्व यूरोपियन लोगों से निकटता क्षत्रिय और वैश्य से दोगुनी है।
7. समान अवरूपता का विश्लेषण दिखाता है कि उच्च जातियों में देखने में आया विदेशी गुणसूत्र अधिक मात्रा में ब्राह्मणों में ही पाये जाते हैं।

इतिहास और विज्ञान के प्रमाण दिखाते हैं कि आर्यब्राह्मण विदेशी हैं और उन्होंने भारत के मूल निवासियों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अतिशूद्र में बांटके क्रमिक असमानता का निर्माण किया। आर्यब्राह्मणों ने रचे हुए ग्रंथ में भी बताया गया है कि ब्रह्मा ने चार वर्ण बनाये। वेदों और मनुस्मृति में जातिव्यवस्था बनाने वाले आर्यब्राह्मणों ने खुद को सर्वश्रेष्ठ और उच्च बनाकर मूलनिवासियों को निचले वर्णों में रखा।

''हमारे देश में अगर कोई नीची (शुद्र, अतिशुद्र) जाति में पैदा हुआ उनका काम तमाम हो गया। फिर उनकी उन्नति की कोई गुजाइश नहीं रहती और आकर देखिये पुराहितों के प्रधानता वाले भारत के त्रावणकोर प्रदेश में, जहां जमीन का टुकड़ों-टुकड़ा ब्राह्मणों की मालिकी का है। वहां हिन्दुओं का करीबन चर्तुर्थ भाग क्रिस्चन बन गया है, जरा देखिये कि सवर्ण हिन्दुओं (उच्च वर्ग) की और से हमदर्दी के अभाव में मद्रास में हजारों अंत्यजे क्रिस्चन हो रहे हैं। ऐसा मत समझना कि सिर्फ भूख से दुःख से ऐसा होता है, उनका कारण यह है कि हमारी ओर से कुछ भी अनुकंपा उनको नहीं मिली।

भारत में गरीबों में इतने प्रमाण में मुस्लिम क्यों है? उनका तलवार के बल पर बलपुर्वक धर्मांतर हुआ है, ऐसा कहना व्यर्थ है। सिर्फ जमीनदारों और पुरोहितों के संकतों में से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा हुआ था। परिणाम स्वरूप तुम देख रहे हो कि बंगाल से हिन्दुओं से मुस्लिम ज्यादा हैं, क्योंकि वहां जमीनदार ज्यादा थे।''

– स्वामी विवेकानंद

राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज

ब्राह्मणवादी अखबार राजर्षी शाहू महाराज के निर्णय के खिलाफ आग ऊगलने लगे

महासचिव – डॉ. महेंद्र कुमार धावड़े
9921162727

महात्मा ज्योतिराव फुले से प्रेरणा लेकर ही राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने पुरानी प्रशासनिक कौंसिल को भंग कर अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण मे राज्य का काम करने लगे। जनता को ब्राह्मण कर्मचारियो के शोषण से बचाने के लिए सबसे पहले यह आदेश जारी किया कि आइंदा से सरकारी कर्मचारी गाँवो मे नकदी पैसे देकर वस्तुए खरीदेंगे और रसीद प्रस्तुत करेंगे। अदालतों के सारे कर्मचारी तथा न्यायाधीश ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके शोषन से किसानों को बचाने के लिए दूसरा आदेश जारी किया कि अदालत किसानो के पशुओं की नीलामी नही करेगी। उन्होने शूद्रो, अतिशूद्रो, मुसलमानों सभी को खुले आम उनसे मिलने की इजाजत दी। राज्य में अकाल तथा प्लेग जैसी आपदाओं के बाद किसानो के पशुओं की देखरेख करने की जिम्मेवारी राज्य ने स्वयं ली।

सन् 1901 मे छत्रपति शाहू जी महाराज ने ब्राह्मणों की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी, क्योकि ब्राह्मण मराठो की रस्मो को यह कहकर बिना नहाए ही संपन्न करते थे कि शूद्रो की रस्मो में ब्राह्मणों को नहाने की जरूरत नही। ब्राह्मण नेता तिलक ने कहा कि मराठे नीची जाति के लोग है और अगर धार्मिक रस्मे कर भी लेंगे तो ब्राह्मण नही बन जाएँगे। तिलक ने छत्रपति शाहू जी महाराज को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शाहू जी महाराज उच्च शिक्षित थे। जून 1902 मे केंब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हे एल. एल. डी. की डिग्री प्रदान की थी। शाहू जी महाराज तिलक जैसे ब्राह्मणों को उनकी औकाद दिखाने की क्षमता रखते थे। तिलक जैसे ब्राह्मणों की धमकियो से विचलित हुए बिना शाहू जी महाराज ने शूद्र छात्रों के लिए छात्रावास बनाकर उसमें उनके रहने, खाने, पीने, किताबों, कपड़ों की निःशुल्क व्यवस्था की। ब्राह्मणों के विरोधों की धाज्जियां उडाकर शाहू जी महाराज ने अपने राज्य की नौकरियो में जाती, जनजाति, पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण उपलब्ध कराया।

शाहू जी महाराज ने भास्कर विठोबा जाधव नामक मुम्बई विश्वविद्यालय के होनहार छात्र को जिसने 1888 की मेट्रिक की बोर्ड परीक्षा मे प्रथम स्थान हासिल किया था तथा जिसने अपने बीए व एमए की परीक्षा मे भी प्रथम स्थान हासिल किया था। 1 जुलाई 1895 से राज्य के सहायक सारसुबा पद पर नियुक्त किया। तो ब्राह्मणो ने जाधव को इतने बड़े पद पर नियुक्त करने के निर्णय पर हाय तौबा मचाई। राज्य के सारे ब्राह्मणवादी अखबार राजर्षी शाहू जी महाराज के निर्णय के खिलाफ आग ऊगलने लगे। कथित समाज-सुधारक ब्राह्मण रानडे तक ने शक जताया कि क्या सचमुच जाधव एक ब्राह्मण जैसा कुशल है? पडे पुजारी ब्राह्मणो ने कहा कि राज्य में अपशकुन होने वाले है, अनर्थ हो जाएगा य महलो में दुर्घटनाए होंगी ताकि ब्राह्मण खुद ही भीतरघात कर उसे दैवीक आपदा के आड़ मे छिपा सकें और शाहू जी महाराज डरकर शूद्रों कि नियुक्तियां रद्द कर दें। उनका निवारण करने के लिए जाप-ताप इत्यादि करने का आग्रह किया लेकिन शाहू जी महाराज ने ब्राह्मणों को कह दिया की जाप के बाद भी अगर कोई दुर्घटनाएं होती है तो जाप करने वाले ब्राह्मणो को जेल की हवा खानी होगी। यह सुनते ही जाप का आग्रह करने वाले ब्राह्मण खिसक गए। सन 1903 मे शाहू जी महाराज ने मठ संपत्ति और शंकराचार्य की सभी ताकते और अधिकार वापस लेने का आदेश जारी किया। तिलक और सभी ब्राह्मणो ने अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए शाहू जी महाराज के राजकाज मे सहयोग करने का वादा करके अपनी सहुलतो को वापस बहाल करा लिया। लेकिन ब्राह्मणो के मन में शाहू जी महाराज से इतनी नफरत हो गई कि ब्राह्मणो ने शाहू जी महाराज की हत्या करने की कोशिशे की पकड़े गए नंदुम नामक ब्राह्मण ने अदालत मे बयान दिया कि किसी

ने उसे तीस रुपए देकर महाराज के सलाहकार फारस को गोली मारने और महाराज की लड़की की शादी मे बम फेंकने को कहा था। यह योजना भले ही नाकाम हो गई फिर भी कोल्हापुर मे कई स्थानो पर बम धमाके किए गए। सन 1908 मे शाहू जी महाराज के रास्ते मे बम रखा गया परंतु बग्गी देर से पहुचने के कारण बम किसी अन्य तांगे के नीचे फट गया।

छत्रपति शाहूजी महाराज (1874 - 1922) कोल्हापुर, महाराष्ट्र के शासक, फुलेजी के शिष्य, ब्राह्मणवादी पाखंड को कुचला, मूलनिवासियों को आरक्षण दिया। शिक्षा, विकास व रोजगार बढाया। मूलनिवासी समाज के इस नायक को उनके जन्म दिन (26 जुलाई) पर हम नमन करते है.

छत्रपति शाहू जी महाराज ने गैर-ब्राह्मणों को 1902 में ही 50% आरक्षण दिया। क्यों?

हमारे मूलनिवासी बहुजन समाज अर्थात ओबीसी/ एससी/एसटी/आपराधिक जन-जाति के बहुतांश पढे-लिखे विशेषत: अधिक पढ़े-लिखे लोगों को लगता है कि आरक्षण का मतलब बैसाखी है, भीख है, लाचारी है। किन्तु हमारे मूलनिवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष कर आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व पाया है। यह इतनी आसानी से नहीं मिला बल्कि इसके लिए फुले-शाहू-पेरियार-आंबेडकर को 1848 से 1956 तक 108 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। आरक्षण मुफ्त में मिलने के कारण हमें इसकी कद्र महसूस नहीं होती। हवा व सूर्य प्रकाश मुफ्त में मिलता है इसीलिए उनकी कद्र महसूस नहीं होती।

हमारे महापुरुषों का इतिहास आरक्षण समर्थकों का इतिहास रहा है। यूरेशियन का इतिहास हमारे लिए आरक्षण के विरोधकों का इतिहास है। इसका अर्थ है कि आरक्षण का इतिहास, आरक्षण के नायकों व खलनायकों का इतिहास है। इसीलिए अपने शत्रु व मित्रों के बारे में जान लिया जाना चाहिए, उन्हें पहचान लिया जाना चाहिए।

(अ) "Idea of Reservation" अर्थात 'आरक्षण का विचार' राष्ट्रपिता जोतीराव फुले का है। यह विचार उन्होने प्रथमत: 1869 व बाद में 1882 को अंग्रेज सरकार के सामने रखा।

(ब) "Implementation of Reservation" अर्थात् "आरक्षण पर अमल" आधुनिक भारत में सबसे पहले राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने करवीर अर्थात कोल्हापुर राज्य में 26 जुलाई 1902 से किया।

(क) Policy of Reservation अर्थात "आरक्षण की नीति" डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से 26 जनवरी 1950 से सुनिश्चित किया। राष्ट्रपिता जोतीराव फुले के आरक्षण के विचार को लागू करने का काम उनके प्रमुख शिष्य राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने किया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को सभी ब्राह्मणेत्तर लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा अपनी करवीर रियासत अर्थात कोल्हापुर रियासत में की। 664 रियासत में से मूल निवासी बहुजन समाज के साथ न्याय करने वाली मात्र 03 रियासत थीं (1) करवीर अर्थात कोल्हापुर (2) बड़ौदा (3) इंदौर। दो मराठा कुनबी व एक धनगर।

राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो 50% आरक्षण घोषित किया था उसमें सिर्फ चार जातियों को इससे अलग रखा (1) ब्राह्मण (2) शेणवी (3) प्रभु (4) पारसी। इन 04 अगड़ी जाति छोडकर शेष सभी जातियों अर्थात् ब्राह्मणेत्तरों अर्थात मूलनिवासी बहुजन समाज के लिए आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व घोषित किया। इसे "Implementation of Reservation" कहा जाता है अर्थात "आरक्षण पर अमल"।

राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने आरक्षण क्यों दिया? महाराज ने पहले निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उनकी नजर में आया कि सरकारी दरबारियों में उच्च पदों पर 71 में 60 यूरेशियन ब्राह्मण थे व सिर्फ 11 ब्राह्मणेत्तर थे। उसी तरह निजी सेवा में 52 में 45 यूरेशियन ब्राह्मण व 07 ब्राह्मणेत्तर थे। प्रशासन से असंतुलन दूर करने के लिए उन्होने सभी ब्राह्मणेत्तर लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की। पहले से सभी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज माधव, बर्वे इत्यादि नामक चितपावन ब्राह्मणों ने नौकरियों को स्वयं की जाति के लोगों में बाँट दिया था।

राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज के इस बहुजन उद्धारक क्रांतिकारी निर्णय का सभी ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया उनमें से निम्न उल्लेखनीय हैं :-

(1) न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे (2) रघुनाथ व्यंकाजी सबनीस (3) गोपाल कृष्ण गोखले (4) एस.एम. परांजपे (5) नरहरी चिंतामन केलकर (6) एड. गणपतराव अभ्यंकर (सांगली) (7) बाल गंगाधर तिलक।

आरक्षण का विरोध करने वाले सभी ब्राह्मण थे। आज भी उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। राजर्षि शाहू जी

छत्रपति महाराज स्वयं राजा थे, राज्य के मालिक थे व अपने स्वयं के राज्य में अपनी बहुसंख्य प्रजा को आरक्षण दे रहे थे। उपरोक्त किसी भी ब्राह्मण की जेब से अथवा किसी ब्राह्मण राज्य से नहीं दे रहे थे फिर भी उपरोक्त ब्राह्मणों ने ब्राह्मणेत्तरों के आरक्षण का विरोध किया।

उनमें से एक ब्राह्मण ने तो हद पार कर दी। उसका नाम एड. गणपतराव अभ्यंकर था। वह सांगली की पटवर्धन (ब्राह्मण) रियासत में नौकरी करता था। यह पटवर्धन कौन? भाग्यश्री का दादा। भाग्यश्री कौन? ''मैंने प्यार किया'' हिन्दी सिनेमा में सलमान खान की नायिका। राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने जैसे ही 50% आरक्षण को लागू करने का कानून बनाया तभी सांगली की पटवर्धन रियासत में मुनीम एड. गणपतराव अभ्यंकर कोल्हापुर आया व राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज से मिला। उसने (1) जाति आधारित छात्रवृति व (2) जाति आधारित नौकरी देने के निर्णय का विरोध किया। उसके अनुसार योग्यता देखकर ही छात्रवृति व नौकरी देना चाहिए।

हालांकि राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने सभी ब्राह्मण ोत्तरों के लिए जो 50% आरक्षण घोषित किया वह अपने स्वयं के करवीर अथवा कोल्हापुर राज्य में ही किया था लेकिन सांगली के पटवर्धान रियासत के MCE गणपतराव अभ्यंकर को इससे भयानक कष्ट हो रहा था। क्यों कष्ट हो रहा था? क्योंकि इससे कोल्हापुर रियासत में यूरेशियन ब्राह्मणो की नौकरियों में कमी होने वाली थी, उनका नुकसान होने वाला था। ब्राह्मणों का नुकसान नहीं होना चाहिए इसीलिए सांगली रियासत का एक ब्राह्मण कोल्हापुर आता है व छत्रपति शाहू महाराज को आरक्षण न देने की सलाह देता है। इसे जातीय हित व जातीय एकजुटता कहा जा सकता है। आज भी सभी राजनैतिक पार्टियों के ब्राह्मणों में ऐसी ही एकता है। वे सभी पार्टियों में रहकर भी एक होते हैं और हम एक पार्टी में रहकर भी बिखरे हुये होते हैं। इसी कारण उनमें एकता होती हैं और हममें अनेकता। आरक्षण के मुद्दे का आज भी यूरेशियन ब्राह्मण कड़ा प्रतिरोध करते हैं। चाहे वह कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट अथवा शिवसेना का ब्राह्मण हो या फिर अन्य किसी भी पार्टी का क्यों न हो। सभी ब्राह्मण आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या आरक्षण बैसाखी है? क्या आरक्षण भीख है? क्या आरक्षण लाचारी है? मान लो यदि ऐसा होता तो क्या यूरेशियन ब्राह्मणों ने विरोध किया होता? इस मुद्दे पर पढे-लिखे लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए विशेषत: जिन्होने आरक्षण से लाभ उठाया है तथा आज संपन्नता की स्थिति को प्राप्त हुये हैं। तो एड. गणपतराव अभ्यंकर ने सांगली से कोल्हापुर (54 किमी) आकर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जमीनी सुधारक थे कोई हवाई नहीं। इसके अलावा वे फोरेन रिटर्न भी थे। एड गणपतराव अभ्यंकर के ब्राह्मणी कपट को उन्होने ताड़ लिया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज उन्हें अस्तबल में ले गए। अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज व एड. गणपतराव अभ्यंकर ने देखा कि सभी घोड़े मजे से अपने मुंह बंधे थैले में रखे चने खा रहे थे। तब राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने घोड़ों के रखवालों को घोड़ों के मुंह बंधे थैले को खोलकर उसमें रखे चनों को नीचे एक दरी में डालने का आदेश दिया। एड. गणपतराव अभ्यंकर यह गतिविधि अनगने भाव से देख रहे थे। जैसे ही रखवालों ने घोड़ों को खुला छोड़ा तो जो घोड़े मोटे-ताजे, निरोगीव ताकतवर थे वे दरी में रखे चनों पर टूट पड़े और दूसरी तरफ जो घोड़े दुबले-पतले, बीमार व कमजोर थे वे दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि वे हट्टे कट्टे, तगड़े, बलवान, निरोगी, मुस्टंडे घोड़े खाते समय भी ठीक तरह से नहीं खा रहे थे। फिर कैसे खा रहे थे? वे मुंह से चने खाते थे व दुलत्ती भी देते जाते थे ताकि दूसरे घोड़े आने न पाएँ। इसीलिए कमजोर घोड़ों ने विचार किया। क्या विचार किया? विचार किया कि चने खाने के लिए उन तगड़े घोड़ों के बीच न घुसा जाए। बेचारे अशक्त घोड़ों ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि इन मुस्टंडों की भीड़ में यदि वे घुसते हैं तो चना तो मिलने से रहा लेकिन दुलत्ती अलग से जरूर पड़ेगी। इसीलिए उन्होने सोचा इनके बीच में क्यों घुसा जाए? ऐसा विचार कर वे गरीब, अशक्त, लाचार घोड़े दूर से ही यह तमाशा देख रहे थे। तब राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने उन कमजोर घोड़ों की ओर उंगली दिखाकर एड. गणपतराव अभ्यंकर से कहा - 'अभ्यंकर! इन कमजोर घोड़ों का मैं क्या करूँ? उन्हें गोली मार दूँ? मैं पहले से जानता था ऐसा ही होगा इसीलिए मैंने प्रत्येक के हिस्से का चना उसके मुंह में बांध दिया था जिससे कोई दूसरा उसमें मुंह न डाल सके। यही आरक्षण हैं। एड. गणपतराव अभ्यंकर को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तदुपरान्त राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अभ्यंकर से कहा - 'अभ्यंकर मनुष्यों में जाति नहीं होती वह जानवरों में होती है। तुमने जानवरों की व्यवस्था मनुष्यों पर लागू की और मैंने मनुष्यों की व्यवस्था जानवरों पर लागू की अभ्यंकर क्या कहता? उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। उसने सिर नीचा कर लिया व चलते बना। असल में उसका उपनाम अभ्यंकर की जगह भयंकर होना चाहिए था।

राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज आरक्षण के आद्य-जनक हैं। आरक्षण के नायक हैं। वे आधुनिक काल में सम्पूर्ण भारत में एकमात्र राजा है जिन्होने ब्राह्मणेत्तरों के लिए 50% आरक्षण दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले केन्द्र आरक्षण की संकल्पना' 'Idea of Reservation' व राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज के 'आरक्षण पर ''Implementation of Reservation'' को ।

पेरियार ई. वी. रामास्वामी नायकर

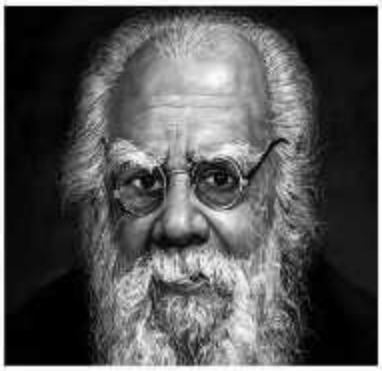

ई. वी. स्वामी पेरियार

इरोड वंकेड नायकर रामास्वामी जिन्हें पेरयार (तमिल में अर्थ–सम्मानित व्यक्ति) नाम से भी जाना जाता है। बीसवीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता

थे। इनका जन्म 17 सितम्बर 1879 को पि चमी तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनके पिता वंके तप्पा नायडू एक धनी व्यापारी थे। उनकी माता का नाम चिन्ना थायाम्मल था। उनका एक बड़ा भाई आरै दो बहनें थी। 1885 में उन्होंने स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए दाखिला लिया पर कुछ साालो की औपचारिक शिक्षा के बाद वे अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। बचपन से ही वे रूढ़िवादिता,अंधंशविश्वासों और धार्मिक उपदेशों में कही गयी बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे उन्होंने हिन्दू महाकाव्यों आरै पुराणां में कहीं गई परस्पर विरोधी बातों को बेतुका उड़ाया।

बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा,स्त्रियों तथा दलितो के भोशण के पूर्ण विरोधी थे। विभिन्न आन्दोलनों में भागीदारी के लिए भारत सरकार ने ताम्र–पत्र देकर सम्मानित किया था। अंतर्राश्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने पेरियार को आत्मसम्मान आन्दोलन चलाने लिए'दक्षिण–पूर्व एशिया के सुकरात'की उपाधि दी थी। उनका उद्देश्य जातिविहीन व समतामूलक समाज का निर्माण कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। आजादी के बाद उनके द्वारा चलाये गये।आरक्षण से संबंधित आक्रामक व अहिंसक जेल भरो आन्दोलन के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को सश्विधान की धारा–15 मे उपधारा–4 को जोड़कर आरक्षण का प्रावधान करने पर बाध्य होना पड़ा था। वर्श 1927 में देश की आजादी की सिल्वर जुबली के अवसर पर पेंश्रियार को स्वतंत्रता सग्रांम सैनानी के रूप में जेल यात्राएं करनी पड़ी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितो के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। रामास्वामी एक तमिल राश्ट्रवादी,राजनेता आरै सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके पशंसक इन्हें "पेंश्रियार" सबशेधित करते थे। उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया जो बाद मे जाकर "द्रविड़ कड़गम" आजीवन रूढ़िवादी अन्धवि वास, पाखण्ड, धर्म के नाम पर ठगी धोखाधड़ी एवं लूट तथा अपव्यय का विरोध करते रहे।

किसन लाल पांचाल,
अध्यक्ष–अखिल भारतीय
विश्वकर्मा महासभा दिल्ली प्रदेश
एवं अध्यक्ष
अति पिछड़ावर्ग संघ
दिल्ली प्रदेश

उन्होंने दक्षिण भारतीय समाज के भाोशित वर्ग के लिए आजीवन कार्य किया। उन्होने ब्राह्मणवाद और ब्रा ह्मणो पर करारा प्रहार किया और एक पृथक राश्ट्र "द्रविड़ नाडु" की मांग की। पेरियार स्वामी ने र्कवाद,आत्म सम्मान, आरै महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया और जाति प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारतीय गैर–तमिल लोगों के हक की लड़ाई लड़ी। परिवर्तन आया और जातिगत भेद–भाव भी बहुत हद तक कम हुआ। यूनेस्कों ने अपने उद्धरण में उन्हें "नए युग का पैगम्बर, दक्षिणपूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारक–आन्दोलन के पिता,अज्ञानता,अंधविश्वास और बेकार के रीति–रिवाज का दुश्मन" वताकर सम्मानित किया। 1904 मे पेरियार ने काशी की यात्रा की जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया।

भूख लगने पर वे वहां निःशुल्क भाजे में गए पर जाने के बादउन्हे पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। उन्होंने फिर भी भोजन प्राप्त करने की कोशिश की पर उन्हें धक्का मारकर अपमानित कर दिया गया जिसके कारण वे रूढ़िवादी हिन्दुत्व के विरोधी हो गये। इसके बाद उन्होंने सत्य जनकल्याण को आजीवन अपनाया उन्होंने इरोड के नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया और सामाजिक उत्थान के कार्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने खादी के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पहल पर सन् 1919 में वे कांग्रेस के सदस्य वन गए। उन्होनं असहयागे आन्दालेन मे भाग लिया आरै गिरफ्तार भी हुए। सन् 1922 के तिरूपुर सत्र में वे मद्रास प्रेसीडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बन गये और सरकारी नाकै रियों आरै शिक्षा के क्षेत्र मे आरक्षण की वकालत की। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर पेरियार ने वैकोम आन्दोलन का नेतृत्व किया। यह आन्दाले न मन्दिरो की और जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए किया गया था। इस आन्दोलन मं उनकी पत्नी आरै मित्रों ने भी उनका साथा दिया।1925 के बाद पेरियार ने "आत्म सम्मान आन्दोलन" के प्रचार–प्रसार पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया। आन्दोलन के प्रचार के लिए एक तमिल साप्ताहिक "कुडी अरासु"(1925 मे प्रा रम्भ) और अंग्रेजी जर्नल "रिवोल्ट (1928 में प्रारंभ) प्रका ान भुरू किया गया। इस आन्दोलन का लक्ष्य महज "सामाजिक सुधार" नहीं बल्कि "सामाजिक सुधार आन्दोलन था " 1916 मे एक राजनैतिक संस्था "साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन" की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्दश्य था ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक और राजनैतिक भाक्ति का विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान।यह संस्था बाद में "जस्टिस पार्टी" समर्थन हासिल करने के लिए गैर–ब्राह्मण जातिओं मे समानता की विचारधारा को प्रसारित–प्रचारित किया। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर "द्रविड़ कड़गम" कर दिया।

द्रविड़ कड़गम का प्रभाव भाहरी लोगों और विद्यार्थियों पर था। ग्रामीण क्षेत्र भी इसके सन्देश से अछूते नही रहे। द्रविड़ कड़गम ने तेजी से पॉव जमाये। द्रविड़ कड़गम ने दलितो में अश्पृयता के उन्मूलन के लिए संघर्श किया और अपना ध्यान महिला–मुक्ति,महिला शिक्षा,विधवा पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर केन्द्रित किया। सभी को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर दिलाने के लिए सफलता पूर्वक जीवनभर समपिर्त होकर कार्य किये।

जीवन घटना क्रम

1879: 17 सितम्बर को इश रामस्वामी का जन्म हुआ
1898: 19 वर्श की आयु में नागाम्मै से विवाह किया
1904: पेरियार ने काशी की यात्रा की और ब्राह्मणवादियों के पाखण्ड, फरबे , ऊँच–नीच के कार्यों को देखा इससे प्रतिकिया स्वरूप मानव मानव में समानता, भाइर्च ारा सत्य और जनकल्याण के कार्यों को करने का संकल्प किया।
1919: भारतीय राश्ट्रीय कांग्रसे मे शामिल हुए
1922: मद्रास प्रेंसीडेसी कांग्रसे के अध्यक्ष चुने गये
1924: पेरियार ने वैकोम सत्याग्रह का आयोजन किया
1925: कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया
1929: रूस और मलेशिया समेत कई देशों की यात्रा की
1933: उनकी पत्नी नागाम्मै का देहांत हो गया
1938: उन्होंने "तमिलनाडु तमिलों का नारा दिया।
1939: जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बनें
1944: जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर "द्रविड़ कड़गम" कर दिया।
1949: पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया।
1973: 24 दिसम्बर को उनका 95 वर्श की आयु में निधन हो गया किन्तु महान कार्यों स अमर हो गये।

नास्तिक होना आसान नहीं, कोई भी मूर्ख इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फी हो जाता है, उसक लिए उसे वुद्धि की जरूरत नहीं हाते ी, परन्तु नास्तिक होने के लिए दृढ़विश्वास और साहस की जरूरत होती है, ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अन्धश्रद्धा ऐसा केमिकल हैं जो इंसान को मूर्ख बनाने मे काम आता हैं।
–पेरियार ई. वी. रामास्वामी नायकर

ओबीसी (पिछड़ेवर्ग) के महान भाईयो एवं वहनो अपनी वास्तविकता जानें संगठित होकर सम्मान से जियें,देश में हम 65% हैं |

क्या आप शिक्षित और समझदार है ?क्या आप पिछडे वर्ग के संगठन के
विना स्वाभिमान सम्मान पूर्वक जी सकते है ?जानिये आप क्या है ? और किस हैसियत में हैं–

1आजादीके 68वर्शो के वाद भी**सर्वोच्च न्यायालय** में मुख्य न्यायाधीष तो वहुत दूर जूनियर जज नही बनाया|

2–भारत के **संघ लोक सेवा आयोग** में चेयर मेंन तो दूर की वात है कोई सदस्य भी नहीं बनाया|

3–सीबीआई डाइरेक्टर, सी0वी0सी0ए**सीएजीएसीईसी** आज तक कोई नहीं बनाया|

4–भारत सरकार में 65 साल में कोई सचिव नही बनाया|

5–थल सेना, वायु सेना,जल सेना का कोई भी अध्यक्ष/प्रमुख नहीं बनाया|

6–आप का भारतीय प्रषासनिक सेवाओं में 1993 से पूर्व मात्र प्रतिषत 1 था 1993 के वाद 27 प्रतिषत आरक्षण लागू होने के बाद मात्र अव 5 प्रतिषत है|

7–अम्वानी, जे0पी0, टाटा, विडला, मोदी ,अड़ानी ,डालमिया आदि सैकडौ पूँजीपतियों में से आज तक आपका कोई व्यक्ति नही बनाया|

8.देष के अखवारएटीवी चेनलएसवर्ण पूँजीपतियों के हैएजो 90 प्रतिषत ओबीसी,एससीएएसटी के लोगो को गुमराह करते हैंएभगवान के प्रति ओबीसी को आदर्शएत्याग दिखाते हैं और खुद ओबीसी का शोषण करते हैं|

9.वर्ष 1947से आजादी के वाद 1977तक 30वर्शो में देष में कोई भी मुख्य मंत्री पिछड़े वर्ग का नही बनाया|

उपरोक्त दुर्दशा के कारण अवश्य जाने जो नीचे लिखे हुए है अवश्य पढ़ते चलें और स्वाभिमान से आगे वढ़ते चलें ..वर्ष 1850 से पूर्व किसी भी पिछड़ी जाति (ओबीसी) के व्यक्ति के शिक्षित होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है| क्योंकि ब्राह्मणों ने "शुंग वंशकात" जो ब्राह्मण राजा था वह प्रथम शताव्दी में हुआ था तवसे पिछड़ी जातियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया | विदेशी लुटेरों तथा 300 वर्षों के गुलाम वंश, उसके बाद में मुगलवंश तक शिक्षा से वंचित रखा गया | केवल कुछ क्षत्रियों को केवल युद्ध की शिक्षा जो मरने –मारने की दी जाती थी, ब्राह्मण तव भी सुरक्षित रहते थे| वही शुभ-अशुभ का निर्णय करते थे ब्राह्मण जो भी कहते थे राजा वही करते थे | ब्राह्मण ही राजाओं के सलाहकार होते थे|ब्राहमणों के अंध विश्वास के कारण ही महमूद गजनवी 18-18 वार सोमनाथ के मंदिर से ट्रकों भर हीरे जवाहरात सोना लूट कर लेजाता रहा| पिछड़ी जातियों को लड़ने, पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया|

फिर अंग्रेजों ने देश पर शासन किया जो लगभग 1700ई० से प्रारम्भ हुआ |1850 ई० में पूना महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने बड़े होकर शिक्षा के महत्त्व को समझा और शिक्षा हासिल की तथा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षा दिलाकर प्रथम शिक्षित महिला और शिक्षिका होने का गौरव हासिल किया| महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों से निर्भीकता पूर्वक मांग रखी कि केवल ब्राह्मण ही क्यों पढ़े सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलाना चाहिए, तव अंग्रेजों ने सभी को शिक्षा देना प्रारंभ किया तो रूढिवादी ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया| किन्तु अंग्रेजों ने सभी को शिक्षा देना जारी रखा |तव से ओबीसी को शिक्षा प्राप्त होने लगी|

देश में हजारों छोटी-छोटी रियासते थीं जिनमे सभी जातियों के रिआसतदार थे |परन्तु बड़े राजा या उसके बाद इस्लाम बादशाहों ने दिल्ली पर 1200 ईशवी से 1700 ईशवी तक शासन किया | अकबर को महॉन उनके दरवारी, वीरवल ब्राह्मण ने तथा कथित क्षत्रिय मानसिंह ने अपनी बहिन जोधाबाई देकर अकबर महान बनाया,किसी भी ओबीसी (पिछड़ी जाति) ने अकबर तथा उनके अन्य बादशाहों को महान नहीं बनाया| 1700 ईशवी से 1900 ई० तक अंग्रेजों के समाय में भी अधिकांश जमीदार और उनके वाटुकार प्राय: कथित ऊँची जाति के ही लोग थे |अंग्रेजों के ज़माने में जितने लोग उच्च शिक्षा हासिल करने वाले थे सभी कथित उच्च जाति के ही थे, उस समय वकील ,प्रोफ़ेसर आदि भी वही थे| ओबीसी के अधिकॉश लोगों ने अंग्रेजों तथा मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपना जीवन खेती और पशुपालन आदि कार्यों से करते रहे|

अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लडाई में ओवीसी की सभी जातियों ने वड -चढ़ कर हिस्सा लिया, किन्तु कथित उच्च जातियों के वालाक लोगों ने उनके नामों को दवा दिया| इसका प्रत्यक्ष उदहारण है कि भारत का संविधान 1947 से 1949 तक वना उस संविधान सभा में में लगभग 400 सदस्यों ने संविधान वनाने में लम्वी वहसे और चर्चाएँ की इन 400 सदस्यों में से केवल 6 सदस्य ही पिछड़ी जातियों के थे|जिनको महत्त्व नहीं दिया गया,इससे इनकी शिक्षा और शासन में हिस्सेदारी न के वरावर थी यह पूरी तरह प्रमाणित होता है|आज़ादी के समय और वाद भी पिछड़े वर्ग के अनेकों महापुरुषों ने हम लोगों के लिए अपना सव कुछ समर्पित किया| आरक्षण,जो हमारी हिस्सेदारी है ब्रह्मंवादियों ने वालाकी से छीन रखी है उसे पूरा पाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है |

साथ ही साथ आज़ादी के बाद 1950 से 1993 तक उच्च सरकारी नोकरियों में ओवीसी की हिस्सेदारी केवल 1% थी,1993 में मंडल कमीशन लागू होने के वाद से अव तक 22 वर्षों में लगातार 27% हिस्सेदारी मिलने के वाद अव उच्च नोकरियों में मात्र 5% ही हिस्सेदारी प्राप्त हो सकी है वह भी सभी सीनियर उच्च एवं प्रमुख महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण बैठे है| इसके लिए हमें पूरी निष्ठां के साथ संगठित होना ही होगा| अन्यथा दोषी हम ही होंगे|ब्रह्मवादियों द्वारा ओबीसी अधिकारीयों,कर्मचारियों,व्यापारियों तथा जनता को हमेशा दवाये रखने का काम किया गया और आज भी जारीहै इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप अभी संगठित नहीं हुए तो आप तथा आपकी संताने ऐसी हालत में पहुँच जायेंगी कि फिर उठने की हिम्मत नहीं करेंगी|-

"ओबीसी यूनाइटेड फ्रन्ट ऑफ इण्डिया"(भारतीय पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा) के लाखों लोग ओबीसी की सभी बिरादरियों के प्रमुख समाजसेवी युद्ध स्तर पर तन मन धन से संगठन को सषक्त बनाने में लगें हुए हैं। षीघ्र ही पूरे देष में राश्ट्रीय स्तर पर देष की सबसे बडी ताकत ओबीसी(पिछड़ा वर्ग) की बनने जा रही है जिसके दबाव से देश तथा विदेषों में जमा अरबों–खरबों का चोरी का धन पिछड़ों के विकास में लगेगा जिससे देष खुषहाल होगा।सभी को उनकी आवष्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा।

धन्यवाद

राश्ट्रीय कार्यकारणी–महेष मानव ओबीसी,राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेष यादव राश्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉ0 महेन्द्र धावड़े राश्ट्रीय महासचिव,हरी प्रसाद बड़ीवाल राश्ट्रीय संगठन सचिव, वहादुर सिंह राश्ट्रीय वौद्धिक प्रमुख ,राकेष सोनी एडवोकेट राश्ट्रीय प्रमुख सूचना का अधिकार प्रकोश्ट, प्रवीन कुमार समन्वयक।

प्रदेष–अध्यक्ष–महेन्द्रसिंह (मध्यप्रदेष), भरतसुथार (गुजरात) प्रवीन लोधी कन्होले (महाराश्ट्र),वारूराम सोलेकी (हरियाणा),अमरसिंह गहलोत (उत्तराखण्ड), दिलीपलोधी (उत्तरप्रदेष) वीएनसिंह (विहार) यदुवीर सिंह (राजस्थान) एच0आर0वर्मा(कर्नाटक) डा0यू0के0चौधरी(दिल्लीप्रदेष), सी0एच0प्रकाषम(आन्ध्र एवं तेलगाना)

पासी समाज शिरोमणि

महाराजा सुहेल देव पासी राजभर
श्रावस्ती - बहराइच
(सन् 994 - 1044 ई.)
महाराजा बिजली पासी
लखनऊ परिक्षेत्र
(सन् 1170 - 1194 ई.)
महाराजा लाखन पासी
लखनऊ परिक्षेत्र
(10वीं - 11वीं शती ई.)
महाराजा सातन देव पासी
उन्नाव - हरदोई
(सन् 1150 - 1202 ई.)
महाराजा डालदेव पासी
डलमऊ - रायबरेली
(13वीं - 14वीं शताब्दी)
महाराजा छीता पासी
(लगभग 1170 - 1194ई.)
महाराजा माहे पासी
(सन् 1351 - 1385 ई.)
वीरांगना ऊदा देवी पासी

भारत रत्न

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल 1891 | परिनिर्वाण : 6 दिसंबर 1956

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1891

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरबादकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावडे नगर जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित थे। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन-अवधि कुछ कम थी। वे महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे। किन्तु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अम्बेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराम की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया।

शिक्षा

अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अम्बेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ना पड़ा। इन सब स्थितियों को धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ। खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहां ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अम्बेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वे एलिफिन्सटन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए।

1913 और 15 के बीच जब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब एम.ए. की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबन्ध लिखा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक सम्बन्धों पर विचार किया है। इन व्यापारिक सम्बन्धों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। यह शोध प्रबन्ध रचनावली के 12वें खण्ड में प्रकाशित है।

कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़-स्कालरशिप प्रदान किया गया जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. (1915) किया। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन से प्रभाव में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था - 'नेशनल डेवलेपमेंट फॉर इंडिया : ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी'। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में दाखिला लिया लेकिन साधनाभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिटरी सेक्रेटरी थे। फिर वे बड़ौदा से बम्बई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहैम कॉलेज, बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लासेज कॉंफरेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल आफॅ इकोनोमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने एम.ए., पी.

एच.डी., एम.एस.सी., बार-एट-लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राजनेता एवं विचारक थे। उनको आधुनिक पश्चिमी समाजों की संरचना की समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं कानूनी दृष्टि से व्यवस्थित ज्ञान था। अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बरता जाता था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने आन्दोलन किया और उन्हें संगठित किया।

कार्यकारिणी सदस्य

1926 में वह बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए। क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन् 1942-1946 के दौर में वह गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक पहुंचे। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहर लाल नेहरू के मत्रिमंडल के विधि मंत्री हुए। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वह संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता उन्हीं को माता जाता है। उन्होंने जो कुछ लिखा, उसका गहरा सम्बन्ध आज के भारत और इस देश के इतिहास से है। शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, पर उनका लेखन केवल शूद्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने दर्शन, इतिहास, राजनीति, आर्थिक विकास आदि अनेक समस्याओं पर विचार किया जिनका सम्बन्ध सारे देश की जनता से है। अंग्रेजी में उनकी रचनावली 'डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज' नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। हिन्दी में उनकी रचनावली ''बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्पूर्ण वाग्मय'' के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है।

रचनावली

अनेक बड़े विचारकों और विद्धानों की तरह वह समस्याओं पर निरन्तर विचार करते रहते थे। 1946 में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। शूद्रों के बारे में जो बहुत तरह ही धारणाएं प्रचलित थीं, उनका उचित खण्डन करते हुए अम्बेडकर ने लिखा : शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं? शूद्रों का अनुग्रह पाने की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सुदास ऋग्वेद के मन्त्रों के रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सुदास ने अश्वमेध कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्रों को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है? और उसे कैसे सम्बोधन करना चाहिए, इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरम्भ से ही ऐसा था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बदरि और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह सम्पत्ति संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा था तो मैत्रायणी और कठक संहिताओं में धनी और समृद्ध शूद्रों का उल्लेख कैसे है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह राज्य का पदाधिकार नहीं हो सकता। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे, ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र के लिए कहा जाता है कि सेवक के रूप में तीन वर्णों की सेवा करना उसका काम है। यदि ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए जैसा कि सुदास के उदाहरण से, तथा सायण द्वारा दिए गए अन्य उदाहरणों से मालूम होता है?उन्होंने कई पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी, पुस्तकों के कुछ अध्याय लिखे थे, कुछ पूरे और कुछ अधूरे। रचनावली के तीसरे खंड में ऐसी कुछ सामग्री पहली बार प्रकाशित हुई है। इस सामग्री के बारे में सम्पादकों ने भूमिका में जो कुछ कहा है, उससे यही पता चलता है कि 1956 में डॉ. अम्बेडकर के निधन से उनका बहुत सा काम अधूरा रह गया।

सामाजिक सुधार

बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में अछूतों, शूदों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया। सामाजिक समानता के लिए वे प्रयत्नशील हो उठे। अम्बेडकर ने 'ऑल इण्डिया क्लासेस एसोसिएशन' का संगठन किया। दक्षिण भारत में बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में गैर-ब्राह्मणों ने *''दि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंन्ट''* प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य उन भेद भावों को दूर करना था जिन्हें ब्राहमणें ने उन पर थोप दिया था। सम्पूर्ण भारत में दलित जाति के लोगों ने उनके मन्दिरों में प्रवेश-निषेध एवं इस तरह के अन्य प्रतिबन्धों के विरूद्ध अनेक आन्दोलनों का सूत्रपात किया। परन्तु विदेशी शासन काल में अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को इस बात का भय था कि ऐसा होने से समाज का परम्परावादी एवं रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। अतः क्रान्तिकारी समाज-सुधार का कार्य केवल स्वतंत्र भारत की सरकार ही कर सकती थी। पुनः सामाजिक पुनरुद्धार की समस्या राजनीतिक

एवं आर्थिक पुनरुद्धार की समस्याओं के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे, दलितों के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उनका पुनरुत्थान आवश्यक था। इसी प्रकार इसके लिए उनके बीच शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक अधिकार भी अनिवार्य थे।

Nobody can remove your grivance as well as you can and you can not remove these unless you get political power into your hands... We must have a government in which men in power will not be afraied to amend the social and economic code of life which the dictate of justice and expendiencey so urgently call for. This role the British Government will never be able to play. It is only a government which is of the people, for the people and by the people, in other words, it is only the 'Swaraj' Government that will make it possible. – Dr. B.R. Ambedkar

1950 के संविधान द्वारा ही अन्तिम रूप से अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता।

In the constitution of 1950 it has been declared that 'Untouchability' is abolished and its practice in any form is forbidden. The endorsment of any disability arising out of 'Uncouchability' shall be an offence punishable in accordance with Law.

छुआछूत को अवैध घोषित किया गया। अब कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, होटल सिनेमा आदि पर इस आधार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाए जा सकते थे। संविधान में लिखित 'डायरेक्टिव प्रिंसीपुल्स' में भी इन बातों पर जोर दिया गया।

One of the Directive Principles it has laid down for the guidance of future governments says : 'The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.'

दुःख तो इस बात का है कि इन सबके बावजूद आज भी जाति प्रथा हमारे बीच और विशेष रूप से ग्रामीण समाज में जीवित है और इससे समाज और देश को काफी हानि हो रही है।

छुआछूत के विरूद्ध संघर्ष

1920 के दशक में बंबई में एक बार बोलतें हुए उन्होंने साफ-साफ कहा था जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देशहित में टकराव होगा वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे अंतिम समय तक दलित-वर्ग के मसीहा थे और उन्होंने जीवनपर्यंत अछूतोद्धार के लिए कार्य किया।

जब महात्मा गांधी ने दलितों को अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल देने के ब्रिटिश नीति के खिलाफ आमरण अनशन किया। सन् 1927 में उन्होंने हिन्दुओं द्वारा निजी सम्पत्ति घोषित सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने सन् 1937 में बंबई उच्च न्यायालय में यह मुकदमा जीता।

अम्बेडकर ने ऋग्वेद से उद्धरण देकर दिखाया है कि आर्य गौर वर्ण के और श्याम वर्ण के भी थे। अश्विनी देवों ने श्याव और रुक्षति का विवाह कराया। श्याव, श्याम वर्ण का है और रूक्षती गौर वर्ण की है। अश्विनी वंदना की रक्षा करते हैं और वह गौर वर्ण की है। एक प्रार्थना में ऋषि कहते हैं कि उन्हें पिशंग वर्ण अर्थात् भूरे रंग का पुत्र प्राप्त हो। अम्बेडकर का निष्कर्ष है : इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों में रंगभेद की भावना नहीं थी। होती भी कैसे? वे एक रंग के थे ही नहीं। कुछ गोरे थे, कुछ काले थे, कुछ भूरे थे, दशरथ के पुत्र राम श्याम वर्ण के थे। इसी तरह यदुवंशी कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचनाकार दीर्घतमस हैं। उनके नाम से ही प्रतीत होता है, वे श्याम वर्ण के थे। आर्यों में एक प्रसिद्ध कण्व थे। ऋग्वेद में उनका जो विवरण मिलता है, उससे ज्ञात होता है, वे श्याम वर्ण के थे। इसी तरह अम्बेडकर ने इस धारणा का खंडन किया कि आर्य गोरी नस्ल के ही थे।

अम्बेडकर ने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश करने के अधिकार को लेकर भी संघर्ष किया। वह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के शिष्टमंडल के भी सदस्य थे, जहां उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। महात्मा गांधी ने इसे हिन्दू समाज में विभाजक मानते हुए विरोध किया।

1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सम्बोधित करते हुए अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा : ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्रवक्ताओं ने हमेशा यह कहा है कि वे दलित वर्गों के ट्रस्टी हैं। मुझे विश्वास है, कि यह बात सभ्य लोगों की वैसी झूठी बात नहीं है जो आपसी सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए कही जाती है। मेरी राय में किसी भी सरकार का यह निश्चित कर्तव्य होगा कि जो धरोहर उसके पास है, उसे वह गंवा न दे। यदि ब्रिटिश सरकार हमें उन लोगों की दया के भरोसे छोड़ देती है जिन्होंने हमारी खुशहाली की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो यह बहुत गद्दारी होगी। हमारी तबाही और बर्बादी की बुनियाद पर ही ये लोग धनीमानी और बड़े बने हैं।

सन् 1932 में पूना समझौते में गांधी और अम्बेडकर, आपसी विचार-विमर्श के बाद एक मध्यमार्ग पर सहमत हुए। अम्बेडकर ने शीघ्र ही हरिजनों में अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया और उनकी ओर से कई पत्रिकाएं निकलीं, वह हरिजनों के लिए सरकारी विधान परिषदों में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में भी सफल हुए। अम्बेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हॉट कांग्रेस ऐंड गांधी हैव डन टु द अनटचेबल्स (सन् 1945) नामक लेख लिखा।

सन् 1947 में अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत के संविधान की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अछूतों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और चतुराई से इसे संविधान सभा द्वारा पारित कराया। सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर उन्होंने सन् 1951 में त्यागपत्र दे दिया। सन् 1956 में वह नागपुर में एक समारोह में अपने दो लाख अछूत साथियों के साथ हिन्दू ध र्म त्यागकर बौद्ध बन गए, क्योंकि छुआछूत अब भी हिन्दू ध र्म का अंग बनी हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर को सन् 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से वी पी सिंह तत्कालिन प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

राजनीतिक परिचय

येओला नासिक में 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर ने एक रैली को संबोधित किया। 13 अक्टूबर 1935 को, अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने दो वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते अम्बेडकर बंबई में बस गये, उन्होंने यहां एक बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50000 से अधिक पुस्तकें थीं। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिये पंढरपुर जाना चाहती थीं पर अम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अम्बेडकर ने कहा कि उस हिन्दू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है इसके बजाय उन्होंने उनके लिये एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था पर उन्होंने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिन्दुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या में हिन्दू कार्यकर्ताओं द्वारा की गयी उनकी आलोचना से मिला। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट येओला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अम्बेडकर ने ध र्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिन्दू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में दोहराया भी।

स्वतंत्र लेबर पार्टी

अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 के केन्द्रीय विधान सभा चुनावों में 15 सीटें जीती। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क के लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस सफल और लोकप्रिय पुस्तक में अम्बेडकर ने हिन्दू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। अम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद् के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे।

मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया। अम्बेडकर ने तीन साल पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक दल संगठित किया था। उसने पाकिस्तान प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति के लिए दिसम्बर 1940 तक अम्बेडकर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। वह 'पाकिस्तान या भारत का विभाजन' - 'पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया' - नाम से प्रकाशित हुई।

1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किये जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। 'व्हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स' (कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया) के साथ, अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया उन्होंने उन पर ढ़ोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'हू वर द शुद्राज़? (शूद्र कौन थे?)' के द्वारा हिन्दू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानि शुद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अछूत, शुद्रों से अलग हैं। अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा, हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुये चुनाव में इसने खराब प्रदर्शन किया। 1948 में हू वर द शुद्राज़? की उत्तरकथा 'दी अनटचेबलस : ए थीसिस ऑन

द ओरिजन ऑफ अनटचेबिलिटी (अस्पृश्य : अस्पृश्यता के मूल पर एक शोध)' में अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को लताड़ा। अम्बेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उसकी रीतियों के भी आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिम समाज में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की।

मेहनत मजदूरी करने वालों को पारिश्रमिक दिया जाता था, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शूद्रों की स्थिति का विवेचन करते हुए अक्सर इतिहासकार यही बात भूल जाते हैं। अम्बेडकर का मूल वाक्य अंग्रेजी में इस प्रकार है : *Besides few slaves there was a considerable amount of free labours paid in money or food.*

उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिन्दू समाज से भी अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें 'भाईचारे' जैसे नर्म शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जन वर्गों के खिलाफ भेदभाव जिन्हें 'निचले दर्ज का' माना जाता था के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं क उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हालाकि पर्दा हिन्दुओं में भी होता है पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम के कट्टरता की आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षरसह अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उस को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल लिया है।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत में छोटी जोत की समस्या बुनियादी समस्या नहीं है बल्कि यह एक मूल समस्या से निकली हुई समस्या है। अर्थात् सामाजिक अर्थव्यवस्था में असामंजस्य की समस्या है। इतनी अधिक भूमि में खेती होने के बावजूद उसकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम भूमि में खेती होती है।

हालाकि वे मुहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे पर उन्होंने तर्क दिया कि हिन्दुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिये क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए, जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमोन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिये पर्याप्त कारण मौजूद थे? और सुझाव दिया कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच के मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होनें लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिये। कनाड़ा जैसे देशों में सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं तो क्या हिन्दू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यन्त कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान मं रखकर यह भविष्यवाणी कितनी सही थी।

अम्बेडकर बनाम गांधी

महात्मा गांधी के विपरीत डॉ. अम्बेडकर गांवों की अपेक्षा नगरों में एवं ग्रामीण शिल्पों या कृषि की व्यवस्था की तुलना में पश्चिमी समाज की औद्योगिक विकास में भारत और दलितों का भविष्य देखते थे। वे मार्क्सवादी समाजवाद की तुलना में बौद्ध मानववाद के समर्थक थे जिसके केन्द्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना है। अम्बेडकर, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र आलोचक थे। उनसे समकालीनों और आधुनिक विद्वानों ने उनके महात्मा गांधी (जो कि पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता और भेदभाव करने का मुद्दा सबसे पहले उठाया था) के विरोध की आलोचना है।

1932 में ग्राम पंचायत बिल पर बम्बई की विधान सभा में बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा : बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातन्त्र कहा है। इन देहाती प्रजातन्त्रें का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। इससे हमारे लोगों में विशिष्ट स्थानीयता की भावना भर गई उससे बड़ी नागरिक भावना के लिए थोड़ी भी जगह न रही। प्राचीन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के अन्तर्गत एकताबद्ध जनता के देश के बदले भारत ग्राम पंचायतों का ढीला-ढाला समुदाय बन गया। वे सब एक ही राजा की प्रजा थे, इसके सिवा उनके बीच और कोई बन्धन नहीं था।

गांधी का दर्शन भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक, लेकिन रूमानी था और उनका दृष्टिकोण अस्पृश्यों के प्रति भावनात्मक था उन्होंने उन्हें हरिजन कह कर

पुकारा। अम्बेडकर ने इस विशेषण को सिरे से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को गांव छोड़ कर शहर जाकर बसने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

धर्म परिवर्तन

डा. अम्बेडकर ने धर्मान्तरण के लिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन निश्चित किया। विजयदशमी के दिन सुबह नौ से ग्यारह बजे के बीच बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का आह्वान किया गया। इसके लिए गोरखपुर जिले के कुसीनगर के महास्थविर चंद्रमणि को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। भारतीय महाबौधि संस्था के देवप्रिय बालीसिंह को भी आमंत्रित किया। नागपुर में चौदह एकड़ भूमि पर श्वेत वस्त्र से आवृत व्यासपीठ तथा भव्य मण्डप बनाये गये।

महास्थविर चंद्रमणि व चार अन्य भिक्षुओं ने बाबा साहब अम्बेडकर व उनकी पत्नी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी उसमें उन्होंने त्रिशरण और पंचशील के अतिरिक्त स्वयं निर्मित बाईस शपथें लीं। इसके पश्चात् उन्होंने अपने तीन लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी।

महापरिनिर्वाण

अम्बेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। और वो जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किये गये लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पाण्डुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के तीन दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसम्बर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें सैंकड़ों हजार समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशसंकों ने भाग लिया। एक स्मारक अम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड़ में स्थापित किया गया है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अपने अनुयायियों को उनका संदेश था।

उपसंहार

अम्बेडकर संविधान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इतिहास विवेचक, और धर्म और दर्शन के विद्वान थे। उन्होंने अपने लेखन में अनेक ऐसे सूत्र दिए हैं जिनके आधार पर भारतीय इतिहास को हम पूंजीवादी विवेचकों के दुष्प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। उनकी एक क्रांतिकारी स्थापना यह है कि इंग्लैंड किसी तरह व्यापार में भारत से स्पर्धा न कर सकता था और माल तैयार करने वाले देश के रूप में भारत इंग्लैंड से बढ़ कर था। अंग्रेजी शासनतंत्र के विवेचन में अम्बेडकर ने अनेक ऐसे तथ्य दिए हैं जिनसे प्रमाणित होता है, अंग्रेजों ने जाति-बिरादरी की प्रथा को और कठोर बनाया, उन्होंने यहां का व्यापार नष्ट किया, शहरों के उद्योग-धंधे तबाह किए। लाखों कारीगर शहर छोड़कर देहात में जा बसे, वहां जमींदारों की बेगार करने पर बाध्य हुए।

'भारत रत्न' हुआ गौरवन्वित

कहते हैं, हरसदी में, हर युग में कुछ अपवाद होते हैं, औरों से अलग होने की वजह से वे असाधारण होते हैं। संविधान शिल्पी, दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसी ही स्वनामधन्य हस्ती थे। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उनके द्वारा किए गए महान् कार्यों के लिए मरणोपरान्त उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री वी पी सिंह द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देर-सबेर भारत सरकार ने अपनी भूल सुधार ली। उनकी ओर से भारत रत्न की उपाधि उनकी पत्नी डॉ. सविता अम्बेडकर ने राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरामन से दिनांक 14 अप्रैल, 1990 को ग्रहण की। सही मायने में यह सम्मान भारत रत्न का था। जिससे भारत रत्न स्वयं गौरवान्वित हुआ।

फिल्म/नाटक

जब्बार पटेल ने सन् 2000 मे डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर नामक हिन्दी फिल्म बनाई थी। इसमें अम्बेडकर की भूमिका माम्मूटी ने निभाई थी। भारत के राष्ट्रीय फिल विकास निगम और सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित, यह फिल्म प्रदर्शन से पहले एक लंबी अवधि तक विवादों में फंसी रही। यू.सी.एल.ए. में मानव शास्त्र के प्रोफेसर और ऐतिहासिक नृवंश विवरणकार, डॉ. डेविड ब्लुडेल फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने की दीर्घकालिक परियोजना बनाई है जो उन घटनाओं पर आधारित है जो भारत में समाज कल्याण की स्थिति के बारे में ज्ञान और इच्छा को प्रभावित करती है। ए राएज़िंग लाइट डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन और भारत के सामाजिक कल्याण की स्थिति पर आधारित है।

राजेश कुमार का भीमराव अम्बेडकर और गांधी नाटक। अरविन्द गौड़ के निर्देशन में अस्मिता थियेटर ग्रुप द्वारा पूरे देश में लगातार मन्चन।

शिक्षित बनो!!!, संगठित रहो!!!, संघर्ष करो!!!

2

अमर शहीद वीरांगना रानी अवन्तीबाई लोधी

बलिदान दिवस 20 मार्च, 1858

ललिता राजपूत (लखनऊ)

भारत के इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरूद्ध प्रथम आजादी की लड़ाई 1857 में जिन शहीदों ने देश तथा समाज के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विगुल बजाया और प्राणार्पन कर स्वतंत्रता के लिये मार्ग प्रशस्त किया। जिनके लिये हम सभी ऋणी हैं। उनमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश आज के मण्डला जिले में आने वाले रामगढ़ राज्य की रानी अवन्तीबाई लोधी थी। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा कर स्वाभिमान को बरकरार रखा। लेकिन इसे क्षमा दान देने के पश्चात वही सेनापति रानी अवन्तीबाई के बलिदान का कारण बना।

वीरांगना अवन्तीबाई का जन्म ग्रामीण अंचल की पवित्र माटी में बसे ग्राम मनकेहड़ी के रावजुझार सिंह के घर 16 अगस्त 1831 ई. को हुआ। आपके पिता सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के बड़े जमींदार थे। अवन्तीबाई बचपन से ही साहसी एवं कुसाग्र बुद्धि की थी। वह इस कहावत को चरितार्थ कर रही थी कि ''होनहार विरवान के होत चीखने पात''।

अवन्तीबाई ने घर पर ही विधा अध्ययन किया और साथ ही राजनीति में पारंगत हो गई। तलवार बरछी बन्दूक चलाने में निपुण हो गई। घुड़सवारी करना व वीरता में बाघ को मार गिराया। शासन के कार्य में पिता का हाथ बंटाती थी। सोलह वर्ष की आयु में उनका विवाह रामगढ़ राज्य जो आज मध्य प्रदेश के मण्डला जिले में है के राजा गज सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य के साथ सम्पन्न हुआ। रामगढ़ राज्य किसी समय चार हजार वर्ग मील में फैला हुआ था जिसके 14 परगने थे एक भव्य राज महल था जिसके चारों ओर नगर तथा नगर के चारों ओर किले की प्राचीर खिंची हुई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना निजामशाह के सेनापति मोहन सिंह लोधी के सुपुत्र गजसिंह लोधी ने की थी। जो रानी अवन्तीबाई के पति विक्रमादित्य के पिता के पितामह थे। विक्रमादित्य योग्य प्रतिभाशाली शासक थे जब वह गद्दी पर बैठे उस समय पूरे अंग्रेजों का पूरे देश में दमन चक्र, तोड़-फोड़ तथा देश की सत्ता पर कब्जा करने का कुचक्र चल रहा था राजा विक्रमादित्य काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। शासन का कार्य अवन्तीबाई को देखना पड़ रहा था तभी अंग्रेजों की कुदिष्ट राज्य पर पड़ी और राजय का अवैधानिक ''कोर्ट ऑफ बोर्ड'' कर लिया। अंग्रेज शासक प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगे। यह बात रानी को रास नहीं आई और जबरन कोर्ट ऑफ बोर्ड को हटाकर स्वयं शासन की बागडोर सम्भाल ली। महारानी ने प्रजा को स्वच्छ प्रशासन दिया। जनता बहुत प्रसन्न थी। रानी की शासन व्यवस्था की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई न्याय करने में रानी निपुण थी। स्वयं घटना स्थल पर जाकर जांच के उपरान्त निर्णय सुनाती थी। गरीबों को रानी अत्यन्त प्रिय थी क्योकि वह उनको पूर्ण संरक्षण स्नेह देती थी। चोरियां, डकेतियां, हत्यायें जैसे अपराध बन्द हो गये थे। रानी के कुशल शासन से चिढ़कर अंग्रेजों का परा गर्म हो गया और रानी तथा प्रजा पर घोर अत्याचार ढाने लगे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिये रानी ने प्रजा को संगठित किया व सरदारों को विश्वास में लेकर प्रजा के पास एक पुड़िया में चूड़ी-एक बिन्दी भेजकर उनका सोया हुआ पुरूषत्व जगाया। पुड़िया में लघु किन्तु क्रान्ति पत्र भी था जिसमें लिखा था चुड़िया पहनों बिन्दी लगाओ और घर में बैठो अथवा हाथों में हथियार माथे पर रक्त का तिलक लगाकर हमारे साथ भूमि में आकर अत्याचारी अंग्रेजों से संग्राम करने को तैयार हो जाओ। ''जय भारत'' यह नारा अत्यन्त प्रभावी और क्रान्तिकारी साबित हुआ। सभी जनता अंग्रेज अत्याचारी के खिलाफ संघर्ष के विरूद्ध पूर्ण मनोयोग से कूछ पड़ी।

ब्रिट्रिश शासकों का देश में आतंक फैल गया तथा कम्पनी की हुकूमत में जनता त्राहि-त्राहि करने लगी। अंत में माल गुजारों ने इस्तीफे दे दिये। 1857 की क्रान्ति का विगुल इस क्षेत्र में आदिवासियों मजदूरों किसानों द्वारा बजाया गया ठाकुर जगत सिंह ने उसी दौरान पुलिस प्रशासन पर कुछ थानों में जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कुछ स्थानों पर अंग्रेज सेना में भारतीय जवानों ने विद्रोह किया गोड राज्य राजा शंकर शाह तथा उनके बेटे रघुनाथ शाह को अंग्रजों द्वारा, तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। जिससे समूचे समाज में जनता विद्रोह

की ज्वाला धधक उठी। हजारों क्रोधित विद्रोही राघव गण के राजा के साथ रानी अवन्तीबाई के नेतृत्व में एकत्रित होने लगे। रानी ने मण्डला पर कब्जा करने के लिये उसके पूर्व में खेरी गांव में मोर्चा संभाला यह भी रानी की अंग्रेजी सेना से भयंकर और पहली मुठभेड थी इस पहली मुठभेड़ में अंग्रेजों का नेतृत्व सेनापति वडिगटन के हाथ में था। भारी संख्यो में अंग्रेजों के अंग्रेज सिपाही मारे गये और रानी की तलवार के एक ही वार में वडिगटन के घोड़े दो टुकड़े हो गये। वाडिगटन घोड़े के मुंह के बल गिरा वाडिगटन प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी को वाडिगटन पर दया आ गई और उसे जीवित छोड़ दिया।

महारानी की सेना और अंग्रेजों की सेना में कई बार घमासान युद्ध हुआ जिनमें सुहागपुर के निकट मण्डला में अंग्रेजों की सेना को रानी ने धरासाई कर उन्हें पूरी तरह मात दी। सेनापति वाडिंगटन काफी समय पूर्व मण्डला में नियुक्त रहा था। वह वहां की समस्त परिस्थितियों से वाकिफ था। अपनी पराजय तथा अपमान का बदला लेने की पूरी तैयारी में लगा रहा। फिर वह कुछ समय बाद पुनः रामगढ़ की ओर पूरी तैयारी से बढ़ा। अंग्रेजी सेनायें दो तरफ से रामगढ़ की ओर बढ़ीं।

रानी ने स्थिति की गंभीरता देखकर रामगढ़ को खाली कर दिया और वह देवहार की पहाड़ियों पर चली गई। रानी द्वारा घने जंगल में युद्ध का मोर्चा सम्भाला गया उस समय उसके पास थोड़े ही देश भक्त सिपाही बचे थे। अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थी। अंग्रेजों की मदद से रीवा नरेश की भी सेना आ गई थी। उसकी भी परवाह न कर रानी ने बहादुरी व धैर्य के साथ योजना बनाई। जब रानी रामगढ़ छोड़कर वेवहरिगढ़ चली गई तभी अंग्रेजों ने द्वेष वश तोपों से रामगढ़ किले को ध्वस्त कर दिया तथा आग लगा दी और इसी समय भयंकर युद्ध हुआ। अनेक वार अंग्रेजी सेनाओं को रानी के पराक्रम से भयभीत होना पड़ा। रानी बचे अपने देश भक्त सैनिकों के साथ घिर गई। यद्धपि उनका पकड़ा जाना सुनिश्चित है, देश की स्वाभिमानी परम्परा के अनुसार रानी ने बंदी होने के बजाय अपने को बलिदान करना श्रेष्ठ माना और अपने अंगरक्षक की तलवार लेकर अपनी छाती में भोंक दी और अपना जीवन गाथा को अमर कर गई।

रानी अवन्तीवाई के शौर्य और पराक्रम की ब्रिटिश इतिहासकार सी.यू. विल्स, विन सैट स्मिथ अंतर्राष्ट्रीय लेखक, ने शहीद होने वाली वीरांगनाओं में रानी अवन्तीबाई को सबसे बहादुर लिखा है। रक्त गंगा उपन्यास के लेखक श्री इकबाल बहादुर देवसरे ने रानी के बलिदान व साहस का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन किया है। उपन्यासकार डा. वृन्दावन लाल वर्मा ने पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र, मध्यप्रदेश व अनेक कवियों व लेखकों ने शौर्य गाथा का विविध विद्याओं में वर्णन किया है। वीर रस की सशक्त विद्या अलंकार में रानी शौर्य गाथा का वर्णन है।

डॉ. रामस्वरूप राजपूत दिवियापुर (उ.प्र.) के शब्दा में –

भारत के शहीदों की अमर रहेगी कहानी।
विकट लड़ी वीरांगना, वह थी रामगढ़ की रानी।।
भारतीय नारीत्व की लिखदी अनेक कहानी।
विकट लड़ी वीरांगना वह थी रामगढ़ की रानी।
जीवन मरण तो शास्वत है जो आता है वो जाता है।
मां से महान मात्र भूमि अवन्तीबाई ने बताया।
प्राणों की आहुति दे सबको पाठ पढ़ाया।
सरदार ठाकुर उमराव सिंह रानी के साथ थे ने अन्तिम संस्कार किया।

डॉ. गायत्री गहलोत जिन्होंने गदर में शहीद होने वाली वीरांगनाओं पर शोध किया है। रानी अवन्तीबाई को साहस और धैर्य में प्रथम स्थान दिया है। समकालिन मदन राव कविवर ने लिखा है –

एक युग जन्म ले कीन्हों उजागर कुल।
जौहर जहान भई दुर्गा महारानी है।।
रामगढ़ की रानी की गरिमा बखाने कौन।
क्षेत्र गॉडयाने की, चण्डिका भवानी है।।

अंग्रेज अधिकारी एफ.आर.आर. रैडमैन (आई.सी.एस.) ने मण्डला गजरियर के पृष्ठ सं. 37 व 40 में रानी अवन्तीबाई के युद्ध कौशल, पराक्रम की अविश्वमरणीय प्रशंसा की है। अनेकों इतिहाकारों ने भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रजा के साथ न्याय, प्रेम, सौहार्द के लिये रानी मानवता के पालन में एक उदाहरण थी।

विख्यात कवि थम्मन सिंह "सरस" ने रानी अवन्तीबाई की वीरता का वर्णन निम्न प्रकार किया है –

घन का घमंड तोड देने वाली गर्जना से
मेदिनी चमक जिमि व्यूह को तराशती है।
सूरज प्रलय का उगा हुआ हो गगन में,
त्राहिमाम-त्राहिमाम सर्जना पुकारती है।
हहराती आती हुई आंधी - सी अवन्तीबाई,
सिंहनी-सी शावकों के झुंड पै दहाड़ती है।
चौसठ कलाओं से नचा रही कलाई मध्य,
तलवार वैरियों के वक्ष में उतारती है।
राष्ट्र सैनिकों की युद्ध वीरता परख-लख,
दुश्मनों के झुंड हुये पीछे को चलायमान।
देख महावीरता महान शौर्य रानी जी का,
नारी अल हो गया विशेष पुलकायमान।
छोड़छाड़ सब कुछ मण्डला की ओर भागे,
कायरों की हो रही पीठ दर्शायमान।
मिल गया यहां तोपखाना भी विजय के साथ,
कूच किया आगे हुई सेना हर्षायमान।।
दुर्ग पड़ा सामने दिखाई मण्डला का मध्य,
राजगोड राज की कहानी बतला रहा।
सेनापति उमरावसिंह लोधी संग,
खेरी की पहाड़ियों पै मोर्चा जमा रहा।

कप्तान वाड़िगटन आज भयभीत बड़ा,
डूबा सोच में परन्तु थाह ही न पा रहा।
रात भर जागा, कान टिका रहा मोर्चे पै,
संकट विमोचन के ध्यान में लगा रहा।।

किसी समय दुर्ग पर बोल सकती है,
रानी रामगढ़ वाली दुर्गा की अवतार।
गोली दाग लक्ष्य की अचूक भेद डालती है,
बिजली की फुर्ती से भांजती है तलवार।
दुर्ग से निकल भाग जाना ही है श्रेय है अब,
दाना-पानी उठ गया छूट रहा घरबार।
एक गौण मार्ग से निवास ओर भाग चला,
सारी फौज साथ थी और छोटा परिवार।।

लेकिन निवास रानी पहले ही पहुंच गई,
उत्तर में गौड ने बनाई नई छावनी।
सैनिकों में राष्ट्रभक्ति भाव उपजाने हेतु,
हरबोले घूम-घूम गा रहे थे लावनी।
छोटी-सी नदी है गौर लेकिन विकट बड़ी,
गोद में खिलाती उसे शोभा मनभावनी।
जांचने निवास के विशेष की परिस्थिति को,
दक्षिण में रुक गया घाटी थी सुहावनी।।

दोनों ओर गौर के ऊंची-सी पहाड़ियां हैं,
उत्तर में ढ़ाल और दक्षिण में खाईयां।
आंडी-टेढ़ी श्रेणियां चली है दूर-दूर से,
आपस में भेंटती है डाले गलबाहियां।
ऊपर चढ़े थे ज्योहिं पार होने का विचार,
दाग उठीं गोलियां अदृश्य परछाइयां।
गुरगुण्डा खाके कुछ नीचे को लुढ़क पड़े,
वही पीछे लौट सके जाको राखे साइयां।।

रात दोनों दल व्यूह रचना मे रहे लगे,
सेनापति वाड़िगटन आज भी न सोया था।
बढ़ना था आगे उसे पार कर नदिया को,
बालक दुखारी रहा कई बार रोया था।
एक मील आगे बढ़ धारा इस पार हुई,
पीछे जाके घेर लिया तब मुंह धोया था।
तीनों ओर से हुआ था, एक साथ आक्रमण,
क्रान्ति बीज बहुत सतर्कता से बोया था।।

तीव्र बुद्धिमत्ता लख, रानी की महत्ता लख,
सैनिक फिरंगियों के हाथ-पांच फुल गये।
तोपखाना नष्ट किया दांव में लपेट लिया,
टूट पड़ी बैरी पै उपग्रह के वेग कांद-मूल भये।
गौरे सैन्यनायक के सारे स्वप्न धूल भये।।

फाट पड़ी दुष्ट पै ज्यों आदि शक्ति,
घोड़े ने गिराया धूल चाट मिमया रहा।
गर्दन पै तलवार एक पांव सीने पर,
हाथ जोड़े वाड़िंगटन नीचे चिंघिया रहा।
भावना की राजधानी, रानी ममतामयी थी,
जीवन की भीख को चूहा-सा चिचिया,
भारत परम्परा क्षमा से ही महान हुई,
छोड़ दिया घंटों से पड़ाथा रिरिया रहा।।

दृष्टि जहां तक गई लाशें ही लाशें दिखीं,
बहता दिखायी दिया चारों ओर खून था।
घायलों की चीख या करार आर्तनाद-सी,
कोई दूर कापिलिक मुण्ड रहा भून था।
खींच-खींच शव ढेर गिद्ध और श्रगाल किये,
घाटियों को ऐसा पाटा समतल दून था।
युद्ध भूमि सामूहिक शमशान होती गई,
मॉफी मांग भाग गया धूर्त कारटून था।।

पीली साडी पहन, परेड की सलामी ली,
मण्डला के दुर्ग पर झण्डा फहराया गया।
लोक नृत्य हुए गोंड, भीलों और लोधियों के,
सामूहिक एक साथ मुक्ति गान गाया गया।
राजधानी मण्डला के सिंहासन पै बिठा,
महारानी को मुकुट पहनाया गया।
पुत्र अंग्रेज सेनापति का गया जो छूट,

उसको पिता के पास शीघ्र पहुंचाया गया।।
क्रान्तिकारियों के बीच महारानी ने कहा था,
कष्ट देश जनता के सहे कैसे जात हैं।
स्वाभिमानी पुत्र जो भी नहीं होते हैं,
मां का अपमान कभी सह कैसे जाते हैं।
जननी की रक्षा हेतु संगठित होंगे आप,
मुझको भी राजपुत्र आज याद आते हैं।
सिर्फ चन्द रोज का विराम हम चाहते हैं,
रामगढ़ जाते हैं तुरन्त लौट आते हैं।।

बहुत सम्भव है कहीं प्रतिकार में कुछ हो गया हो।
भारतीयों में घृणा के बीज कोई बो गया हो।।
कहीं छिटपुट कृत्य हत्या के अचानक हो गये हों।।
युद्ध के कुछ दृश्य ज्यादा ही भयानक हो गये हों।।

बौखलाना किन्तु इतना मनुज को शोभा न देता।
युद्ध है तो सागने गारो बनोगे तब विजेता।।
इस तरह निर्गम दमन से कौन-सा संतोष होगा?
क्या निराशा का तुम्हारा यह नहीं आक्रोश होगा?
तुम बताते तुम्हारा, राज कानून निर्मित।
और है कल्याणकारी भावनाओं को समर्पित।।
तुम गये हो जीत मानो आज कुछ छिट-पुट लड़ाई।
सम्पदा को फूंक देना कौन है इससे बड़ाई।।

सभ्यता को ध्वस्त करना, मनुजता को नष्ट करना।
क्या यही कल्याण पथ है धर्म मौलिक भ्रष्ट करना।।
आपका यदि देश होता क्य इसे ऐसे जलाते?
साफ बतलाओ फिरंगी क्यों यहां पर हो लजाते?

देश क्या समझो, विदेशी राज भी ऐसे न चलना।
इस तरह सम्पत्ति जलाने से तुम्हें कुछ भी न मिलना।।
और सबको छोड़कर तुम सभ्यता अपनी निहारो।
धूर्त सौदागर बकुचिया आज तुम हपनी संवारो।।

पत्तलों तक का न समझा ये क्या कर रहे हो।
भात खाया तुमने जिनमें छेद उनमें कर रहे हो।।
क्या यही दुकानदारी लूट कर धन धान्य सारा।
जा रही बरतानिया को फिर भी भारत तुम्हारा।।

कर रहे हो तुम यहां व्यापारी नियम से।
मारने में चतुर डंडी बेहया-हेवानियत से।।
लहलहाते खेत में भी दृष्टि शकूर की है कहीं?
उठ रही बदबू तुम्हारे कारनामों की यहां है।।

ललिता राजपूत (लखनऊ)

ब्राह्मण धर्म (हिन्दू) के सारे के सारे ''त्यौहार और मेले'' खेती की फसल से ही संबंधित थे, जैसे बड़ी नदियों के किनारे मेले का आयोजन, किसानों को खेती में उपयोग होने वाले सस्ते और टिकाऊ जानवर तथा खेती के औजार, सुलभता से हासिल होने के लिए लगाये जाते थे, ठीक उसी प्रकार लहलहाती फसलों को देखकर किसान खुशी में फसलों का पालन पोषण करने वाली सूर्य की किरणों को धन्यवाद देने के लिए ''मकर संक्राति'' का त्योहार मनाते थे, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही फसल बढ़ती है (वैज्ञानिक सोच), बाद में चलकर ब्राह्मण जात ने सभी किसानों के त्योहारों को अपने ब्राह्मण धर्म में घसीटकर उन त्योहारों का अपने काल्पनिक देवी देवताओं से जोड़कर, और काल्पनिक देवताओं के नाम पर सभी त्योहारों को मुफ्त में ब्राह्मण जात ने अपने पेट भरने का और लोगों को ठगने (मानसिक और आर्थिक शोषण) का साधन बनाकर, सभी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं... पता नहीं मेरे भोले भाले मूल निवासी पिछड़ी जात के लोग इस ब्राह्मण जात के ''भ्रम जाल'' में कब निकल पायेंगे???

जिन लोगों को भारत के संविधान के सामाजिक प्रतिनिधित्व (रिजर्वेशन) को समझाना है, उनको मानव मनोबल के मनोविज्ञान को भी समझना पड़ेगा, और मानव मनोबल के मनोविज्ञान को समझने का आप को आसान तरीका बताता हूं, वो नायाब तरीका है कि, आप अपने नाम के आगे एक साल तक ब्राह्मण जात का सरनाम (जैसे-पांडे) लगाकर देखे, फिर एक साल अनुसूचित जात (जैसे भंगी) के लोगों का सरनेम लगाकर देखें, फिर तीसरे साल आपको महसूस हो जायेगा कि जाती से मनोबल पर क्या फर्क पड़ता है, बस उसी दिन आपको सामाजिक प्रतिनिधित्व (रिजर्वेशन) सही लगाने लगेगा, इंसान की आर्थिक उन्नति उसके सामाजिक मनोबल पर ही निर्भर करती है...

पता नहीं मेरी बात कितने पिछड़ों ने समझी?

आज की तारीख में ब्राह्मण जात *''हिन्दू''* नाम का चोला पिछड़ी जातियों पर वर्चस्व जमाने के लिए ओढ़ता है, और पिछड़ी जात के लोग *''हिन्दू''* नाम का चोला अपना पिछड़ापन छुपाने के लिए ओढती हैं।

महान क्रांतिकारी

विजय सिंह पथिक

"अपनी पीड़ा कहने का कब अवकाश मिला?
मैं सदा तुम्हारा दर्द बोलता आया हूं।
जिनके ऊपर सौ चट्टाने थीं पड़ी हुई,
मैं उन बेकलियों का भेद खोलता आया हूं।"

(रामधारी सिंह दिनकर)

विजय सिंह पथिक जी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रदूत थे। यद्यपि आन्दोलन में कूदने से पूर्व कई बड़े नेता जैसे गांधीजी, नेहरू जी, सरदार पटेल आदि आन्दोलन को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे थे किन्तु आन्दोलन में गर्माहट तभी आई जब उसमें गुठावली का भूपसिंह विजय सिंह पथिक बनकर उससे पूरी तरह जुड़ गया। विजय सिंह पथिक के स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ जाने से आन्दोलन तूफान बन गया। पथिक जी ने अपनी गतिशील गतिविधियों से आन्दोलन को नई धार दी और नई दिशा दी। अन्ततोगत्वा देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली। आजादी मिलने पर जब सरकारें बनीं तब पथिक राजनीति से मुंह मोड़कर ऐसे अलग हो गये जैसे कोई सम्राट राजसी वैभव का परित्याग कर बटेऊ की तरह पगडंडी की राह पकड़ लेता है। वाह रे फकीराना ठाठ के धनी! आधुनिक चाणक्य! तुझे संबोधित करने के लिए उपयुक्त विशेषणों का भी टोटा पड़ गया है। तू धन्य है। तेरा वंश धन्य है, जिसने अपने त्याग, तप, साहस और संयम के उच्चादर्श से भारतीय राजनीति को नया संदेश दिया, नया आह्वान दिया और क्रान्तिकारियों को नया संदेश दिया और साथ ही गुर्जर जाति के वैभव को और अधिक चमकदार बनाया। आइए ऐसे महान प्रणेता के जीवन के कुछ चित्रों को निहार लें :-

पथिक जी का बचपन का नाम भूपसिंह था। भूपसिंह का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जनपद के गुलावठी कस्बे के पास गुठावली ग्राम में 24 मार्च सन् 1882 ई0 को राठी गोत्रीय स्वतंत्रता सेनानी हमीर सिंह के घर हुआ था। हमीर सिंह के पिता इन्द्रसिंह मालागढ़ के नवाब वलीदाद खां के यहां नौकरी करते थे। इन्द्रसिंह नवाब के यहां सम्मानित पद पर तैनात थे। 1857 ई0 के स्वतंत्रता संग्राम में वलीदाद खां की तरफ से अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए इन्द्र सिंह ने देशहित में अपना बलिदान दिया था। उनके पुत्र हमीर सिंह भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। पथिक जी की माता का नाम श्रीमती कमलकौर था। पथिक जी जब मां के गर्भ में थे तभी उनके पिता जी का निधन हो गया था। पथिम जी जब मात्र पांच वर्ष के थे तभी उनकी माता का साया भी उनके सिर के ऊपर से उठ गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी औपचारिक शिक्षा मात्र कक्षा पांच तक मालागढ़ के प्राईमरी स्कूल में हुई थी। बाद में जब वे राजस्थान में क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आए तब उन्होंने हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि विषयों की अनौपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे कुशाग्र बुद्धि के इन्सान थे।

अपनी माताजी के देहान्त के बाद वे कुछ वर्षों तक गांव में ही रहे। तदुपरान्त कुछ दिन अपनी बड़ी बहन के पास इन्दौर में रहे क्योंकि उनके जीजा सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद कुछ दिन वे अपने चाचा सूबेदार बलदेव सिंह के पास भी रहे। विजय सिंह पथिक जी ने मालागढ़ का परिचय इस प्रकार दिया है:

"मालागढ़ छोटा सा गांव।
बहदे में हो गया सरनाम।।
छोटी मंडी किला बनाया।
अंग्रेजों से वाद बढ़ाया।"

श्री विजय सिंह पथिक जी के प्रारंभिक जीवन के रहस्याच्छादित रहने का प्रमुख कारण यह था कि माता-पिता का लाड़-प्यार उन्हें न मिल पाया था। पिता जो जन्म से पूर्व ही चल बसे थे और केवल पांच वर्ष की अवस्था में मां भी स्वर्ग सिधार गई थी। बचपन में जिस चीज की उन्हें सख्त जरूरत थी उससे वे वंचित रहे। जब उन्होंने क्रान्तिकारी हलचलों में भाग लिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए तब उन्हें अपना नाम भी बदल लेना पड़ा। देशभक्ति के जज्बात उन्हें विरासत में मिले थे। बाबा इन्द्रसिंह 1857 ई0 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए और पिताजी स्वतंत्रता आन्दोलन से गहरे रूप से जुड़े हुए थे।

पथिक जी के महान कार्यों का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान पथिक जी की कर्मभूमि थी। उनकी प्राय: सभी क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र राजस्थान था। इसी कारण बहुत दिनों तक उनकी जन्मभूमि, जाति, कुल तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। वस्तुत: पथिक जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना उदात्त और बहु-आयामी था कि उसका विवरण देना सरल नहीं है। यहां उनके कुछ महान कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है :-

(1) ***महान क्रान्तिकारियों के साथ काम करना :*** इन्दौर में विजय सिंह पथिक जी की मुलाकात प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रचीन्द्र सान्याल से 1906 ई0 में हुई। तदन्तर उनका परिचय रास बिहारी बोस से हुआ। उनका सम्पर्क कन्हैयालाल दत्त, सचीन्द्र सान्याल तथा नारीद्र मौशाय जैसे क्रान्तिकारियों से भी हुआ। मौशाय महान क्रान्तिकारी अरविन्द घोष के छोटे भाई थे। सन् 1911 ई0 में शचीन्द्र सान्याल और रास बिहारीबोस ने अखिल भारत समिति बनाई तथा सारे देश में सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई। इस दल ने मुजफ्फरपुर, अलीपुर, चांदनी चौक बम कांड (23-12-1912) जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। कितना दिलेर, निर्भीक और देश-दीवाना था पथिक? अंग्रेजों के खिलाफ उनके हृदय में अंगारे धधक रहे थे।

(2) ***साहित्य सृजन :*** पथिक जी बहुत बड़े लेखक और साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य, इतिहास, राजनीति, चिकित्साशास्त्र आदि पर लगभग 30 पुस्तकों की रचना की। कुछ विशेष उल्लेखनीय रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं :-

1. गरीबों का स्वराज्य (अनूदित)
2. प्रहलाद विजय (खण्ड काव्य)
3. कल्पना कल्लाल (गद्य)
4. अजयमेरू (ऐतिहासिक उपन्यास)
5. पथिक जी के पत्र (चार खंड)
6. पथिक निबंधावली 2 खंड
7. स्वराज्य
8. राजस्थान की मूल संस्कृति
9. वेदों में विश्व इतिहास
10. चुनाव पद्धतियां और जनसत्ता
11. गणराज्य पद्धति
12. उलट पलट हास्य व्यंग्य
13. पथिक विनोद 2 खंड
14. पथिक जी के जेल पत्र आदि-आदि।

(3) ***समाचार पत्र निकालना :*** पथिक जी ने दो समाचार पत्रों की शुरूआत की और उनका संपादन किया (1) राजस्थान केसरी-वर्धा से निकाला। श्री जमनालाल बजाज जी ने इसका आर्थिक भार वहन किया। कुछ दिनों बाद यह अखबार बन्द करना पड़ा। (2) आगरा से नवसंदेश निकाला परन्तु 1942 ई0 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने यह अखबार जब्त कर लिया। पथिक जी की क्रान्तिकारी गतिविधियां तेज हो गई थीं।

(4) ***बिजौलिया किसान आन्दोलन :*** पथिक जी की संगठन शक्ति अद्भुत थी। उनकी वाणी में जादू था और हृदय में देश प्रेम का धधकता लावा समाया हुआ था। मेवाड़ राज्य में बिजौलिया नामक कस्बा है जो आजकल भीलवाड़ा नामक जनपद में पड़ता है। यह कस्बा तत्कालीन उदयपुर राज्य के आधीन एक सामन्त की जागीर थी। वहां के किसान जागीरदार के जुल्मों से बहुत दुखी थे। विजय सिंह पथिक ने वहां के किसानों का नेतृत्व किया और उनको संगठित कर आन्दोलन चलाया। उस आन्दोलन में किसानों की जीत हुई। यह देश का स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान सबसे पहला आन्दोलन था। उसकी सफलता ने देश के क्रान्तिकारियों में विशेष उत्साह का संचार किया।

(5) ***जेल यात्रा तथा नजरबन्दी :*** शिकारी बुर्ज नामक स्थान पर 500 अंग्रेज सैनिकों से अपने अपने साथियों सहित मोर्चा बन्दी करते हुए पकड़े गए तथा टाडगढ़ के किले में नजरबंद किए गए जहां से वे अपने साथी सहित फरार होकर जंगलों में जा छिपे थे। पथिक जी वैसे तो कई बार नजरबंदी बनाए गए किन्तु 2 बार जेल गए - *1-* नमक सत्याग्रह के दौरान तथा 2- 1942 में भारत छोड़ा आन्दोलन के दौरान।

(6) ***स्कूल खोलना :*** पथिक जी राजस्थान की जनता पर हो रहे अत्याचारों, उसकी गरीबी और अशिक्षा को देखकर व्यथित थे। वहां के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने मोही गांव डूंगर सिंह भाटी के पास रहते हुए पाठशाला की स्थापना की। भाणा नामक गांव में भी स्कूल की स्थापना कराई।

(7) ***राजस्थान सेवासंघ की स्थापना :*** पथिक जी ने देशी राज्यों की जनता की भलाई के लिए राजस्थान सेवासंघ की स्थापना की थी। इस संघ में सभी जातियों और धर्मों के लोग जुड़ गए थे तथा राजस्थान के राज्यों में आन्दोलन होने लगे थे। देशी राजा इस संघ से भयभीत होने लगे थे।

(8) ***राजस्थान में जनजागृति एवं क्रान्ति की भावना भरना :*** पथिक जी ने राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में अंग्रजों तथा भारतीय नरेशों के स्वेच्छाचारी निरंकुश व्यवहार, दमन, उत्पीड़न व शोषण के विरूद्ध जनता में चेतना तथा जागृति उत्पन्न करने के लिए राजस्थान में क्रान्तिकारी संगठन का सूत्रपात किया। एक बार वे दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में गए वहां उनकी गणेश शंकर विद्यार्थी, सेठ जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा ओद से भेंट हुई। उनके सहयोग से मध्य भारत राजपूताना सभा की स्थापना की। उन्होंने उ0प्र0, दिल्ली, राजस्थान,

म0प्र0, गुजरात तथा बिहार के किसानों में क्रांति की मशाल जलाई थी।

पथिक जी के विषय में महापुरुषों के विचार :

पथिक जी के उदान्त चरित्र, उदात्त भावना तथा स्वतंत्रता आन्दोलन को पैनी धार देने के कारण, महात्मा गांधी जी से लेकर देश के तत्कालीन सभी प्रमुख नेताओं, क्रान्तिकारियों, लेखकों पत्रकारों एवं क्रान्तिकारियों ने पथिक जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। गांधी ने उनके विषय में मि. एन्ड्रयूज से कहा था - ''पथिक काम करने वाला है, दूसरे सब बातूनी हैं। पथिक एक सिपाही आदमी है, बहादुर है, जोशीला है और तेज मिजाज है, लेकिन जिद्दी है।'', श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ''वे एक सच्चे विचारक, लेखक, संपादक और संगठनकर्ता थे। उनकी सेवाएं राजस्थान के इतिहास में विशेष स्थान रखती हैं। वे त्याग और कष्ट सहने की शक्ति में बढ़-चढ़कर थे।'', स्वामी कुमारानन्द (कम्युनिष्ट नेता) : ''राजस्थान में यदि मैं किसी से प्रभावित हुआ हूं तो वे श्री विजय सिंह पथिक थे।'' चौ0 कुम्भा राम आर्य : मेवाड़ में जिस तरह हल्दीघाटी के नाम के साथ प्रताप का नाम जुड़ा है, उसी प्रकार पथिक जी के नाम के साथ बिजौलिया अपने आप याद आ जाता है।'' स्थानाभाव के कारण अन्य महापुरुषों के कथन नहीं दिए जा रहे हैं।

अनुपम व्यक्तित्व के धनी : पथिक जी के जीवन चरित का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि उनका व्यक्तित्व असाधारण, विलक्षण और बहुआयामी था। वे लम्बे छरहरे तथा गठीले बदन के इन्सान थे जिसके तेजस्वी चेहरे को देखकर हर कोई प्रभावित होता था। वे कुशाग्र बुद्धि तथा उदात्त भावों के धनी व्यक्ति थे। उसके साहित्यकार, कवि, चिंतक, लेखक, क्रान्तिकारी इतिहासकार, त्यागी, तितिक्षक, समाजसेवी तथा जनहितैषी संघर्षकर्ता, संगठक आदि रूपों को देखकर यही कहना पड़ता है कि उस धून के पक्के और फौलादी जिस्म के धनी का व्यक्तित्व महान और अनुपम था। गहन जंगल में चीता मिल जाए और उसे ढ़ेर कर दे, भारत में ऐसा एक नेता केवल विजय सिंह ही थे।

दुःखदायी अन्त तथा उपेक्षा के शिकार : जिस आदमी ने देश की आजादी के लिए घर-परिवार, गांव तथा राज्य छोड़कर तत्कालीन सीनियर क्रान्तिकारियों से क्रान्ति की शिक्षा लेकर देश में क्रान्ति का माहौल तैयार किया हो, अनेक स्थानों पर सामाजिक संगठन तैयार किए हों, सबसे पहले गांधीवादी तरीके से बिजौलिया जैसे आन्दोलन चलाए हों और अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी हों और आजादी का शंखनाद फूंकने के लिए अखबार निकाले हों उसी आदमी को आजादी मिलने पर एकदम उपेक्षित कर दिया गया। किसी ने उनकी बात तक न पूछी। और तो और उनके जूनियर साथी ने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव तो प्राप्त कर लिया किन्तु पथिक जी की सुध तक न ली। राजस्थान के वयोवृद्ध पत्रकार तथा पथिक जी के साथ चारै0 रामनारायण जी ने एक इंटरव्यू में डॉ. रमेश जैन तथा डॉ. विष्णु पंकज को बताया था - ''देश आजाद होने पर पथिक जी गांधीजी से मिलने गए। पं0 चन्द्रभान उनके साथ थे। जब गांधीजी ने उदास स्वर में कहा था - ''अब तो सारे देश में आपकी नीति पर चलकर काम करना होगा।'' पुनः वे कहते हैं - ''खाने-पीने के भी उनके पास पूरे साधन नहींथे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। पथिक जी हमारे नेता थे। इतना बड़ा कार्यकर्ता होने पर भी उनका खर्च बहुत की कम था। साढ़े सात रुपये मासिक उनका खर्च था। मैंने किसी अन्य कार्यकर्ता का इतना कम खर्च नहीं देखा।''

देश की जनता के हक में लड़ाई लड़ने वाला और अपराजेय योद्धा की भांति काम करने वाले के उदात्त चरित्र की बानगी उनके नीचे लिखी पंक्तियों से ही मिल जाती है :-

''यश वैभव सुख की चाह नहीं,
परवाह नहीं जीवन न रहे,
यदि इच्छा है, यह है,
जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे।''

उस जनजागृति के अग्रदूत की निर्भीकता और दृढ़ संकल्प को हम सब नमन करते हैं उनके साहस, दृढ़ निश्चय, त्याग, तप तथा देशप्रेम के जज्बात को उनकी निम्नोक्त कविता में देख सकते हैं।

''रेशम समझकर रेजियों को सदा अपनाएंगे,
वे भी न यदि हमको मिलेंगी, भस्म देह रमाएंगे।
सूखे चने खाने पड़ें, पकवान समझकर खाएंगे,
आसन न होगा, घास पत्ते या पयाल बिछाएंगे।
हम देश के हित में यमराज से भी मुदित हाथ मिलाएंगे।
तिल तिल अगर कटना पड़े, निर्भय खड़े कट जाएंगे।
पर वीर राजस्थान का हरगिज न नाम डुबाएंगे।''

हे अप्रितम व्यक्तित्व के धनी!! पथिकजी, आप कभी सातों सिन्धुओं के स्वामी अंग्रेजों के गर्जन-तर्जन से कभी न भयभीत हुए और न ही विचलित हुए बल्कि युगधर्म की हुंकार बनकर देशहित निरन्तर संघर्ष करते रहे। आपका अन्तिम समय तत्कालीन राजनेताओं की उपेक्षावृत्ति के कारण कष्टमय रहा। अफसोस है। राजनेता आपके महान कार्यों एवं देशप्रेम की उदात्त भावनाओं का सम्मान करें या ना करें, किन्तु देश की जनता विशेषकर हम गुर्जर लोग आपको सदैव याद रखेंगे। गुर्जर समाज आपके त्याग और जज्बात को नमन करता है।

''सांसों में थी आंधी, जिसकी आशाओं में तूफान था,
उठती-गिरती इच्छाओं में सागर का अभिमान था।

डा. दयाराम वर्मा

वीर एकलव्य

वीर एकलव्य जयंति 7 मई

भारतीय संस्कृति को संवारने में एकलव्य की अभूतपूर्व भूमिका को आंकना आसान काम नहीं है, जिसने गुरुभक्ति, कर्त्तव्य परायणता तथा अथक श्रम साधना की सफलता का कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास को आलोकित कर दिया।

एकलव्य आदिवासी (भील) राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। बचपन से ही होनहार बालक की प्रतिभा को परख, पिता उचित शिक्षा के प्रबन्ध हेतु आतुर थे। एक दिन हिरण्यधनु की चिंतित मुद्रा को देख, एकलव्य पूछने लगा, "पिताजी, आजकल आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं?" हिरण्यधनु ने लंबी सांस खींचकर कहा, "बेटा, मैं तुम्हारे लिए उचित शिक्षा (धनुर्विद्या) के प्रबन्ध हेतु चिंतित हूं। कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जो तुम्हें धनुर्विद्या में पारंगत कर दे, पर हम अछूत (भील) नाम से पुकारे जाते हैं, अतः हमें शंका है कि कोई तुम्हें शिक्षित करने को तैयार न हो।"

एकलव्य पिता की अनुभूति को भांप गया। वह अत्यधिक उत्साह के साथ बोल उठा, "पिताजी आचार्य द्रोण बड़े ही उदार व शिष्य-वत्सल हैं, अतः उनसे ही मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। वे ही मेरे गुरु होंगे।" अंततः वह पिता से अनुमति लेकर द्रोण के पास जाता है, परन्तु अछूत होने के नाते उसे द्रोण अस्वीकार कर देते हैं। वह निराश होकर लौट आता है, किन्तु अपमान की अनुभूति से आकुल होकर वह कठोरतम श्रम करने का संकल्प करता है। वह जंगल में आचार्य द्रोण की मिटी-प्रतिमा बनाकर, उसी पर अपनी असीम आस्था का उफान उड़ेल धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन व लाग से कुछ ही दिनों में एकलव्य कुशल धनुर्धर बन जाता है।

उधर कौरव-पांडव राजकुमार शिकार खेलने व धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल में जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी है। कुत्ता कुछ दूरी पर स्थिति एकलव्य को देखकर भूंकने लगता है। एकलव्य कुत्ते का मुख बंद करने की कामना से पल भर में ही सात तीर चलाकर उसका भूंकना बन्द कर देता है।

कुत्ता लौटकर अपने स्वामी के पास जाता है। जब कौरव-पांडव इस दृश्य को देखते हैं, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वे तुरन्त कुत्ते के पीछे-पीछे उस धनुर्धर को देखने चल देते हैं, जो तीरंदाजी में इतना कुशल है। अन्ततः एकलव्य से उनकी चर्चा होती है। एकलव्य कहता है कि मैं तो आचार्य द्रोण का शिष्य हूं। इस तथ्य को सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कि यह अछूत भला द्रोण का शिष्य कैसे हो सकता है, द्रोणाचार्य तो केवल क्षत्रिय राजकुमारों के ही शिक्षक हैं।

क्षत्रिय राजकुमार एकलव्य की निष्ठा, श्रम, साधना पर इर्ष्यालु हो जाते हैं और उसकी उपलब्धि को निष्फल करने की कामना से, गुरु द्रोण द्वारा अंगूठे की गुरुदक्षिणा की मांग कराते हैं। द्रोणाचार्य भी असीम निष्ठुरता का परिचय देते हुए एकलव्य से अंगूठा ही गुरुदक्षिणा में मांगते हैं, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है।

कटा हुआ अंगूठा द्रोणाचार्य ले तो लेते हैं पर उनके हृदय में हलचल शुरू हो जाती है। आखिर वे भी तो मनुष्य हैं! हृदय उनका भी हृदय ही है, पत्थर नहीं! सीधा-सादा शिक्षक होकर भी उनमें इतनी निष्ठुरता कैसे आई? इतना असहनीय क्रूर-कृत्य करने के पश्चात् भी क्या उनके हृदय ने उन्हें धिक्कारा नहीं? इस रचना में इन सभी प्रश्नों को काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है।

छुआछूत की समस्या समाज के लिए एक अभिशाप है। इस सामाजिक संकीर्णता का शमन आवश्यक है। अतः काव्य में समाज की इस कमजोरी पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। मनुष्य का मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

एकलव्य अछूत था, इसलिए उसे शिक्षा देने से इनकार करना उचित नहीं था। द्रोण जैसे गुरु के लिए यह बात कलंक की है। फिर भी एक शिष्य की साधना-त्याग लगन उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कितने सक्षम होती हैं, यह एकलव्य के आदर्श चरित्र से उजागर होता है। अंगूठा काटकर दक्षिणा में दे देना, एकलव्य का यह कार्य एक कीर्तिमान स्थापित कर देता है। गुरु के प्रति शिष्य की असीम आस्था का यह आदर्श विश्व-ब्राह्मय में अनुपमेय है।

द्रोणाचार्य द्वारा इतना निष्ठुर कर्म क्यों किया गया? क्या गुरु का हृदय इतना कठोर भी हो सकता है? भारतीय संस्कृति के संबंध में यह विचारणीय प्रश्न है। क्या इस कृत्य के लिए द्रोण पछताए नहीं होंगे? उनके मन ने उन्हें छिक्कारा नहीं होगा? अवश्य, प्रत्येक अपराधी, अपराध के बाद अपने दुष्कर्मों के लिए पश्चात्ताप करता है।

द्रोण के इस दुष्कर्म के अतल में भी कोई ऐसा रहस्य होगा जो कुरेदने से उजागर हो सकता है। उनके अतीत के जीवन की परत उघाड़ने से ऐसा आभास होता है कि विद्वत्ता में विशिष्ट स्थान रखते हुए भी वे तिरस्कृत थे।

द्रोणाचार्य धनुर्वेद के प्रकाण्ड आचार्य थे, पर अपने एकमात्र पुत्र को एक पाव दूध पिलाने में भी सक्षम नहीं थे। वात्सल्य की अगाध अनुभूति में निमग्न रहकर भी उन्होंने अश्वत्थामा को आटे में पानी मिलाकर कृत्रिम दूध बनाकर पिलाया, अपने पुत्र के साथ छल ही किया, तब क्या उनके पैतृक भाव ने उन्हें कोसा नहीं होगा, उनके पौरुष ने उन्हें धिक्कारा नहीं होगा, एक अबोध बालक से धोखा करते हुए उनकी छाती फट नहीं गई? आखिर यह सब क्यों? यह मजबूरी थी यह मजाक?

'बुभुक्षित किं न करोति पापम'। समस्त दुष्कर्मों की जड़ है निर्धनता! निर्धनता की क्रूर कटार जब अपमान की शान पर चढ़ जाती है तब वह और भी तीखी हो जाती है, जिसका वार बड़ा भयानक होता है। इस पर यदि गुणवत्ता का विष चढ़ जाए, तब तो कहना ही क्या !

द्रोण गुणज्ञ थे, पर उन्हें दाने-दाने को तरसना पड़ा। उनके अभिन्न मित्र द्रुपद ने उनकी निर्धनता का मजाक उड़ाया, यहां तक कि उसने पहचानने से इनकार कर दिया। जब द्रोण ने कहा कि आप मेरे सहपाठी मित्र हैं, इसके उत्तर में द्रुपद ने कहा-राजा और रंक की कैसी मित्रता! द्रुपद ने द्रोण को बाहर निकाल दिया।

निर्धनता और अपमान से आहत द्रोण को हस्तिनापुर में शरण मिलती है, जहां उन्हें कौरव-पाण्डवों का शिक्षक नियुक्त किया जाता है। उनका अनुबन्ध हो जाता है कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। अर्जुन को उन्हें अग्रगण्य धनुर्धर बनाना है। अतः उनका सारा ध्यान अर्जुन पर ही केन्द्रित रहा।

यदि द्रोण को बंधुआ मजदूर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्षत्रिय कुमारों के घेरे से बाहर जाना उनके लिए कठिन था। यदि वे तभी हिम्मत करते भी तो हृदय कांप जाता रहा होगा कि आटे का दूध... द्रुपद का अपमान... आदि आदि अतीत की यादें।

अतीत के इस अछूते प्रसंग को काव्यात्मक शैली में गूंथकर मनीषियों के सम्मुख प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है, कि नीर-क्षीर पारखी विद्वज्जन इस समस्या के समाधान से आज के भारतीय प्रजातन्त्र को संवारें।

आदिवासियों (भीलों) के बीच बीस वर्ष रहकर मैंने अध्यापन का कार्य किया है। वह भी भीलों का गढ़ झाबुआ (मध्यप्रदेश) जहां 85 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी है। मैंने गुजरात व राजस्थान के भील क्षेत्रों से विशेष संपर्क किया है। आदिवासी बच्चों में विशेष रूप से घुल-मिलकर मैंने अपने कार्य का निर्वाह किया है। छात्रावास में रात्रि को भी उन्हें पढ़ाया है तथा ग्रामीण अंचलों में भी उनके पिता माता से मैं मिलता हूं।

तथ्यतः भील बड़े भोले-भाले व सत्कारप्रिय होते हैं। भीलों के लड़के-लड़कियां भी विशेष अनुशासनप्रिय, अध्ययनशील व आज्ञाकारी होते हैं। इस यथार्थता को मैं बड़े दावे के साथ उजागर करता हूं, जो अनुभूति मुझे उनके बीच रहकर हुई है।

हां, इन भीलों में एकलव्य की वह परम्परा भी बड़ी बारीकी से परखी जा सकती है, जो तीर चलाने में अंगूठे से सम्बद्ध है। आज भी भील तीर चलाने में अंगूठे का उपयोग नहीं करते, वरन् दो उंगलियों के बीच से तीर का ऐसा निशाना साधते हैं कि भयानक जंगली जानवर भी पलभर में धराशायी हो जाए। तीर धनुष आज भी भीलों का शस्त्र व श्रृंगार है। बीस, वर्षों तक मैंने इन भील बच्चों को गुरु के रूप में पढ़ाया। उनको आंकना सम्भव नहीं है। हां, इतना अवश्य कहूंगा कि इनके लिए अभी बहुत कुछ करना है।

इस काव्य के सृजन में मैंने अपने बीस वर्षीय भीली क्षेत्र के अनुभव का सम्बल पुरातन कथानक में संजोकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे प्रिय पुत्र मनीष पाठक ने अपनी पाठय्-पुस्तक से एकलव्य का पाठ सुनाया तथा तभी मेरी कल्पना पर निखार चढ़ा जिसका परिणाम है यह काव्य।

काव्य का मुख्य आह्वान है-छुआछूत के अन्त के साथ समान शिक्षा की सुव्यवस्था जिसमें शिक्षक की निर्धनता के निवारण का प्रावधान हो, साथ ही कर्मयोग का सुसंस्कृत सम्बल जिसमें संवरकर हमारी नई पीढ़ी, स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का व विश्व का कल्याण करे।

एक प्रति-प्रांगण बीहड़ वन में,
भील राज्य था न्यारा।
हिरण्यधनु राजा था अनुपम,
सबके लिए सहारा ।।1।।
वनश्री का वरदान मिला था,
शस्य श्यामला धरती।
प्रकृति सुन्दरी की गोद में,
यह छवि नित्य निखरती ।।2।।
आदिवासियों की उन्नति में,
राजा सतत् निरत था।
श्रम ही सम्बल जहां प्रगति का,
सत-निष्ठा का व्रत था ।।3।।
सुघर सलोनी अमराई में,
प्रति जिसे दुलराती।
भीलराज की स्नेह आस्था,
सब पर सुख बरसाती।।4।।
राजा प्रजा एक के पूरक,
प्रेम-नेह नियम था।
स्वेद बिंदु से धरा सींचना,
शांति सुखद संयम था।।5।।
हिरण्यधनु था वीर धनुर्धर,
वैसा ही सुत न्यारा।
नामकरण एकलव्य' अनूठा,
प्राणों से भी प्यारा।।6।।
होनहार बालक को परखा,
भीलराज ने क्षण में।
चिंगारी जब उग्र बनेगी,
कहर ढहेगा रण में।।7।।
उचित प्रबंध धनुर्विद्या का,
कैसे हो सकता है?
चेहरे पर चिंता चमकीली,
सिहर-सिहर उठता है।।8।।
स्वेद बिंदु माथे पर टपके,
कांप उठा तन सारा।
बालक की अनुपम प्रतिभा को,
किससे मिले सहारा?।।9।।
इस उधेड़बुन में व्याकुल लख,
पुत्र बहुत अकुलाया।
तात! आज चिंतित क्यों इतने,
भांप नहीं कुछ पाया।।10।।

पिता पुत्र का प्रेम प्रगाढ़,
परस्पर जब टकराता।
सुधा-सिंधु का ज्वार उमड़कर
आंखों से झर जाता।।11।।
ममता के मोती की बूंदे,
नयनों में भर आई।
छलक पड़ा वात्सल्य विकल हो,
उर में नहीं समाई।।12।।
बेटा! तुम्हें धनुर्विद्या में,
पारंगत करना है।
पर 'अछूत' अभिशाप बना है,
तिरस्कार सहना है।।13।।
कौन तुम्हें सिखलाए विद्या?
तुम अछूत कहलाते।
यह विडंबना है समाज की,
समझ नहीं हम पाते।।14।।
ईश्वर की संतान सभी हैं,
कोई भेद नहीं है।
पर समाज की वित व्यवस्था,
का अपवाद यही है।।15।।
ज्ञान-चरित आदर्श पराक्रम,
सभी गुणों में न्यारा।
अगर आदिवासी घर जन्मा,
तो सबने दुत्कारा।।16।।
यह कुप्रथा कचोट रही है,
कहें न्याय क्या इसको?
गुण गरिमा हो सदा गुरुतर,
ज्ञान मिला हो जिसको।।17।।
जाति-पाति का भेद भयानक,
युग के लिए गरल है।
छूत-अछूत स्वार्थ की सीढ़ी,
पतन-पाप अविरल है।।18।।
अरे पुत्र एकलव्य !
तुम्हें मैं कैसे गुणी बनाऊं?
कौन तुम्हें शिक्षा देगा,
अब कौन मार्ग अपनाऊं?।।19।।
पूज्य पिता! इसमें चिंता क्या,
गुरु हैं द्रोण हमारे।
कौरव-पांडव के शिक्षक वह
महाधनुर्धर न्यारे।।20।।

द्रोण महापंडित ज्ञानी हैं,
पौरुष प्रखर पारखी।
ऊंच-नीच का भेद न उनमें
उनका बनूं सारथी।।21।।
शिक्षा का संकल्प उन्हीं से,
धनुर्वेद अपनाऊं।
श्रद्धा-स्नेह गुरु भक्ति से,
उनको शीश नवाऊं।।22।।
समदर्शी आचार्य, अलौकिक
पुरुष विश्व में होता।
जो समत्व के सम्बल से
है सतत संजोता।।23।।
गुरु-गरिमा की तुला गुरुतर,
गुरुवर वही हमारे।
श्रद्धा-भक्ति उन्हीं पर अर्पित,
अपने वही सहारे।।24।।
तात, तनिक भी करें न चिंता,
आशीर्वाद हमें दें।
विद्या वारिधि गहा सकूं मैं,
यह वरदान हमें दें।।।25।।
संकल्पों का सागर उर में,
उसके लगा उमड़ने।
अचल आस्था का उछाह भी,
लगा ज्वार-सा बढ़ने।।26।।
चरण चूमकर पूज्य पिता का,
बढ़ा वीरवर आगे।
साध साधना की जो उमड़ी,
सफल हुई वह आगे।।27।।
हृदय लगा कर सहज स्नेह से,
बिदा किया सुत प्यारा।
छलक पड़ा वात्सल्य नेत्र में,
आनन चूम निहारा।।28।।
आशा के अंकुर तुम मेरे,
उगो और लहराओ।
मेरी बगिया के प्रसून हो,
धरती को गमकाओ।।29।।

शोषितों के मसीहा

बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा

ए. के. नन्द

जिस समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं होता है वह समाज मृतप्राय हो जाता है और वह सदैव पिछलग्गू की भूमिका निभाता रहता है। जो समाज अपने गौरवशाली इतिहास को जान जाता है वह समाज राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप बना डालता है और उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाता है। अतीत का ज्ञान, मानव को उसकी संस्कृति, सभ्यता, कला, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक इतिहास के उतार-चढ़ाव को स्थिति की सूचना देता है। यही घटनाएं मानव को सोचने-समझने पर विवश करती हैं। बिहार प्रदेश के जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाने के कुरहारी ग्राम में 02 फरवरी 1922 को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म हुआ था।

अधिकार वंचित समाज को उनके सामाजिक सम्मान एवं अधिकार दिलाने के लिये दिन-रात संघर्ष करने वाले बिहार प्रदेश के रत्न बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अर्थशास्त्र विषय से एम.ए. की डिग्री प्राप्त की थी। अध्ययन काल से ही जगदेव प्रसाद समाज के हित-चिंतक बने रहे और अनेक संघर्षों में प्रतिभाग करने रहे। जय प्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग करने रहे। वर्ष 1967 में पहली बार कुर्था विधान सभा क्षेत्र से संपोपा के टिकट पर विधायक बने और डॉ. लोहिया के "पिछड़े पावै तो मैं साठ" नारे के अन्तर्गत बिहार के संविद सरकार में दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने के विरोध में "शोषित दल" गठित करके संविद सरकार को गिराने और पहलीबार बिहार में कांग्रेस के समर्थन से सतीश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पिछड़ों का प्रथम मुख्यमंत्री और शोषित दल की सरकार बनाने में सफल हो गये।

सतीश बाबू सिर्फ 92 घण्टे के लिये मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद पी.पी. मंडल शोषित दल के दूसरे मुख्यमंत्री बनाये गये। मंडल की सरकार केवल डेढ़ माह यानि 45 दिनों तक ही चल पायी, जिसमें बाबू जगदेव प्रसाद सिंचाई और बिजली मंत्री रहे। दिनांक 5 सितम्बर 1974 को अपने प्रखंड कार्यालय कुर्था पर सात सूत्री राष्ट्रीय मांगों को लेकर शोषित समाज दल के "जेल भरो अभियान" के अन्तर्गत हजारों लोगों के साथ सत्याग्रह करते समय बिहार के सवर्ण नेताओं और अधिकारियों की सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत कांग्रेसी सरकार की गोली का शिकार बने, शहीद जगदेव प्रसाद बिहार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के एक तेज-तर्रार, समर्पित एवं जुझारू नेता के रूप में वर्ष 1930 तक स्थापित हो चुके थे। बिहार प्रदेश के शोषित, पीड़ित लोगों के हमदर्द बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा सदैव जनता के बीच बने रहे और उन्होंने कभी भी स्वयं को नेता अथवा मंत्री का आभास नहीं किया बल्कि जनता के सच्चे सिपाही एवं कर्मयोगी की भांति आजीवन संघर्ष करते रहे।

बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बिहार में एक स्वतंत्र राजनैतिक चिंतन का विकास किया। वे राजनीति में सिद्धान्त, व्यवहार और विधि-व्यवस्था में एकरूपता कायम करना चाहते थे। वे स्वयं कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास करते थे। और मनसा-वाचा-कर्मणा की त्रिवेणी बने रहे। वे कभी भी पीछे मुड़ कर देखने वालों में नहीं थे। आगे बढ़े तो बढ़ते ही गये तथा समाज के हितों को सर्वोपरि समझा। इसीलिए उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्कों का एक स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाने का निश्चय किया तथा "हिन्दुस्तानी शोषित दल" के नाम से एक स्वतंत्र राजनीतिक दल की स्थापना किया। "हिन्दुस्तानी शोषित दल" का मुख्य नारा था–

"शिक्षा, सम्पत्ति और इज्जत में जिनकाहिस्सा मारा गया है, गंवार, गरीब छोटी जाति कहकर जिन्हें पुकारा गया है, वे शोषित सौ में नब्बे हैं, अब शोषितों ने ललकारा है, धन-धरती और राज-काज में नब्बे भाग हमारा है, दस का शासन नब्बे पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

कालान्तर में इस राजनैतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिये जाने-माने पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं से वार्ता शुरू हुयी। इस वार्ता का निष्कर्ष यह निकला कि उत्तर प्रदेश में महामना राम स्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित समाज शोषित दल, रिपब्लिक पार्टी का जयपाल सिंह कश्यप के नेतृत्व वाला एक धड़ा मिलकर एक बड़े राजनैतिक दल के स्वरूप को बनाने पर राजी हो गये। वर्ष 1972 में 6 से 8 अगस्त तक पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में तीनों राजनैतिक दलों का विलय करके शोषित समाज दल की स्थापना की गयी और 23, 24 एवं 26 फरवरी 1973 को डिहरी-डालनिया नगर,

बिहार में विधिवत् स्थापना सम्मेलन करके, लिखित सिद्धान्त, कार्यक्रम और विधान स्वीकृत करने के पश्चात् शोषित समाज दल की स्थापना की गयी। 'शोषित समाज दल' के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना राम स्वरूप वर्मा और प्रथम राष्ट्रीय महासचिव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा निर्वाचित हुए। इससे पूर्व 31 दिसम्बर 1972 को ''समता दल'' का विलय भी 'शोषित समाज दल' में हो चुका था। इसके पश्चात् पूरे देश में 'शोषित समाज दल' का निरन्तर प्रचार-प्रसार होने लगा।

जुलाई 1973 से गुजरात से विद्यार्थियों का आंदोलन प्रारम्भ हुआ जो वर्ष 1974 के प्रारम्भ में पूरे देश में अपना पैर जमा चुका था। विद्यार्थी आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टचार और शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन को मुद्दा बनाया गया था। बाबू जगदेव प्रसाद ने इस आंदोलन को उचित ठहराया किन्तु आंदोलन के नेतृत्व को गलत घोषित किया और शोषित समाज दल के नेतृत्व में सात सूत्री मांगों को लेकर 5 सितम्बर 1974 से ''जेल भरो आंदोलन'' सत्याग्रह की तर्ज पर चलाने का निर्णय लिया। शोषित समाज दल का नारा इस प्रकार था–

''समता बिना समाज नहीं,
बिन समाज जनराज नहीं।
जिसको समता की चाह नहीं,
वह बढ़िया इंसान नहीं।।

बाबू जगदेव प्रसाद की सोच थी कि जिस कार्य को प्रारम्भ किया जाय उसे गन्तव्य तक पहुंचाकर लक्ष्यप्राप्त किया जाय। इसके लिये चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। 23 जुलाई 1974 को भोजपुर जिले के सहार बाजार में शोषित समाज दल द्वारा आयोजित ''काम दो या खाना दो'', ''जियो और जीने दो'' के सम्मेलन में मुख्य अतिथि की हैसियत से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने प्रतिष्ठित ढ़ंग से कार्यक्रम को अंजाम दिया। सम्मेलन में उपस्थित भीड़ से उत्साहित होकर उन्होंने दो घोषणाएं कर डालीं। (1) सारे बिहार कसे सहार बना दे, (2) दो सालों के अन्दर 23 जुलाई 1976 से पहले यदि दिल्ली पर कब्जा नहीं कर सके तो भी इस बिहार में शोषित समाज दल की सरकार बनाकर रहेंगे। अगर किसी कारण से शोषित समाज दल की स्वतंत्र समाज न बन पाई तो भी शोषित समाज दल की अगुवाई में मिली-जुली सरकार बनाकर रहेंगे। भारत में उन्होंने नारा दिया था–

''सौ में नब्बे शोषित हैं,
नब्बे भाग हमारा है,
धन-धरती और राजपाठ में,
नब्बे भाग हमारा है।
दस का शासन नब्बे पर,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
ठक कर लूट कर खाने वालों,
को हमने धिक्कारा है।
मेहनत की जो रोटी खाए,
भाई वही हमारा है।''

सहर में नक्सली हिंसा एवं नक्सली आंदोलन का दौर प्रारम्भ हो चुका था। जिसमें लगभग 5 सामंती हिंसा की बलि बेदी पर चढ़ चुके थे। ''सारे बिहार को सहार बना दो'' नारे का अर्थ अगड़े नेताओं एवं अधिकारियों की हत्या करना लगा रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बिहार के सभी जिलों का दौरा एवं सभाएं करके पिछड़े, दलित, शोषित लोगों को जगाने का कार्य किया। जिससे अगड़े वर्ग के सामंती लोगों की नींद हराम हो गयी। सामंतियों नेसोचा कि जगदेव के वैचारिक क्रांति के पिछड़ों में जादुई रंग भर दिया है। यदि इसी तरह जगदेव का कारवां चलता रहा तो पूरे बिहार में अगड़ों का नाम लेनेवाला कोई नहीं रह जायेगा और पिछड़ों की ही सरकार निश्चित तौरपर बन जायेगी और तब अगड़ों की सामंतीसोच नेस्तनाबूद हो जायेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जगदेव को रास्ते से हमेशा-हमेशा के लिए हआ दो, मिटा दो। बाबू जगदेव के साथियों ने उन्हें समितियों की सोच से आगाह किया किन्तु जगदेव बाबू ने अपने साथियों की राय को नजरंदाज किया और बोले कि ''मुख्यमंत्री की भीड़ से भी ज्यादा भीड़ मेरी सभा में हो रही है अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम लोग बुजदिल हो तो चूड़ी-साड़ी पहन कर घर के अन्दर रहो।'' सामंतियों का षड़यंत्र सफल हो गया। दिनांक 5 सितम्बर 1974 को ''जेल भरो आंदोलन'' के अन्तर्गत हजारों लोगों के साथ सत्याग्रह करते समय सामंती नेताओं और अधिकारियों की सुनियोजित साजिश के अन्तर्गत कांग्रेसी सरकार की गोली का शिकार बने।

समाज नीति एवं राजनीति में ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद के नेतृत्व को नकार कर अधिकार वंचित का नेतृत्व खड़ा करने पर बल दिया। सामाजिक क्षेत्र में वैज्ञानिक व्यवस्था को स्थापित कर सामाजिक विषमता को ध्वस्त करने का संकल्प लिया।

बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, ''बाघ-बकरी की हिफाजत नहीं कर सकता। जो लोग बाघ-बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं वे शोषितों के दुश्मन हैं, चण्डाल एवं मक्कार हैं तथा अब्बल दर्जे के फरेबी हैं उन्होंने कहा कि दोस्त-दुश्मन का पहचान करके मित्रता करनी चाहिए। दुश्मन की मित्रता बालू की भीत के समान है जो कभी भी अधिकार वंचित समाज का हित चिंतक नहीं हो सकता। ऐसी मित्रता या समझौता कभी भी ध्वस्त हो सकता है तथा एक धोखा भी है।

बाबू जगदेव का चिंतन आज भी प्रासंगिक है। भारतीय समाज मात्र शोषक एवं शोषित दो वर्गों में विभाजित है। शोषक 10 प्रतिशत एवं शोषित 90 प्रतिशत है। शोषक ऊंच एवं शोषित नीच है। बाबू जगदेव प्रसाद की सोच थी कि सम्मान और सम्पन्नता तथा अपमान एवं निर्धनता का भेद मिटाने के लिये जातीय भेद मिटाना जरूरी है। शोषक जन्मजात सम्मानित एवं शोषित जन्मजात अपमानित है। जब तक वर्ण नहीं टूटेगा तब तक वर्ग नहीं बनेगा और जब तक वर्ग नहीं बनेगा तब तक संघर्ष सफल नहीं होगा। क्योंकि वर्ण, वर्ग बनाने में बाधक

है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के बिना सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन अर्थहीन है। भारत में गरीबी से ज्यादा अपमान घातक है। जिसका स्वाभिमान मर जायेगा वह अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो स्वाभिमानी नहीं होगा वह स्वावलम्बी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शोषक-शोषित की लड़ाई हटकर होगी, सटकर नहीं। इसलिए उन्हें लोग प्यार से शोषित इन्कलाब का ''लेनिन'' कहा गया। निर्धनता एवं निरादर के खिलाफ संघर्ष करने वालों की पहली पंक्ति में शहीद जगदेव बाबू का नाम शुमार होता हे। वे ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहे। उनकी सोच थी कि-

''खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर।
मिली सफलता उसको जीने में, या फिर मर जाने पर।।
मानववाद की क्या पहचान।
ब्राह्मण-भंगी एक समान।।
पुनर्जन्म और भाग्यवाद। इससे जन्मा ब्राह्मणवाद।।''

यदि आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिन्दा रह जाते तो भारत में 90% पिछड़ों का शासन स्थापित हो जाता और सामंतियों को संविधान की समीक्षा कराने की खतरनाक स्थिति पैदा ही नहीं होती। बाबू जगदेव प्रसाद ने निम्न बिन्दुओं पर शोषकों को चेतावनी दी और शोषितों को जगाने का नारा दिया था :-

(1) ब्राह्मणवादियों की फूट डाला-राज करो की नीति का शिकार अनेक जातियों एवं पार्टियों में बंटे, शिक्षा, रक्षा एवं सम्पत्ति में हिस्सा हार कर गवार, गरीब और नीच जाति कहे जाने वाले 90% लोगों को एक झंडा और एक पार्टी में संगठित करेंगे।

(2) हर शोषित मतदाता प्रतिदिन एक घंटा समय खर्च करके राजनीति सीखे और सिखाये।

(3) हर शोषित महीने में एक शाम के खाने का खर्च अपनी राजनीतिक पार्टी को दिया करे।

(4) जब जहां पार्टी द्वारा हिस्सेमारी के खिलाफ हिस्सेदारी का कानून बनवाने के लिये आंदोलन या संघर्ष छेड़ा जाय, उसमें घर के लोग साझेदारी करें।

इसी प्रकार के क्रांतिकारी नारों एवं विचारों से जगदेव बाबू नेपूरे बिहार को सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंकने वाला प्रदेश बना दिया और बिहार की मिट्टी की महक बाबू जगदेव के कारण है जिसमें सामाजिक क्रांति एवं जागरूकता दिखाई पड़ रही है। सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था।

''भवतु सब्ब मंगल'' सबका कल्याण हो''

(ए.के. नन्द)
राष्ट्रीय महासचिव, ''मास''
444, पटेल नगर, गोंडा (उ.प्र.)

संगठन को शक्तिशाली बनायें, सभी समस्याओं के समाधान (नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक) हेतु महत्वपूर्ण विचार कार्यक्रमों को आपस में समझकर खुशहाली हेतु अपने विचार एवं सुझाव अवश्य भेजें। जो पत्रिका में प्रकाशित होंगे। घर-घर जायेंगे तथा जो समाजसेवी पूर्ण समय संगठन हेतु देंगे, संगठन की ओर से उनके परिवार एवं आश्रितों सहित, खर्चों की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। कृपया अपना सेवाओं हेतु नाम, पता, अनुभव, बायोडॉटा अवश्य भेजें, समाज राष्ट्र उनकी ऋणी रहेगा।
आपका शुभेक्षु
महेश मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष/संयोजक

गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल,
सिमटी बाहों को खोल गरूड़, उड़ने का अब अंदाज बदल।
स्वाधीन मनुज की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते है।
रोटी क्या? ये अम्बर वाले सारे शिंगार मिल सकते है।
है कौन जगत में जो स्वतंत्रा जनसत्ता का अवरोध करें
रह सकता सत्तारूढ़ कौन जनता जब उस पर क्रोध करे।
आजादी केवल नहीं आप अपनी सरकार बनाना ही,
आजादी है उसके विरूद्ध खुलकर विद्रोह मचाना भी!?

राष्ट्रकवि- रामधारी सिंह दिनकर

स्वामी ब्रह्मानंदजी महान वैज्ञानिक एवं संत

प्रवीन कुमार लोधी
फिरोजाबाद उ.प्र.

भगवान गौतम बुद्ध के बाद स्वामी जी ही एक मात्र ऐसे भारतीय संत हैं जिन्होंने अपनी समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग लोक कल्याण के लिए किया। स्वामी जी के समय सामाजिक जीवन गैर बराबरी, आर्थिक वि मता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, आडम्बर युक्त एवं राजनीतिक गुलामी का वातावरण था। स्वामी ब्रह्मानंदजी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, राजनैतिक और प्रशासनिक तथा उद्योग व्यापार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए गाँव से लेकर संसद तक संघर्ष किया। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करने से जनमानस के दिल में स्वामी जी के प्रति गहरी श्रद्धा स्थापित हो गयी। मद्यपान, छुआछूत उन्मूलन के साथ दहेज रहित सामूहिक विवाहों को प्रारम्भ कराके धन के अपव्यय की बुराइयों से जहां समाज को मुक्त कराया, वहीं हिंसात्मक वातावरण को समाप्त कराकर आपसी विश्वास सौहार्द का वातावरण पैदाकर कानूनी शोषण से भी समाज को आजादी दिलाई। उनकी अखण्ड भारत की अवधारणा, अखण्ड समाज की नींव पर आधारित थी, जो मानवमात्र की समानता के द्वारा ही संभव हैं। हिन्दू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते थे। क्योंकि सच्चा संत इससे ऊपर उठ जाता हैं। स्वामी जी के अनुसार आवश्यक हैं कि गैर बराबरी एवं आर्थिक वि मता का नाश हो, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक शोषण की संस्कृति की समाप्ति के लिए हमें न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकतम त्याग को अपना स्वभाव बनाना चाहिए। मानव कल्याण एवं राष्ट्रीय सोच के लिए शिक्षा को जीवन के ऑक्सीजन की तरह ही उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए भारत सरकार ने स्वामी जी के कृतित्व को सम्मानित करने के लिए दिनांक 14.09.1997 ई. को आपके नाम से दो रूपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया है यद्यपि उनके व्यक्तित्व के साथ केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा न्याय होना शेष हैं। उल्लेखनीय हैं कि सन्यास ग्रहण के उपरान्त आपने कभी मुद्रा को हाथ नही लगाया और न अपने नाम से किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति रखी। जो कुछ भी कहीं से प्राप्त हुआ समाज के हित में दीन दुखियों में बांट दिया अथवा शिक्षा संस्थानों में लगा दिया। इसीलिए आपको त्याग मूर्ति कहा गया है। राजनैतिक दलगत विद्वेष के वे कभी शिकार नहीं हुए। राष्ट्र कल्याण अन्य सारी सीमाओं से उनके लिए ऊपर था इसलिए राष्ट्रहित के लिए वे विरोधी दल के अच्छे लोगों की अच्छी नीतियों के साथ खड़े दिखते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली में परोक्ष रूप से पनपने वाले जातीय सामंतवाद एवं पारिवारवाद के कट्टर विरोधी थे। आर्थिक आजादी के लिए स्वदेशी, स्वावलम्बन, कृषि एवं पशुपालन आधारित कुटीर उद्योग धंधों के प्रबल समर्थक थे। उनके जीवन दर्शन के सजीव अनुवाद के रूप में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की राठ तहसील के मुख्यालय पर ब्रह्मानंद नाम से संचालित शिक्षण संस्थाऐं यथा ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय तथा ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सक्रियता के साथ आदर्श भूमिका में राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्यरत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन की वकालत स्वामी जी ने व्यक्तिगत स्तर से लेकर संसद तक की। महाविद्यालय का कृषि संकाय, कृषि फार्म एवं पशुपालन विभाग आपके इसी दर्शन का परिणाम हैं। आपका उद्देश्य नवीन पीढ़ी में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर, स्वस्थ्य, उच्च नैतिक मूल्यों से आते -प्राते समता की रचना करना था, जिसके लिए वे जीवन पर्यन्त समर्पित रहे। आपने आश्रम नहीं कुटिया बनवायी किसी देवी देवता भगवान का मंदिर नहीं बनबाया क्योंकि वैदिक संस्कृति के प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पूरे देश में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। विश्व के बड़े से बडे सम्प्रदायों जैसे ईसाई लोग जो गॉड को मानते हैं गौड़ की कोई मूर्ति या चित्र नहीं हैं इसी प्रकार इस्लाम को मानने वाले लोगों के अल्लाह की कोई मूर्ति या चित्र नहीं हैं। इसी तरह बौद्ध मत में किसी भगवान का बुद्ध ने चित्र या प्रतिमा का सहारा लेकर ध्यान नहीं किया, वेदों के सभी ऋषियों ने किसी भी चित्र या प्रतिमा का मंदिर बनवाकर ध्यान नहीं किया, स्वामी ब्रह्मानंदजी मूर्ति पूजा और मंदिरो के पाखण्ड और अन्धविश्वास को जानते थे इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में कोई मंदिर नहीं बनबाया बल्कि असली ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्कूल और कॉलेज बनवाये। मात्र उपदेश ही नहीं कर्मपथ पर चलकर दिखाया। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद उस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। सन्यास लेने की अंतःप्रेरणा होते ही सन्यास की स्वयं दीक्षा ली और किसी को न गुरू बनाया और न ही अपना शिष्य। संसद सदस्य चुनकर आये और एक राजनैतिक कर्मयोगी की तरह नेतृत्व किया। संसद में ब्राह्मण संस्कृति पर जमकर प्रहार किया। ज्ञान से ही मुक्ति हैं इस मंत्र को केवल बोला ही नहीं अपितु अपना पूरा जीवन ज्ञान मन्दिर-स्कूल कॉलेज के रूप मे खड़ा करने में लगा दिया। ऐसा निष्काम कर्मयोगी, तपस्वी, क्रांतिद्रष्टा संत के अलावा समाज में और कौन हो सकता है। ऐसी महान त्यागमूर्ति का जन्म हिन्दुस्तान के मानचित्र में बुन्देलखण्ड की गौरवशाली माटी में स्थित ग्राम बरहरा जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के लोधवंश के आध्यात्मिक कृषक परिवार में दिनांक 04 दिसम्बर 1894 ई.को जन्में शिशु श्री शिवदयाल को त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंदजी महाराज के रूप में जाना जाता हैं। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंदजी महाराज ने अपनी कर्म-धर्म क्षमता से सम्पूर्ण राष्ट्र को नये आयाम प्रदान किये। मेरा स्पष्ट अभिमत हैं कि इस तरह के महापुरूषों का जीवन दैहिक जीवन के बाद और अधिक जीवंत एवं प्रेरणादायी हो उठता हैं। त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंदजी महाराज के जीवन दर्शन के विभिन्न पक्षों पर आज अनेक मनी ी राष्ट्रभक्त अपने-अपने तरीकें से कार्य कर रहे हैं। समय की नियति का आदर करते हुए आपने दिनांक 13.09.1984 ईको पार्थिव शरीर त्याग दिया। वे अपने श्रेष्ठ चिंतन, आचरण एवं कार्यो के द्वारा सदैव हमारे प्रेरणा श्रोत रहेंगे।

लौह पुरूष– सरदार बल्लभ भाई पटेल

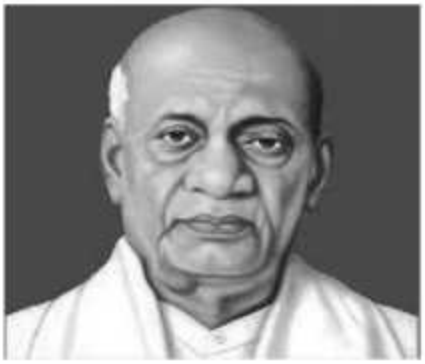

संमपति सिंह
अध्यक्ष–लोधी राजपूत सभा
गुड़गॉव (NCR)

लौह पुरूष– सरदार बल्लभ भाई पटेल

सरदार पटेल जी का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पाटीदार कृषक परिवार मे हुआ था। वे झवेरभाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमाभाई नसीरभाई और विट्ठलभाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यत: स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बेरिस्टर की पढाई की और वापस आकर अहमदाबाद मे वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया।

खेडा संघर्ष

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश–पाताल का अन्तर था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैंड जाकर बेरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी परंतु सरदार पटेल वकालत मे प. नेहरू से बहुत आगे थे तथा उन्होंने सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्राय: सोचते रहते थे, पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी परंतु उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। पं. नेहरू को गांव की गंदगी तथा जीवन से चिढ़ थी। पं. नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह,सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे।सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी–बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वी.पी.मेनन को साथ लिया और चल पड़े। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे, यहां के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचें वहां 250 रियासतें थीं कुछ तो केवल 20–20 गांव की रियासतें थी। सबका एकीकरण किया। एक शाम मुम्बई पहुंचे। आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राजसत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गये। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि "क्या मर्जी है ?" राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल तीन रियासतें–कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़कर उस लौह पुरूष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया इन तीन रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवम्बर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।

13 नवम्बर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। न कोई बम चला, न कोई क्रांति हुई, जैसा कि किसी को डराया जा रहा था।

जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है इसे पं. नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर बेहद क्षुब्ध थे। निःसंदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था।

भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियायतों के बारे में लिखा था," रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे।

"यद्यपि विदेश विभाग पं. नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था।

उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पं. नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली दो घंटे की कैबिनेट बैठक में लम्बी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा। "क्या हम गोवा जाएंगे, केवल दो घंटे की बात है।" नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। गृहमंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे

जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं (आई.सी.एस.) का भारतीय करण कर इन्हें प्रशासनिक सेवाएं आई.ए.एस. बनाया। अंग्रेजी माध्यम में सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा। यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता।

***नई दिल्ली..*RBI गवर्नर ने मोदी सरकार को दिखाया** एक तरफ पूरी दुनिया में यह बात कही जाती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत चमकते सितारे जैसा है पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का इस बारे में कुछ और ही कहना है। राजन से जब उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें अभी भी वो जगह हासिल करनी है, जहां हम संतोष व्यक्त कर सकें। हमारे यहां एक कहावत है-अंधों के बीच काना राजा होता है। हम कुछ वैसे ही हैं।"अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री राजन यहां विश्व बैंक व आईएमएफ की सालाना बैठक के साथ साथ जी20 के वित्तमंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने यहां आए हैं। साक्षात्कार में उन्होंने चालू खाते व राजकोषीय घाटे जैसे मोर्चे पर उपलब्धियों का ज़िक्र किया।उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत से नीचे आ गई है जिससे ब्याज दरों में गिरावट की गुंजाइश बनी है। उन्होंने कहा,' निसंदेह रूप से, ढांचागत सुधार चल रहे हैं। सरकार नयी दिवाला संहिता लाने की प्रक्रिया में है। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) आना है। लेकिन अनेक उत्साहजनक चीजें पहले ही घटित हो रही हैं। **आईनाhttp://www.newspoint360.com/cms/gall_content/Publish Date:Apr 17-2016 11:47AM**

बी.पी. मण्डल
(1918 - 1982)

कहावत है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। बी.पी. मण्डल के जन्म से उनके बड़े होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। उनका जन्म 25 अगस्त 1918 को काशी (वाराणसी) में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। अगले दिन 26 अगस्त 1918 को उनके पिता रास बिहारी लाल मण्डल इस भौतिक संसार को त्याग स्वर्ग सिधार गए। स्व. बी.पी. मण्डल मुरहो, इस्टेट, मधेपुरा के निवासी थे।

उनकी प्रारम्भिक शिक्षा मधेपुरा के सीरील इंस्टीट्यूट (सम्प्रति शिवनन्दन प्रसाद मण्डल इन्टर कालेज, मधेपुरा) में हुई। आगे की पढ़ाई दरभंगा राज उच्च विद्यालय में हुई। वे 1936 में मैट्रिक की परीक्षा पास किये। पटना कालेज से अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. (प्रतिष्ठा) पास किये। दरभंगा राज स्कूल के छात्रावास में प्रवास के दौरान स्कूल के ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण छात्रों के अलग-अलग खाने की व्यवस्था का उनके हृदय पर गहरा आघात लगा था।

राजनीति उन्हें विरासत में मिली। उनका घर राजनैतिक गतिविधि का केन्द्र था। यादव महासभा के गठन में उनके परिवार का अतुलनीय योगदान था। उनके अग्रज स्व. कमलेश्वरी प्रसाद मण्डल तत्कालीन बिहार विधान परिषद (1921-1926) के सदस्य थे। उनके आकस्मिक निधन से ये राजनीति में सक्रिय हुए। वे भागलपुर जिला परिषद के सदस्य थे। उस समय मधेपुरा कोर्ट में अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे। लेकिन अपर जिला दण्डाधिकारी, सहरसा ने अपने निरीक्षण के दौरान लंबित कांडों के निष्पादन में शिथिलता का आरोप लगाकर कुछ कड़वी टिप्पणी कर दिए। ये आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। बाद में अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अन्य द्वारा काफी मान मनोबल के उपरांत भी, ये अपना त्याग-पत्र वापस नहीं लिए।

मधेपुरा इनकी कर्मभूमि नहीं है। वे जन-जन के प्रिय थे। समय के बदलाव के साथ अपने को ढालने में वे सक्षम थें वे मधेपुरा विधान-सभा से 1952, 1962 एवं 1972 में निर्वाचित हुए। वे 1967 एवं 1977 में मधेपुरा लोक सभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1952 में कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर से स्व. मण्डल का नाम प्रत्याशी के रूप में अनुशंषित नहीं किया था। युवा मण्डल इस बात की शिकायत लेकर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति भारत सरकार से मिले। प्रत्याशी के चयन के समय जब उनका साक्षात्कार स्व. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिया और अपने परिवार की राजनैतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की तो वे उन्हें इनके पिताजी के कारण पहचाने गये एवं इन्हें मधेपुरा से प्रत्याशी बनाया। स्व. मण्डल चुनाव जीत गये एवं जीवन पर्यन्त मधुपेरा की सेवा करते रहे। एक बार विधान सभा में चर्चा के दौरान स्व. बसावन सिंह ने यादव जाति को ग्वाला कहकर सम्बोधित किया था। इस पर स्व. मण्डल ने तीव्र प्रतिकार किया था। स्व. शिवनंदन मण्डल, तत्कालीन कानून मंत्री ने भी बसावन सिंह को कड़ी फटकार लगाई थी। अपनी राजनैतिक गतिविधि के दौरान कोशी प्रमण्डल के सभी बड़े नेताओं से उनके आत्मीय संबंध थे। स्व. शिवनंदन मण्डल, स्व. भूपेन्द्र नारायण मण्डल, स्व. ललित नारायण मिश्र उनसे वरीय थे।

कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सहरसा जिला के पागा नाम बस्ती के मुसहर जाति के लोगों पर कुछ सामंतों ने जुल्म ढ़ाये थे। ये सरकार में रहते हुए सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए बिहार विधान सभा से नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र दे दिए। डा. राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर ये 1967 में संसोपा से मधेपुरा लोक सभा से चुनाव लड़े एवं जीत कर दलित, पिछड़े एवं अकलियत की आवाज लोक सभा में बुलन्द की। उस वर्ष बिहार में सविंद सरकार बनी थी। स्व. महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्य-मंत्रित्व में ये स्वास्थ्य मंत्री बनाये गये थे। अखंड बिहार के सरकारी अस्पताल की दुर्दशा का इन्होंने न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसके उद्धार के लिए अनेक उपाय किए। सहरसा एवं मधेपुरा का सदर अस्पताल इसका जीता-जागता उदाहरण है। उनमें अद्‌भुत प्रशासनिक क्षमता थी। वे भाषण कला में निपुण थे। उनका आभामण्डल बड़ा ही प्रभावकारी था। मंत्री मण्डल में रहते हुए उन्होंने बिहार के पिछड़ों, उपेक्षित, दलित एवं सर्वहारा वर्ग में उभार पैदा किया। वे कहते थे शासन की बागडोर संभले बिना, पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। वे स्वास्थ्य मंत्री पद से त्याग पत्र देकर, बिहार में पिछड़ों में एकता स्थापित करने का बीड़ा उठाया। इसमें स्व. जगदेव प्रसाद (गया) सतीश प्रसाद सिंह (खगड़िया, 'पूर्व सांसद एवं मुख्यमंत्री स्व. डॉ. (प्रो.) महाबीर प्रसाद यादव, पूर्व प्राचार्य टी. पी. कालेज, मधेपुरा एवं अन्य अनेक राजनैताओं के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। स्व. मण्डल ने शोषित समाज दल का गठन किया। राजनैतिक तोड़-जोड़ से उनके नेतृत्व में बिहार में पिछड़ों की एक सरकार बनी। यह एक युगान्तरकारी कदम था जिसका प्रभाव आने वाले समय पर पड़ा। इस सरकार के गठन के पूर्व बिहार का कोई पिछड़ा, दलित एवं अकलियत के लोग मुख्यमंत्री होने की बात सोच भी नहीं सकता था। यद्यपि मनुवादियों के षड़यंत्र के कारण इसकी सरकार मात्र 47 सैंतालिस दिन चली। लेकिन उसका व्यापक राजनैतिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद ही भोला पासवान, कर्पूरी ठाकुर, दरोगा प्रसाद राय, यादव अब्दुल गफूर, रामसुन्दर दास, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी आदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पा सके और वर्तमान में श्री नितीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। स्व. मण्डल ने ही अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कोशी

नदी पर सड़क-पुल का शिलान्यास किया था जिसके बन जाने से सौर-बाजार, सोनवर्षा, महेशखूंट होकर कोशी प्रमण्डल की जनता राजधानी से सड़क मार्ग से जुड़ पाई।

वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देशाई ने स्व. मण्डल की राजनैतिक सूझ-बूझ, पिछडों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयास आदि से प्रभावित होकर उनके सभापतित्व में ''अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया''। इस आयोग को पिछड़ों की दशा का अध्ययन कर उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने हेतु एक संविधान सम्मत् सिफारिश देना था। स्व. मण्डल के नेतृत्व में इस आयोग ने भारत के कोने-कोने का दौरा किया। प्रो. कालेकर के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। देश के प्रख्यात विद्वान, विचारक, समाज सेवी, सामाजिक संगठन आदि से सम्पर्क साधा। जिला स्तर पर पिछड़ों की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति का जायजा लिया। संख्या के अनुपात में केन्द्रीय सेवा में उपस्थिति का अवलोकन किया। तब तक केन्द्र में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था।

स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनीं। वे स्व. बी.पी. मण्डल को जानती थीं। उन्होंने स्व. मण्डल के नेतृत्व में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को और साधन सम्पन्न किया। स्व. मण्डल वर्ष 1980 में पिछड़ा वर्ष आयोग का प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। उन्होंने पाया कि देश में 52% पिछड़े निवास करते हैं। पिछड़ों के सामाजिमक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहने से देश का उत्थान नहीं हो सकता है। अत: उन्होंने केन्द्रीय सेवा में 27% आरक्षण की मांग रखी। उनके द्वारा समर्पित सिफारिशों को फाईल में बंद कर दी गयी। वर्ष 1989 में केन्द्र में पुन: सत्ता परिवर्तन हुआ। श्री बी.पी. सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। राज्य एवं देशस्तर पर कई नेता उभर चुके थे।

चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में माननीय शरद यादव, लालू प्रसाद, राम विलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार आदि कई नेताओं के परामर्श पर मण्डल कमीशन को लागू करने का ऐलान हुआ। देश में भूचाल आ गया। मनुवादी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राजनैतिक स्तर पर समाज दो भागों में विभक्त हो गया। पिछड़ों को अनेक यातनाएं एवं सामाजिक तिस्कार का सामना करना पड़ा। पिछड़े जो कभी सिंह, सिन्हा, वर्मा, प्रसाद कुमार आदि टाईटिल लिखकर अपनी जाति को छुपाते थे, अब सामने आ रहे थे। खासकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में नये जोश का संचार हो चुका था। मनुवादियों ने कई जगह आत्म-दाह जैसी कारवाई कीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मण्डल कमीशन की सिफारिश को संविधान-सम्मत पाया। पहले तो पिछड़ों को 27% आरक्षण केन्द्रीय सेवा में लागू हुआ। लेकिन अभी भी केन्द्रीय लोक सेवा आयोग पर भेद-भाव के आरोप लगाये जाते रहे हैं।

वर्ष 2008 से केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी मण्डल कमीशन क्रम से लागू किया जा रहा है। यह देर से उठाया गया सही कदम कहा जा सकता है। स्व. मण्डल इन सिफारिशों को लागू होते नहीं देख पाये एवं 13-04-1982 को पटना में स्वर्ग सिधार गये। लेकिन पटना के देशरत्न मार्ग पर अवस्थित उनकी आदम कद मूर्ति पिछड़ों को हमेशा अनुप्राणित करता रहेगा। वे अपना राजनैतिक वारिश अपने सुपुत्र मनीन्द्र मण्डल ऊर्फ ओम बाबू को छोड़ गये जो वर्तमान में मधेपुरा विधान सभा से विधान सभा के सदस्य हैं। स्व. मण्डल को शिक्षा से बड़ा लगाव था। मधेपुरा प्रवास के दौरान टी.पी. कालेज, मधेपुरा के व्याख्याताओं/अध्यापकों से देश-विदेश की समस्याओं पर वे हमेशा विचारकों का आदान-प्रदान करते रहते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय एवं विनोदी स्वभाव के थे। उनके भतीजे स्व. आर.पी. मण्डल, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायमूर्ति थे। वर्तमान में स्व. मण्डल के पौत्र न्यायमूर्ति के.के. मण्डल, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं।

स्व. मण्डल पिछड़ों के संमीहा थे। उनकी सिफारिश लागू होने से पिछड़ों के सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा। इससे देश की अखंडता बनी रहेगी एवं अवश्य ही भारत महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। मंडेला ने दक्षिण-अफ्रीका में गोरों के नस्लभेद को मिटाया। मण्डल कमीशन के लागू होने से दलित एवं पिछड़े भी मुख्य धारा में शामिल हो गये हैं। ऐसे महापुरुष को मेरा नमन।

तारणी प्रसाद यादव
पी.एम.जी.
रेल पुलिस उपाधीक्षक, कटिहार
(राष्ट्रपति से वरियता पुलिस पदक से अलंकृत)

स्थायी पता :
ग्राम+पो. मधैली बाजार
थाना-सिहेंश्वर (शंकरपुर)
जिला-मधेपुरा

अप दीपो भव!

किसी वाद या विचार को तुम इसलिये मत ग्रहण करो कि वह वाद या विचार किसी बड़े महात्मा द्वारा या किसी बड़े ग्रंथ में कहे-लिखे गये हैं। तुम उसे इसलिये भी मत मानो कि उसके मानने वाले बहुतायत में हैं। बल्कि तुम खुद उसका निरीक्षण-परीक्षण करो और देखो कि वह वाद या विचार तुम्हारे एवं तुम्हारे जैसों के लिये हितकारक है।

गौतम बुद्ध

मानवतावादी संगठन निर्माता रामस्वरुप वर्मा

"अर्जक संघ" मानववादी संगठन का निर्माण कर जिस आन्दोलन को रामस्वरुप वर्मा (जन्म 22 अगस्त, 1923) ने 1 जून 1968 में प्रारंभ किया, यद्यपि सामाजिक चेतना का सूत्रपात करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसका प्रभाव ही था जो कि पिछडे और दलितों की पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण साम्रराज्य को तहस नहस किया, जो साठ के दसक से ही भारु हो गया। इसके प्रथम चरण में चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज बुलंद की और कांग्रेस छोड़कर इस सामाजिक आन्दोलन के पक्षधर बनें। जो 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और रामस्वरुप वर्मा उनके मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री बनाये गए।
"अर्जक संघ" और "शोषित समाजदल" के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा से भारत के लोग लगाव मानते हैं इसका प्रमुख कारण हैं। श्री वर्मा द्वारा जीवन के चारों क्षेत्रों में कान्ति के स्वरूप का निर्धारण करना। भारत के लागों का जीवन के चारो क्षेत्रो(सामाजिक, सांस्कृतिक ,आर्थिक और राजनैतिक) में ब्राह्मणवादी संस्कृतिजन्य मूल्य व्याप्त हैं, जिनसे देश निरन्तर अवनति की ओर जा रहा है। स्वदशी भासन छः दशक बीतने के बाद भी न तो देश से निरादर मिटा है, न दारूण–दरिद्रता से ही छुटकारा मिला है। ब्राह्मणवादी संस्कृति के कारण भारत न तो अन्न और तकनीक आदि के मामलों में स्वावलम्बी हो सका है न देश की सुरक्षा के मामले में अविजेयता प्राप्त कर सका भारत का पाकिस्तान से आशंकित रहना भारत की सुरक्षा–शक्ति का सहज आभास दिलाता है। यह सिद्व करता है कि ब्राह्मणवादी जीवन मूल्यों के रहते भारत एक समृद्व एवं शक्तिशाली राश्ट्र नहीं बन सकता। अतः भारत के जीवन के चारों क्षेत्रों मे कान्ति की आवश्यकता हैं, इससे कोई भी विज्ञानी व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता।
अब तक सांस्कृतिक और सामाजिक कान्ति के प्रणेता महामना बुद्व सामाजिक और राजनैतिक कान्ति के अग्रदूत महामना डॉ. भीमराव अम्बेडकर और पदार्थवादी जनक महामना चावार्क कान्ति की दिशा निर्देश करने वाले रहे हैं। किन्तु बौद्धधर्म मे ं पुनर्जन्म और चमत्कार का प्रवेश हो जाने के कारण ब्राह्मणवाद के प्रति–कान्ति सफल हो गई और बौद्व धर्म का भारत से लोप हो गया। महामना डॉ. भीमराव अम्बडे कर की सामाजिक कान्ति,सांस्कृतिक कान्ति के अभाव में आगे न बढ़ सकी और जब उन्होनें यह अहसास किया तथा संशोधित बौद्व धर्म स्वीकार कर सांस्कृतिक कान्ति की और बढ़ना चाहा तभी वे असमय यशःकायी हो गये। पूवर्ज ो ं से प्रेरित वर्मा जी ने जीवन के चारों क्षेत्रों में एक साथ कान्ति करने का बिगुल बजाया है।
तदनुसार अर्जक संघ सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रो में कान्ति का वाहक है। इसी प्रकार शोषित समाज दल जीवन के आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में कान्ति की मशाल लेकर चल रहा है। कान्ति की परिभाषा और राजनैतिक क्षेत्रों में कान्ति की मशाल लकेर चल रहा है। कान्ति की परिभाशा और उसके स्वरूप के बारे में अपार भ्रान्तियॉ विद्यमान थी जो कान्ति की परिभाशा और स्वरूप को दूर न जानने का परिणाम है। अतः देश में कान्ति के सम्बन्ध मे व्याप्त भ्रान्ति को दूर करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। सुधी पाठको द्वारा जिस ललक से "कान्ति क्यों और कैसे "पढ़ी और अपनाई गई है उसके लिए हम सभी पाठको के कृतज्ञ हैं। ब्राह्मणवादी जीवन मूल्यों को त्यागकर मानववादी जीवन मूल्य अपनाने मे ं प्रस्ततु पुस्तक का भारी योगदान हैं। इसी से इसकी मांग भारत के हर कौने से आ रही है।
महामना रामस्वरूप वर्मा का राजनीति मे ं धमू केत की भांति प्रादुर्भाव हुआ। जिनकी विचारधारा से पूंजीवादी सामंती और साम्प्रदायिक भाक्तियां काफी धूमिल पड़ने लगीं। श्री वर्मा जी ने सदियों से स्थापित विशमतामूलक संस्कृति पर उत्तर भारत मे ं पहली बार सशक्त और पुरजोर हमला बोला तथा तमाम 90 प्रतिशत श्रमशील मेहनतकश कमेंरा वर्ग को स्वावलंबन और स्वाभिमान का जीवन जीने लिए समतामूलक संस्कृति का विकल्प पेश किया तथा इस बात पर बल दिया कि जब तक भारत मे ं सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाब नहीं होगा तब तक राजनैतिक और आर्थिक बदलाव नहीं हो सकता हैं। उन्होनें डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि दनिया की सारी सभ्यताओं में सबसे पहलें सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुआ हैं, तभी वहां राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुआ हैं। चाहे चीन हो या रूस,अमेरिका,ग्रीक,ब्रिटेन,आदि।

महामना वर्मा जी ने पूंजीबाद,सामंतबाद और सप्रदायवाद को आतंकबाद के रूप में चिन्हित किया और बताया कि इसके जन्मदाता हिटलर और मुसोलिनी हैं जिसे दुनिया के तानाशाह के नाम से जाना जाता है। जिसने फास्टिक नीतियों पर सन्यीकरण के द्वारा लाके तांत्रिक शक्तियों को सख्ती से कुचलने का काम किया और विपक्षी ताकतो को रादैने में सफलता प्राप्त की।

'अंधविश्वास और अज्ञान से कभी भला नहीं होता तथा ज्ञान – विज्ञान से कभी हानि नहीं होती।

प्रवीन कुमार
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश

जननायक कर्पूरी ठाकुर

मैने जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत कुछ सीखा है और उनके सिद्धांतों का अनुकरण करने का निरतर प्रयास किया है। जब–जब उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका स्मरण करता हूँ मन मजबूत होता है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में बिहार की आत्मा का बास था। बिहार मे व्याप्त सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कर्पूरी ठाकुर ने राजनैतिक चेतना, संघर्ष और सिद्धांतो के माध्यम से बदलने का प्रयास किया। बेहद गरीब परिवार और पिछड़े तबके से आने वाले कर्पूरी ठाकुर जी बहुत कुशाग्र छात्र थे और युवा जीवन में ही स्वतत्रता–संग्राम के आन्दोलनों मे सकिय हो गए थे। देश आजाद हुआ परन्तु देश के गरीब और पिछड़े तबकों तक स्वतत्रता की किरण नहीं पहुची। स्वयं हृदय–विदारक गरीबी में रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने जीवन भर इस परिस्थिति को बदलने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बिहार और देश को रास्ता दिखाया कि किस तरह समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को नीतिगत माध्यम से मुख्य धारा में लाया जा सकता है और उचित प्रतिनिधित्व से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। जिसने कर्पूरी ठाकुर जी से सही में प्रेरणा ली हो, उसमें एक बेहतर बिहार बनाने और न्याय के साथ विकास की धारा स्थापित करने के लिए असीमित धीरज, त्याग और स्वाभिमान होना चाहिए। अत: मै भी रूकने, थकने और झुकने वाला नहीं हू। कर्पूरी ठाकुर जी की तरह अतिम समय तक बिहार के लिए और न्याय के साथ विकास के लिए काम करता रहूँगा

कर्पूरी ठाकुर (24 जनवरी 1924–18 फरवरी 1988) भारत के स्वतंत्रता सैनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन–नायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गॉव पितौझिया, जिसे अब कर्पूरीग्राम कहा जाता है, मे हुआ था।

28 महीने जेल में बिताए वह 22 दिसबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे।

व्यक्तिगत जीवन

वह जन नायक कहलाते हैं। सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किन्तु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हे जन नायक कहा जाता था, वह गरीबो के हक के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होने पिछड़ो को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। उनका जीवन लोगो के लिया आदर्श से कम नहीं।

राजनैतिक जीवन

1977 मे कर्पुरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येन्द्र नारायण सिन्हा से नेतापद का चुनाव जीता और राज्य के मुख्यमंत्री बने।

जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतिष कुमार के उद्गार

बिना किये कार्य होते, तो कार्यालय नही होते। पूजा देवताओं से मर्ज ठीक होते तो औषधालय नही होते।
सरस्वती की पूजा करने से विद्या मिलती तो विद्यालय नही होते।
अपने संविधान को जानते तो हमारे पिछड़े वर्ग की ये दुर्दशा न होती।
हमारे मंदिर– संसद, विधान सभायें, न्यायालय तथा विश्वविद्यालय शोध संस्थान
हमारा धर्म ग्रन्थ – भारत का संविधान
हमारा धर्म – जीवन मूल्य, मानवता
हमारे देव – सूर्य, वायु, जल, आकाश तथा माता पिता

पिछड़ो एवं दलितों के मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री

राज किशोर कटियार, कानपुर सेवानिवृत्त (सहायक निदेशक रेशम विभाग

विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के आठवें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका शासन एक साल से कम चला, 2 दिसम्बर 1989 से 10 नवम्बर 1990 तक। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसम्बर 1989 को यह पद प्राप्त किया था। श्री वीपी सिंह न सिर्फ ईमानदार थे बल्कि दलितों पिछड़ो और बंचित समुदायों के प्रति उनके दिल में बेहद करूणा थी।

जन्म एवं परिवार

विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। वह राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे। उनका विवाह 25 जून 1956 को अपने जन्म के दिन पर ही सीता कुमारी से साथ सम्पन्न हुआ। इन्हे दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उन्होंने इलाहावाद में गोपाल इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी।

विद्यार्थी जीवन

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह 1947–1948 में उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी की विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष भी थे। 1957 में उन्होंने भूदान आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिंह ने अपनी जमीन दान में दे दीं। इसके लिए पारिवारिक विवाद हुआ, जो कि न्यायालय भी जा पहुँचा था।

राजनैतिक जीवन

विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने विद्यार्थी जीवन से ही दिलचस्पी हो गई थी। वह समृद्ध परिवार से थे, इस कारण युवाकाल की राजनीति में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उनका संबन्ध भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। 1969–1971 में वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार भी सम्भाला। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक ही रहा इसके पश्चात् वह 29 जनवरी 1983 को केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहें। 31 दिसम्बर 1984 को वह भारत के वित्तमंत्री भी बने। भारतीय राजनीति के परिदृश्य में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्तमंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ उनका टकराव हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेशी बैंको में अकूल धन जमा कराया गया है। इस पर वी.पी. सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी ताकि ऐसे भारतीयों का पता लगाया जा सके। इसी बीच स्वीडन ने 16 अप्रैल 1987 को यह समाचार प्रसारित किया कि भारत के बोफोर्स कम्पनी की 410 तोपों का सौदा हुआ था, उसमें 60 करोड़ की राशि कमीशन के तौर पर दी गई थी। जब यह समाचार भारतीय मीडिया तक पहुँचा तो वह प्रतिदिन इसे सिरमौर बनाकर पेश करने लगा। इस ब्रेकिंग न्यूज का उपयोग विपक्ष ने भी खूब किया। उसने जनता तक यह संदेश पहुचाया कि 60 करोड़ की दलाली में राजीव गांधी की सरकार जॉच से भाग रही है बोफोर्स कांड के सुर्खियों में रहते हुए 1989 के चुनाव भी आ गये। वी. पी. सिंह और विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया।यद्यपि प्राथमिक जॉच–पड़ताल से यह साबित हो गया कि राजीव गांधी के विरूद्ध ओडिटर जनरल के द्वारा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया हैं तथापि ओडिटर जनरल ने तोपों की विश्वसनीयता को अवश्य संदेह के घेरे में ला दिया था। भारतीय जनता पार्टी के मध्य यह बात स्पष्ट हो गयी कि बोफोर्स तोप विश्वसनीय नहीं हैं

तो सौदे में दलाली ली गयी होगी। ऐसे मे निशाना राजीव गांधी और उनकी सरकार को ही बनना था। इधर वी. पी. सिंह ने 1987 में कांग्रेस द्वारा निष्कासित किया गया। वी. पी. सिंह ने जनता के मध्य जाकर यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि कांग्रेस सरकार में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। इसी कारण अफसरशाही और नौकरशाही भ्रष्ट हो चुकी है। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के दावे ने भारत के सभी वर्गों को चौंका दिया। वी. पी. सिंह की बातें उन्हें सत्यवादी हरिचन्द्र के सत्य वचन के समान लगीं। वी. पी. सिंह ने चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जनसभाओं में दावा किया कि बोफोर्स तोपों की दलाली की रकम "लोटस" नामक विदेशी बैंक में जमा कराई है और वह सत्ता में आने के बाद पूरे प्रकरण का खुलासा कर देंगे। कांग्रेस में वित्त एव रक्षा मंत्रालय का सर्वेहाबह रहा व्यक्ति यह आरोप लगा रहा था, इस कारण सर्वेहारा वर्ग ने यह मान लिया कि वी. पी. सिंह के दावों अवश्य ही सच्चाई होगी। इस प्रकार इस चुनाव में वी. पी. सिंह की छवि एक ऐसे राजनीतिज्ञ की बन गई जिसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर कोई सक नहीं किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने तो उन्हें अपना नायक मान लिया था। वी. पी. सिंह छात्रों की टोलियों के साथ साथ रहते थे। वह मोटरसाइकिल पर चुनाव प्रसार करते छात्रों के साथ हो लेते थे। उन्होंने स्वयं को साधारण व्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए यथासम्भव कार की सवारी से भी परहेज किया। फलस्वरूप इसका सार्थक प्रभाव देखने को प्राप्त हुआ। वी. पी. सिंह ने एक ओर जनता के बीच अपनी सत्यवादी हरिशचन्द्र की छवि बनाई तो दूसरी ओर कांग्रेस को तोड़ने का काम भी आरम्भ कर दिया। जो लोग राजीव गांधी से असंतुष्ट थे, उनसे वी. पी. सिंह ने सम्पर्क करना आरम्भ कर दिया। चाहते थे कि असंतुष्ट कांग्रेसी राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएँ। अदालत ने मुस्लिम महिला शाहबानो को जीवन निर्वाह भत्ते के योग्य माना। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी चाहते थे कि "मुस्लिम पर्सनल ला" के आधार पर ही फैसला किया जाए। इस कारण यह विवाद काफी तूल पकड़ चुका था।ऐसी स्थिति में राजीव गांधी ने आरिफ मुहम्मद से कहा कि वह एक जोरदार अभियान चलाकर लोगों को समझाएँ कि मुस्लिम को नया कानून मानना चाहिए और "मुस्लिम व्यक्ति कानून" पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वी. पी. सिंह ने विद्याचरण शुक्ल, रामधन तथा सतपाल मलिक और अन्य असंतुष्ट कांग्रेसियों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 1987 को अपना एक पृथक मोर्चा गठित कर लिया। इस मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित हो गई। वामदलों ने भी मोर्चा को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार सात दलों के मोर्चे का निर्माण 6 अगस्त 1988 को हुआ और 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रीय मोर्चा का विधिवत गठन कर लिया गया।

प्रधानमंत्री के पद पर

1989 का लोकसभा चुनाव पूर्ण हुआ। कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ी। उसे मात्र 197 सीटे ही प्राप्त हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिलीं। भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का इरादा जाहिर कर दिया। तब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वामदलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया। लगता था कि राजीव गांधी और कांग्रेस की पराजय उनके कारण ही सम्भव हुई है। यह तय किया गया कि वी. पी. सिंह की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होगी, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सिखों के घाव पर मरहम रखने के लिए स्वर्ण मन्दिर की ओर दौड़ लगाई।विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऐतिहासिक निर्णय व्यक्तिगत तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह बेहद निर्मल स्वभाव के थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि एक मजबूत और सामाजिक राजनैतिक दूरदर्शी व्यक्ति की थी। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके देश में वंचित समुदायों की सत्ता में हिस्सेदारी पर मोहर लगा दी। डा. भीमराव अम्बेडकर को भारतरत्न की उपाधि तथा उनका तैलचित्र संसद मे लगाया साथ ही डा. अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रेल को केन्द्र सरकार में पहली बार राजपत्रित अवकास घोषित किया गया। 27 नवम्बर 2008 को 77 वर्ष की अवस्था में वी. पी. सिंह का निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पीटल मे हो गया।

25/1/16

अमर उजाला

देवदासी प्रथा महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध: केंद्र

राजीव सिन्हा

- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा, हर हाल में होना चाहिए इस प्रथा का खात्मा
- केंद्र सरकार ने राज्यों से इससे संबंधित कानून का सख्ती से पालन करने को कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि देवदासी प्रथा का हर हाल में खात्मा चाहिए। सरकार ने इस प्रथा को महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सभी राज्यों से कहा गया है कि वर्षों से चली आ रही इस कुप्रथा को समाप्त किया जाए। केंद्र ने सभी राज्यों को इससे संबंधित कानून का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही पीड़ित महिलाओं का पता लगाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों ने कानून बनाकर देवदासी प्रथा को खत्म करने का निर्णय तो किया हुआ है लेकिन इस कानून का सख्ती से पालन नहीं होने के कारण यह कुप्रथा अब भी कायम है। सरकार ने देवदासी प्रथा को न केवल अमानवीय बताया है बल्कि इसे महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बताया है। केंद्र ने सभी राज्यों को इस संबंध में एडवाइजरी जारी किया है। इस प्रथा को जड़ से खत्म करने पर जोर देते हुए केंद्र ने एडवाइजरी में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय होने की जरूरत है और इस कानून को प्रभावी बनाने के जरूरत है। गत नवम्बर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जवाब न दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि पीड़ित महिलाओं की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उनकी काउंसिलिंग की जाए और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। उन्हें चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। कौशल विकास कार्यक्रम के जरिये उनके लिए नियमित आमदनी का जरिया निकाला जाना चाहिए।

ढाई लाख दलित महिलाओं को मंदिरों के सुपुर्द किया गया : महिला आयोग

केंद्र सरकार का यह जवाब एक जनहित याचिका पर जारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर आया है। एक गैर सरकारी संगठन एसएल फाउंडेशन द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना रखा है लेकिन अब भी यह प्रथा जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमांत इलाकों में करीब ढाई लाख दलित महिलाओं को मंदिरों के सुपुर्द किया गया है।

विदेशों में बैठे भारतीयों को बेचे जाते थे बच्चे

जालंधर के तान्या टूर एंड ट्रेवल्स के सरबजीत का खुलासा

जालंधर के तान्या टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से विदेश में बेचे गए बच्चे।

आगरण संवाददाता, जालंधर : हाल ही में उजागर हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में एक और खुलासा हुआ है। जालंधर के तान्या टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक सरबजीत शर्मा ने जितने भी बच्चे तस्करी कर विदेश भेजे थे, वे सभी भारतीयों को ही बेचे गए। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह जानकारी दी। वहीं जालंधर पुलिस ने विदेशी एंबेसियों की मदद से सात बच्चों की तस्वीरें जारी की हैं। सरबजीत ने बताया कि वह बच्चों को विदेश ले जाता था, लेकिन खरीदने वालों को उसे जानकारी नहीं होती थी। वहां पहुंचते ही तय डील के अनुसार बच्चे को भारतीय मूल के व्यक्ति को सौंप दिया जाता।

एडीसीपी विवेक एस. सोनी ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने सरबजीत के घर छापामारी की थी। वहां बच्चों की तस्वीरें व कुछ फर्जी दस्तावेज मिले। सोमवार को सारी तस्वीरें अमेरिका, फ्रांस और कैनेडा की एंबेसी को भेजी गई। दस्तावेज बनाने में और कौन-कौन लोग शामिल है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।

चाइल्ड ट्रैफिकिंग

- पुलिस और विदेशी एंबेसियों ने जारी की सात बच्चों की तस्वीरें

एक बच्चे के चार लाख

अमेरिका निवासी ट्रेवल एजेंट सुखविंदर हर बच्चे को बाहर ले जाने के लिए सरबजीत को चार लाख रुपये देता था। वह परिजनों से कितने पैसे लेता था, यह जानकारी सरबजीत के पास नहीं है। पति-पत्नी सारा काम खुद ही करते थे। जिन बच्चों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं, उनके नाम सही होने पर पुलिस कोई दावा नहीं कर रही। न्यू शंकर गार्डन निवासी सरबजीत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी पत्नी निता भारद्वाज को तलाश कर रही है।

देश की आबादी का एक फीसदी हिस्सा ही शेयर बाजार में निवेश करता है। पर वित्त मंत्रालय देश को आश्वस्त कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। जबकि देश में हर घंटे कहीं न कहीं दो किसान आत्महत्या करते हैं, पर इसकी चर्चा नहीं होती।

अमर उजाला दिल्ली 27-8-2015

निन्यानबे फीसदी बनाम एक फीसदी

सोमवार को शेयर बाजार में आई गिरावट (जो संभवतः सात वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है) के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली दिन भर में कम से कम चार बार मीडिया से रूबरू हुए, ताकि इस गिरावट की वजह से उत्पन्न भय को दूर किया जा सके। शाम होते-होते देश को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बाजार के अस्थिर हालात पर नजर रखे हुए हैं।

देविंदर शर्मा

कृषि विशेषज्ञ

लेख पर अपनी राय हमें यहां भेजें

edit@amarujala.com

कुछ लोगों ने इसे 'दिल टूटना' बताया, तो कुछ ने 'अफरा-तफरी की स्थिति' कहा। जैसे ही सेंसेक्स 1,624 अंक गिरा, हलचल मच गई। टीवी चैनलों के कई एंकरों ने इसे 'हत्याकांड' बताया और मुझसे टिप्पणी मांगी। मैंने उनसे कहा कि 'असली हत्याकांड तो कृषि क्षेत्र में हो रहा है। पिछले बीस वर्षों में 3.05 लाख किसानों ने खुदकुशी की है, पर मैंने किसी प्रधानमंत्री को कृषि क्षेत्र में हो रहे मृत्यु के इस तांडव पर चिंता जताते हुए कभी नहीं देखा।'

देश की आबादी का मात्र एक फीसदी हिस्सा ही शेयर बाजार में निवेश करता है। लेकिन देखिए कि मीडिया इस पर कितना दुख जता रहा है! और किस तरह से वित्त मंत्रालय देश को आश्वस्त कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। देश में हर घंटे कहीं न कहीं दो किसान आत्महत्या करते हैं। वर्षों से किसान आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों पर न तो मीडिया ने और न ही मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने कभी कोई चिंता दिखाई।

सोच के इसी विरोधाभास (जहां एक फीसदी लोगों की सुविधाओं के लिए 99 फीसदी लोगों की अनदेखी की जाती है) के कारण पिछले हफ्ते देश भर के 40 किसान संगठनों के नेता चंडीगढ़ में तीन दिवसीय विचार-विमर्श के लिए जुटे। वे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार से कृषि क्षेत्र में जारी संकट की वजहों को समझने और साझा करने के लिए आए थे और सबसे महत्वपूर्ण यह कि कृषि को कैसे राष्ट्रीय एजेंडे पर लाया जाए। मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे देश के 60 करोड़ किसानों की आवाज को मुखर किया जाए और साथ ही खेती-किसानी के गौरव को वापस लाया जाए।

देश के आर्थिक परिदृश्य से कृषि गायब हो गई है। पिछले कुछ दशकों में विश्व बैंक के निर्देश पर किसानों को लगातार खेती से बाहर धकेला जा रहा है। यह स्थिति वास्तव में वैसी ही है, जैसी विश्व बैंक 1996 में भारत से चाह रहा था। उसने भारत को निर्देश दिया था कि वर्ष 2015 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों से 40 करोड़ लोगों को शहरों में विस्थापित किया जाए। कृषक समुदाय इसी को लेकर चिंता में है। किसान जानते हैं कि एक के बाद एक, सभी सरकारें अपनी आर्थिक नीतियों और भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों के जरिये उन्हें गांवों से बाहर जाने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर रही हैं।

भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े का नेतृत्व करने वाले बलबीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि किसान राजनीतिक कच्चा माल हैं और सभी राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। किसानों को इसका एहसास है कि उन्हें उनकी उपज का वास्तविक भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान नेता वी एम सिंह दो टूक कहते हैं, 'यह आर पार की लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए हमारे हितों का सौदा करती हैं।' वहीं कर्नाटक रैयत संघ के नेता नंजुंडास्वामी तल्ख होकर कहते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम दिया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं और उद्योग को खुश रखा जा सके।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसान नेताओं ने कृषक समुदायों के बीच अपनी साख खोई है। वे विचारधारा, जाति, धर्म और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर बंटे हुए हैं। नतीजतन किसानों के असली मुद्दे पीछे चले जाते हैं। वर्षों से जारी भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों ने सबसे ज्यादा किसानों को अलोकप्रिय किया है। किसान देश के निम्न आयवर्ग में आते हैं, जिनकी प्रति परिवार औसत आय तीन हजार रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं है। यह इसलिए कि सरकार ने जान-बूझकर खरीद-मूल्य कम रखा है। उदाहरण के लिए, कपास के किसानों को बाजार मूल्य से बीस फीसदी कम कीमत दी जाती है, ताकि वस्त्र उद्योग को सुविधा हो। इसी तरह, इस वर्ष गेहूं और धान के खरीद-मूल्य में प्रति क्विंटल मात्र 50 रुपये की वृद्धि की गई है (जो करीब 3.25 फीसदी वृद्धि है), ताकि खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरे शब्दों में कहें, तो कीमतें कम रखने और उद्योगों को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने, दोनों का बोझ किसानों के कंधों पर डाला जाता है।

देश भर के किसान संगठनों की सामूहिक चिंता है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। स्थानीय व क्षेत्रीय असंतुलन को पाटने के लिए किसान संगठन तीन बिंदुओं पर सहमत हुए हैं। पहला है किसानों के लिए निश्चित मासिक आय। यदि एक चपरासी की न्यूनतम आय पंद्रह हजार रुपये है, तो तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बराबर किसानों की आय क्यों नहीं होनी चाहिए?

दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सभी क्षेत्रों में और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी मात्र 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, पर वास्तव में केवल गेहूं और धान की ही खरीदारी होती है। गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य को भी इससे अलग रखा जा रहा है। देश भर में कृषि उत्पाद बाजार समिति की मंडियां स्थापित की जाएं। देश में 42,000 मंडियों की आवश्यकता है, लेकिन अभी मात्र 7,000 मंडी ही हैं।

तीसरा है, किसानों को संरक्षण। घरेलू किसानों को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए। सस्ते खाद्य पदार्थों के आयात से घरेलू किसानों को नुकसान होता है। आयात शुल्क लगभग शून्य होने के कारण देश में अभी 60 हजार करोड़ रुपये के तिलहन का आयात किया जाता है। अगर आयात शुल्क ठीक रखा जाता, तो ये 60 हजार करोड़ रुपये देश के तिलहन उत्पादक किसानों को ही मिलते।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया स्मारिका 2016 - 211

प्रवाह

नई दिल्ली।

पिछले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, लेकिन भारत के संदर्भ में ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशल की ताजा रिपोर्ट हताश करती है।

भ्रष्टाचार जस का तस

भारत में भ्रष्टाचार के संदर्भ में ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2015 की रिपोर्ट हताश ही ज्यादा करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के मोर्चे पर पिछले साल भारत की रैंकिंग उतनी ही रही, जितनी वर्ष 2014 में थी, जबकि इस दौरान पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ बेहतर हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में चीन की स्थिति भारत से खराब जरूर हुई है, पर चीन में चूंकि लोकतंत्र नहीं है, ऐसे में, उसकी स्थिति अच्छी हो या खराब, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर, लोकतांत्रिक भारत में प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता के अलावा सूचना का अधिकार कानून भी है, जिसके जरिये जनता तक आवश्यक जानकारी पहुंचती है। फिर पिछले कुछ

वर्षों में यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी माहौल भी बना है। यूपीए सरकार के एक दशक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिनके खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन ने एक नई लहर पैदा की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, वह वस्तुतः अन्ना आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी ही है। यह अन्ना आंदोलन का ही प्रभाव था कि पिछले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर एनडीए ने सत्ता हासिल की। भाजपा ने काले धन की वापसी का वायदा किया था, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न खाऊंगा-न खाने दूंगा जैसी टिप्पणी कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने तेवर का परिचय दिया था।

लेकिन ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों की रोशनी में साफ है कि करीब बीस महीनों के कार्यकाल में केंद्र की एनडीए सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के मोर्चे पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। बेशक इस दौरान भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, पर स्थिर रैंकिंग का मतलब है कि सार्वजनिक उद्यमों में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार-उन्मूलन के मोर्चे पर हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। जब डेनमार्क लगातार शिखर पर बना रह सकता है, जब फिनलैंड और स्वीडन अपनी धवल छवि बनाए रख सकते हैं, तब भारत अपनी रैंकिंग क्यों नहीं सुधार सकता? उम्मीद करनी ही चाहिए कि ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट हमें भ्रष्टाचार खत्म करने को प्रेरित करेगी।

अमर उजाला नई दिल्ली 11 मार्च 2015 Page 13

सबको 15 लाख रुपये देने की बात उदाहरण के तौर पर कही थी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन की वापसी पर सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपये मिलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित दावे को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ये बातें कई अनुमानों में आए आंकड़ों के आधार पर उदाहरण के तौर पर कही गई थीं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपये मिलने के पीएम मोदी के दावे के बारे में कई लोगों ने बयान दिया

है। ये बातें उदाहरण स्वरूप कही गई थीं। जेटली ने बताया कि प्रशासन ने 3250 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने सदन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि एचएसबीसी की सूची में शामिल उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनके खिलाफ सबूत हैं। इस सूची में 628 नाम हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से अधिकतर नामों की पहचान कर ली गई है और मार्च तक मूल्यांकन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। 200 से अधिक मामलों में मूल्यांकन के बाद डिमांड भेजी जा चुकी है। कुछ मामलों में वसूली भी की जा चुकी है। इसके अलावा करीब 77 मामलों में आपराधिक मुकदमे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जेटली ने आगे कहा कि एसआईटी ने सरकार से देश में काले धन की उत्पत्ति और विदेश में रखने को लेकर कानून कड़ा करने का सुझाव दिया है, जिसके बारे में बजट में घोषणा की गई थी। इन कानूनों में दंड भी सख्त बढ़ाने का प्रस्ताव है। सदन में ही वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि काले धन की वापसी के लिए किए जा रहे प्रयास का फल कई मामलों में दंड लगाने और कोर्ट में आपराधिक मुकदमे के रूप में सामने आया है। एजेंसी

- आप नेता और वकील प्रशांत भूषण ने पेश किए केंद्रीय मंत्री के भेजे इनवॉयस

रविशंकर प्रसाद पर रिलायंस से पैसे लेने के आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा केंद्रीय मंत्री रविशंकर और कांग्रेस के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पर पदों पर रहते हुए निजी हितों को साधने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दोनों नेता रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की एक कंपनी में रिटेनरशिप पर थे। इसके लिए दोनों को लाखों रुपये प्रतिमाह दिया जाता था।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दोनों ही सरकार में रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचा रहे थे। आप नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि दोनों नेता ऐसे मंत्रालय संभाल रहे हैं या संभाल चुके हैं जिनका संबंध रिलायंस कंपनी की कारोबारी गतिविधियों से है। इससे साफ है कि दोनों ने पद पर रहते हुए उनके लिए काम किया होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी 4जी घोटाले में उस कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल दूरसंचार मंत्रालय रविशंकर ही संभाल रहे हैं।

प्रशांत भूषण ने रविशंकर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास नौ इनवॉयस हैं, जिनके जरिये रिलायंस समूह की कंपनी फाइन टेक निगम प्राइवेट लिमिटेड से केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक 84 लाख रुपये मांगे थे। खास बात यह है कि इस कंपनी की पूंजी हिस्सेदारी सिर्फ 1,24,000 रुपये है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह फीस कंपनी को राहत देने के बदले मांगी जा रही थी। प्रशांत भूषण ने बताया कि इस कंपनी का कॉरपोरेट दफ्तर कंपनी नवी मुंबई में है। इसमें जो तीन निदेशक हैं, वे रिलायंस की विभिन्न अन्य कंपनियों में भी निदेशक हैं। हालांकि यह रिटेनरशिप अभी जारी है इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान में है या नहीं इसकी जांच हो। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि रविशंकर प्रसाद मार्च 2011 से जेपीसी दूरसंचार और स्पेक्ट्रम के आवंटन लाइसेंस के मूल्य निर्धारण संबंधित मामलों की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य रहे हैं।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि उनके पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी 2010 से जून 2015 तक रिलायंस कंपनी के रिटेनरशिप पर हैं।

शेष पेज 10 पर

- पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी पर भी पैसे लेकर कंपनी को फायदा पहुंचाने की तोहमत

रिटेनरशिप के लिए मनीष तिवारी वसूल रहे थे मोटी फीस

प्रशांत भूषण ने लगाया आरोप

रविशंकर प्रसाद ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिए 84 लाख रुपये के इनवॉयस दिए।

हित साधने के आरोप

रविशंकर प्रसाद मार्च 2011 से जेपीसी दूरसंचार और स्पेक्ट्रम के आवंटन लाइसेंस के मूल्य निर्धारण संबंधित मामलों की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य रहे हैं। प्रशांत भूषण का आरोप है यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी 4जी घोटाले में रिलायंस की कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विदेश से ज्यादा देश में है कालाधन

केंद्र सरकार की 1000 पेज की रिपोर्ट में अहम खुलासा, देश की जीडीपी का करीब 71 फीसदी के बराबर कालाधन

एनके वेणु

विशेष

120 लाख करोड़ देश की कुल अर्थव्यवस्था

83 लाख करोड़ का कालेधन का कारोबार

सोना, हीरा, खनन क्षेत्र और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा काला कारोबार

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विदेश में जमा कालेधन को बनाया था मुद्दा

70 लाख करोड़ रुपये विदेश में जमा होने का अनुमान

20 साल में तीन गुना हुआ इजाफा

90 के दशक के शुरू में कालाधन जीडीपी का 20% तक था लेकिन उदारीकरण के बाद कालाधन 71% तक हो गया है। इस दौरान कालेधन में तीन गुना इजाफा हुआ है।

रियल एस्टेट कालेधन का सबसे बड़ा स्रोत

दो जनवरी को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्वीकरण के बाद रियल एस्टेट सेक्टर कालेधन का सबसे बड़ा स्रोत है। रियल एस्टेट सेक्टर में कालाधन कितना है इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 78 प्रतिशत लेनदेन कालेधन के रूप में होता है, जबकि कोलकाता और बेंगलुरु के रियल एस्टेट क्षेत्र में यह आंकड़ा 50-50 प्रतिशत है।

मनरेगा जैसी योजनाएं भी बड़ा जरिया

सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीकेज भी कालाधन बढ़ाने का बड़ा जरिया बन गया है। रिपोर्ट में बिहार में मनरेगा में भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि मनरेगा के बजट का करीब 35 से 40 प्रतिशत लीकेज है, जो जाहिर तौर कालेधन में तब्दील हो जाता है।

विदेश में काला धन

(अलग-अलग अनुमान)

वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में माना है कि काले धन के बारे में कोई संतोषजनक अनुमान नहीं है।

भाजपा विदेशों में 25 लाख करोड़ रुपये जमा होने का दावा करती है।

कुछ एजेंसियां विदेशों में 400 लाख करोड़ रुपये कालाधन जमा होने का दावा करती हैं।

नई दिल्ली। आम चुनाव के दौरान भले ही विदेश में कालाधन का मुद्दा गरमाया हो मगर देश में मौजूद कालेधन की हकीकत मोदी सरकार को अंदरखाने हिलाने के लिए काफी है। कालेधन पर सरकार की 1000 पेज की सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) का करीब 71 फीसदी के बराबर कालाधन है। इसके हिसाब से करीब 2000 अरब डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर 1400 अरब डॉलर का कालेधन का कारोबार है। इन आंकड़ों को अगर रुपये में देखें तो 120 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के समानांतर 83 लाख करोड़ रुपये का कालेधन का कारोबार है।

लोकसभा चुनाव में भारत का करीब 400 से 500 अरब डॉलर का कालाधन विदेशों में होने का मुद्दा बनाने वाली भाजपा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की यह रिपोर्ट सियासी रूप से हिला सकती है। देश में ही कालेधन का सरकारी 'सच' पर [illegible] सामने आने के बाद सरकार और वित्तमंत्री अरुण जेटली के लिए अपने ही मंत्रालय के अधीन इस संस्था की रिपोर्ट की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। कई जानेमाने अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विदेश में जमा कालेधन पर ज्यादा जोर [illegible] है यहां कालेधन पर अंकुश लगाकर सूरत बदलने की कोशिश तभी कामयाब होगी जब देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर चल रहे देसी कालेधन पर लगाम कसी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, रियल एस्टेट के बाद सोना, हीरे और गहने कालेधन के बड़े स्रोत हैं। सोने में कालेधन का आकलन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह अंदाजा लगाना कठिन है कि लोगों के घरों में जेवरात या ठोस रूप में कितना सोना है।

शेष पेज 9 पर

नई दिल्ली | सोमवार | 7 जुलाई 2014

प्रथम पेज के शेष

विदेश से ज्यादा देश में ...

हीरे के कारोबार और बाजार में भी करीब करीब यही स्थिति है। हवाला के जरिए भी सोने और हीरे का काला कारोबार होता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि कई बार मुख्य धारा के बैंक भी हवाला के जरिए सोने के काले कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। शेयर बाजार में डब्बा कारोबार भी काली कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। सेबी और रिजर्व बैंक जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर रोक मुमकिन नहीं हो पाई है। खनन क्षेत्र में भी सालाना करीब 10 फीसदी काला कारोबार होता है। कर्नाटक और गोवा में खनन क्षेत्र में सामने आए घोटालों से पता चला है कि लौह अयस्क बिना हिसाब किताब के सीधे निर्यात कर दिए जाते हैं।

इसके अलावा विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों क्षेत्रों में कम और ज्यादा आंकड़े दिखाकर बड़े पैमाने में कालेधन में घपलेबाजी की जाती है। रिपोर्ट में इसे मिस इनवॉयसिंग (बिल में घपलेबाजी) कहा गया है। वर्ष 2000 से लेकर 2009 तक मिस इनवॉयसिंग के तहत करीब 42 अरब डॉलर भारत से स्विट्जरलैंड कालेधन के रूप में भेजे गए। जबकि चीन में 11 अरब डॉलर और अमेरिका में 9 अरब डॉलर भारत से भेजे गए। रिपोर्ट कहती है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था के वैश्विक स्वरूप के कारण मिस इनवॉयसिंग की गुंजाइश काफी बढ़ गई है। करीब 20 साल पहले जीडीपी का 15 फीसदी ही आयात और निर्यात का कारोबार था, जो अब बढ़कर जीडीपी का 50 फीसदी हो गया है।

14 देश-विदेश ▸ 11 जुलाई, 2016 ▸ सोमवार

Price Rs. 4.50 (वार्षिक शुल्क 1800 रुपए डाक द्वारा)
R.N.I. No. 404 74/83, Postal Regn.No. DL(N)/0169/2015-17

तंजानिया को 9.2 करोड़ डालर का ऋण

भारत की पहल ▸ अन्य जल परियोजनाओं के लिए भी 50 करोड़ डालर का रियायती ऋण देने पर विचार

दार-एस-सलाम, (भाषा): संसाधन संपन्न तंजानिया के साथ संबंध बढ़ाने के क्रम में भारत ने आज उसकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पूरा सहयोग देने की पेशकश की और पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक जल संसाधन के क्षेत्र में 9.2 करोड़ डालर की ऋण सहायता देने से संबंधित है। तंजानिया की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में भारत को एक विश्वस्त साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जॉन पोंबे जोसफ मागुफुली के साथ अपनी संपूर्ण रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को, खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को गहन करने पर सहमति जताई।

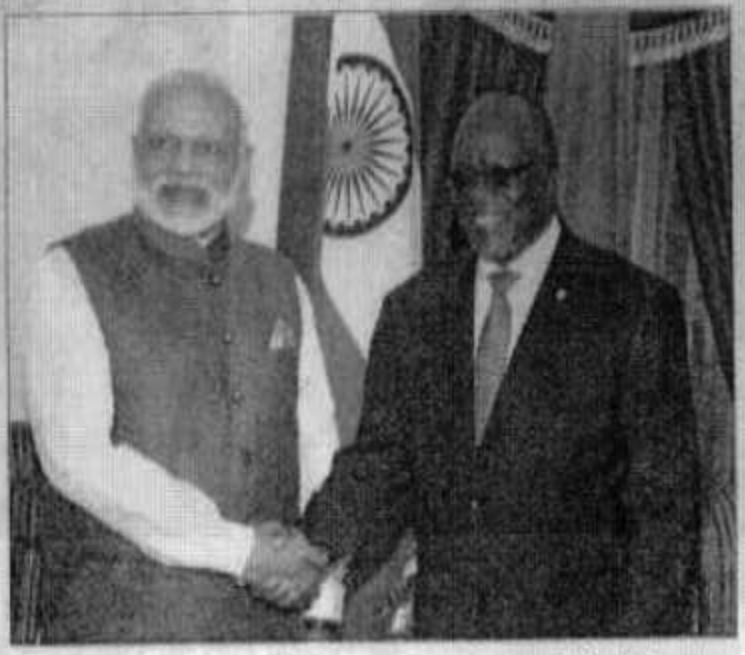

उन्होंने कहा, ''क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारी गहन चर्चा ने समान हित और चिंता के मुद्दों पर हमारे एक दिशा में विचारणीय रुख को झलकाया।'' मोदी ने राष्ट्रपति मागुफुली के साथ अपनी द्विपक्षीय मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, ''तंजानिया के साथ भारत का सहयोग हमेशा आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।'' दोनों पक्षों ने एक समझौते पर दस्तखत किये, जिसके तहत भारत जांजीबार की जल आपूर्ति व्यवस्था के पुनर्वास और सुधार के लिए 9.2 करोड़ डालर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। अन्य समझौतों में जल संसाधन प्रबंधन और विकास पर एक एमओयू, जांजीबार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, की स्थापना के लिए एमओयू, राजनयिक-आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एमओयू और भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास संगठन, तंजानिया के बीच एक समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश तंजानिया के 17 शहरों के लिए दूसरी कई जल परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इसके लिए भारत 50 करोड़ डालर की अतिरिक्त रियायती ऋण सहायता देने पर विचार करने को तत्पर है।'' सार्वजनिक स्वास्थ्य को द्विपक्षीय साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बताते हुए मोदी ने कहा कि भारत तंजानिया की सरकार की स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है जिसमें दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति शुमार है। मोदी ने कहा, ''मुझे बताया गया कि बुगांडो चिकित्सा केंद्र में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए एक भारतीय रेडियो-थैरेपी मशीन लगाई जा रही है।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मागुफुली के साथ मुलाकात में उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी के संपूर्ण आयाम पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

तंजानियाई राष्ट्रपति से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री मोदी

पांच समझौते हुए

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, रक्षा और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को गहन करने पर जताई सहमति

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 जुलाई 2016

माल्या ने यूएसएल में की 1,225 करोड़ की हेराफेरी

डियाजियो के स्वामित्व वाली कंपनी ने उद्योगपति को ठहराया जिम्मेदार

- नियामकों को दी जा रही आंतरिक जांच के ताजा निष्कर्षों की जानकारी
- पहले पकड़ी गई 1337 करोड़ रुपये से अलग है यह रकम

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योगपति विजय माल्या की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। डियाजियो के स्वामित्व वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) ने अपनी जांच में 1225.3 करोड़ रुपये की हेराफेरी और अनुचित लेनदेन का पता लगाया है। इस घपले में किंगफिशर एयरलाइंस और फॉर्मूला वन टीम सहित माल्या से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।

2013 में ब्रिटेन की दिग्गज उत्पाद कंपनी डियाजियो ने माल्या के यूबी ग्रुप से यूएसएल को खरीद लिया था। यह सौदा कई अरब डॉलर में हुआ था। यूएसएल ने आंतरिक रूप से अतिरिक्त जांच में ताजा राशि का पता लगाया है। उसने साफ किया है कि इसकी देनदारी माल्या पर ही बनती है। पूर्व में उद्योगपति के साथ किया गया समझौता इस पर लागू नहीं होता है और वह इसके प्रति जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

माल्या कई महीनों से ब्रिटेन में है। उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का बकाया है। कई बैंक उन्हें विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला) घोषित कर चुके हैं। फरवरी में माल्या ने यूएसएल के साथ समझौता किया था। 'स्वीटहार्ट डील' के नाम से चर्चित इस करार के तहत उन्हें कंपनी में एक्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था। उस समय उन्हें किसी निजी देनदारी से भी मुक्त किया गया था। अलबत्ता कर्जदाता बैंकों की अर्जी पर ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने माल्या को मिलने वाले पांच सौ करोड़ के भुगतान पर रोक लगा दी है।

शनिवार को यूएसएल के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी की ओर से की गई अतिरिक्त जांच के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। अप्रैल, 2015 में शुरू हुई आरंभिक जांच में खामियों को दूर करने के लिए इसके आदेश दिए गए थे। शुरुआती जांच में यूएसएल की ओर से माल्या की अगुआई वाले यूबी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को अनुचित तरीके से 1337 करोड़ रुपये के लोन देने की बात कही गई थी। यूएसएल ने कहा है कि अतिरिक्त जांच में प्रथम दृष्टया और फंडों के इधर-उधर किए जाने का पता चलता है। यह रकम लगभग 1225.3 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त जांच में अक्टूबर, 2010 से जुलाई, 2014 तक के लेनदेन शामिल किए गए। हालांकि, ऐसा लगता है कि कुछ लेनदेन के मामले समीक्षाधीन अवधि से पहले शुरू हुए। आंतरिक जांच के ताजा निष्कर्षों की जानकारी संबंधित नियामकों दी जा रही है। वैसे, पहले से ही बाजार नियामक सेबी और कॉरपोरेट मंत्रालय समेत अन्य एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

यूएसएल के बोर्ड ने प्रबंधन को वसूली के लिए आवश्यक कानूनी और नियामक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माल्या से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। जबकि यूएसएल का कहना है कि घुमाए गए फंडों का फायदा जिन विदेशी कंपनियों को मिला उनमें फोर्स इंडिया फॉर्मूला वन, वाटसन, कॉन्टिनेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मॉडल सिक्योरिटीज, अस्त्रा डायनेमिक्स और लोम्बार्ड वॉल कॉरपोरेट सर्विस इंक शामिल हैं। इन सभी में माल्या का प्रत्यक्ष और परोक्ष हित निहित है। जबकि ज्यादातर मामलों में जिस भारतीय कंपनी को लाभ मिला वह किंगफिशर एयरलाइंस है।

माल्या को पेशी से दी गई स्थायी छूट रद

- कोर्ट ने नौ सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया निर्देश

जासं, नई दिल्ली : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन में फरार उद्योगपति विजय माल्या को व्यक्तिगत रूप से पेशी से मिली स्थायी छूट पटियाला हाउस कोर्ट ने रद कर दी है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने 9 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में माल्या को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। फेरा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन एवं दूसरे यूरोपीय देशों में होने वाले फॉर्मूला वन रेस में अपनी कंपनी का लोगो दिखाने के लिए दो लाख डॉलर की धनराशि गलत तरीके से दी थी। ईडी के अनुसार, माल्या ने फेरा के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आरबीआइ की अनुमति के यह राशि दी थी।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस मामले में दिसंबर, 2000 में माल्या को पेशी से स्थायी छूट प्रदान की थी। ईडी ने कोर्ट में माल्या को दी गई छूट रद करने की अर्जी दायर की थी। इसी अर्जी पर अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता एनके माटा ने कहा कि अदालत छूट रद कर माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करे। साथ ही कहा कि मुंबई स्थित विशेष कोर्ट ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वारंट जारी किया है। ऐसे में अदालत को दिसंबर, 2000 के उस आदेश को वापस लेना चाहिए, जिसके तहत माल्या को पेशी से स्थायी छूट दी गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि अब माल्या विदेश भाग चुका है। मामले की सुनवाई के लिए माल्या की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में अदालत उसे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दे। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि माल्या को चार बार समन किया गया।

अमर उजाला

नई दिल्ली। 16 जुलाई 2014

नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति का रास्ता साफ, कांग्रेस पड़ी अलग-थलग

अमर उजाला ब्यूरो

- बसपा के समर्थन की घोषणा के बाद ट्राई संशोधन बिल की उच्च सदन में भी राह हुई आसान
- सरकार को मिला यूपीए की सहयोगी एनसीपी, टीएमसी और अन्नाद्रमुक का साथ
- तृणमूल ने लोकसभा में बिल का नहीं किया विरोध

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति संबंधी ट्राई संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल के समर्थन और विरोध को लेकर विपक्ष की आपसी खिलाफत का फायदा सरकार को राज्यसभा में मिलेगा। कांग्रेस, राजद, जदयू और वाम दलों ने जहां बिल का लोकसभा में तीखा विरोध किया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अंतिम समय में पाला बदलकर सरकार का साथ दिया। इसके साथ ही विपक्षी दल अन्नाद्रमुक, राकांपा ने भी सरकार के पाले में खड़ी नजर आई। इसके अलावा बसपा के समर्थन की घोषणा के बाद बिल का राज्यसभा में भी पारित होना तय हो गया है। इसी के साथ मोदी सरकार ने पहली चुनौती को आसानी से पार कर लिया है क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है।

लोकसभा में सोमवार को मिश्र की नियुक्ति के लिए जारी अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश संकल्प खारिज हो गया। कांग्रेस, जदयू, राजद व वाम दलों ने बिल का तीखा विरोध करते हुए इसे लोकसभा की सर्वोच्चता को सीधी चुनौती बताया। इन दलों ने सरकार से पूछा कि मिश्र की नियुक्ति के लिए वह इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। 'आप' ने मिश्र की नियुक्ति के पीछे राजनीतिक कारण होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मिश्र जिस दौरान वर्ष 2006 से 2009 तक ट्राई के अध्यक्ष थे, उसी दौरान टू जी स्पेक्ट्रम क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ था। कांग्रेस का कहना था कि एक व्यक्ति के लिए अध्यादेश और उसके बाद बिल लाना न केवल गलत परंपरा बनेगी, बल्कि ट्राई जैसी नियामक संस्था भी संदेह के घेरे में होगी। हालांकि भाजपा और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार के फैसले का बचाव किया। प्रसाद का कहना था कि विपक्ष किसी बिल के महज संवैधानिक पक्ष पर ही ऐतराज जता सकता है, उसे सरकार के निर्णय पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है। जबकि भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सभी प्राधिकरणों में काम करने वाले अफसरों-सदस्यों को सरकारी क्षेत्र का अंग बनने के प्रावधान की याद दिलाते हुए कहा कि महज ट्राई को इस छूट से दूर रखना उचित नहीं है। रूडी ने कहा कि सरकार ईमानदार लोगों को जोड़कर अच्छी सेवा देने के लिए हर सीमा को तोड़ने के लिए तैयार है।

सपा-बसपा सरकार के साथ

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अब इसे सीबीआई के खौफ का असर कहें या फिर मौकापरस्त सियासत का उदाहरण, नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी सपा और बसपा दोनों ने एनडीए सरकार के संकटमोचक की भूमिका निभाने की ठान ली है। प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति के संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया तो सपा भी इस मुद्दे पर तुरंत सरकार के साथ खड़ी हो गई। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया है। सपा और बसपा के रणनीतिकार मोदी सरकार से संबंध बेहतर बनाने के पक्षधर हैं। इसलिए संसद के अंदर वे सरकार से टकराव लेने के मूड में नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि मुलायम और मायावती दोनों ही [illegible] कि उन्होंने कांग्रेस के विरोध की वजह बताई। [illegible] कि वे किस प्रकार से सरकार चलाना चाहते हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने लिया यू-टर्न

मोदी सरकार संसद की पहली परीक्षा में सफल होती दिख रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को ट्राई संशोधन बिल का तीखा विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस जहां यू टर्न लेते हुए सरकार के साथ खड़ी हो गई, वहीं यूपीए की सहयोगी राकांपा, अन्नाद्रमुक और बीजद परोक्ष रूप से बिल के साथ खड़ी हो गई। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने की घोषणा की है।

ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया स्मारिका 2016 – 217

संविधान को जानों – अपनी ताकत को पहचानों

कर्म ही पूजा है – ये देश हमारा हैं।
हमें ही इसका पुनर्निर्माण करना हैं।

सभी मूलनिवासिओं को साथ – साथ आना हैं।
भारत भूमि को मूलनिवासियों का स्वर्ग बनाना है

भूल है हमारी हम करते उसे प्रणाम,
वह हमें समझता रहा,नीच और गुलाम।

करता हू कोटि नमन तथागत को,
बाबा साहब को कोटि प्रणाम।
फिर कोटि नमन रामास्वामी को,
जिन अन्धविश्वास विरोधी गही कमान।।

धर्म के नाम पर सिर झुकाये हुये,
ज्ञान धन मान सब लुटाये हुये।
कौन कहता है कि देश आजाद है,
लोग चारों तरफ हैं सताये हुये।

एकलव्यों के चाहे अगूठे कटे,
फिर भी द्रोणों को माथे चढ़ाये हुये।
तन बसन चीथड़ों पर पैबन्द है,
भूख से हर घड़ी बिलबिलाये हुये।

पूरा जीवन गंवा दिया पत्थर को पूजते
जो था उसको लुटा दिया पत्थर को पूजते
बदली नहीं दशा , बदली नहीं दिशा
अस्तित्व को मिटा दिया पत्थर को पूजते।

मुस्किलों में जब भी तुम पड़ते, बचाने कौन आता है ?
मकां में आग लगती है बचाने कौन आता है ?
बचाने कब वो आता है जिसे भगवान कहते हैं?
सोचो, तुम रो रहे होते, हंसाने कौन आता है ?

देखा एक अनोखा दरख्त, अद्भुद डाली।
खण्ड खण्ड है भागों में, हर भागों में है हरियाली।
पुनर्जन्म की जड़ है जिसकी, भाग्य तना का काम करें।
भाग्य भरोसे ही अपने ऊपर सबका भार धरे।।

गरीब आबादी को एजुकेशन के मार्केट से पूरी तरह बाहर धकेला जा रहा है

यूजीसी पर डेरा डालने की वजह

आशुतोष कुमार

एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली में यूजीसी ऑफिस पर छात्रों ने डेरा डाल रखा है। वे 'यूजीसी कब्जा अभियान' (ऑक्युपाई यूजीसी) चला रहे हैं। गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज के बाद भी उनका आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है, और अब इसे देशव्यापी रूप देने की तैयारी है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को देश भर के छात्र दिल्ली में प्रतिरोध जताने जुटने वाले हैं। सन नब्बे के आसपास की बात है, जेएनयू के एक हॉस्टल में एक छात्र पर मेस से खाना चुराने का आरोप लगा। जाहिर है, लानत-मलामत करने वालों की कमी न थी।

चंद्रशेखर भी उन दिनों जेएनयू के छात्र थे (वही चंद्रशेखर, जो आगे चल कर छात्रसंघ के अध्यक्ष बने और बाद में राजनीतिक माफिया से लड़ते हुए शहीद हुए)। उन्होंने एक खुला पत्र लिख कर आरोपित छात्र का जोरदार बचाव किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वे कौन छात्र हैं जो कैंपस में कई-कई दिन भूखे रहने को मजबूर होते हैं? खाना चुराने की नौबत कैसे आती है? क्या विश्वविद्यालय को अपने इन प्रतिभाशाली लेकिन वंचित छात्रों की चिंता नहीं करनी चाहिए? इस पत्र ने इस घटना के विषय में समूचे कैंपस का नजरिया बदल दिया। कुछ ऐसा ही बुनियादी प्रश्न आंदोलनरत छात्र उठा रहे हैं।

बदलाव के बहाने

यह सब यूजीसी के 7 अक्टूबर के फैसले से शुरू हुआ। अचानक केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उत्कृष्ट शोध केंद्रों में एमफिल और पीएचडी के शोधार्थियों को मिलने वाली पांच हजार और आठ हजार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता बंद कर दी गई। यह छात्रवृत्ति 2006 में केंद्रीय संस्थानों के उन शोधार्थियों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप न मिल पाई हो। नेट और जेआरएफ छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत कम है। कायदे से तो बिना नेट वजीफे का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन बिना कोई आधिकारिक कारण बताए उन्हें खत्म कर दिया गया। अनौपचारिक वार्ताओं से जाहिर हुआ कि बिना नेट वजीफों के वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। यह तय करना मुश्किल है कि यह लायक हाथों में पहुंचती है या नहीं। छात्रों का तर्क है कि यह जिम्मेदारी तो यूजीसी की है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय यह इसे छात्रों को सजा देने का आधार बना रही है।

> यूजीसी कब्जा अभियान चला रहे छात्रों का कहना है कि उनका संघर्ष फेलोशिप नहीं, भारत का भविष्य बचाने के लिए है

आंदोलन के जोर पकड़ने पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने फैसले पर पुनर्विचार के संकेत दिए। एक कमेटी बनाने की घोषणा की गई, जो बिना नेट फेलोशिप की पात्रता का आधार तय करेगी। यह आधार आर्थिक दुर्बलता या मेरिट हो सकता है। मगर छात्रों का कहना है कि यह भी इस वजीफे को सीमित करने की कोशिश है, जबकि पहले ही बहुत कम शोधार्थियों को उपलब्ध है। छात्र बिना किसी भेदभाव के सभी शोधार्थियों को वजीफे उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। बीते 25 अक्टूबर को देश के 424 लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें आशंका प्रकट की कि बिना नेट फेलोशिप खत्म करना उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत को शिक्षा के विश्व व्यापार का हिस्सा बनाया जाना है। दिसंबर में नैरोबी में होने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।

ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि सेमेस्टर सिस्टम, चार साला स्नातक कार्यक्रम और रुचि आधारित क्रेडिट सिस्टम जैसे पिछले दिनों लाए गए सभी सुधार इसी योजना की कड़ियां हैं। इसे संक्षेप में शिक्षा का निजीकरण और भूमंडलीकरण कहा जा सकता है। इसी के तहत आईआईटी संस्थानों की फंडिंग का नया प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें इन संस्थानों को अपने शोधकार्य आदि के लिए बाजार से फंडिंग की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। इस नीति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का निर्धारण उस राशि के आधार पर करने वाली है, जो वे बाजार से जुटाएंगे। जिसकी जितनी बाजारू फंडिंग, उसको उतनी सरकारी सहायता।

यह समझना मुश्किल नहीं है कि कारपोरेट घराने किन क्षेत्रों में शोध के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे। जाहिर है, उन्हीं में, जिनसे उनका मुनाफा बढ़ेगा। ऐसे में तकनीकी, प्रबंधन, सेल्स और बाजार की मांग पूरी करने वाले उत्पादों के इलाके में तो शोध के लिए धन मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल साइंसेज और सामाजिक विज्ञानों के लिए नहीं। शायद यही कारण है कि सरकार पाठ्यक्रमों के निर्धारण में भी बाजार की मांग का ध्यान रखने पर जोर दे रही है। तर्क दिया जाता है कि बाजारोन्मुख शिक्षा से रोजगार की हालत बेहतर होगी।

ज्ञान पर खतरा

एक हद तक यह बात सच हो सकती है। मंदी के इस दौर में विकसित देशों को भारी मात्रा में सस्ते शिक्षित-कुशल श्रम की जरूरत है। साथ ही उन्हें भारत जैसे देशों में खुलता अपार शिक्षा-बाजार पर मालिकाना भी चाहिए। इसलिए गरीब देशों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे शिक्षा में सरकारी खर्चे कम से कम करें और शिक्षा का बाजार ग्लोबल एजेंसियों के लिए खोल दें।

लेकिन इससे गरीब देशों का भारी नुकसान हो सकता है। एक तो इनमें बुनियादी ज्ञान के निर्माण का काम ठप हो सकता है, क्योंकि यह बाजार में बिकने वाला माल नहीं है। दूसरे, गरीब आबादी शिक्षा के बाजार से पूरी तरह बाहर धकेल दी जा सकती है। इससे देश का ज्ञान-आधार खोखला होगा, साथ ही आंतरिक संघर्षों व अपराध में बढ़ोतरी भी होगी। यूजीसी कब्जा अभियान चला रहे छात्रों का यह कहना गलत नहीं है कि उनका संघर्ष केवल फेलोशिप के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की रक्षा के लिए है।

रिसर्च स्कॉलरों से पल्ला झाड़कर बन जाएगी नॉलेज इकनॉमी?

www.edit.nbt.in

रीडर्स मेल

कड़ी निगरानी

राजधानी के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, साकेत में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाना बेहद गंभीर मामला है। बेदर्दी की इंतहा यह है कि महिला की मौत के बाद उसके घरवालों को पैंतालीस लाख रुपये का बिल भेजा गया है। एक तो इलाज में लापरवाही, ऊपर से इस दर्जे की असंवेदनशीलता। प्राइवेट अस्पताल बेहतर इलाज के नाम पर लाखों रुपये की फीस वसूलते हैं। इसके बावजूद वहां इलाज में ऐसी लापरवाही दिखाई जा रही है तो इनके खिलाफ खूब कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इरशाद आलम, महरौली

रिएक्शन फटाफट

आमिर खान के तथाकथित 'देशविरोधी' बयान के इस पूरे मामले में सबसे हास्यास्पद यह है कि किसी ने भी उनका इंटरव्यू पूरा पढ़ने या देखने की कोशिश नहीं की। बस सुनी-सुनाई बातों के आधार पर त्वरित प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। फिर बाल की खाल निकालनी भी। जबकि आमिर ने अपने इंटरव्यू में बेहद तर्कपूर्ण और विवेक से भरी हुई बात कही है। यही वजह है, जो हर रोज टीवी देखते हुए और अखबार पढ़ते हुए एक आम देशवासी के दिमाग में चलता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब भावनाओं के आवेग में आकर हम फटाफट प्रतिक्रिया देने पर उतारू हैं। और इसी का फायदा मौकापरस्त राजनेता उठाते हैं।

सुमिता भदौरिया, आगरा

सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर काले धन की देश वापसी और दोषियों के नाम उजागर करने का वायदा भाजपा ने बड़े जोर-शोर से किया था, मगर अब अपना चेहरा छिपाने के लिए सरकार को आड़ नहीं मिल रही है।

अपने जाल में उलझती सरकार

विदेश में अवैध बैंक खाते रखने वाले भारतीयों के नाम के खुलासे के मुद्दे पर भाजपा सरकार उसी जाल में उलझ गई है, जो बड़ी मशक्कत से उसने कांग्रेस के लिए बिछाया था। दरअसल, सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर काले धन की देश वापसी और दोषियों के नाम उजागर करने का वायदा भाजपा ने बड़े जोर-शोर से किया था, मगर अब अपना चेहरा छिपाने के लिए सरकार को आड़ नहीं मिल रही है। अटॉर्नी जनरल की दलील, कि अवैध विदेशी बैंक खाते रखने वाले तकरीबन 700 लोगों की पूरी सूची को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जब तक जांच पूरी न हो जाए, को खारिज कर सर्वोच्च अदालत ने सरकार को और शर्मिंदा किया है। सर्वोच्च न्यायालय के कड़े हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सरकार को इन नामों की पूरी सूची एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपनी पड़ी।

एम के वेणु

लेख पर अपनी राय हमें यहां भेजें
edit@amarujala.com

दिलचस्प है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश सरकार के लिए भले ही लज्जित करने वाला है, मगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ भाजपाई नेताओं ने इसका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, काले धन के मुद्दे पर अभियान चलाने वाले राम जेठमलानी तक को यह कहना पड़ा कि न्याय के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय का ही आसरा है। अभी पिछले हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली एक टेलीविजन चैनल को यह बताते देखे गए कि कुछ नामों का खुलासा किया जाएगा, जो कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेंगे। मगर गोवा की लिस खनन कंपनी का नाम सामने आ रहा है, वह 2004 से अब तक भाजपा को नौ बार धन मुहैया करा चुकी है। जितना पैसा इस कंपनी ने कांग्रेस को दिया, उसका दोगुना वह भाजपा को दे चुकी है।

दरअसल काले धन के पूरे मसले के साथ यही कठिनाई है। गोवा की खनन कंपनी ने भाजपा को महज एक करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा धन उपलब्ध कराया है। मगर इस खेल में कहीं ज्यादा बड़ी मछलियां शामिल हैं, जो हर वर्ष अरबों डॉलर का काला धन पैदा करती हैं, और नियमित तौर पर बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव फंडिंग के नाम पर नकद मुहैया कराती हैं। बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा सरकार चुनावों में नकद फंड उपलब्ध कराने वाली इन बड़ी कंपनियों को जांच के दायरे में लाएगी? शायद नहीं। यही वजह है कि केंद्र में आने वाली हर सरकार काले धन की पहेली को उलझाए रखना चाहती है। इसके अलावा इन दिनों कुछ नेताओं को उनके चमचों द्वारा 'निजी तौर पर स्वच्छ छवि' वाले राजनेता की उपमा देने का नया चलन शुरू हुआ है, भले ही उनके नाम पर ऐसे तमाम संगठन क्यों न चल रहे हों, जिन्हें हजारों करोड़ों का फंड मिल रहा हो।

वैसे अगर कानूनी और तकनीकी नजरिये से देखें, तो वित्त मंत्री का यह कहना जायज है कि अंतरराष्ट्रीय संधियां भारत को इजाजत नहीं देतीं कि वह अमेरिका, यूरोप और एशिया भर में फैले तकरीबन दो दर्जन विदेशी बैंकों से अवैध खाता रखने वाले भारतीयों की सूची हासिल कर सके। इन संधियों के मुताबिक, खातेदार का नाम उसी सूरत में उजागर करने पर विचार होगा, जब भारतीय जांच एजेंसियों के पास कर या दूसरे आपराधिक कानून के उल्लंघन का स्पष्ट सुबूत हो। सरकार ने अभी जिन नामों से पर्दा उठाया है, वे स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी बैंक में खातेदारों की एक सूची से लिए गए हैं, जिसे 2006 में किसी कर्मचारी ने चुरा लिया था। साफ है कि इस सूची को पाने के लिए भारत को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी।

एचएसबीसी की इस सूची में 600 से ज्यादा नाम हैं, जिनमें से ज्यादातर के उपनामों से जाहिर होता है कि उनका ताल्लुक भारत के उस समृद्ध राज्य से है, जिसके सुशासन के मॉडल के कसीदे पढ़े जाते हैं। इनमें से ज्यादातर के खाते जीरो बैलेंस दर्शाते हैं। इसकी वजह है कि एचएसबीसी के कर्मचारी ने इस सूची को 2006 में एक खास दिन चुराया। इस दिन के पहले, या उसके बाद खाते की क्या स्थिति थी, किसी को नहीं मालूम। यानी सूची से मिली जानकारी अपूर्ण है, और ऐसी सूची के आधार पर भारत का आयकर विभाग मामले दर्ज कर रहा है। ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार पर नाम उजागर करने का दबाव था, लिहाजा एचएसबीसी की सूची ही उसके लिए सहारा बनी। वरना दूसरे देशों के साथ वर्तमान संधि के मुताबिक भारत ऐसी जानकारी पा ही नहीं सकता था। यह तभी संभव था, जब अलग से कोई संधि की जाए। ध्यान रहे, यूपीए सरकार का यही पक्ष था, और ताज्जुब है, एनडीए सरकार का भी यही नजरिया है। असल में, भाजपा सरकार उस चुनावी वायदे का मखौल बनाती दिख रही है, जो चुनाव के समय गाजे-बाजे के साथ उसने किया था। अब वित्त मंत्री महोदय को क्या कहें, काले धन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने उनकी आधिकारिक स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसी यूपीए सरकार की थी। और यही वजह है कि संघ परिवार के सदस्य उन पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जिनकी नजर में विदेशों में जमा काले धन को गेन-कैन-प्रकारेण वापस लाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

इसी दौरान वित्त मंत्रालय का थिंक टैंक एक हजार पन्नों की दूसरी रिपोर्ट सामने लाया है, जिसके मुताबिक 1980 से 2007 के बीच भारत में हर वर्ष जो काला धन पैदा हुआ, वह सकल घरेलू उत्पाद का 45 से 70 फीसदी के बीच था। मतलब यह कि भारत में यह दर हर वर्ष दस खरब डॉलर या यों समझें, हर दिन तीन अरब डॉलर की रही है। आने वाले समय में जेटली की चिंता यही है। भारत के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह ऐसी नीतियां बनाए कि काले धन के घरेलू उत्पादन पर रोक लग सके। साथ ही, वह विदेशी सरकारों के साथ भी समझौते करने की कोशिश करे, ताकि कर चोरी पकड़ी जा सके। इसकी एक नियत प्रक्रिया बनानी होगी। चुराई हुई एक अधूरी रिपोर्ट के आधार पर महज मंच सजाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला।

नई दिल्ली शनिवार 1 नवंबर 2014

अरबपतियों की दौलत से दो बार मिट सकती है देश की गरीबी

संतोष कुमार

नई दिल्ली। भारत में अरबपतियों के पास इतना धन है, जिससे देश की गरीबी दो बार मिटाई जा सकती है। केंद्र सरकार अगर बढ़ती आर्थिक असमानता को रोक ले तो पांच साल के भीतर हाशिए पर पड़े नौ करोड़ देशवासी गरीब नहीं रह जाएंगे। आर्थिक असमानता में 36 फीसदी कमी आने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। इसका खुलासा ऑक्सफैम की 'फासले मिटा दें: असमानता खत्म करने का समय' नामक वैश्विक रिपोर्ट में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिज, ग्राचा मार्शेल समर्थित रिपोर्ट शुक्रवार को स्पेनिश कल्चर सेंटर में जारी की गई।

रिपोर्ट बताती है कि अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में देश में सिर्फ दो अरबपति थे। फिलहाल इनकी संख्या 65 है। वहीं, वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई। दूसरी तरफ दुनिया के सिर्फ 85 लोगों के पास इतनी दौलत है, जितनी पूरी दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास है।

खास बात यह कि दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति पर सिर्फ 1.5 फीसदी का कर लगाने से सबसे गरीब 49 देशों की स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश लायक रकम मिल जाती। इससे 2.3 करोड़ लोगों की जान बच सकती थी। रिपोर्ट सिफारिश करती है कि इच्छा शक्ति से दुनिया की सरकारें असमानता दूर कर सकती हैं। इसके लिए बड़े कारोबारी घरानों पर उचित टैक्स लगाना होगा। इससे सार्वजनिक सेवाओं में निवेश की रकम मिलेगी।

ऑक्सफैम की वैश्विक असमानता पर जारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा

दुनिया में बढ़ रही अमीर-गरीब की खाई, वैश्विक मंदी के बाद भी बढ़े अरबपति

अरबपतियों का हिसाब

- बिल गेट्स की सारी संपत्ति नगदी में बदल दी जाए तो वह 218 साल तक रोजाना दस लाख डॉलर खर्च कर सकते हैं।
- फ्रांस की जीडीपी से दोगुनी है दुनिया के अरबपतियों की दौलत
- सबसे गरीब आबादी के बराबर है दुनिया के 85 अमीरों के पास दौलत।
- टैक्स हैवेन देशों में अमीरों की दौलत जमा होने से 156 अरब डॉलर के राजस्व का हो रहा घाटा। समान काम करने वाली महिलाओं को तीस फीसदी कम वेतन मिलता है।

ऑक्सफैम की सीईओ निशा अग्रवाल के मुताबिक, सरकारों के लिए यह बेहद आसान है। मसलन, अगर चोटी के 65 कुबेरों पर महज 1.5 फीसदी संपत्ति कर लगाया जाए तो नौ करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो सकते हैं।

युवा आबादी की आकांक्षाएं पूरी करने की चुनौती

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बताया है कि दुनिया में दस से 24 वर्ष के युवाओं की आबादी 1.8 अरब पर पहुंच गई। और अगर इस विशाल आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो इससे बेरोजगारी एवं उससे जुड़ी अन्य समस्याएं पैदा होंगी। मानव सभ्यता के इतिहास में यह पहला मौका है कि इतनी बड़ी युवा आबादी हमारे बीच है। हमारे देश के संदर्भ में यह चेतावनी खास महत्व रखती है, क्योंकि हमारे यहां 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की आबादी 60.5 करोड़ है। जाहिर है, इस विशाल युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। क्या हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं?

जहां तक शिक्षा का सवाल है, तो हम हर वर्ष देखते हैं कि 90 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों को भी अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाता। इसके अलावा, एक बड़ी युवा आबादी, खासकर लड़कियां हाई स्कूल से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं।

मौजूदा दौर में जिस तरह से शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, गरीब तबके के युवाओं के लिए उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जहां तक रोजगार की बात है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 2020 तक भारत में 20 से 24 उम्र समूह के 11.6 करोड़ लोग कार्यबल के हिस्सा होंगे। हमारे देश में हर वर्ष एक करोड़ से ज्यादा नए लोग रोजगार की कतार में खड़े हो जाते हैं, जबकि पिछले दस वर्षों में करीब 1.5 करोड़ नए रोजगार का ही सृजन हो पाया है। इसके अलावा इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि युवाओं के बीच सामाजिक और वर्गीय असमानता व्याप्त है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि हमारे नीति-निर्माता युवाओं को कुशल, शिक्षित, नवोन्मेषी बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करें। आज का युग ज्ञान और नवाचार का युग है। विशाल युवा आबादी एक अवसर की तरह है। अगर हम अपने युवाओं को युग सापेक्ष कुशल बना पाए, तो निश्चित रूप से इस जनसांख्यिकीय लाभ का फायदा उठा पाएंगे।

रमण कुमार सिंह

प्रसंगवश

KP IT SOLUTION

Java Microsoft .net php MySQL

- Web Solution
- Android Application
- SEO
- Toll Free Number
- Bulk SMS

Ravindra Lodhi
+91 8860148600
Satish Singh
+91 8881496095

Skype : kpit.solution

Branch Off. : 1st Floor,
F-6, Bishanpura, Sector-58
Noida - 201301
E-mail : info@kpitsolution.com

Head Off. : 1st Floor,
27/71, Vishvas Nagar
Delhi - 110092
www.kpitsolution.com
Tool Free : 180030005880

राजस्थान पत्रिका

Page-11 10-2-16

कौड़ियों के भाव बेची किसानों की जमीन

भोपाल. भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने वाले 159 किसानों की भूमि बैंक ने कुछ साल पहले कौड़ियों के भाव नीलाम कर दी। ये सभी किसान भोपाल जिले के आसपास के हैं। उस समय जमीन की कीमत 1600 करोड़ रुपए थी। इस मामले में दो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। फैसला किसानों के हक में आया। सरकार इस फैसले को नजीर मानते हुए सभी किसानों की जमीन लौटाकर रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। यह बात मंगलवार को भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय तिवारी ने प्रेसवार्ता में कही। तिवारी ने बताया कि 2001 के बाद भूमि विकास बैंक ने कई किसानों की जमीन नीलाम कर दी थी। इन किसानों ने बैंक से कर्ज लिया था। इसमें भी बड़े कर्जदार नहीं थे। किसी ने भैंस के लिए, तो किसी ने कुआं खोदने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन बैंक ने नियम विरुद्ध तरीके से 159 किसानों की जमीन नीलाम कर दी। नियमानुसार वसूली नहीं होने पर पहले किसान को नोटिस दिया जाता है। उसके बाद नोटिस चस्पा किया जाता है, फिर नीलामी प्रक्रिया होती है। तिवारी ने बताया कि जमीन खरीदने वालों में कई नामी अधिकारी भी शामिल हैं। पूर्व मुख्य सचिव एवी सिंह के पुत्र धनंजय सिंह ने दो किसान मेवा बाई और तर सिंह की जमीन खरीदी है। वहीं बर्खास्त आईएएस अरविंद और टीनू जोशी की एसपी कोहली के साथ पार्टनरशिप उजागर हो चुकी है।

जेठमलानी का जेटली को पत्र- आप देश को सुसाइड की ओर ले जा रहे हैं

एजेंसी | नई दिल्ली

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने स्विस बैंक में ब्लैक मनी रखने वालों के नामों का खुलासा करने के संबंध में वित्त मंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने कहा, 'आप देश को सुसाइड की ओर ले जा रहे हैं। मोदीजी को गुमराह कर रहे हैं।'

- पीएम को गुमराह करने का लगाया आरोप
- कहा : सरकार असली अपराधियों के नाम छुपाना चाहती है

जेठमलानी ने लिखा, 'मोदीजी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो भरोसा बनाया था आप उसे तोड़ रहे हैं। हो सकता है कि यह आपका उनसे बदला लेने का तरीका हो। क्योंकि जिसे आप अपना ऑफिस (पीएम ऑफिस) समझते थे, वह उन्होंने ले लिया।' जेठमलानी ने लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने मुझे 18 ब्लैक मनी वालों के नाम बताए। लेकिन इसमें हसन अली जैसे बड़े लोगों का नाम नहीं होना बताता है कि सरकार असली अपराधियों की पहचान छुपाना चाहती है। जर्मनी से मिले नाम आप एसआईटी को भेजिए। ताकि वह उन्हें बता सके कि आगे क्या करना है।'

आप क्रिमिनल लॉ के बारे में ज्यादा नहीं जानते : पत्र में कहा गया, 'आप क्रिमिनल लॉ के बारे में ज्यादा नहीं जानते। गहन आपराधिक जांच के बारे में तो और भी कम। आपको ज्यादा बौद्धिक और नैतिक लोगों से सीखने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए।'

गुजरात में आखिर कितने किसान मरे हैं?

टीएनएन, अहमदाबाद : गुजरात में किसानों की खुदकुशी के वास्तविक आंकड़े को लेकर किस तरह भ्रम की स्थिति बनी हुई है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े से स्पष्ट होता है। पीएमओ ने आरटीआई के तहत मांगे गए जवाब में बताया है कि 2003 से 2012 के बीच फसल की बर्बादी के कारण सिर्फ एक किसान ने खुदकुशी की है। वहीं, इसके उलट राज्य का गृह मंत्रालय कहता है कि यह आंकड़ा 2005 से 2014 के बीच 413 था। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्रालय के मुताबिक, गुजरात में सिर्फ 2013-14 में 600 से अधिक किसानों ने खुदकुशी की है। ये अलग-अलग आंकड़े खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य से जुड़े हुए हैं।

गुजरात राज्य पर है देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज

राज्य का नाम	राज्यों द्वारा लिया गया ऋण करोड़ों में	राज्यों की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति ऋण
महाराष्ट्र	3,38,730	11,23,74,333	29,661
उत्तर प्रदेश	2,93,620	19,98,12,341	14,393
पश्चिम वंगाल	2,80,440	9,13,47,736	31,160
आन्ध्र प्रदेश	2,20,450	8,45,80,777	27,550
गुजरात	**2,10,040**	**6,51,05,237**	**35,006**
तमिलनाडु	1,95,290	7,21,47,030	28,040

अमर उजाला दिल्ली 26 नवम्बर 2015

शिशिर चौरसिया

इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट मुताबिक राज्य के हर व्यक्ति पर ₹29,661 का कर्ज

दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यूपी के हर व्यक्ति पर है ₹14,393 का ऋण

नई दिल्ली। देश के सर्वाधिक औद्योगिक राज्य के रूप में तो महाराष्ट्र को लोग जानते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है कि महाराष्ट्र के सिर पर देश के सभी राज्यों से ज्यादा कर्ज है। यदि प्रति व्यक्ति कर्ज के हिसाब से देखा जाए, तो वहां के हर नागरिकों के ऊपर 29,661 रुपये का कर्ज है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो महाराष्ट्र के बाद इसी राज्य का सबसे ज्यादा कर्ज है। हालांकि राज्य की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहां का प्रति व्यक्ति कर्ज 14,393 रुपये ही बनता है।

इंडिया स्पेंड द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2010-15 के दौरान महाराष्ट्र पर कुल कर्ज 3,38,730 करोड़ रुपये था। यदि प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें, तो वहां के हर नागरिक पर 29,661 रुपये का कर्ज है। महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम है जिस पर 2,93,620 करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की कुल आबादी 20.40 करोड़ है। इसलिए यहां का प्रति व्यक्ति कर्ज 14,393 रुपये बनता है। सर्वाधिक कर्ज लेने वाले राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम है। आलोच्य अवधि के दौरान राज्य का कुल कर्ज 2,80,440 करोड़ रुपये था। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, जिसका कर्ज 2,20,450 करोड़ रुपये का है। सर्वाधिक कर्जदारों की सूची में पांचवें स्थान पर गुजरात का नाम है, जिसका कुल कर्ज 2,10,040 करोड़ रुपये है। इस सूची में छठे स्थान पर तमिलनाडु का नाम है जिसके ऊपर 1,95,290 करोड़ रुपये का कर्ज है। इंडिया स्पेंड का कहना है कि यूं तो इस सूची में तमिलनाडु का स्थान छठा है, लेकिन इस राज्य का 92 फीसदी कर्ज पिछले पांच वर्षों में बढ़ा है। इंडिया स्पेंड का कहना है कि इस कर्ज के बोझ का विश्लेषण दो तरीके से हो सकता है। पहला कि विकास केलिए कर्ज लिया गया और दूसरा कि कर्ज की राशि का सही उपयोग नहीं किया गया। इस अध्ययन में देखा गया कि अधिकतर राज्यों ने आय और व्यय की खाई को पाटने के लिए कर्ज की राशि का इस्तेमाल किया।

आमतौर पर योजनागत व्यय जैसे कि सड़क बनाने, बांध बनाने या कोई ढांचागत संरचना विकसित करने के लिए यदि कर्ज लिया जाता है तो उसका परिणाम बेहतर होता है। यदि कर्मचारियों के वेतन भुगतान और पहले लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान जैसे गैर योजनागत व्ययों के लिए यदि कर्ज लिया जाता है, तो इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव दिखता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लोन की सर्विसिंग के लिए नया कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसका इंतजाम कर वसूली से प्राप्त की गई राशि से करना चाहिए।

इस जन्म में काले धन की वापसी संभव नहीं

भाजपा सांसद के दावे से पार्टी की हुई फजीहत

कांग्रेस ने ली चुटकी सत्ता में आते ही हुआ सच्चाई का अहसास

नई दिल्ली (ब्यूरो)। विदेशी बैंकों में जमा काला धन की स्वदेश वापसी के सरकार के प्रयासों और दावों पर खुद सत्तारूढ़ दल के सांसद को ही भरोसा नहीं है। सरकार के दावों के उलट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में काला धन वापसी को नामुमकिन करार देकर सरकार की किरकिरी करा दी।

कांग्रेस ने दुबे की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह भाजपा के आम चुनाव में किए गए वादे और सत्ता में आने के बाद किए गए दावे के उलट है। ऐसा लगता है कि सत्ता में आते ही भाजपा को सच्चाई का अहसास हो गया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि जहां तक स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के कालेधन को वापस लाना कम से कम इस जन्म में संभव नहीं है।

24.6.2014 अमर उजाला

70 देशों में जमा है भारत का काला धन

हरिद्वार (ब्यूरो)। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में कहा कि केवल स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि 70 देशों में भारत से ले जाया गया काला धन है। विदेशी बैंकों में जमा काला धन हवाला सहित कई अन्य माध्यमों से ले जाया गया है। उन्होंने काले धन की वापसी की उम्मीद बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। कहा, अब विशेष जांच दल शीघ्र ही उन बड़ी हस्तियों का खुलासा कर सकेगा जो देश की गाढ़ी कमाई लूटकर विदेशों में जमा करते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि मॉरिशस, इटली, दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, आईलैंड, फ्रांस, स्वीडन आदि देशों के बैंकों में भी भारत के लोगों का काला धन है।

भारत में कम नहीं हुआ भ्रष्टाचार : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार से तंग जनता ने भले ही सरकार बदल दी हो लेकिन हालात नहीं बदले हैं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का वही हाल है, जो एक साल पहले था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई) में देश को महज 38 अंक मिले हैं। पिछले वर्ष भी भारत के इतने ही अंक थे। 168 देशों की सूची में भारत का स्थान 76वां है। इंडेक्स में जितने अधिक नंबर होते हैं, भ्रष्टाचार उतना ही कम होता है।

इस हिसाब से भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पिछले साल रैंकिंग में 174 देश शामिल थे और उनमें भारत 85वें नंबर पर था। ऐसे में इस बार देशों की संख्या कम होने से रैंकिंग भी कम हुई है। पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान के हालात सबसे बेहतर हैं। 65 अंकों के साथ यह देश 27वें नंबर पर है। इसके अलावा भारत के सभी पड़ोसी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इस रैंकिंग में चीन 83 तो बांग्लादेश 139वें पायदान पर है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के अंकों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सीपीआई में देश का स्कोर महज 38

168 देशों की सूची में भारत का स्थान 76वां

डेनमार्क में सबसे कम और उत्तर कोरिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार

दुनिया में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है। उसे 91 प्वाइंट्स के साथ लगातार दूसरे साल यह तमगा मिला है। दूसरे नंबर पर स्थित फिनलैंड के 90 और स्वीडन के 89 नंबर हैं। उत्तर कोरिया और सोमालिया सूची में सबसे नीचे हैं। दोनों देशों का स्कोर आठ है।

विदेश में जमा है भारत का 265 टन सोना

समर्थ सारस्वत

नई दिल्ली। भारत के पास कुल 557.75 टन सोने का भंडार है। इसमें से 265.49 टन सोना विदेश में जमा है, जबकि 292.26 टन सोना भारत में सुरक्षित रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में दी है। मुंबई निवासी अनील ड्वेदी की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने देश में मौजूद सोने के भंडार और उससे जुड़े कुछ और सवालों के जवाब दिए हैं।

देश में मौजूद 265.49 टन सोने को आरबीआई के निर्गम विभाग के वॉल्ट में रखा गया है, जबकि विदेश में इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा गया है। आरबीआई ने यह जानकारी 31 मार्च 2013 तक के आंकड़ों के आधार पर दी है।

आरबीआई ने यह भी बताया है कि जो सोना विदेश में रखा गया है वो छड़ों के रूप में है और बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसकी मालिक आधार पर रक्षित भी करते हैं।

सोना एक माह के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली। स्टॉकिस्टों और ज्वैलर्स की खरीदारी के कारण सोने की कीमत बढ़कर एक माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को सोने का भाव 100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 28725 रुपये हो गया। हालांकि चांदी का भाव 44,900 रुपये प्रति किलो रहा। बाजार के जानकारों का कहना है कि शादी के सीजन में मांग की पूर्ति के लिए स्टॉकिस्टों और ज्वैलर्स की खरीदारी के कारण कीमत में उछाल आया। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर पड़ने से भी सोने का आयात कहीं ज्यादा महंगा हो गया। एजेंसी

कांग्रेस ने छह टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा

मोदी सरकार ने किया 45000 करोड़ का घोटाला

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 6 कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए 45000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि इस टेलीकॉम घोटाले में मोदी सरकार ने न सिर्फ कैग के ऑडिट रिपोर्ट की अनदेखी की, बल्कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस सहित अन्य चार्ज वसूलने के फॉर्मूले में बदलाव कर दिया। भारती, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया और एयरसेल ने अधिक भुगतान से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय कम बताई। सरकार अब भी इन कंपनियों से बकाया वसूलने और जुर्माना लगाने से बच रही है।

1999 में बनी नीति के अनुरूप नहीं वसूली जा रही है रकम

कैग की मार्च 2016 में आई रिपोर्ट में इन कंपनियों की ओर से सरकार को 45000 करोड़ रुपये का चूना लगाने की बात कही गई है। इसे घाटे पर लीपापोती के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने दोबारा एक सीए से इन आंकड़ों का नए सिरे से आकलन कराया और इन कंपनियों को छूट दे दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 1999 राजग सरकार ने नई टेलीकॉम लाइसेंस पॉलिसी लागू की थी। इसके जरिए टेलीकॉम कंपनियों को रेवेन्यू शेयरिंग दिया गया...

सरकार ने खारिज किए आरोप

नई दिल्ली। सरकार ने कांग्रेस की ओर लगाए गए 45000 करोड़ रुपये के टेलीकॉम घोटाले के आरोपों का खंडन किया है। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि छह टेलीकॉम कंपनियों की ओर से अपनी आय कम बता कर 45000 करोड़ रुपये का घोटाला करने संबंधी कैग की रिपोर्ट इस साल फरवरी में मिली। यह रिपोर्ट वर्ष 2006-07 से लेकर 2009-10 के बीच की है। उस दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इसलिए मोदी सरकार पर इस कथित घोटाले का आरोप कहीं से सही नहीं लगता। एजेंसी

25-10-2014 अमर उजाला दिल्ली

कालाधन : अपनों से घिरी मोदी सरकार

जेठमलानी ने जेटली को लिखा कड़ा पत्र, स्वामी ने भी की खाताधारकों के नामों के खुलासे की मांग

अमर उजाला ब्यूरो

- जेठमलानी ने वित्त मंत्री पर पीएम और देश को गुमराह करने का लगाया आरोप
- कहा, पीएम नहीं बनने की वजह से नरेंद्र मोदी से ले रहे हैं बदला

लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने वादा किया था कि वह काले धन को वापस लाएगी और दोषियों के नाम सार्वजनिक करेगी। अब इस वादे से मुकरना नहीं चाहिए। —सुब्रह्मण्यम स्वामी

जेठमलानी ने काला धन रखने वाले 18 लोगों की सूची में पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली का नाम न होने पर भी जताया आश्चर्य

क्या बोले राम जेठमलानी

'आप देश और मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार बड़े अपराधियों को बचाना चाहती है। मुझे संदेह है कि बाकी लोगों की तरह आप भी नहीं चाहते कि नाम सामने आएं। जर्मन सरकार ने कभी भी डीटीएटी की बात नहीं की। हमारे लोग ही जानबूझकर इसे बहाना बनाने में लगे हुए हैं ताकि हमारे वर्तमान भ्रष्टाचारी शासकों को बचाया जा सके।'

काला धन रखना निजी अपराध, पार्टी का नहीं : चिदंबरम

कांग्रेस ने उन दावों को और बल दे दिया है, जिनमें कहा गया है कि काला धन रखने वालों में यूपीए सरकार के कुछ मंत्री और अफसर शामिल हैं। चिदंबरम ने कहा, 'अगर सूची में पार्टी के किसी नेता का नाम आता है, तो इसके लिए कांग्रेस एसोसिएट नहीं होगी। यह व्यक्तिगत अपराध है। सरकार को इस मामले में कोई तथ्य नहीं करने के बदले पूरी सूचना के साथ सामने आना चाहिए।'

नई दिल्ली। विदेश बैंकों में काला धन रखने वालों के नाम का खुलासा करने के मामले में मोदी सरकार अब अपनों से ही घिरती नजर आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बेहद कड़ा पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जेटली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री न बन पाने की वजह से मौजूदा पीएम से बदला लेने की भी आशंका जताई है। उधर, भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने की जेठमलानी की मांग का समर्थन किया है।

जेठमलानी ने काला धन रखने वाले 18 लोगों की सूची में पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली का नाम न होने पर भी आश्चर्य जताते हुए कहा है कि सरकार असली अपराधियों की पहचान छुपाना चाहती है। उन्होंने जेटली को आपराधिक कानून और जांच के मामले में बहुत कम जानकारी होने की बात करते हुए अपने से ज्यादा बौद्धिक लोगों से सीखने में शर्म महसूस न करने की नसीहत दी है। जेठमलानी ने लिखा है, 'आप देश और मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है कि यह आपका मोदी जी से बदला लेने का तरीका हो क्योंकि जिस पीएम ऑफिस को आप अपना ऑफिस समझते थे, वह उन्होंने ले लिया है। इसलिए आप बड़े अपराधियों को बचाने में मदद कर मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं।'

इस बीच स्वामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र में पार्टी ने देश से इस आशय का वादा किया था। इसलिए सरकार को अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। जेठमलानी ने अपने पत्र में लिखा है, 'दिवाली के दिन यह पत्र लिखने का मुझे खेद है।

शेष पेज 10 पर

कालाधन:अपनों से घिरी मोदी सरकार...

मुझे संदेह हो रहा है कि बाकी लोगों की तरह आप भी नहीं चाहते कि नाम सामने आएं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग की याचिका दायर की है, वह भी मेरी नजर में सबसे ज्यादा गलत सलाह देने वाला कदम है।' पिछले हफ्ते ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर विदेशी बैंकों में खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र का कहना है कि द्विपक्षीय दोहरे कर से बचाव के लिए की गई संधि डीटीएटी की वजह से वह ऐसा करने में असमर्थ है। जेठमलानी ने अपने पत्र में लिखा है, 'जर्मन सरकार ने कभी भी डीटीएटी की बात नहीं की। हमारे लोग ही जानबूझकर इसे बहाना बनाने में लगे हुए हैं ताकि हमारे वर्तमान भ्रष्टाचारी शासकों को बचाया जा सके।' जर्मनी की सरकार से संपर्क स्थापित नहीं करने के मामले में उन्होंने सुषमा स्वराज पर भी उंगली उठाई है।

1– है कौन जगत में जो स्वतंत्रता जनसत्ता का अवरोध करें
रह सकता सत्तारूढ कौन जनता जब उस पर कोध करे।
2– आजादी केवल नहीं आप अपनी सरकार बनाना ही,
आजादी है उसके विरूद्व खुलकर विद्रोह मचाना भी।।

संविधान को जानों – अपनी ताकत को पहचानों
कर्म ही पूजा हैं – ये देश हमारा हैं।
हमें ही इसका पुनर्निर्माण करना हैं।
सभी मूलनिवासिओं को साथ – साथ आना हैं।
भारत भूमि को मूलनिवासियों का स्वर्ग बनाना है।